ISBN 81-7033-265-4

Rs. 150/-

यह अध्ययन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नयी दिल्ली के आर्थिक सहयोग से कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य संस्थान, जयपुर द्वारा किया गया है।

The publication of this book was financially supported by ICSSR and the responsibility for the facts stated opinions expressed or conclusions reached, is entirely that of the author and that ICSSR accepts no responsibility for them.

ICSSR Consultant
Professor R.P. Misra

Published by Prem Rawat, for Rawat Publications,
3-Na-20, Jawahar Nagar, Jaipur 302 004 INDIA
Phone : 0141-567022 Fax : 0141-567748

Delhi office
Veer Savarkar Block, Madhuvan Road, Shakarpur, New Delhi

Printed at Nice Printing Press, New Delhi

अनुक्रमणिका

पहला अध्याय

उद्देश्य, क्षेत्र एवं पद्धति

पृष्ठभूमि

वस्त्र मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। वस्त्र के उपयोग का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ-साथ आगे बढ़ा है। यह कहना कठिन है कि वस्त्र की खोज या उसका उपयोग कब से प्रारम्भ हुआ। आदि मानव भी शायद किसी न किसी चीज से शरीर को ढंकता था। मोटे तौर पर वस्त्र का उपयोग दो कारणों से करना माना जा सकता है। एक सभ्यता के नाते शरीर को ढंकना और दूसरा प्राकृतिक कठिनाइयों (गर्मी, सर्दी, वर्षा) से रक्षा के लिए शरीर को ढंकना। *लेकिन वस्त्र का स्वरूप तथा विविधता सभ्यता के विकास एवं वस्त्र कला के विकास के साथ-साथ बढ़ी है*। तकनीकी दृष्टि से देखें तो प्राचीनकाल से ही वस्त्र उत्पादन की तकनीकों का विकास होता रहा है। विद्वानों का मत है कि सूती वस्त्र का सबसे पहले भारत में विकास हुआ। भारत में ही सर्वप्रथम कपास उत्पादन तथा कताई, बुनाई की कला का विकास हुआ। भारत में वस्त्र उत्पादन की कला लगभग 5 हजार वर्ष पुरानी मानी जाती है। भारत के अतिरिक्त पड़ौसी चीन में रेशमी वस्त्र की परम्परा भी पुरानी है। यूरोप में ऊनी वस्त्र की परम्परा रही है। *इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिये कि विश्व के सभी भागों में किसी न किसी रूप में वस्त्र का विकास हुआ है*।

जहां तक वस्त्र उत्पादन का प्रश्न है, प्राचीन काल में यह कार्य घर-घर में किया जाता था। भारत तथा अन्य देशों में वस्त्र का उत्पादन हाथ के छोटे-छोटे औजारों से किया जाता था। इन औजारों को डेरा, तकली, चरखा, चरखी, करघा आदि के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह तथ्य सिद्ध हो चुका है कि भारत में प्राचीन काल में भी उत्तम किस्म के सूती वस्त्र का उत्पादन होता था और इन वस्त्रों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी किया जाता था। कहना न होगा कि सारे ही वस्त्र हाथ कते एवं हाथ बुने होते थे।

भारत में 17वीं सदी तक उत्तम किस्म के सूती वस्त्र का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था।

भारत में उत्पादित सूती-रेशमी वस्त्र की सबसे ज्यादा मांग यूरोपीय देशों में थी। सन् 1696 में डेनियल डीफो ने लिखा-संक्षेप में कहा जा सकता है कि "औरतों के पहनने से संबंधित या हमारे घरों की साज-सज्जा संबन्धित प्रायः वे सारी चीजें जो कपास या रेशम से बनती है, भारतीय व्यापारियों द्वारा पूरी की जाती हैं। एक अन्य लेखक की राय में कालीकट में तैयार सूती वस्त्र से ज्यादा नुकसान अंग्रेजों का किसी ने नहीं किया। आगे 1708 में श्री डीफो ने लिखा-"भारत के साथ व्यापार बढ़ने से इंग्लैण्ड में भारतीय वस्त्र के व्यापार एवं यहां तक कि उपयोग पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया।[1] इन्हीं दिनों योरप में औद्योगीकरण का युग प्रारम्भ हुआ और नये नये यंत्रों का आविष्कार होने लगा। 1717 में वस्त्र उत्पादन का पहला कारखाना लगा-बाद में धीरे-धीरे कताई-बुनाई के अनेक कारखाने स्थापित हुए। यूरोप के औद्योगीकरण ने भारतीय वस्त्र उद्योग को प्रायः नष्ट कर दिया। यूरोप में औद्योगीकरण तथा उसकी पूर्ति के साथ-साथ भारतीय दस्तकारी के ह्रास का युग प्रारम्भ हुआ। भारत यूरोप के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का केन्द्र बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्य लक्ष्य भारत से कच्चा माल आयात करना हो गया। उन्नीसवीं सदी में भारतीय परम्परागत वस्त्र उद्योग समाप्त प्रायः हो गया। यहां की वस्त्र कला का स्थान मिलों के वस्त्रों ने ले लिया। गांव-गांव में फैला परम्परागत वस्त्र उत्पादन उद्योग चौपट हो गया। इस दौरान कताई-बुनाई में प्रचलित परम्परागत औजार भी उपयोग के अभाव में प्रायः नष्ट होने लगे। फिर भी कई क्षेत्रों में मोटी कताई के औजार कायम रहे। राजस्थान के गांवों में मोटी कताई करने वाला चरखा तथा कर्घा आदि प्रचलित रहे और गांवों में इसका उपयोग भी होता रहा। लेकिन धीरे-धीरे इनका प्रचलन घट गया क्योंकि बाहर का मिल वस्त्र यहां आता था और बाद में यहीं कपड़ा मिलें स्थापित हुई और बड़े पैमाने पर मिल के वस्त्र का प्रचार हुआ। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि 20वीं सदी के प्रारम्भ तक ब्रिटिश भारत में परम्परागत औजारों से कताई-बुनाई समाप्त प्रायः हो गयी। कताई-बुनाई के औजार अतीत की चीज बन गयी, पर राजस्थान के राज्यों में छोटे पैमाने पर कताई-बुनाई चलती रही और परम्परागत चरखे और खड्डी वाले कर्घों पर कहीं-कहीं कुछ जातियां परम्परागत रूप से वस्त्र उत्पादन का कार्य करती रही। गांधीजी ने कताई-बुनाई की कला को नये तथा क्रान्तिकारी परिप्रेक्ष में प्रस्तुत किया। इसे उन्होंने "खादी" नाम से संबोधित किया। खादी से तात्पर्य हाथ से कता एवं हाथ से बुना वस्त्र माना गया। यह परिभाषा भारतीय वस्त्र कला की पुरानी परिभाषा है क्योंकि मिलों के आविष्कार के पूर्व वस्त्र उत्पादन हाथ-कते हाथ-बुने रूप में ही प्रचलित था। भारत में हाथ से कताई एवं बुनाई की उत्तम कला का विकास सदियों पुरानी परम्परा का परिणाम है। हाथ से हुनर के विकास का उत्तम नमूना भारत में बने महीन वस्त्र मलमल को माना जा सकता है। गांधीजी ने इस लुप्त कला को पुनः खोजकर स्थापित करने का कार्य किया। इस सदी के तीसरे दशक में गांधीजी ने देश में कताई के साधनों के रूप में चरखा एवं तकली को पुनः स्थापित किया। देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के बुनाई के करघों का प्रचलन था लेकिन इन पर आमतौर पर मिल के सूत की बुनाई होती थी।

1925 में गांधीजी ने अखिल भारत चरखा संघ की स्थापना की,जिसका उद्देश्य हाथ कते हाथ वुने खादी वस्त्र का प्रचार-प्रसार, उत्पादन-विक्री आदि करना था। खादी को उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन,आजादी का प्रतीक कहा। उन्होंने खादी को नयी अर्थ व्यवस्था का केन्द्र विन्दु (सूर्य) वताया।

अखिल भारतीय चरखा संघ के गांधीजी स्वयं अध्यक्ष वने तथा उस समय के राष्ट्रीय स्तर के नेता चरखा संघ की संचालन समिति के सदस्य वने। सन् 1925 से 1950 तक अ.भा.चरखा संघ का कार्य पूरे देश में वड़े पैमाने पर फैला और खादी लोक वस्त्र के रूप में स्थापित हुई। इस वीच चरखा संघ के माध्यम से खादी उद्योग-व्यवसाय के रूप में भी विकसित हुआ। लेकिन यह उद्योग-व्यवसाय अन्य उद्योगों से भिन्न रहा क्योंकि इसका उद्देश्य शोषण मुक्त अर्थ रचना की ओर आगे वढ़ना था। अतः इसे विना हानि-लाभ के, शोषण-रहित विकेन्द्रित उद्योग की दिशा में एक प्रयोग माना गया।

इसे गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों में प्रमुख स्थान दिया गया। यह प्रयोग गांधीजी के मार्ग-दर्शन में 1947 तक चला। गांधीजी के वाद इसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। स्वतन्त्र भारत की सरकार ने इस उद्योग को संरक्षण दिया और इस प्रकार आजादी के वाद खादी कार्य सरकार से जुड़कर चलने लगा। सरकार ने इस कार्य को आगे वढ़ाने के लिए प्रारम्भ में अ.भा. खादी ग्रा.वोर्ड तथा वाद में 1956 में खादी-ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की जिसके मार्गदर्शन में आज भी खादी कार्य चल रहा है। गांधीजी प्रारम्भ से ही खादी तकनीक के सुधार में रूचि रखते थे। उनका मानना था कि मनुष्य के हित को केन्द्र विन्दु मानकर शोषण रहित तकनीक का विकास किया जाना चाहिये। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रादुर्भाव तक उत्तम वस्त्र वनाने की जो तकनीक विकसित हुई थी,वह अव लुप्त प्राय हो चुकी थी। गांधीजी ने खादी के निर्माण के संवंध में काफी प्रयोग किये। गांधीजी ने अनेक लोगों को धुनाई,कताई,वुनाई तथा अन्य प्रक्रियाओं में उपयोग में आने वाले औजारों को विकसित करने के कार्य में लगाया। उन्होंने स्वयं प्रयोग किये और यरवदा चक्र,किसान चक्र,सांवली चरखा आदि कताई यंत्रों को विकसित किया। उन्होंने चरखा संघ के माध्यम से देश भर में प्रचलित कताई-वुनाई यंत्रों की जानकारी एकत्र करवायी तथा उन्हें अधिक सरल एवं उत्पादक वनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने अधिक कताई कर सकने वाले चरखे के विकास के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की थी। वाद में अंवर चरखा विकसित हुआ जो आज संशोधित रूप में कताई का प्रमुख साधन है। इस प्रकार एक वैज्ञानिक की भांति गांधीजी ने खादी तकनीक को विकसित करने का प्रयास किया।

आजादी के वाद चरखा संघ सर्व सेवा संघ में विलीन हो गया। खादी की संस्थाएं तथा सहकारी समितियां कायम हुई जो खा.ग्रा.आयोग तथा राज्य स्तर पर खादी वोर्डों के सहयोग से कार्य करती हैं। खादी तकनीक के विकास में इन संस्थाओं तथा खा.ग्रा. आयोग द्वारा स्थापित प्रयोग केन्द्रों का प्रमुख योगदान रहा। इन प्रयोग केन्द्रों में खादी प्रयोग समिति, अहमदावाद एवं वर्धा प्रमुख हैं। विभिन्न खादी संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने भी खादी यंत्रों के विकास में

महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप खादी उत्पादन के गुणस्तर तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई। खादी रोजगार का सक्षम साधन वने, इस दिशा में वढ़ने में इन प्रयोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन प्रयोगों ने खादी की प्रति इकाई उत्पादन क्षमता, आय तथा उत्पादकता बढ़ाई है। रंगाई, छपाई तथा डिज़ाइनों के विकास ने भी वाजार को प्रभावित किया है। यह प्रयोग सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार की खादी में हुआ है। खादी तकनीक के विकास क्रम के परिपेक्ष में पिछले 60 वर्षों में खादी तकनीक के विकास की क्या दिशा रही, इसका विश्लेपण अपने आप में एक उपयोगी प्रयास है। इसके साथ-साथ खादी कार्य में लगे व्यक्तियों पर खादी उत्पादन में प्रयुक्त विभिन्न औजारों का क्या आर्थिक प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेपण भी उपयोगी होगा। इससे विभिन्न यंत्रों की रोजगार क्षमता, उत्पादकता और उनसे होने वाली आय आदि मुद्दों पर व्यापक तथा उपयोगी तथ्य सामने आ सकते हैं। इन तथ्यों के आधार पर खादी विकास की भावी योजना एवं कार्यक्रमों के वारे में सोचने में मदद मिलेगी। इस कार्य में लगे लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा जीवन शैली की जानकारी भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान की विशेष भौगोलिक परिस्थिति तथा सामाजिक संदर्भ में यह अध्ययन अधिक महत्व का है क्योंकि यहां सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार की खादी का उत्पादन होता है।

उक्त संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य माने गये हैं:

1. खादी तकनीक के विकास की तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करना।
2. खादी कार्य में प्रयुक्त औजारों के आर्थिक का पक्ष विश्लेपण, रोजगार क्षमता, उत्पादकता तथा आय।
3. खादी कार्य में लगे लोगों का सामाजिक विश्लेपण।
4. खादी कार्य में लगे लोगों की आर्थिक स्थिति-तकनीक के प्रयोग के अनुसार आय, उत्पादकता और रोजगार।
5. खादी कार्य के विविध आयामों का विश्लेपण, ऐतिहासिक परिपेक्ष्य, संस्थात्मक स्वरूप।
6. गांधी विचार के संदर्भ में खादी के वर्तमान स्वरूप की स्थिति।
7. खादी उद्योग के वदलते संदर्भ का विश्लेपण।

अध्ययन क्षेत्र

(क) तकनीक की दृष्टि से मुख्य रूप से कताई एवं वुनाई में प्रयुक्त यंत्रों को शामिल किया गया है। कताई में परम्परागत चरखे तथा विकसित अंवर चरखे (न्यू मॉडल) प्रमुख हैं। वुनाई यंत्रों में परम्परागत खड्डी, करघे, फ्रेम लूम तथा नव निर्मित सेमी ऑटोमेटिक करघे अध्ययन के दिलचस्प अंग हैं। समग्र दृष्टि से देखें तो (1) पूर्व कताई प्रक्रिया (2) कताई (3) वुनाई प्रक्रिया

और वस्त्र की धुलाई, रंगाई, फिनिशिंग, सिलाई आदि उत्तर बुनाई प्रक्रियाएं मुख्य अध्ययन क्षेत्र हैं।

(ख) उत्पादन के प्रकार की दृष्टि से इस अध्ययन में दो प्रकार के उत्पादनों को शामिल किया गया है:

1. सूती उत्पादन (दरी एवं पोलिस्टर सहित)
2. ऊनी उत्पादन

(ग) भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन का क्षेत्र वर्तमान राजस्थान राज्य माना गया है। राजस्थान चार क्षेत्रों में विभाजित है: (1) मरूक्षेत्र (2) पर्वतीय क्षेत्र (3) मैदानी क्षेत्र (4) पठारी क्षेत्र। अध्ययन में सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। इससे भौगोलिक एवं सामाजिक संदर्भ में खादी तकनीक के प्रयोग के बारे में उपयोगी जानकारी मिलेगी तथा उसका प्रभाव, आंकलन अधिक सही ढंग से हो सकेगा।

(घ) मुद्दे-इस अध्ययन का केन्द्र विन्दु खादी कार्य में प्रयुक्त तकनीक है। अत: कताई एवं बुनाई में प्रयुक्त यंत्रों के विविध स्वरूपों तथा उसके पक्षों पर विस्तार से विचार किया गया है। (2) इसके साथ-साथ खादी उद्योग के विकास के विभिन्न चरणों पर भी विचार किया गया है। (3) तकनीक के प्रयोग के परिपेक्ष में खादी के पूर्ण एवं अंशकालीन रोजगार की सीमा भी विचार का एक मुद्दा मानी गयी है। (4) खादी उत्पादन में उत्पादन लागत तथा विक्रय मूल्य से प्राप्त धन राशि के व्यापारिक पहलू को ध्यान में रखते हुए विपणन के पक्षों पर विचार किया गया है। (5) खादी को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। इस संरक्षण के विभिन्न मुद्दों को भी अध्ययन में शामिल किया गया है। (6) खादी प्रारम्भ से ही गांधी विचार से प्रभावित रही है। वह विचार आज के संदर्भ में किस सीमा तक कायम है, इसे देखने का भी प्रयास किया गया है।

अध्ययन पद्धति

(क) तथ्यात्मक जानकारी के लिए राजस्थान में खादी कार्य में लगी संस्थाओं में से 15 संस्थाओं की जानकारी एकत्र की गयी है। इनमें खादी उत्पादन में लगी सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार की संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं से दो स्तर पर जानकारी एकत्र की गयी है। (क) कत्तिन-बुनकरों के बारे में संस्था से उपलब्ध जानकारी। (ख) प्रश्नावली के आधार पर कत्तिन-बुनकरों से साक्षात्कार के आधार पर उनके बारे में तथ्य संग्रह।

अध्ययन में निम्नलिखित संस्थाओं से जानकारी एकत्र की गयी है:

सर्वेक्षण के लिए चयनित संस्थाएं

	क्षेत्र	जिला		संस्था का नाम व पता
1.	मरूक्षेत्र	बीकानेर	1.	खादी ग्रामो.प्रतिष्ठान, रानी बाजार, बीकानेर
			2.	सुरधना खादी ग्रा. समिति, पो.सुरधना, जिला-बीकानेर
		जैसलमेर	3.	जैसलमेर जिला खा.ग्रा.परिषद, जैसलमेर
			4.	कबीर बस्ती खा.ग्रा.सहकारी समिति, कबीर बस्ती, पो.खींमा, जिला-जैसलमेर
		नागौर	5.	नागौर जिला खा.ग्रा.संघ, नागौर
		बाड़मेर	6.	खा.ग्रा.औद्योगिक सहकारी समिति, पो. बालोतरा, जि.बाड़मेर
2.	पर्वतीय क्षेत्र	उदयपुर	7.	ग्राम विकास मण्डल, देवगढ़, पो. देवगढ़, जिला-उदयपुर
			8.	राज. आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर
3.	मैदानी क्षेत्र	जयपुर	9.	खा.ग्रा.सघन क्षेत्र विकास समिति, बस्सी, जिला-जयपुर
			10.	राज.खा.संघ, खादी बाग, चौमू
			11.	राज.खा.ग्रा.विकास मण्डल, गोविन्दगढ़, जयपुर
			12.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा
		सवाईमाधोपुर	13.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली
		सीकर	14.	सीकर जिला खा.ग्रा.समिति, रींगस
4.	पठारी क्षेत्र	अजमेर	15.	खैराड़ ग्रा. संघ, सावर, जि.अजमेर

(ख) खादी कार्य में प्रयुक्त तकनीक की उत्पादकता, उससे होने वाली आय तथा अन्य तकनीकी प्रश्नों के गहराई में जाने की दृष्टि से कुछ संस्थाओं से विशेष जानकारी प्राप्त की गयी। इन संस्थाओं में कार्यरत कत्तिन-बुनकरों से विशेष साक्षात्कार किया गया तथा विभिन्न प्रकार के यंत्रों की गति, उत्पादकता आदि की जानकारी एकत्र की गयी। इस प्रकार के अध्ययन में शामिल संस्थाएं ये हैं:

1. खादी ग्रा. सघन क्षेत्र विकास समिति, बस्सी
2. लोक भारती समिति, शिवदासपुरा
3. राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़
4. भा. ना. खा. ग्रा. समिति, राणपुर, जि.अहमदाबाद (गुजरात)

इस प्रकार तीन स्तर पर जानकारी एकत्र की गयी है।

(1) संस्था में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर चयनित कत्तिन-बुनकरों द्वारा किये गये उत्पादन कार्य तथा आय संबन्धी आंकड़े।

(2) प्रश्नावली के आधार पर चयनित कत्तिन-बुनकरों से उत्पादन एवं आय संबन्धी तथ्यों

के अलावा सामाजिक, आर्थिक प्रश्नों से संबन्धित तथ्यों का संग्रह ।

(3) विशेष अध्ययन द्वारा उत्पादन एवं आय संबन्धी तथ्यों का संग्रह ।

सर्वेक्षित कत्तिन-बुनकरों की संस्थागत स्थिति इस प्रकार है:

	संस्था का नाम	*(क) संस्थागत स्तर पर प्राप्त जानकारी (संख्या)*		*(ख) व्यक्तिगत साक्षात्कार*	
		कत्तिन	*बुनकर*	*कत्तिन*	*बुनकर*
1.	खादी ग्रा.प्रतिष्ठान, बीकानेर	100	25	56	12
2.	खादी ग्रा.समिति, सुरधना	80	20	13	6
3.	सीकर जि. खा.ग्रा.समिति, रींगस	76	35	30	15
4.	राजस्थान खादी संघ, चौमू	74	20	53	12
5.	राजस्थान खा.ग्रा.विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	102	43	9	-
6.	नागौर जिला खा.ग्रा.संघ, नागौर	85	11	-	-
7.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	121	39	-	-
8.	खा.ग्रा.संघन क्षेत्र विकास समिति, बस्सी	213	52	-	-
9.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	103	18	-	-
10.	खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	-	-	28	16
11.	कबीर बस्ती खा.ग्रा. सहकारी समिति, जैसलमेर	-	-	7	8
12.	जैसलमेर जि. खा. ग्रामोदय परिषद्, जैसलमेर	-	-	27	5
13.	खादी ग्रामो. विकास मण्डल, देवगढ़	-	-	31	20
14.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	-	-	21	13
15.	खेराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	-	-	25	20
	योग	954	263	300	128

विभिन्न प्रकार की तकनीक की दृष्टि से सर्वेक्षित परिवारों का विश्लेषण करने पर निम्न स्थिति बनती है:

	विवरण	*संख्या*
(क) संस्थागत स्तर पर प्राप्त आंकड़े:		
1.	परम्परागत सूती कत्तिन	203
2.	अम्बर सूती कत्तिन	210
3.	परम्परागत ऊनी कत्तिन	500
4.	अम्बर ऊनी	4
5.	पोलिस्टर कत्तिन	37

Contd...

6.	परम्परागत सूती बुनकर	93
7.	फ्रेम-लूम सूती बुनकर	54
8.	सेमी ओटोमेटिक सूती बुनकर	-
9.	परम्परागत ऊनी बुनकर	63
10.	फ्रेमलूम ऊनी बुनकर	32
11.	पोलिस्टर बुनकर	2
12.	दरी बुनकर	19
		1217
(ख) प्रश्नावली आधारित दस्तकार (व्यक्तिगत साक्षात्कार)		
1.	परम्परागत सूती कत्तिन	69
2.	अम्बर सूती कत्तिन	32
3.	परम्परागत ऊनी कत्तिन	193
4.	ऊनी अम्बर	-
5.	पोलिस्टर	6
6.	परम्परागत सूती बुनकर	37
7.	फ्रेमलूम सूती बुनकर	-
8.	परम्परागत ऊनी बुनकर	42
9.	फ्रेमलूम ऊनी बुनकर	42
10.	पोलिस्टर बुनकर	3
11.	दरी बुनकर	4
		428

इस प्रकार कुल 1645 दस्तकारों की जानकारी प्राप्त की गयी है।

विशेष अध्ययन

खादी उत्पादकर्ता की दृष्टि से नमूने के अध्ययन में जिन परिवारों को शामिल किया गया उनका क्षेत्र एवं तकनीक की विविधता के अनुसार विश्लेषण करने पर यह स्थिति वनती है:

	विवरण	*बस्सी*	*शिवदासपुरा*	*राणपुर*	*गोविन्दगढ़*
1.	सूती अंवर (कत्तिन)	3	7	-	-
2.	पोलिस्टर अंवर (कत्तिन)	-	-	-	-
3.	ऊनी अंवर (कत्तिन)	-	-	25	-
4.	परम्परागत (कत्तिन)	-	-	-	4
5.	फ्रेमलूम वुनकर	-	-	15	-
6.	सेमी ऑटोमेटिक वुनकर	17	-	-	-
7.	पूणी निर्माण (पोलिस्टर)	5	-	-	-

Contd...

8.	पूणी निर्माण (टेप से)	2	-	-	-
9.	परम्परागत पूणी निर्माण	-	-	-	2
10.	होजरी बुनाई	-	-	7	-
11.	वस्त्र सिलाई	-	-	5	-
		27	7	52	6

कुल योग: 92

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन में खादी तकनीक के विभिन्न पक्षों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। आज जिन औजारों का उपयोग किया जाता है तथा इन औजारों के उपयोग में जिस सामाजिक, आर्थिक श्रेणी के लोग लगे हैं, उनको इस अध्ययन में शामिल किया गया है। इसी के साथ राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों की संस्थाओं को शामिल करने से तकनीक उपयोग का भौगोलिक पक्ष भी उभर कर आयेगा। इससे हमारी तकनीक के प्रभाव को समग्र रूप में देखा जा सकता है। अध्ययन का केन्द्र विन्दु राजस्थान माना गया है। राजस्थान में खासकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में खादी उत्पादन की अपनी विशेषता है। यहां की अधिकांश संस्थाएं ऊनी खादी उत्पादन में रूचि रखती हैं क्योंकि भेड़ पालन यहां का परम्परागत धन्धा है। यहां की भौगोलिक परिस्थिति एवं पर्यावरण ऊन कताई-बुनाई के अनुकूल है। लेकिन सूती खादी की परम्परा पुरानी है। खादी के वर्तमान ढांचे में ऊनी खादी का स्थान प्रथम है। सूती खादी का स्थान दूसरा आता है। रेशमी खादी का उत्पादन प्राय: नहीं है। इस प्रकार खादी के विभिन्न प्रकारों की दृष्टि से यह अध्ययन ऊनी एवं सूती खादी तक सीमित है। तकनीक के प्रकार की दृष्टि से राजस्थान परम्परागत तकनीक से विकसित तकनीक की ओर वढ़ रहा है। जहां तक तकनीक की विविधता का प्रश्न है, राजस्थान में इसका विस्तार सीमित है। ऊनी कताई में प्राय: सभी कत्तिनें परम्परागत चरखे से कताई करती है, ऊनी अंबर का प्रचलन वहुत कम है। सूती कताई में अंबर का व्यापक उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार बुनाई में भी विकसित तकनीक का उपयोग होता पाया गया। संक्षेप में, खादी उत्पादन एवं तकनीक प्रयोग दोनों दृष्टियों से अध्ययन की उक्त सीमाएं है। उक्त सीमाओं को ध्यान में रखकर आगे का विश्लेषण आगे वढ़ेगा।

टिप्पणियां

1. उद्धृत, श्री कृष्ण प्रसाद, वस्त्र उद्योग का विकास "अम्बर" फरवरी-मार्च, *1965* प्रयोग समिति, *अहमदावाद*

दूसरा अध्याय

खादी का वैचारिक विकास

कताई तकनीक का ऐतिहासिक संदर्भ

आज हम जिस वस्त्र का उपयोग करते हैं, वह युग युग से संचित एवं सतत विकसित वस्त्र विज्ञान एवं तकनीक तथा अनुभव का परिणाम है । वस्त्र ऐसा उद्योग है जो मानवीय सभ्यता के प्रारम्भ से लेकर आज तक अवाध गति से क्रमश: विकसित होता आया है ।

आदि मानव को गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि से वचाव के लिए किसी न किसी प्रकार के परिधान की आवश्यकता महसूस हुई । शायद यह आवश्यकता मनुष्य के चिन्तनशील, वौद्धिक सामाजिक प्राणी होने के कारण भी हुई । इसी की पूर्ति में आदि मानव ने अपना परिधान पत्ते, वल्कल, घास, चटाई, पशुओं के चमड़े आदि को वनाया । चटाई का उपयोग शायद सबसे पुराना है । चटाई के विविध उपयोग थे, यथा बिछावन शरीर ढंकने, छाया करने आदि । यहां यह कहना उचित ही दिखता है कि आदि मानव ने सर्व प्रथम बुनाई की कला विकसित की-ताड़ एवं खजूर के पत्ते, घास आदि की वुनाई कर चटाई तथा अन्य उपयोगी चीजों का निर्माण करके । संभवत: कताई की कला काफी वाद में विकसित हुई । मानवीय विकास क्रम को समझने का प्रयास करें तो यह वात सामने आती है कि चटाई जैसी चीजों के निर्माण की कला के वाद वंटाई का कार्य किया जाने लगा । इन साधनों में तकली या डेरा का प्रचलन आज भी देखा जा सकता है । इस प्रकार तकली, डेरा, चरखी के माध्यम से रेशे, ऊन आदि की कताई का कार्य शुरू हुआ और उनके द्वारा काते गये धागे से रस्सी वंटाई की प्रक्रिया विकसित हुई । प्रारम्भ में वांस या लकड़ी की तकली के नीचे मिट्टी या लकड़ी की चकती लगाकर कताई की जाती थी । तकली में कताई की गति अत्यन्त धीमी थी । अत: मानव मस्तिष्क अधिक गति के साधन की खोज में रहा । इस खोज का परिणाम चरखा या चरखी के रूप में जाना जाता है । देश के विभिन्न भागों में चरखी या चरखे के रूप में थोड़ा वहुत अन्तर अवश्य है, लेकिन मोटे तौर पर उसका स्वरूप-खड़ा

स्रोत, आर्थिक प्रतिवेदन खा.ग्रा. आयोग ।

चरखा था। उसका बदला स्वरूप आज भी परम्परागत चरखे के नाम से जाना जाता है। हाथ से चटाई की बुनाई के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं थी, वह अंगुलियों के माध्यम से किया जाता था।

सूती कताई कपास की खोज के साथ जोड़ी जा सकती है। भारत में चरखे से कताई का व्यवस्थित विकास कपास की खोज के बाद हुआ। यह कहना कठिन है कि कताई या कपास की खोज कब हुई। लेकिन यह निर्विवाद है कि वेदों की रचना के पूर्व कपास एवं चरखे की खोज हो चुकी थी। ऐसा लगता है कि कपास के साथ-साथ चरखा-चरखी भारतीय मानव की देन रहे हैं, और वस्त्र निर्माण कला के संदर्भ में ये पहले यंत्र हैं जिनका उपयोग कपास से बिनौलों को अलग करके रूई निकालने और फिर सूत कताई के लिए किया गया। कताई कला को अधिक सक्षम बनाने की दृष्टि से तुनाई और धुनाई की कला विकसित हुई। यह कार्य धनुप की तरह बने साधन से किया जाने लगा। बाद में धुनकी के साधन का विकास हुआ-इसे धनुप "धुनकी" का विकास माना जा सकता है। वेदों में कताई-बुनाई एवं कपास के बारे में व्यापक चर्चा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में ही कपास लुढ़ाई, कताई एवं बुनाई की कला विकसित हो चुकी थी और विभिन्न प्रकार के कताई-बुनाई के साधनों का उपयोग प्रारम्भ हो गया था।[1]

परम्परागत खादी का ह्रास

ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार आज से करीब 8 हजार वर्ष पूर्व भारत में कपास की खेती प्रारम्भ हुई और बाद में इसका प्रसार अरब, मिश्र, चीन, मोरक्को आदि देशों में हुआ। कपास के वस्त्र निर्माण तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्णतया हस्तकला के रूप में विकसित हुई। रूई से निर्मित वस्त्र हाथ से काते धागे द्वारा हाथ से ही बुना होता था। कुशल कारीगर अपनी हाथ की सफाई से महीन एवं कलात्मक वस्त्र का निर्माण करता था। इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि भारत में हाथ कते एवं हाथ बुने सूती वस्त्र का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था और यह वस्त्र उच्चकोटि का होता था। करीब 5 हजार वर्ष पूर्व हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ों में भी इस कला का व्यापक प्रसार था, इसके प्रमाण मिलते हैं। आधुनिक काल में 18 वीं शताब्दी के मध्य तक दुनियां भर में सूती वस्त्र के उत्पादन और व्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र भारत था। उन दिनों बड़े पैमाने पर उच्चस्तर के सूती वस्त्र का भारत से यूरोप तथा अन्य देशों को निर्यात किया जाता था। यह क्रम योरप में औद्योगीकरण के श्रीगणेश होने तक चलता रहा। अठारहवीं सदी के तीसरे चरण में योरप में वाष्प इंजिन, हारग्रीव के जेनी-चरखे तथा कपड़ा मिलों का विकास हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की व्यापारिक नीति ने भारत के वस्त्र उद्योग को समाप्त करना प्रारम्भ किया। परिणामस्वरूप योरप में बड़े पैमाने पर कपड़ा मिलों की स्थापना हुई और भारत से कपास मंगवा कर वहां की मिलों में कपड़ा तैयार कर उसे भारत में प्रचलित करने का दौर प्रारम्भ हुआ। औद्योगीकरण की यह गति इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी कि 18 वीं सदी के अन्त तक भारत का परम्परागत वस्त्र उद्योग

समाप्त प्राय: हो गया। कपड़ा मिलों की स्थापना के लगभग 50 वर्ष में ही भारतीय वस्त्र उद्योग एवं वस्त्र कला अतीत की चीज हो गयी। स्थिति इस तरह बदल गयी कि 19वीं सदी के दूसरे दशक तक कताई-बुनाई साधन प्राय: समाप्त हो गये। यद्यपि बुनाई का कार्य फुटकर रूप से थोड़ा बहुत होता रहा। पर यह बुनाई मिल के धागों से की जाने लगी। इसकी गंभीरता का अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है कि गांधीजी को 1921 के आस-पास कताई के लिए चरखे की खोज ब्रिटिश भारत के दूर दराज के गांवों में करनी पड़ी। स्पष्ट है तब कताई के साधनों का प्राय: लोप हो चुका था। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उनका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो चुका था। सर्वेक्षण के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि 20 वीं सदी के प्रारम्भ तक राजस्थान के गांवों से मोटी सूती कताई भी कहीं कहीं होती थी और रेजा-रेजी के उत्पादन का क्रम 20वीं सदी के प्रारम्भ तक चलता रहा यद्यपि जैसाकि ऊपर कहा गया है मिल का सूत इनके बुनने में बड़े पैमाने पर काम में लिया जाता था। अकसर मिल का सूत ताने में और हाथ का सूत बाने में प्रयोग किया जाता था।

खादी की खोज

गांधीजी ने खादी में भारत की आत्मा को देखा। गांधीजी की राय में खादी मात्र वस्त्र नहीं था वह तो स्वतन्त्र भारत की नई अर्थ रचना का प्रतीक था। गांधीजी 1915 में अफ्रीका से भारत आये थे। उसके बाद ही उन्होंने करघे और चरखे के बारे में सोचा। हिन्द स्वराज्य में गांधीजी ने कताई के यन्त्र को कर्घा के नाम से संबोधित किया है। 1916 में अहमदाबाद के पास कोचरब में आश्रम की स्थापना की और वहीं बुनने के लिए करघा बिठाया लेकिन उस समय बुनाई के काम में मिल का सूत ही काम में लिया गया। गांधीजी सूत के परावलम्बन से मुक्त होना चाहते थे। अत: उन्होंने कताई के लिए उपयुक्त चरखे की खोज चालू रखी। उन दिनों सुदूर गांवों में चरखे चलते थे लेकिन अहमदाबाद के आस-पास उनका प्रचलन नहीं था। गांधीजी ने श्रीमती गंगा बहन को चरखे की खोज का कार्य सौंपा। गांधीजी ने लिखा है: गुजरात में खूब घूमने के बाद गायकवाड़ी राज्य के विजापुर गांव में गंगा बहन को चरखा मिल गया। यहां बहुत से कुटुम्बों के पास चरखे थे, जिन्होंने उसे टांड पर चढ़ाकर रख छोड़ा था। यदि कोई उनका कता सूत लेता और उन्हें पूनियां बराबर दे देता, तो वे कातने के लिए तैयार थे। उक्त कथन से स्पष्ट है कि (क) गांधीजी को तब चरखे या करघे की जानकारी नहीं थी। (ख) चरखे की खोज के लिए उन्हें काफी प्रयत्न करना पड़ा। (ग) यह बात स्पष्ट होती है कि उस समय (1916-1918)-गांवों में चरखे थे और लोग कताई करना जानते थे। (घ) प्रारम्भ में कताई के लिए मिल की पूनी तथा बुनाई के लिए मिल के धागे का उपयोग किया गया।

गांधीजी ने खादी को राष्ट्रीय आन्दोलन से जोड़ दिया। खादी को स्वदेशी का प्रतीक माना गया और मिल वस्त्र को विदेशी शासन एवं शोषण का। इसीलिए मिल वस्त्र का बहिष्कार आन्दोलन बड़े पैमाने पर चला। कांग्रेस ने खादी को स्वीकार किया और 1922 में प्रस्ताव किया

"खादी के आन्दोलन का महान् राजनैतिक मूल्य होने के अलावा वह भारत के करोड़ों गरीबों की आज की आमदनी में कुछ वृद्धि करेगा।" इस प्रकार खादी कांग्रेस के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गयी। एक से अधिक वार कांग्रेस के अधिवेशनों में खादी को स्वीकार किया गया और उसे वढ़ाने के लिए प्रस्ताव किये गये। कांग्रेस सदस्यों के लिए खादी पहनना तथा कताई अनिवार्य वनाई गयी।

चरखा संघ की स्थापना

गांधीजी खादी को स्वदेशी एवं राष्ट्रीयता का प्रतीक मानते थे। लेकिन इसी के साथ-साथ वे खादी को आर्थिक रूप देने के लिए भी प्रयत्नशील थे। खादी रोजी का साधन वने,इस वारे में उनका चिन्तन वरावर चलता रहा। इस चिन्तन को मूर्त रूप देने की दृष्टि से उन्होंने इसे सार्वजनिक विचार विमर्श के लिए सबके सामने रखा। 30 जुलाई,1925 के "यंग इण्डिया" में गांधीजी ने चरखा संघ की कल्पना को इस रूप में स्पष्ट किया,"कांग्रेस के प्रधानतःराजनीतिक संस्था वनने की दशा में यह आवश्यक हो गया है कि सारे भारत के कातने वालों का ऐसा संघ बनना चाहिए,जो कांग्रेस के सूत मताधिकार संवन्धी कताई भाग की व्यवस्था और विकास करे। ऐसा संघ स्थापित हो जो शुद्ध व्यावसायिक रूप का हो,स्थायी हो और कांग्रेस की नीति में परिवर्तन होने पर भी उसमें परिवर्तन न हो। उसको खादी सेवकों का संगठन करना होगा। वह देहात का प्रतिनिधित्व करेगा और दूर-दूर के गांवों तक चरखे का संदेश पहुंचाकर देहात का संगठन करेगा। वह देहाती जीवन में शान्तिमय प्रवेश करेगा और वहां सच्चा राष्ट्रीय जीवन वनायेगा।[2] दिनांक 22, 23 सितम्वर,1925 को पटना में कांग्रेस महासमिति की सभा हुई जिसमें चरखा संघ वनाना तय हुआ। उसी समय यह निश्चय हुआ कि चरखा संघ स्वतन्त्र रूप से खादी का कार्य करे। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिसम्वर,1923 में काकिनाड़ा में कांग्रेस ने अ.भा. खादी मण्डल की स्थापना की थी जो कांग्रेस के अन्तर्गत ही खादी उत्पादन,उसके प्रचार-प्रसार का कार्य करता था। चरखा संघ की स्थापना के वाद यह खादी मण्डल उसमें-(चरखा संघ) विलीन हो गया।[3] चरखा संघ की स्थापना के वाद प्रथम कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष महात्मा गांधी वने। अन्य सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: 1. मौलाना शोकत अली, 2. श्री राजेन्द्र प्रसाद, 3. श्री सतीश चन्द्र दास गुप्ता, 4. श्री मगनलाल गांधी, 5. श्री जमनालाल वजाज (कोषाध्यक्ष), 6. श्री स्वाइव कुरेशी, 7. श्री शंकर लाल वेंकर और 8. श्री जवाहरलाल नेहरू (मंत्री)।

प्रारम्भ में चरखा संघ का जो विधान वना उसमें समय-समय पर संशोधन होता रहा। 24 सितम्वर,1925 में वने विधान में,11 नवम्वर,1925 को थोड़ा परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार 1928 में भी विधान में परिवर्तन किया गया। दिनांक 8-11-1937 को चरखा संघ की 1860 के रजिस्ट्रेशन कानून के अन्तर्गत रजिस्ट्री करायी गई। इस प्रकार मूल विधान में कार्य की सुविधा की दृष्टि से थोड़ा वहुत परिवर्तन होकर 1947 तक चरखा संघ का कार्य गांधीजी के मार्ग

दर्शन में चलता रहा।

उद्देश्य और संगठन

चरखा संघ के निम्नलिखित उद्देश्य माने गये थे:

हाथ कताई तथा हाथ कती व हाथ बुनी खादी की उत्पत्ति व बिक्री तथा तत्संबन्धी अन्य सब प्रक्रियाओं के द्वारा:

अ. गरीबों को पूरे या थोड़े समय काम देकर राहत पहुंचाना।

आ. उनको यथा संभव निर्वाह मजदूरी प्राप्त कराना।

इ. उनकी बेकारी से रक्षा करने के लिए साधन मुहैया करना, खास कर के अकाल के दिनों में, फसल न होने पर या दूसरे दैवी संकट आने पर।

ई. सामान्यतः और यथावकाश शिक्षण, दवाई आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

उ. हाथ कताई तथा खादी की उत्पत्ति व बिक्री तथा तत्सम्बन्धी दूसरी तमाम प्रक्रियाओं का शिक्षण देने तथा प्रयोग करने के लिए संस्थाएं खोलना, चलाना या ऐसी संस्थाओं को सहायता देना।

ऊ. पूर्वोक्त उद्देश्यों के अनुकूल दूसरे कार्य या प्रवृत्तियां चलाना।[4]

चरखा संघ के उद्देश्यों को देखते हुए यह बात सामने आती है कि खादी मूलतः आर्थिक कार्य होने के बावजूद सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई थी। गांव के कमजोर वर्ग को रोजगार एवं आर्थिक आधार देने के साथ-साथ उनके शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुधार आदि के कार्यक्रम भी हाथ में लिए जाते थे। चरखा संघ स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ भी निकट से जुड़ा था।

जैसा कि प्रारम्भ में कहा गया है खादी कार्य के साथ और इसी प्रकार चरखा संघ के साथ महात्मा गांधी तथा देश के प्रमुख नेता निकट से जुड़े थे। ऊपर गिनाये गये नामों से उस बात की पुष्टि होती है। 1925 एवं 1949 तक समय-समय पर चरखा संघ की कार्यकारिणी तथा ट्रस्टी मण्डल में परिवर्तन होते रहे। कुछ सदस्य सालाना सदस्य बने जबकि कई लगातार इसमें रहे। गांधीजी के अलावा भी श्री राजेन्द्रप्रसाद, श्री सरदार पटेल, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसके प्रमुख सदस्य रहे। श्री जमनालाल बजाज एवं श्री शंकरलाल बैंकर कोषाध्यक्ष एवं मंत्री के रूप में कार्य देखते रहे। इसी के साथ डॉ. वी.सुब्रह्मण्यम एवं श्री के. संतानम भी सदस्य रहे। 1935 में श्री गोपबन्धु चौधरी एवं श्री कृष्णदास जाजू निकट रूप से इस कार्य को देखने लगे। 1936 में श्री धीरेन्द्र मजूमदार कार्यकारिणी के सदस्य बने। आजादी मिलने के बाद देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदली और अनेक राष्ट्रीय नेता अन्य कार्यों में व्यस्त हो गये। बदलती परिस्थिति में 1947 में श्री सरदार पटेल, श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री

जवाहरलाल नेहरू, राजकुमारी अमृत कौर इसकी कार्यकारिणी में नहीं रहे। खान अब्दुल गफ्फार खां, गोपवन्धु चौधरी, श्रीमती आशादेवी आर्य नायकम, श्री घोत्रे जी आदि नये सदस्य वने। अपने निर्वाण तक गांधीजी चरखा संघ के अध्यक्ष रहे। उनके वाद सन् 1948 में श्री धीरेन्द्र मजूमदार अध्यक्ष चुने गये।

चरखा संघ का कार्य, उसके उद्देश्य के अनुसार गांवों में आंशिक एवं पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना रहा है। इस दृष्टि से गांव-गांव में कताई-बुनाई का कार्य चलता था। गांधीजी, प्रत्येक व्यक्ति को कताई अवश्य करनी चाहिये, इस बात पर जोर देते रहे। कांग्रेस में खादी पहनना तो अनिवार्य किया ही गया था, साथ ही नियमित कताई पर भी जोर दिया जाता था। प्रारम्भ में चरखा संघ के जो सदस्य वनाये जाते थे, उन्हें-अ, ब, स, आदि वर्गों में विभाजित किया जाता था। 1945-46 में चरखा संघ के दो स्तर के सदस्य थे। (क) सहयोगी सदस्य और (ख) वस्त्र स्वावलम्वी सदस्य। सहयोगी सदस्य को वर्ष में 6 गुण्डी सूत अवश्य कातना होता था। 1946 में सहयोगी सदस्यों की रजिस्टर्ड संख्या 35686 थी। वस्त्र स्वावलम्वी सदस्यों के लिए हरमास साढ़े सात गुण्डी सूत कातना आवश्यक माना गया था। वर्ष 1946 में इनकी संख्या 4853 थी।[5]

चरखा संघ के समय में कार्य संचालन के लिए राज्य स्तर पर प्रतिनिधि नियुक्त किये जाते थे, जो राज्य में खादी कार्य का संचालन करते थे। राज्य प्रतिनिधि स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करते थे। राजस्थान में चरखा संघ का कार्य 1925 में अजमेर में शुरू हुआ और श्री जमनालाल वजाज प्रतिनिधि एवं श्री वलवन्तराव देशपाण्डे मंत्री वनाये गये। सन् 1927 में इसका कार्यालय जयपुर आया और 1935 में गोविन्दगढ़ मलिकपुर में कार्यालय का स्थानान्तरण किया गया। 1938 के वाद राजस्थान में कोई प्रतिनिधि नहीं रहा। श्री देशपाण्डेजी के वाद सन् 1942 में कुछ समय श्री भैरवलाल मंत्री रहे। सन् 1944 में श्री मदन लाल खेतान और 1947 में श्री भीमसेन वेदालंकार मंत्री वने।[6]

आजादी मिलने तक खादी का कार्य चरखा संघ के द्वारा किया जाता रहा। संघ राज्यों में कार्यकर्ता शक्ति आदि को देखते हुए कार्य का विस्तार करता था।

चरखा संघ का विकेन्द्रीकरण

स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ-साथ चरखा संघ के माध्यम से देश भर में खादी के काम का व्यापक प्रसार हुआ। कार्य का सघन रूप में विकास उत्तर प्रदेश, विहार, महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास आदि राज्यों में हुआ। उस समय चरखा संघ इस कार्य के लिए केन्द्रीय संगठन का कार्य करता था।

गांधीजी प्रारम्भ से ही खादी कार्य के विकेन्द्रीकरण के पक्षधर थे। खादी के प्रसार के लिए विहार एवं उत्तर प्रदेश में क्रमशः विहार खादी ग्रामोद्योग संघ तथा गांधी आश्रम के नाम से स्वतन्त्र संस्थाएं वनी, जिन्होंने चरखा संघ का कार्य सम्भाल लिया। इस प्रकार 1946-47 से

चरखा संघ के विकेन्द्रीकरण का क्रम प्रारम्भ हुआ। 1947 में उत्कल (उड़ीसा) प्रदेश में भी अलग संस्था वनी और उसके माध्यम से खादी कार्य चलने लगा। राजस्थान का खादी कार्य राजस्थान खादी संघ तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं ने सम्भाल लिया। मध्य भारत का काम मध्य भारत खादी संघ को सौंपा गया। इसी प्रकार गुजरात का काफी काम वहनें स्थानीय संस्था में चलाती थी। वर्ष 1949 तक देश भर में स्थानीय संस्थाओं का विस्तार हो गया और चरखा संघ का काफी कार्य इन संस्थाओं द्वारा किया जाने लगा।[7] इस प्रकार देश भर में क्षेत्रीय स्तर पर संस्थाओं के निर्माण के वाद चरखा संघ का कार्य सिमटता गया। आजादी के वाद भारत सरकार ने नियोजित विकास में खादी को स्थान दिया। सरकार के ऐसे विभागों में जिनका संवन्ध ग्रामीण विकास, ग्रामीण उद्योग, वस्त्र उद्योग से था, चरखा संघ की ओर से प्रतिनिधि रखने की मांग होती रही। इसी मांग को देखते हुए कॉटन वोर्ड, इण्डियन स्टेण्डर्ड इंस्टीट्यूट आदि में चरखा संघ की ओर से प्रतिनिधि भेजे जाते रहे।

वदलती परिस्थिति

आजादी के वाद खादी तथा अन्य रचनात्मक प्रवृत्तियों की क्या दिशा हो, इस पर गांधीजी का चिन्तन स्पष्ट था। वे इसे विकेन्द्रित रूप में समग्र ग्राम विकास की दृष्टि से गांव-गांव में पहुंचाना चाहते थे। इसी मुद्दे पर विचार करने के लिए गांधीजी के सानिध्य में रचनात्मक सम्मेलन होने वाला था। लेकिन गांधीजी के निधन के कारण वह संभव नहीं हो सका। वाद में यह सम्मेलन 13 मार्च, 1948 को सेवाग्राम में हुआ। सम्मेलन में गहरे विचार मंथन के वाद "सर्वोदय समाज" नाम से अ.भा. रचनात्मक संघों को जोड़ने वाला एक संघ वनाने का निश्चय किया गया ताकि अव तक जो रचनात्मक काम अलग-अलग अंगों के रूप में होता था, वह एक दूसरे का पूरक वनकर समग्र दृष्टि से हो और सव संघों का समन्वय हो सके।[8]

रचनात्मक कार्यक्रम के अलग-अलग कामों के लिए चलने वाली संस्थाओं को सम्मिलित करने की दृष्टि से 1948 में सर्व सेवा संघ की स्थापना हुई। 11 मार्च-1953 को चरखा संघ सर्व सेवा संघ में विलीन हो गया। सभी दृष्टियों से सर्वसम्मति से निश्चय किया कि अ.भा. चरखा संघ को सर्व सेवा संघ में मिला दिया जाये। प्रस्ताव में कहा गया, "ट्रस्टी मण्डल का दृढ़ विश्वास है कि इस निर्णय से गांधीजी के चरखा संघ को दिये हुए अन्तिम आदेश की पूर्ति हो रही है और दरिद्रनारायण की समग्र सेवा करने के जिस महान् उद्देश्य से गांधीजी ने चरखा संघ की स्थापना की थी उसे सफल वनाने की दिशा में यह सही और समयानुकूल कदम है।[9] रचनात्मक संस्थाओं के विलीनीकरण की इस प्रक्रिया से अ.भा. गो सेवा संघ, अ.भा. ग्रामोद्योग संघ; अ.भा. तालीमी संघ आदि संस्थाएं भी शामिल हो गई। इसके वाद यह स्थिति वनी कि सर्व सेवा संघ में विभिन्न उप समितियां वनी जो कि अपने-अपने ढंग से कार्य करती थी। स्पष्ट है इन सव में सवसे व्यापक कार्य खादी का था जो विकेन्द्रित होकर क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाने लगा। विलीनीकरण के समय वैसे भी चरखा संघ का कार्य काफी सिमट गया था और वह

कार्य स्थानीय संस्थाओं ने उठा लिया था।

खादी कार्य का वदलता स्वरूप

प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय चरखा संघ तथा अन्य रचनात्मक संस्थाओं ने सरकार को यह सुझाया था कि खादी एवं ग्रामोद्योग का कार्य स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। इससे खादी कार्य का स्वतन्त्र विकास हो सकेगा और अव तक खादी संस्थाएं जिस समग्र रूप में कार्य कर रही हैं,वह भी-कायम रह सकेगा। इस प्रकार यह कार्य सरकारी तन्त्र से मुक्त होकर चल सकेगा। योजना आयोग ने इस सुझाव को एक सीमा तक स्वीकार किया। वैसे यह माना गया कि खादी ग्रामोद्योग का कार्य प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में विकास, खादी ग्रामोद्योग में रोजगार की संभावना, विभिन्न राज्यों में कार्य का समन्वय तथा वित्तीय स्थिति को मजवूत आधार प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार इस कार्य में गहरी रूचि ले। इन्हीं वातों को ध्यान में रखकर योजना आयोग ने एक सक्षम केन्द्रीय संगठन वनाने का सुझाव दिया।

योजना आयोग के सुझाव को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनवरी,1953 में अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग वोर्ड का गठन किया। प्रारम्भ में इस वोर्ड में अध्यक्ष एवं सचिव सहित 16 सदस्य रखे गये।[10] अ.भा.खा.ग्रामोद्योग वोर्ड के उद्देश्य में कार्य के वारे में कहा गया कि इसका मुख्य कार्य खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादन के लिए संगठनात्मक कार्य करना है। इसमें कार्य के लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षण, उत्पादन, साधनों की आपूर्ति, कच्चे माल की आपूर्ति, वाजार की व्यवस्था तथा कार्य को आगे वढ़ाने के लिए शोध एवं अध्ययन करना शामिल है। वोर्ड अपना कार्य चरखा संघ के साथ निकटता से जुड़ कर करेगा। अ.भा.खा.ग्रा. वोर्ड की स्थापना के समय यह अपेक्षा रखी गयी थी कि वह एक स्वायत्त संथा के रूप में कार्य करेगा। लेकिन स्थापना के प्रथम वर्ष में ही अनेक कठिनाइयों के कारण वोर्ड का कार्य गति नहीं पकड़ सका।[11] वोर्ड के सदस्यों ने अपनी कठिनाई भारत सरकार के सम्मुख रखी और आगे के कार्य के वारे में विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा के वाद भारत सरकार ने 1955 में खादी ग्रामोद्योग कार्य के लिए एक आयोग वनाने का निर्णय किया।

भारतीय संसद में 1956 में कानून वना जिसके अन्तर्गत अ.भा.खा.ग्रा. आयोग का गठन किया गया। यह कानून अप्रैल,1957 से लागू हुआ। कानून के अन्तर्गत वने इस आयोग का मुख्य कार्य खादी और ग्रामोद्योग सम्वन्धी कार्यों की योजना वनाना, उसका संगठन करना तथा योजना को लागू करना माना गया। आयोग के निम्नलिखित कार्य माने गये:[12]

1. खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना वनाना और संगठन करना।
2. कच्चे माल और औजारों का भण्डारण और खादी एवं ग्रामोद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को पुर्जे उचित दरों पर, जो आयोग की राय में सही हो, उपलव्ध कराना।

3. खादी या ग्रामोद्योग की बिक्री एवं विपणन की व्यवस्था ।
4. खादी के उत्पादन तकनीक का ग्रामोद्योग के विकास या खादी ग्रामोद्योगों से संवन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिए सुविधा उपलब्ध करने के लिए अनुसंधान करना एवं उन्हें प्रोत्साहन देना ।
5. खादी या ग्रामोद्योग के विकास के लिए संस्थाओं को गतिशील रखने के लिए सहायता देना ।
6. खादी उत्पादन या ग्रामोद्योग के विकास को प्रोत्साहित करना या उनका प्रसार ।
7. खादी निर्माताओं और ग्रामोद्योगों में लगे लोगों में सहकारी प्रयास को बढ़ावा देना ।
8. प्रामाणिकता कायम रखने की दृष्टि से खादी या किसी ग्रामोद्योग के उत्पादनों का विक्रेताओं को प्रमाण पत्र देना ।
9. अन्य ऐसे कार्य जिन्हें आयोग निर्दिष्ट कर दे ।

इस प्रकार खादी कार्य के लिए नई स्वायत्त एजेन्सी का गठन किया गया । इसके अन्तर्गत अ. भा. खा. ग्रा. वोर्ड एक सलाहकार संगठन के रूप में रह गया । कार्यकारी अधिकार आयोग के पास चले गये ।

चरखा संघ के विलय के वाद खादी कार्य क्षेत्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा किया जाने लगा । वदलती परिस्थिति में प्रामाणिक खादी का प्रश्न उठा । सर्व सेवा संघ की राय से अ.भा.खा.ग्रा. बोर्ड ने खादी को प्रमाणिक रूप से चलाने के लिए प्रमाण पत्र समिति का गठन किया । इस समिति को स्वायत्त इकाई रखा गया और इसका मुख्यालय लखनऊ में रखा गया । खादी कार्य में लगी संस्थाएं प्रामाणिक खादी बनाये तथा प्रामाणिकता कायम रखे, इसकी जांच करने एवं प्रमाण पत्र देने का अधिकार प्रमाण पत्र समिति को दिया गया । यह समिति यह भी देखे कि संस्था में हाथ कती व हाथ बुनी खादी ही बने, इस कार्य में लगे दस्तकारों को निर्धारित दर से मजदूरी मिले, खादी कार्य में लाभ का अंश भी निश्चित रहे-इन बातों की जांच करके ही संस्थाओं को खादी उत्पादन का प्रमाण पत्र दिया जाये । प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक राज्य में भी प्रमाण पत्र समिति का गठन किया गया जो राज्य की संस्थाओं को प्रमाण पत्र के लिए संस्तुति करती हैं ।[13]

खा.ग्रा. आयोग के कानून के अन्तर्गत प्रमाण पत्र समिति का गठन आयोग द्वारा किया जाता है ।

अंबर चरखे के विकास के वाद देश भर में खादी के विकास को नई दिशा मिली । 1956-57 में अम्बर चरखा मूल्यांकन समिति (खेर कमेटी) ने अपनी रिपोर्ट में खादी कार्य को विकेन्द्रित रूप में चलाने की सिफारिश की । परिणामस्वरूप जिले एवं उससे भी नीचे स्तर पर खादी संस्थाओं को विकेन्द्रित किया जाने लगा । यह क्रम आज तक चल रहा है और प्रखण्ड

एवं उससे भी नीचे स्तर पर खादी संस्थाएं विकेन्द्रित हो रही हैं।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के सलाहकार मण्डल के रूप में अ.भा.खा.ग्रा. बोर्ड को कायम रखा गया, लेकिन इसकी स्थिति केवल सलाहकार की रही-व्यावहारिक कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। राज्यों में राज्य कानून के तहत राज्य खा.ग्रा. बोर्ड की स्थापना की गयी। प्रायः सभी राज्यों में इस प्रकार के राज्य बोर्ड हैं जो राज्य सरकार की देखरेख में कार्य करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीयस्तर पर खा.ग्रा. आयोग तथा राज्यस्तर पर राज्य खा.ग्रा. बोर्डों के द्वारा खादी कार्य को मदद प्राप्त होती है। खादी संस्थाएं खा.ग्रा. आयोग या राज्य खादी बोर्ड के साथ जुड़ी होती हैं।

संगठनात्मक स्वरूप

इस समय खादी कार्य दो प्रकार की संस्थाओं द्वारा किया जाता है:

1. खादी कार्य के लिए बनी पंजीकृत संस्थाएं।
2. सहकारी समितियां।

कुछ क्षेत्रों में खादी कार्य खा.ग्रा. आयोग एवं राज्य बोर्ड स्वयं भी करते हैं, यद्यपि ऐसे क्षेत्र बहुत कम हैं।

संस्थाओं को प्रमाण पत्र समिति, लखनऊ से खादी उत्पादन के लिए प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। आर्थिक दृष्टि से ये संस्थाएं एवं सहकारी समितियां राज्य खा.ग्रा. बोर्ड या अ.भा.खा.ग्रा. आयोग से जुड़ी होती हैं। इन्हें नियमानुसार योजनाओं के अन्तर्गत कार्य के लिए कर्ज एवं अनुदान प्राप्त होता है। वर्तमान नीति के अनुसार संस्थाएं खा.ग्रा. आयोग की स्वीकृति से निश्चित सीमा में बैंकों से भी कर्ज लेती हैं। खादी ग्रामोद्योग का मुख्यालय बम्बई में है तथा प्रत्येक राज्य में राज्य निदेशक का कार्यालय है। राज्य निदेशालय राज्य स्तर पर कार्य को देखता है।

इस समय देश भर में खादी कार्य में लगी पंजीकृत संस्थाओं की कुल संख्या 1148 और सहकारी समितियों की संख्या 29953 है। संस्थाओं एवं सहकारी समितियों की राज्यवार स्थिति उपरोक्त तालिका में दर्शाई गयी है।

तालिका से स्पष्ट है कि देश भर में बड़ी संख्या में पंजीकृत संस्थाएं एवं सहकारी समितियां खादी उत्पादन कार्य में लगी हैं। ये संस्थाएं तीन प्रकार की खादी का उत्पादन कार्य करती हैं। (1) सूती खादी (2) ऊनी खादी और (3) रेशमी। इसके अतिरिक्त कुछ संस्थाएं पोलिवस्त्र का उत्पादन भी करती हैं। कौन संस्था किस प्रकार की खादी का उत्पादन करे, यह कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे कच्चे माल की उपलब्धि, स्थानीय परिस्थिति, भौगोलिक कारण, संस्था की रूचि आदि। उदाहरण के लिए उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में सूती खादी का कार्य ज्यादा व्यापक रूप में है। बंगाल, असम, आदि में रेशम का काम ज्यादा है।

पश्चिमी पहाड़ी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, कश्मीर आदि में ऊनी काम ज्यादा है।

खादी कार्य में लगी संस्थाएं एवं सहकारी समितियां

क्र.सं.	*राज्य*	*संस्थाएं*	*सहकारी समितियां*
1.	आन्ध्र प्रदेश	44	2072
2.	असम	14	290
3.	बिहार	67	3107
4.	गुजरात	134	869
5.	हरियाणा	27	1338
6.	हिमाचल प्रदेश	7	421
7.	जम्मू कश्मीर	13	949
8.	कर्नाटक	105	1399
9.	केरल	33	2117
10.	मध्य प्रदेश	30	1771
11.	महाराष्ट्र	31	2136
12.	मणिपुर	12	307
13.	मेघालय	1	6
14.	नागालैण्ड	2	-
15.	उड़ीसा	43	3061
16.	पंजाब	19	788
17.	राजस्थान	105	1863
18.	सिक्किम	1	-
19.	तमिलनाडु	72	3013
20.	त्रिपुरा	1	-
21.	उत्तर प्रदेश	213	4126
22.	पश्चिमी बंगाल	160	274
23.	संघ शासित क्षेत्र	14	46
	कुल योग	1148	29,953

टिप्पणियां

1. देखें, श्री कृष्ण प्रसाद, "वस्त्र उद्योग का विकास", अंबर, फरवरी-मार्च, 1965, खादी ग्रा.प्रयोग समिति, अहमदाबाद।
2. गांधीजी, "यंग इण्डिया", 30 जुलाई, 1925।
3. श्री कृष्णदास जाजू एवं अन्नासहस्रबुद्धे, "चरखा संघ का इतिहास", पृष्ठ-120, सर्व सेवा संघ, वाराणसी-1962, विधान परिशिष्ट में देखें।

4. उपरोक्त, पृष्ठ- 143-144 ।
5. चरखा संघ का इतिहास, पृष्ट संख्या-151-153 ।
6. उपरोक्त पृष्ठ 156 एवं 278 ।
7. उपरोक्त, पृष्ठ-290 ।
8. उपरोक्त, पृष्ठ-492 ।
9. उपरोक्त, पृष्ठ-492 ।
10. भारत सरकार का प्रस्ताव सं.45, काट.इन्ड.(5), 52-जनवरी-14, 1953 (अपेन्डिक्स-8) उद्धृत-रिपोर्ट ऑफ खादी एवाल्यूशन कमेटी, भारत सरकार, 1960 ।
11. बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट, 1953, पेज-25, उद्धृत पृ.13 ।
12. खादी मूल्यांकन समिति, 1960 की रिपोर्ट - पृ.सं.14 ।
13. उद्धृत, उपरोक्त, पृष्ठ-16

तीसरा अध्याय

खादी कार्य का विकासः सिंहावलोकन

1. कालक्रम के अनुसार खादी कार्य का प्रारम्भ 1921 से माना जाता है। कांग्रेस कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव द्वारा इस कार्यक्रम को स्वीकार किया और कालांतर में अ.भा. चरखा संघ के माध्यम से यह कार्य पूरे देश में फैला। "चरखा संघ का इतिहास" में प्राप्त तथ्यों के अनुसार खादी उत्पादन-विक्री के आंकड़े 1923 से प्राप्य हैं। प्रस्तुत अध्याय में प्रारम्भ से अव तक खादी उत्पादन विक्री आदि से संवंधित तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। ये तथ्य कालक्रम के क्रम में देना उचित होगा। अतः खादी उत्पादन तथा अ. भा. विवरण मुख्यतः दो कालक्रमों में प्रस्तुत किया गया है (1) चरखा संघ के समय में तथा (2) चरखा संघ के वाद (खादी ग्रा. वोर्ड एवं खादी ग्रा. आयोग के गठन के वाद) के तथ्य।

(क)

2. "चरखा संघ का इतिहास" के अनुसार वर्ष 1923 में देश के 16 प्रान्तों में खादी की कुल विक्री करीव 10 लाख 98 हजार की थी। इस वर्ष के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन अगले वर्ष 1924-25 में लगभग 10 लाख रूपये का उत्पादन वताया गया है। चरखा संघ के समय नमूने के विभिन्न वर्षों में खादी उत्पादन की स्थिति इस प्रकार रही (सारणी 3:1)।

जैसा ऊपर लिखा गया है देश में खादी कार्य स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ निकट से जुड़ा रहा है। इस स्थिति में जव आन्दोलन तेज होता उस समय कार्यकर्ता जेलों में होते। परिणामस्वरूप खादी कार्य भी शिथिल हो जाता था। जिन दिनों आन्दोलन की गति धीमी रहती उन दिनों खादी काम तेजी पर होता। अतः चरखा संघ के समय खादी उत्पादन विक्री में उतार-चढ़ाव आता रहा है। आजादी मिलने के वाद खादी कार्य का तेजी से विस्तार स्वाभाविक था। अतः1947 के वाद कार्य का विस्तार तेजी से हुआ। इस वर्ष कुल उत्पादन करीव 62 लाख था जो कि अगले वर्ष वढ़कर एक करोड़ से अधिक हो गया। वर्ष 1950-51 में वह वढ़ कर

1-27 करोड़ पहुंच गया। चरखा संघ की स्थापना से लेकर आजादी प्राप्ति तक अर्थात् 1924-25 से 1947-48 तक के काल में कुल खादी उत्पादन को जोड़ते हैं तो वह 1,31,16,30,485 रु. होता है।

सारणी संख्या 3:1

वर्ष 1930-31 से 1950-51 तक खादी उत्पादन

(रूपये.में)

	वर्ष	*उत्पादन*
1.	1930-31	5894829
2.	1941-42	6490129
3.	1947-48	6190546
4.	1949-50	11140936
5.	1950-51	12745295

स्रोत: श्री अन्ना सा.सहस्त्रबुद्धे, "चरखा संघ का इतिहास" सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी।

उत्पादन के तथ्य को मूल्य के साथ-साथ नाप में भी देखा जा सकता है। इससे कार्य विस्तार की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। नीचे की सारणी में चरखा संघ के काल में खादी उत्पादन की माप को गजों में दिया जा रहा है:

सारणी संख्या 3:2

नमूने के वर्षों में खादी उत्पादन की स्थिति-माप

	वर्ष	*उत्पादन (वर्गगज)*
1.	1930-31	14156447
2.	1941-42	11110133
3.	1947-48	6574689
4.	1949-50	7159407
5.	1950-51	7288701

स्रोत: "चरखा संघ का इतिहास" पर आधारित।

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1941-42 के वाद उत्पादन में कमी आई और वाद में 1947-48 के वाद पुनः उत्पादन में क्रमशः वृद्धि होने लगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि 1942-46 की अवधि स्वतंत्रता आन्दोलन में तेजी की थी और इस वीच खादी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से आन्दोलन में जुटे रहे।

3. खादी उत्पादन कार्य—इस कार्य में लगे कामगारों तथा अन्य मानवीय श्रम को मिलने वाली आय से भी जुड़ा हुआ है। खादी कार्य से समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक राहत मिलती है। यहां यह देखना सामयिक होगा कि उत्पादन की किस इकाई को कितना अंश

मिलता है । चरखा संघ के समय में इस वारे में हिसाव लगाया गया था और 1 रू.को आधार मानकर उसमें किस इकाई को कितना अंश मिलता है,इसे सारणी 3:3 में देखा जा सकता है ।

सारणी से स्पष्ट है कि खादी कीमत के वंटवारे में कच्चा माल एवं कामगार की मजदूरी का प्रमुख स्थान है । करीव आधा हिस्सा कताई एवं वुनाई के पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था तथा 12.15 प्रतिशत व्यवस्था पर व्यय होता था । आजादी के वाद इस वंटवारे की स्थिति का जो विश्लेषण सामने आया,उसे खादी मूल्यांकन कमेटी की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है । 1952 में खादी कीमत के वंटवारे को प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है । इस समय कीमत में रूई का अंश 18.62 प्रतिशत था । पूनी निर्माण एवं कताई का हिस्सा 38.58 तथा वुनाई 24.90 प्रतिशत भाग था । धुलाई का प्रतिशत 2.06 तथा व्यवस्था खर्च 15.84 भाग था ।

सारणी संख्या 3:3

खादी कीमत का वंटवारा-आधार 1 रू. का अंश

विवरण	1933		1942		1949	
	आना	*पाई*	*आना*	*पाई*	*आना*	*पाई*
1. रूई	3	9	3	-	3	-
2. धुनाई-कताई	4	-	6	-	6	6
3. वुनाई	5	-	3	3	3	9
4. धुलाई	-	3	-	3	-	4
5. व्यवस्था खर्च (कार्यकर्ता आदि)	2	3	2	6	2	-
6. यातायात	-	9	1	-	-	5

स्रोत: चरखा संघ का इतिहास, पृष्ठ 304-305 ।

कीमत के वंटवारे के साथ प्रतिशत कीमत का प्रश्न जुड़ा है । खादी की कीमत के निर्धारण का आधार उत्पादन लागत है । खादी उद्योग में लाभ का स्थान नहीं है । चरखा संघ के समय की प्रति गज कीमत का विश्लेषण किया गया,जो सारणी 3:4 में दिया गया है ।

सारणी से स्पष्ट है कि 1935 से 48 तक की अवधि में प्रतिगज कीमत 6 आना 3 पैसा से वढ़कर 1 रू8 आना हो गयी । यह वृद्धि कच्चे माल की कीमत तथा पारिश्रमिक में वृद्धि के कारण हुई । स्पष्ट है चरखा संघ के समय उत्पादन लागत के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता था और कच्चे माल की कीमत, कताई-वुनाई की प्रक्रिया तथा पारिश्रमिक में संतुलन कायम रखा जाता था ।

4. चरखा संघ का कार्य प्रारम्भ में मुख्य रूप से व्रिटिश भारत में था । लेकिन व्रिटिश भारत में भी मद्रास,वम्वई,महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश,विहार,आदि प्रदेशों में कार्य का विस्तार विशेष रूप में था । वाद में कार्य का विस्तार देशी राज्यों में भी फैला । चरखा संघ के समय देश भर में 1949-50 में खादी कार्य में कुल 202982 व्यक्ति लगे थे उनमें कत्तिनों की संख्या 190028

तथा बुनकरों की संख्या 10961 थी। अन्य प्रकार के कार्यों में 1993 व्यक्ति लगे थे। यह संख्या अगले वर्ष 1950-51 में बढ़ी और कुल संख्या 240070 हो गई। इस वर्ष कत्तिनों की संख्या 222483 तथा बुनकरों की संख्या 14450 हो गई। इस वर्ष अन्य कार्यों में 3136 व्यक्ति लगे थे।

सारणी संख्या 3:4

प्रति गज कीमत की स्थिति-चरखा संघ[2]

(औसत)

	वर्ष	प्रति गज कीमत		
		रु.	आना	पाई
1.	1936	0	6	3
2.	1938	0	7	0
3.	1939	0	7	2
4.	1940	0	8	8
5.	1942	0	8	11
6.	1943	0	12	6
7.	1944	1	2	6
8.	1945	1	5	1
9.	1946	1	5	8
10.	1947	1	8	0
11.	1948	1	8	0

1. स्रोत: खादी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट 1990, पृ.85।

2. स्रोत: चरखा संघ का इतिहास।

चरखा संघ के समय राज्यवार खादी कार्य का विस्तार कितना था, इसका विवरण इस अध्याय के परिशिष्ट में दिया गया है। परिशिष्ट में वर्ष वार खादी कार्य का विवरण भी दिया गया है। परिशिष्ट में दी गई सारणी को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है[3]:

1. वर्ष वार खादी उत्पादन - रुपयों में
2. राज्य वार खादी उत्पादन - रुपयों में
3. वर्ष वार खादी उत्पादन - वर्गगज में
4. राज्य एवं वर्ष वार खादी उत्पादन-वर्गगज में

5. वर्ष 1924-51 के बीच पारिश्रमिक वितरण
6. राज्य वार कामगारों की संख्या

(ख)

चरखा संघ के वाद खादी कार्य का विस्तार

आजादी के वाद खादी ग्रा. आयोग एवं राज्य खादी ग्रा. वोर्ड के सहयोग से स्थानीय खादी संस्थाओं द्वारा खादी कार्य चलाया जाता है। इनकी संख्या में भी आजादी के वाद वहुत वृद्धि हुई। चरखा संघ के काम का विस्तार भी तेजी से हुआ। इस परिवर्तन को संलग्न सारणी संख्या 3:5 में देखा जा सकता है।

सारणी से स्पष्ट है कि चरखा संघ के विकेन्द्रीकरण के वाद खादी का भौतिक विकास काफी तेजी से हुआ। उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ इस कार्य में लगी संस्थाओं की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई। यहां यह उल्लेखनीय है कि देश में ग्राम एवं ग्राम समूह स्तर पर खादी सहकारी समितियों की संख्या में वहुत वृद्धि हुई। वर्ष 1956 में जहां 60 सहकारी समितियां थीं वह 1960-61 में वढ़कर 11765 हो गई और इस समय देश भर में लगभग तीस हजार से अधिक सहकारी समितियां इस कार्य में लगी हैं। पर वड़े पैमाने पर खादी का कार्य पंजीकृत खादी संस्थाओं के माध्यम से होता है। खादी संस्थाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1956 में देशभर में 242 संस्थाएं थी जो 1960-61 में वढ़कर 720 हो गई। इसके वाद संस्थाओं को प्रखण्ड एवं उससे भी नीचले स्तर पर विकेन्द्रित करने की प्रक्रिया चली और 1965-66 में इनकी संख्या वढ़कर 1037 हो गई। इस समय देशभर में संस्थाओं की संख्या 2320 है। इसी प्रकार प्राय: सभी प्रदेशों में राज्य खा.ग्रा. वोर्डों की स्थापना हो चुकी है। वर्ष 1956 में जहां खादी उत्पादन 5.54 करोड़ रु. था अव 1984-85 में वढ़कर 157.62 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1991-92 में उत्पादन वढ़कर 328.64 करोड़ हो गया।

खादी उत्पादन की स्थिति का थोड़ा विस्तार से विश्लेषण उपयोगी रहेगा। यह विश्लेषण उत्पादन रुपयों में तथा नाप (गज/मीटर) में, दोनों दृष्टियों से किया जाना ठीक रहेगा। वर्ष 1968-69 से 1991-92 तक रुपयों में पूरे देश में खादी उत्पादन की स्थिति सारणी 3:6 में दिखाई गयी है।

उक्त सारणी से पिछले 18 वर्षों में देश में खादी कार्य की रुपयों में प्रगति की झांकी मिलती है। इस झांकी को राज्यवार देखें तो पूरे देश में खादी कार्य में विस्तार का चिन्ह स्पष्ट होगा। अगली सारणी में वर्ष 1974-75 से 85-86 के वीच राज्यवार खादी उत्पादन (रु.पै.) की जानकारी दी गई है।

सारणी संख्या 3:5

चरखा संघ के बाद खादी संस्थाएं एवं उनके कार्य पर एक दृष्टि

विवरण	1955-56	1960-61	1965-66	1968-69	1973-74	1977-78	1978-79	1979-80	1984-85	1991-92*
1. पंजीकृत संस्थाएं (सं)	242	720	1037	678	681	694	739	851	1127	2320
2. सहकारी समितियां (सं)	60	11765	19371	20079	23715	27071	27842	28941	31000	31000
3. उत्पादन (करोड़ रु.में)	5.54	14.23	26.80	23.38	32.72	64.89	76.54	92.03	157.62	328.64
4. खादी बिक्री (करोड़ रु.में)	4.37	14.07	19.67	20.74	45.95	66.52	78.26	87.15	159.12	368.97
5. पूर्णकालीन रोजगार (लाखों में)	1.61	2.05	1.81	1.32	1.07	2.39	2.53	3.41	4.24	4.19
6. अंशकालीन रोजगार (लाखों में)	5.96	15.08	17.14	12.04	7.77	6.83	7.81	7.79	8.81	10.01

* खा.ग्रा. आयोग प्रतिवेदन 1991-92, पृ.56 ।

स्रोत: रिपोर्ट ऑफ द खा.ग्रा. रिव्यू कमेटी 1987, पृ.13-14 भारत सरकार ।

सारणी संख्या 3:6

वर्ष 1968-69 से 1985-86 तक खादी उत्पादन

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	उत्पादन
1968-69	23.38
1969-70	25.63
1970-71	25.85
1971-72	27.70
1972-73	31.58
1973-74	32.72
1974-75	43.20
1975-76	46.73
1976-77	56.03
1977-78	64.89
1978-79	76.54
1979-80	92.03
1980-81	106.85
1981-82	123.40
1982-83	143.40
1983-84	153.48
1984-85	157.62
1985-86	195.01
1990-91	285.95
1991-92	328.64

चरखा संघ के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में खादी कार्य के विस्तार की दृष्टि से वर्गगज में उत्पादन की जानकारी उपयोगी रहेगी। नीचे की सारणी में वर्ष 1953-54 से 1963-64 तक गजों में उत्पादन की स्थिति दी गयी है:-

सारणी संख्या 3:7

विभिन्न राज्यों में खादी का उत्पादन

(मूल्य लाख रुपयों में)

क्र.सं. राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1983-84	1984-85	1985-86	1991-92
1. आन्ध्र प्रदेश	265.20	286.80	386.19	326.13	769.20	746.47	1009.61	1729.09
2. आसाम	17.91	28.46	35.55	51.29	104.52	123.44	136.82	197.66
3. बिहार	374.02	352.76	385.84	433.42	1044.44	949.16	1279.24	2078.63
4. गुजरात	392.45	375.38	384.55	378.09	965.99	957.03	1136.37	2726.17
5. हरियाणा	92.79	87.89	103.53	133.53	269.89	288.29	379.11	1156.98
6. हिमाचल प्रदेश	20.39	20.09	28.53	39.82	73.52	73.54	86.06	199.81
7. जम्मू काश्मीर	68.56	63.32	59.82	100.92	188.93	182.83	210.72	389.39
8. कर्नाटक	184.33	206.92	289.94	366.50	779.45	868.15	1207.85	1401.28
9. केरल	89.65	123.75	142.99	149.15	435.90	355.35	484.79	822.45
10. मध्य प्रदेश	37.46	41.86	44.32	85.20	307.31	291.48	326.27	332.47
11. महाराष्ट्र	67.22	90.15	111.77	143.37	414.95	435.31	514.14	989.41
12. मणिपुर	0.32	0.51	0.90	0.73	0.74	5.02	3.42	5.21
13. मेघालय	-	-	-	-	-	0.11	0.33	0.12
14. नागालैण्ड	-	-	-	-	9.38	2.23	2.04	5.80

Contd...

15. उड़ीसा	25.19	31.71	33.67	43.11	48.84	49.58	45.13	116.07
16. पंजाब	229.52	243.00	258.56	334.61	706.06	725.29	873.57	1425.98
17. राजस्थान	628.47	573.68	669.92	863.25	1586.26	1682.84	2079.26	2993.81
18. तमिलनाडु	669.23	990.09	1168.50	1345.24	2565.24	2684.71	3069.92	5653.28
19. त्रिपुरा	4.36	5.83	3.13	1.15	15.24	12.16	15.27	18.67
20. उत्तर प्रदेश	958.59	939.47	1192.22	1325.68	3568.94	3883.54	4898.94	7413.98
21. प.बंगाल	179.35	210.32	291.76	363.20	1158.44	1144.65	1477.74	2825.42
22. अंडमान निकोबार	-	-	-	-	-	-	-	-
23. अरूणाचल प्रदेश	1.87	1.28	1.25	1.80	-	-	-	-
24. चंडीगढ़	-	-	-	0.42	-	-	-	-
25. दादरनगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-
26. दिल्ली	-	-	-	-	327.85	293.92	355.38	44.74
27. गोवा दामन	-	-	-	-	-	-	-	-
28. पांडिचेरी	-	-	-	-	3.39	2.49	4.55	24.34
29. सिक्किम	-	-	0.37	2.07	4.23	4.07	5.00	10.41
30. पर्वतीय सीमा क्षेत्र	20.70	-	-	-	-	-	-	2.15
योग	4327.58	4673.27	5603.31	6488.93	15348.71	15761.66	19501.53	32863.30

स्रोत: खा.ग्रा. प्रतिवेदन 1991-92, पृ.118।

सारणी संख्या 3:8

वर्ष 1953-54 से 1963-64 तक देश में खादी उत्पादन गजों में

वर्ष	*वर्ग गज*
1953-54	40000
1954-55	60000
1955-56	60000
1956-57	13000
1957-58	6000
1958-59	32000
1959-60	86000
1960-61	77000
1961-62	2000
1962-63	51000
1963-64	93000

स्रोत: अम्बर, खा.ग्रा. प्रयोग समिति, अहमदाबाद, मार्च-अप्रैल, 1966 ।

उक्त तथ्यों को थोड़ा विस्तार से देखना चाहें तो राज्यवार स्थिति देख सकते हैं । वर्ष 1965-66 में देश में अम्बर का प्रवेश हो चुका था । इस वर्ष अम्बर, परम्परागत, सूती-रेशमी, ऊनी खादी उत्पादन की स्थिति (वर्गगज में) अगली सारणी में दी गई है ।

तालिका 3:9 दर्शाती है कि 1965-66 में ही अंवर खादी का महत्व स्थापित हो चुका था क्योंकि परम्परागत खादी का लगभग 66 प्रतिशत उत्पादन अंवर ने दिया । यह उत्पादन खादी से लगभग चौगुना ज्यादा था ।

नाम में खादी उत्पादन की स्थिति को देखने से कार्य विस्तार का ज्यादा सही अन्दाज लगता है । वर्ष 1964-65 से अव तक देश में खादी उत्पादन की झांकी नीचे की सारणी से मिलती है । उत्पादन का नाप गजों के स्थान पर वर्ग मीटर में रखा जाता है । सारणी से स्पष्ट है कि यह उत्पादन 5-80 करोड़ वर्ग मीटर से बढ़कर 10-40 करोड़ वर्ग मीटर हो गया है अर्थात् पिछले वर्षों में उत्पादन लगभग दुगुना हो गया है ।

सारणी संख्या 3:9

1965-66 में विभिन्न राज्यों में खादी उत्पादन

(लाख वर्ग मीटर में)

क्रं.सं. राज्य का नाम	पारंपरिक खादी	अम्बर खादी	स्वावलंबी खादी	ऊनी खादी	रेशमी खादी
1. आन्ध्र प्रदेश	20.75	32.14	3.05	7.94	0.44
2. असम	0.35	0.04	0.08	-	0.91
3. विहार	147.72	25.34	0.09	1.66	4.45
4. गुजरात	17.18	1.59	1.39	1.25	-
5. जम्मू काश्मीर	2.75	0.12	-	6.33	-
6. केरल	1.38	12.74	0.01	-	-
7. मध्य प्रदेश	0.06	4.15	0.23	2.17	0.18
8. मद्रास (तमिलनाडु)	32.74	75.38	-	-	2.70
9. महाराष्ट्र	0.83	2.91	0.42	1.48	-
10. मैसूर	5.39	8.92	0.09	5.32	0.38
11. उड़ीसा	0.61	4.38	0.01	-	-
12. पंजाव, हिमाचल, हरियाणा सहित	101.33	1.20	1.04	13.64	-
13. राजस्थान	25.76	11.82	2.99	14.88	-
14. उत्तर प्रदेश	93.91	99.72	21.47	12.91	2.85
15. प.वंगाल	0.37	2.31	0.44	0.91	11.44
16. दिल्ली	8.47	-	0.23	1.41	-
17. मणिपुर	0.02	0.01	-	-	(500 से कम)
18. नेफा	0.69	-	-	-	-
19. त्रिपुरा	-	0.19	-	-	-
20. गोआ	-	-	-	-	-
योग	410.81	282.96	31.52	69.90	23.35

सारणी संख्या 3:10

विभिन्न वर्षों में खादी उत्पादन की स्थिति

(करोड़ मीटर में)

वर्ष	*उत्पादन*
64-65	7.75
65-66	8.25
66-67	7.60
67-68	6.00
68-69	5.80
69-70	5.90
70-71	5.20
71-72	5.55
72-73	5.50
73-74	5.57
74-75	5.92
75-76	5.61
76-77	6.45
77-78	6.50
78-79	7.00
79-80	8.00
80-81	8.80
81-82	9.40
82-83	10.71
83-84	10.27
84-85	10.30
85-86	10.40
90-91	10.88
91-92	10.91

चौथा अध्याय

खादी तकनीक का विकास

प्रारम्भिक काल

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो 17 वीं शताब्दी तक कताई की प्रक्रिया में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता था — (1) डेरा (2) तकली (3) चरखी (4) चरखा (5) हाथ तुनाई (6) कंघी तुनाई (7) धनुष धुनाई (8) धुनकी । बुनाई का कार्य हाथ करघे के द्वारा किया जाता था । करघे का स्वरूप कमोवेश सभी क्षेत्रों में एक सा था । बुनाई में हाथ की सफाई एवं डिजाइन के अनुसार उसके गुणस्तर की पहचान होती थी । उक्त साधनों की खोज किसने की, यह बता पाना तो संभव नहीं है, लेकिन इतना ही कहा जा सकता है कि कताई-बुनाई के साधनों का विकास सतत् खोज का परिणाम है । कताई के उत्तम साधनों के विकास में बंगाल एवं दक्षिण भारत का प्रमुख स्थान है । इन साधनों से उच्च स्तर के वस्त्र का उत्पादन होता था । उदाहरण के लिए इन साधनों से तैयार ढ़ाका की मलमल सर्वत्र प्रसिद्ध थी । यह मलमल उच्च स्तर की हस्तकला का परिणाम थी ।

18वीं सदी में, विदेशी औद्योगीकरण के बाद भारतीय वस्त्र कला का ह्रास होने लगा और कताई-बुनाई के साधन भी धीरे-धीरे समाप्त प्राय होते गये ।

गांधी जी का प्रयास

गांधीजी ने जब खादी कार्य को बढ़ाने का निर्णय लिया तो इसी के साथ उन्होंने खादी उत्पादन के साधनों के विकास की भी योजना तैयार की । सन् 1922 में साबरमती आश्रम में खादी विद्यालय का प्रारम्भ हुआ । इसके खादी विज्ञान विभाग का कार्य खादी उत्पादन के साधनों को विकसित करना था । गांधीजी खादी उत्पादन को वैज्ञानिक रूप देने के लिए कितने सचेष्ट थे एवं वे तकनीक की खोज में कितनी रुचि लेते थे, इसकी झलक विद्यालय के विज्ञान विभाग के लिए निर्धारित उद्देश्यों से मिल सकती है । विज्ञान विभाग के निम्नलिखित कार्य बताये गये थे-

1. औजारों के बारे में शोध और सुधार करना और नमूने के तौर पर अच्छे औजार बनाना।
2. प्रशिक्षार्थियों को ओटाई, धुनाई, कताई, बुनाई, के साथ औजार बनाना सिखाना।
3. खादी की शुद्धता की जांच करना और भिन्न-भिन्न प्रान्तों के सूत की परीक्षा करना।[1]
4. भिन्न-भिन्न प्रान्तों के चरखे, धुनकियों और दूसरे औजारों की परीक्षा करना और कोई नया आविष्कार हो, तो उसकी जांच करना।

इससे स्पष्ट है कि चरखा संघ की स्थापना के पूर्व गांधीजी ने देशभर में बिखरे खादी उत्पादन के औजारों की व्यापक खोजबीन की और उन्हें अधिक सक्षम बनाने का प्रयास किया।

चरखा संघ के प्रयास

गांधीजी द्वारा खादी यंत्रों में सुधार के लिए जो प्रयास इस विद्यालय से किये गये, उन्हें व्यापक बनाने का कार्य संस्थागत स्तर पर चरखा संघ द्वारा किया गया। इसके साथ ही खादी कार्य में लगे लोगों ने भी व्यक्तिगत स्तर पर कताई-बुनाई यंत्रों में सुधार करने के प्रयास किये। तकनीक के विचार को सैद्धान्तिक आधार भी प्रदान किया गया। गांधीजी ने खादी को नये समाज की रचना का सूर्य कहा। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि खादी की तकनीक विकेन्द्रित होगी। आचार्य विनोबा ने खादी के स्वरूप एवं तकनीक संबंधी विचार को स्पष्ट करते हुए कहा: जो देहात में बन सकता है, वह शहर में नहीं बनना चाहिये और जो घर में बन सकता है, वह गांव में नहीं बनना चाहिये। ऐसा होगा, तब घर, गांव और शहर-ये सब पूर्ण होंगे, उनमें परस्पर सहकारिता होगी और सबको स्वराज्य का लाभ मिलेगा। मतलब यह कि हमारा सरंजाम (औजार) स्थानीय तौर पर बनना चाहिये, वह स्वावलम्बी और आसान होना चाहिये और हस्तकला भी बढ़नी चाहिये। उक्त बातों को ध्यान में रखकर चरखा संघ ने तथा इस काम में लगे खादी प्रेमियों ने सरंजाम के बारे में यह दृष्टि रखी कि यह यथासंभव स्थानीय सामग्री से और स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाया जा सके। औजार ऐसे सादे हों कि विशेष शिक्षा के बिना भी देहाती कामगार उन्हें चला सकें और जरूरत हो, तब उनकी दुरस्ती भी कर सकें।[2]

चरखा संघ के कार्य काल में खादी उत्पादन में प्रयुक्त साधनों (औजारों) में सुधार करने के प्रयास किये गये। गांधीजी ने तो आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त तथा खादी विचार के अनुरूप कताई यंत्र की खोज के लिए इनाम की भी घोषणा की थी। लेकिन प्रारम्भिक काल में इस प्रकार की खोज संभव नहीं हो सकी। उन दिनों कताई के जिस प्रकार के चरखों का प्रचलन था, उनका ही उपयोग किया जाता रहा। चरखा संघ इस मत का था कि पुराने औजार बिलकुल रद्द करके उनकी जगह नये लाने की कोशिश करने की अपेक्षा जो औजार चालू हैं, उन्हीं में दुरस्ती करके उन्हें यथा संभव मजबूत, कुशल काम देने लायक और चलाने में आसान बनाया जाये। इन बातों को ध्यान में रखकर पूर्व कताई, कताई तथा बुनाई साधनों में सुधार किये गये। इन सुधारों में मुख्य ये हैं:

चरखा— विभिन्न क्षेत्रों में कताई के जिन चरखों का प्रचलन था,उनके चक्र का व्यास 12 इंच से लेकर 24 इंच तक था और तकुआ डेड़ से ढाई सूत तक मोटा होता था। तकुओं की लम्वाई दस इंच से अठारह इंच तक थी। इन चरखों से मोटी कताई ही संभव थी। कुछ स्थानों पर तकुआ छोटा एवं पतला था जिससे महीन कताई की जा सकती थी। इन चरखों में चरखा संघ ने कुछ सुधार किये,जैसे:

चक्र— चक्र का आकार वढ़ाया तथा उसे हल्का वनाया। चरखे में गति-चक्र लगाकर तकुए की गति वढ़ाई गई।

तकुआ— कच्चे लोहे के स्थान पर पक्के लोहे का मजवूत तकुआ वनाया गया। उसे एक तरफ पतला एवं ढलाऊ वनाया गया और एक तरफ घिर्री लगाई गयी। इस सुधार से कताई की गति वढ़ी और महीन कताई होने लगी।

मोडिया— तकुआ के साथ-साथ मोडिया भी छोटा किया गया। इसमें लगने वाली चमरस के स्थान पर रस्सी,तांत वांधे जाने लगे। इससे माल की तकुए पर पकड़ वढ़ी और माल में लगने वाला झटका भी कम हुआ। इस सुधार से चरखा विना झटका खाये आसानी से चलने लगा।

उक्त सुधार परम्परागत खड़े चरखे में किये गये। इस प्रकार प्रारंभिक दिनों में कताई के परम्परागत साधन में थोड़ा सुधार कर उसे सरल, अधिक गतिमान एवं हल्का चलने वाला वनाया गया। लेकिन इन प्रयोगों से कताई को व्यापक वनाने में वहुत मदद नहीं मिली। ऐसा चरखा वनाने का प्रयास किया जाने लगा जिसे समेटकर रखा जा सके और जो लाने-ले जाने में सुविधाजनक हो। वंगाल के खादी प्रतिष्ठान के प्रमुख श्री सतीशचन्द्र दास गुप्ता ने एक पेटी चरखा वनाया लेकिन कुछ कमियों के कारण इसका प्रचलन ज्यादा नहीं वढ़ सका। इसमें गति चक्रों के साथ कमानी का प्रावधान नहीं होने के कारण यह ठीक कार्य नहीं करता था। जिन दिनों गांधीजी यरवदा जेल में थे,उन्हीं दिनों गांधीजी के साथ मिलकर उक्त कमी को दूर कर पेटी चरखा तैयार किया गया। वर्तमान पेटी चरखा इसी का विकसित रूप है। इसे यरवदा चक्र के नाम से जाना जाता है। अन्त में,यही चरखा लोकप्रिय हुआ।

इसी क्रम में श्री प्रभुदास गांधी ने मगन चरखा वनाया जिसे पैर से घुमाया जा सकता था और दोनों हाथों से दो तकुओं से दो धागे निकाले जा सकते थे। इसका विस्तार मद्रास एवं महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में किया गया,लेकिन इस चरखे का प्रयोग वड़े पैमाने पर नहीं हो सका।

कताई की दृष्टि से तकली पुरातन साधन है। इस साधन को भी सुधारने का प्रयास किया गया। इसमें लोहे की सलाका एवं पीतल की चकती लगाई गई।

कताई के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं में प्रयुक्त साधनों को भी परिष्कृत करने का प्रयास किया गया। इसमें मुख्य है:

धुनकी— कताई के लिए पूनी बनाने की प्रक्रिया में रूई, धुनाई प्रमुख प्रक्रिया है। अनेक प्रयोगों के बाद चार फुट लम्बी मध्यम धुनकी तथा तीन फुट लम्बी बाल धुनकी को मान्य किया गया। इस धुनकी में चमड़े का तांत लगाकर इसे अच्छी धुनाई के योग्य बनाया गया। धुनकी को विकसित करने में श्री लक्ष्मीदास तथा श्री मथुरादास ने उल्लेखनीय योगदान दिया।

यंत्र धुनकी— धुनाई कार्य की गति तेज करने के उद्देश्य से पैर से चलने वाला धुनाई यंत्र तैयार किया गया। चरखा संघ के प्रयोग विभाग के श्री कुन्दनलाल भाई पटेल द्वारा पैर से चलने वाला ऐसा यंत्र तैयार किया गया जिससे रूई धुनाई तथा पूनी बनाने का कार्य किया जा सकता था। बाद में बैल से चलने वाला धुनाई यंत्र भी तैयार किया गया। श्री विष्णुभाई व्यास ने धुनाई मोडिया भी तैयार किया था। लेकिन उक्त धुनाई यंत्रों का व्यापक प्रसार नहीं हो पाया क्योंकि यंत्र व्यावहारिक दृष्टि से सरल एवं उपयोगी सिद्ध नहीं हो सके। इसके अलावा चरखा संघ वस्त्र स्वावलम्बन पर अधिक ध्यान देने लगा था।

ओटाई एवं तुनाई— कपास औटाई के लिए साबरमती आश्रम में पैर से चलने वाली ओटनी भी बनाई गई। रूई तुनाई के लिए धुनप तुनाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। लेकिन कपास के स्थान पर बाजार से सीधी रूई खरीदकर उसका उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण इन साधनों का उपयोग नहीं बढ़ सका।

दुबटना— परम्परागत हाथ चरखे के काते धागे को मजबूत बनाने के लिए उसे दुबटा करने का साधन विकसित किया गया। साधारण चरखे में ही दुबटा यंत्र लगाकर सूत को दुबटाकर मजबूत बनाया जा सकता है। इस यंत्र का अच्छा प्रसार हुआ। इसी प्रकार सूत की मजबूती जांचने की पद्धति विकसित की गई।

बुनाई— चरखा संघ के प्रारम्भिक दिनों में ही बुनाई यंत्र को अधिक सक्षम बनाने का प्रयास चालू हो गया। शुरूआत में विभिन्न क्षेत्रों में खड्डी करघे का प्रचलन था, इसलिए उन्हीं का उपयोग किया गया और हाथ कते सूत का ताना बनाने में उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद फ्रेमलूम का उपयोग बढ़ाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

सूत कताई एवं बुनाई के गुण स्तर में सुधार हो, इसका प्रयास 1925 से ही योजनाबद्ध ढंग से किया जाने लगा। यह दृष्टि रखी गयी कि सूत समान कते, महीन कते, बुनाई समान हो तथा उसमें कसावट हो।

खादी उत्पादन में प्रयुक्त साधनों में सुधार लाने की दृष्टि से अनेक स्थानों पर सरंजाम कार्यालय खोले गये। गांधीजी के प्रमुख सहयोगी श्री मगनलाल गांधी तथा बाद में श्री नारायण दास गांधी ने खादी विज्ञान विभाग का कार्य संभाला और सरंजाम सुधार कार्य को आगे बढ़ाया।

गांधीजी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालयों-गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ एवं बिहार विद्यापीठ के साथ-साथ स्वराज्य आश्रम, बारडोली, सत्याग्रह आश्रम, वर्धा, खादी प्रतिष्ठान

कलकत्ता आदि संस्थाओं ने खादी कार्य को वढ़ाने की दृष्टि से सरंजाम निर्माण एवं सरंजाम सुधार कार्य में चरखा संघ को सहयोग दिया। 1930 से 1942 के वीच चरखा संघ के वारडोली, तिरूपुर, मछलीपटनम, हुवली, गोविन्दगढ़ (राजस्थान), वोचासन, सेवाग्राम आदि स्थानों पर खादी विद्यालय खोले जहां प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रयोग कार्य भी चलते थे।

चरखा संघ ने 1949-52 में खादी साधनों के विकास पर विशेष जोर दिया। इन वर्षों में कताई के साधनों को अधिक उत्पादक वनाने की दृष्टि से प्रयोग किये गये। गांधीजी ने कहा था कि कताई के ऐसे साधन विकसित किये जायें जिससे कताई करने वाले को अधिक आय हो सके। इसी कथन से प्रेरित होकर चरखा संघ ने सरंजाम समिति नियुक्त की जिसमें खादी शास्त्र के ज्ञाता श्री अ.वा. सहस्त्रवुद्धे, कृष्णदास गांधी, नन्दलाल पटेल, रामाचारी वरखेडी, माधवलाल पटेल, मोहन पारीक तथा विष्णु व्यास थे। सरंजाम समिति के मार्गदर्शन में इस दौरान खादी औजार प्रयोग के निम्न उल्लेखनीय कार्य हुए:

1. वांस चरखा

सस्ता चरखा वनाने का प्रयास किया गया ताकि कम कीमत पर चरखा उपलव्ध कराया जा सके। परीक्षण से पता चला कि वांस चरखा कीमत में सस्ता और वनाने में सरल है। वांस चरखे का प्रयोग सेवाग्राम विद्यालय में किया गया। इस चरखे पर एक घन्टे की औसत कताई गति 342 तार तक हुई।

2. धुनाई मोडिया

कातने वाले को पूनी का परावलम्वन न रहे, इस दृष्टि से धुनाई मोडिया में संशोधन किया गया। पूनी व्यापारिक स्तर पर तैयार करने के लिए पैर से चलने वाला धुनाई यंत्र तो पहले तैयार किया जा चुका था लेकिन छोटे स्तर पर, वस्त्र स्वावलम्वन की दृष्टि से काम में आ सकने वाले धुनाई साधन का अभाव खटक रहा था। इस दृष्टि से सेवाग्राम व वारडोली में पहले डेढ़ x डेढ़ इंच पंखे का छोटा धुनाई मोडिया वना जिसे चरखे में लगाकर कताई के साथ-साथ वुनाई होती थी। दूसरा मोडिया 2 गुणा 3 इंच पंखे का वना और तीसरा 3x3 इंच का। ये दोनों 24 या 30 इंच वाले खड़े चरखे पर चलाये जा सकते थे, और पैर से खास वड़े चक्के के फ्रेम पर भी चलाये जा सकते थे। इसमें वेयरिंग लगाने पर यह हल्का चलता था। इन मोडियों के उपयोग से हाथ चरखे पर 10 से 12 तोले और पैर मोडिये से 20 तोले तक प्रति घन्टा पोल (धुनी रूई) तैयार होती थी।

इन्हीं दिनों जापान में प्रचलित चरखे की जानकारी मिली, जिसे भारत में प्रयोग में लाने का प्रयास किया गया। अभ्यास के वाद पाया गया कि यह जापानी चरखा हमारे लिए अनुकूल नहीं था, वह तो केवल रद्दी रूई के लिए ही उपयोगी था।

अम्बर चरखा

इस दौरान अधिक कताई के लिए अधिक कार्यक्षम चरखा निर्माण करने का प्रयास बराबर जारी रहा। दक्षिण भारत में तिरूपुर के श्री एकाम्बरनाथ ने एक स्वचालित चरखा तैयार किया। चरखा संघ ने इस चरखे का परीक्षण किया। प्रारम्भ में इस चरखे में दो तकुए लगाये गये। इसमें कताई के साथ सूत बाबिन में लपेटा भी जाता था। एक फेरे में तकुए 120 बार घूमते थे। प्रति मिनट 9000 से 9600 की गति से। इसी चरखे को बाद में चार तकुए का बनाया गया।

चरखा संघ ने चरखे में हुए सुधार के इन प्रयासों को प्रोत्साहित किया। उसने दिनांक 7 एवं 8 फरवरी,1951 की बैठक में खादी तकनीक के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश दिये। उसमें कहा गया कि-कताई दो उद्देश्यों से होती है (1) वस्त्र स्वावलम्बन के लिए और (2) रोजी कमाने के लिए। कताई कार्य करने वाले दो स्तर के लोग होते हैं — एक स्वावलम्बन खादी वाले तथा दूसरे ऐसे लोग जो चरखे से रोजी की अपेक्षा रखते हैं। रोजी के लिए काम करने वाले को ऐसा चरखा चाहिये जिससे अधिक सूत काता जा सके। चरखा संघ ने माना कि रोजी से अधिक उत्पादन क्षमता वाले चरखे में नीचे लिखी मर्यादाएं आवश्यक मानी जायें:

क. चरखा मानव शक्ति से चल सकना चाहिये, और दूसरी शक्ति से चले तो वह मानव शक्ति की कताई का भागी न बने।

ख. उसके पुरजे अपने देश में बन सकने चाहिये, भले ही कारखानों में बनने लायक हो।

ग. आज की ग्रामीण जनता उसे चला सके तथा मामूली खादी का सुधार करने की तालीम से हासिल कर सके।

घ. वह घरेलू कताई का साधन रहे।[3]

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि चरखा संघ की स्थापना के बाद से ही और गांधीजी के निधन के बाद भी खादी के प्रयोगों का लम्बा क्रम चला। खादी के विस्तार के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना के बाद ये प्रयोग खादी प्रयोग समिति अहमदाबाद एवं वर्धा में चले। वर्तमान में वर्धा में मगन संग्रहालय में खादी यंत्रों की स्थाई प्रदर्शनी है। विभिन्न प्रयोगों के बाद खादी के जिन साधनों को प्रदर्शनी में रखा गया है, उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं:

1. पूनी पाट
2. युद्ध धुनकी
3. युद्ध पिंजन
4. बच्चों का किसान चरखा
5. दुबटा यंत्र
6. धातु का किसान चरखा

7. पुराना पेटी चरखा
8. घड़ी चरखा (1940)
9. पेटी चरखा (यरवदा चक्र)
10. छोटा पेटी चरखा
11. प्रकाश चरखा (अलम्यूनियम का)
12. सांवली चरखा (पैर से चलने वाला)
13. संशोधित सांवली चरखा
14. अम्बर चरखा
15. डब्बी कताई ।[4]

वर्तमान प्रयोग

चरखा संघ के सर्व सेवा संघ में विलीनीकरण के बाद खादी के विस्तार एवं खादी उत्पादन में प्रयुक्त यंत्रों के प्रयोग की अलग परिस्थिति बनी । खादी के लिए खादी ग्रा. आयोग से आर्थिक सहायता-ऋण अनुदान एवं बिक्री रिबेट मिलने लगे । आयोग खादी सरंजाम के प्रयोग एवं विकास के लिए भी सहायता देने लगी । खादी ग्रा. आयोग की सहायता से प्रयोग केन्द्र बने । खादी यंत्रों में सुधार के लिए खादी प्रयोग समितियों का स्वायतशासी संस्था के रूप में गठन किया गया । इसके अतिरिक्त कई खादी संस्थाओं ने भी प्रयोग में रूचि ली और कार्य को आगे बढ़ाया ।

खादी प्रयोग समिति, अहमदाबाद में खादी उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं में उपयोग में आने वाले साधनों में अनेक सुधार किये गये । यहां यह उल्लेखनीय है कि अम्बर चरखे की खोज के बाद प्रयोग का केन्द्र बिन्दु अम्बर चरखे को अधिक सरल, सस्ता एवं उपयोगी बनाना हो गया । खादी ग्रा. आयोग एवं अन्य संस्थाओं ने भी परम्परागत साधनों से कताई के स्थान पर अम्बर कताई बढ़ाने की नीति को मान्य किया था, इसलिए प्रयोग समिति ने 1956 से 86 तक इस क्षेत्र में अनेक प्रयोग किये और अम्बर को अधिक उपयोगी बनाया । (समिति द्वारा किये गये सुधारों की सूची आगे दी गई है ।)

समिति ने अम्बर चरखे के निर्माण के बाद इसमें जो सुधार किये, उनमें कई सुधार महत्वपूर्ण हैं । अम्बर में रबर का उपयोग कर उसे सरल बनाने का प्रयास 1956 में किया गया । इसी वर्ष तकुए पर पूनी बनाने की क्रिया शामिल की गयी । इसी के साथ चार तकुए का अम्बर बनाया गया । 1957 में बेलनी में फनल का उपयोग, लोहे के स्थान पर रस्सी के स्प्रिंग लगाना, सूत समान दर्शक यंत्र, बिना बेलनी का संयुक्त अम्बर आदि तैयार किये गये । समिति ने पिछले 30 वर्षों में पूर्व कताई, कताई एवं बुनाई की क्रियाओं में करीब 90 प्रकार के सुधार किये और

उनका परीक्षण किया। इन परीक्षणों में अम्वर कताई,पेटी चरखा,पूनी वनाना,रूई खोलना-पट्टा वनाना,ऊनी अम्वर आदि शामिल है।

पिछले वर्षों में प्रयोग समिति ने ऊनी अम्वर वनाने का भी कार्य किया है। मैरिनो ऊन अम्वर कताई के लिए सुलभ होने के वाद देशी ऊन की अम्वर पर कताई करने का प्रयास भी किया गया है। ऐसा अम्वर तैयार कर लिया गया है,जिस पर देशी ऊन की कताई संभव है। ऐसा अम्वर भी तैयार किया गया है जिस पर टेप से सीधे कताई की जा सकती है। इससे टेप से पूनी वनाने की प्रक्रिया कम हो सकेगी। इसी प्रकार डब्वा कताई यंत्र के प्रयोग से मजवूत धागा निकलता है और कताई की गति तेज होती है। एक प्रयोग धागे में विविध रंगों के धागे एक साथ मिला कर वंटने का यंत्र का भी है जो 1978 में तैयार किया गया था। इससे विविध रंग के वस्त्र वनाने में अनुकूलता हो गई। समिति ने 80 किलोग्राम क्षमता का छोटा स्कवर कार्ड भी तैयार किया है जिससे छोटी संस्थाएं अम्वर पूणी वना सकती हैं।[5]

प्रयोग समितियों के अतिरिक्त कई अन्य संस्थाओं ने भी कताई एवं वुनाई के साधनों में सुधार किये हैं। अम्वर चरखे में किये गये सुधारों में दो महत्वपूर्ण हैं (1) कोयम्वटोर मॉडल चरखा जिसे न्यू मॉडल चरखा के नाम से जाना जाता है और दूसरा (2) राजकोट मॉडल। इन दोनों प्रयोगों से अम्वर चरखा मजवूत, चलने में हल्का, महीन कताई वाला वना। आज इन्हीं दोनों चरखों का प्रचलन है। इसी के साथ ऊनी अम्वर का विकास भी किया गया जिसका प्रसार अभी व्यापक रूप में होना शेष है। वुनाई के क्षेत्र में प्रयोग समिति,वर्धा ने फ्रेमलूम एवं पिटलूम में व्यापक सुधार किया है। इन सुधारों के वाद एक टेकअपमोशन सेल्फ कन्ट्रोल का समावेश किया गया जिससे वुनाई के समय कपड़ा स्वयं लपेटा जाता है, उसे वार-वार समेटना नहीं पड़ता। ताना स्वयं खुलता है एवं करघा हल्का चलता है। इन सुधारों से वुनाई की गति वढ़ी। वुनाई की गति वढ़ाने की दृष्टि से ऐसे प्रयोग भी किये गये हैं जिनसे हाथ से शटल चलाने की क्रिया कम होती है। इसे अर्ध-स्वचालित करधा भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के करघे को नेपाली करघा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान स्थित खा.ग्रा.सघन क्षेत्र विकास समिति, वस्सी ने ग्राम लक्ष्मी करघा वनाया है जिस पर फ्रेम लूम की तुलना में डेढ़ गुनी अधिक वुनाई हो जाती है।

उक्त प्रयोगों के प्रसार के लिए खादी ग्रा. आयोग की स्वीकृति आवश्यक होती है। आयोग का तकनीकी सेल इन प्रयोगों का परीक्षण कर खादी के अनुकूल ठहरने पर उन्हें स्वीकृत करता है और उसके वाद इसका व्यापक उपयोग होता है। हाल ही भारत सरकार ने एक समिति वनाई थी जिसने खादी के विविध पक्षों पर व्यापक रूप से विचार किया। समिति ने खादी तकनीक की भी जांच की और उसका विवरण प्रस्तुत कर सुझाव दिये। उनके द्वारा प्रस्तुत तकनीकी विवरण उपयोगी है। समिति ने अव तक किये गये तकनीकी प्रयोगों को इस रूप में प्रस्तुत किया है।[6]

1. कोयम्बटोर स्थित आई.आर.आई.एस. एवं खादी कमीशन ने मिलकर 1965-66 में 6 तकुए का नया मॉडल चरखा तैयार किया।
2. सौराष्ट्र रचनात्मक समिति राजकोट ने प्रयोग समिति, अहमदावाद के सहयोग से 6 तकुए के चरखे में सुधार किया और उसमें पूर्व पिसाई एवं पूनी वनाने के प्रावधान शामिल किये (1966-67) जिसे राजकोट मॉडल के नाम से जाना जाता है।
3. आई.आर.आई.एस. एवं खादी ग्रा. आयोग के सहयोग से 12 तकुए का अम्बर तैयार किया गया (1972-73)।
4. 1983-84 में 10 तकुए का अम्बर भी तैयार किया गया।
5. खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति, अहमदावाद ने 1983-84 में डलवा चरखा (पोट चरखा) तैयार किया।
6. मसलिन कताई के लिए एक चरखा श्री कालीचरण शर्मा, मसलिन कताई मण्डल, आगरा ने तैयार किया।
7. वर्धा स्थित प्रशिक्षण केन्द्र ने 1969-70 में बुनाई की गति वढ़ाने की दृष्टि से करघे में सुधार किया।
8. बुनाई की गति वढ़ाने की दृष्टि से पैडल करघे का विकास आई.आर.आई.एस. कोयम्बटोर तथा खादी कमीशन के मिलकर 1984-85 में किया।
9. खादी ग्रा. प्रयोग समिति, अहमदावाद ने 1981-82 में चार तकुए का ऊनी अंवर विकसित किया और वाद में इसे 6 तकुए का भी वना लिया गया।

उक्त प्रयोगों के अतिरिक्त खादी ग्रा. आयोग ने साधनों के उन्नतीकरण के लिए कई परियोजनाएं, विभिन्न संस्थाओं को दे रखी हैं। कुछ सुधार परियोजनाओं का विवरण आगे दिया गया है।

उक्त विवरण से यह वात सामने आती है कि पिछले करीव साठ वर्षों में खादी उत्पादन में काम आने वाले साधनों में व्यापक सुधार हुआ है। खादी साधनों में हुए इस सुधार को कालक्रम से निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं (1) परम्परागत साधन-गांधीजी के पूर्व (2) गांधीजी द्वारा साधनों में सुधार के प्रयास जिसे वाद में चरखा संघ ने आगे वढ़ाया। (3) चरखा संघ के अन्तिम चरण में (1949-52) चरखा संघ एवं अन्य लोगों द्वारा किये गये सुधार और (4) खा.ग्रा.आयोग तथा खादी संस्थाओं द्वारा 1956 तथा उसके वाद किये गये सुधार। पिछले 20-25 वर्षों में कताई क्षेत्र में अम्बर का व्यवहार तेजी से वढ़ा है। इस वीच अम्बर को अधिक सरल एवं उत्पादक वनाने का भी प्रयास किया गया है। अम्बर में 4 तकुए,6 तकुए,12 तकुए लगाये गये। इसी के साथ पूनी वनाने, सूत लपेटने आदि क्रियाओं को साथ में जोड़ा गया। पैर से चलने वाला अम्बर भी वना जो गुजरात में कई स्थानों पर आज भी चल रहा है। अम्बर पर

ऊन कताई एवं पोलिस्टर कताई भी चालू की गई। एक बड़ा परिवर्तन अम्बर पूनी बनाने की प्रक्रिया में आया। पहले अम्बर पूनी छोटे यंत्रों से एवं बेलनी से बनती थी। अब यह कार्य स्क्रेचर यंत्रों से किया जाने लगा। ये स्क्रेचर यंत्र सूती मिलों में काम में आने वाली मशीनें हैं। इससे अम्बर पूनी बनाने की पुरानी पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ गया है। इससे पूनी के गुण स्तर में भी सुधार हुआ है जिससे कताई के समय धागा कम टूटता है और सूत समान होता है। इससे बुनाई की गति भी बढ़ी है। खादी उत्पादन के साधनों में सुधारों की दिशा देखने पर यह कहा जा सकता है कि औजारों में सुधार मुख्यतः दो साधनों पर केन्द्रित रहा (1) अम्बर चरखे में सुधार और (2) बुनाई के साधनों में सुधार। इन सुधारों का लक्ष्य अधिक उत्पादन रहा है और इनसे कामगार की आय बढ़ी है।

खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति द्वारा किये गये सुधार

एकंबरनाथ का चर्खा खादी क्षेत्र में आने के बाद सर्व सेवा संघ द्वारा संचालित खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति ने अम्बर चरखा एवं उसके पूर्व प्रक्रिया के साधनों में जो प्रयोग एवं सुधार किया है, उसका विवरण इस प्रकार है:

1.	अम्बर चरखे में रबर का उपयोग	1956
2.	पूनी मापक यंत्र	1956
3.	अम्बर चरखे में दो बेलन के डाफ्टटींग पद्धति का प्रयोग	1956
4.	अम्बर सूत में बंट का परिमाण	1956
5.	कस जांचने का घरेलू साधन	1956
6.	तकुए पर पूनी बनाने का प्रयोग	1956
7.	बेलनों की सैटिंग का प्रयोग	1956
8.	चार तकुआ अम्बर चरखा तथा बेलनी प्रयोग	1956
9.	बेलनी में फनल का प्रयोग	1957
10.	अम्बर चरखे में पान चक्र का प्रयोग	1957
11.	तुनाई ओटनी का प्रयोग	1957
12.	कस यंत्र प्रयोग	1957
13.	लोहे के स्प्रिंग की जगह रस्सी का प्रयोग	1957
14.	तीन तकुआ अम्बर चरखा	1957
15.	सूत समानता दर्शक यंत्र	1957
16.	खड़ी मरनी का प्रयोग	1957

17.	भार मापक यंत्र प्रयोग	1957
18.	विना वेलनी का संयुक्त अम्बर चरखा	1960
19.	पांच तकुआ का संयुक्त अम्बर चरखा	1960
20.	चार तकुआ का संयुक्त अम्बर चरखा	1960
21.	चार तकुये का हाथ धुनायी मोडिया प्रयोग	1960
22.	पैडल धुनाई मोडिया प्रयोग	1960
23.	पीटर प्रयोग (रूई खोलने का साधन)	1960
24.	चार तकुआ कताई चरखा	1960
25.	आठ तकुआ संयुक्त अम्बर चरखा	1960
26.	दो तकुआ पेटी चरखा	1960
27.	छः इंच धुनाई मोडिया प्रयोग	1960
28.	छः तकुआ संयुक्त चरखा	1960
29.	छः तकुआ संयुक्त पैडल चरखा	1960
30.	नट मापक यंत्र	1960
31.	डब्बा वैलनी प्रयोग	1960
32.	कैलेण्डर वेलनी प्रयोग	1960
33.	अम्बर कताई में कैलेण्डर पद्धति प्रयोग	1960
34.	वेलनी तथा चार तकुआ चरखा जोड़कर छः तकुआ संयुक्त चरखा	1960
35.	अम्बर चरखे में स्वयं संचालित हैड एड़ जेस्टेवल मीडिया प्रयोग	1960
36.	12 तकुआ संयुक्त चरखा (8-4 पद्धति)	1960
37.	11 तकुआ का संयुक्त चरखा (8-3 पद्धति)	1960
38.	तेज गुणक का प्रयोग (तीसरा वेलन लगाकर)	1960
39.	धुनाई सह पारम्परिक पूनी मशीन	1965
40.	एक तकुआ अम्बर चरखा	1965
41.	कताई सह धुनाई प्रयोग	1965
42.	तीन नरी भरने का चरखा प्रयोग	1965

43. टैम्पल में सुधार 1965
44. खड़ा करघे में नयी ठोक पद्धति (स्ले कन्ट्रोल) 1965
45. मसलीन कताई चरखा (5 + 1 पद्धति) 1965
46. साइकिल चक्र हाथ धुनाई यंत्र 1965
47. साइकिल पैडल पोल धुनाई यंत्र 1965
48. एथचक्र पोल धुनाई यंत्र 1965
49. साईकिल पैडल-टेप धुनाई यंत्र 1965
50. रथचक्र टेप धुनाई यंत्र 1965
51. साइकिल पैडल गुणित टेप धुनाई यंत्र 1965
52. रथचक्र गुणित पट्टा यंत्र 1965
53. 18 साइकिल पैडल टेप धुनाई यंत्र 1965
54. मीनी मेटलीक कार्ड 1961
55. संपाड़ा धुनाई यंत्र 1961
56. पेटी चरखा अंम्बर पुर्जा अटेचमेन्ट प्रयोग 1961
57. किसान चरखा पुर्जा अटेचमेन्ट प्रयोग 1961
58. खड़ा चरखा पुर्जा अटेचमेन्ट प्रयोग 1961
59. पंजाब खड़े चरखे पर अटेचमेंट प्रयोग 1968
60. अम्बर पुर्जा कताई प्रयोग 1968
61. गुंडी पाई का प्रयोग 1968
62. कुंडल बैलनी प्रयोग 1968
63. लंबे तंतूवाले कपास के लिए ओटनी प्रयोग 1968
64. डब्या कताई चरखा प्रयोग 1972-73 से 1984-85
65. एक डब्या कताई चरखा 1972-73 से 1984-85
66. दो डब्या कताई चरखा 1972-73 से 1984-85
67. स्लब यार्न फेन्सी डबलर चरखा 1972-73 से 1984-85
68. स्लब यार्न छः तकुआ कताई चरखा 1972-73 से 1984-85
69. मोटी कताई अप्रेन ड्राफ्टिंग 4 तकुआ चरखा 1972-73 से 1984-85

70. मोटी कताई अप्रेन ड्राफ्टिंग 6 तकुआ चरखा — 1972-73 से 1984-85
71. मसलीन कताई चरखे में एन्टी वेडज रिंग एवं इलेक्ट्रीकल ट्रावलर्स लगाकर उत्पादन वृद्धि प्रयोग — 1972-73 से 1984-85
72. एन.एम.सी. चरखे में इलेक्ट्रीकल ट्रावलर्स एवं एन्टीवेडज रिंग लगाकर प्रयोग — 1972-73 से 1984-85
73. पाइनेपल रेव से कताई चरखा प्रयोग — 1972-73 से 1984-85
74. मेरीनो ऊन टोप्स से अधिक गुणक का चार तकुआ कताई चरखा — 1972-73 से 1984-85
75. देशी ऊन से चार तकुआ मध्यम कताई चरखा — 1972-73 से 1984-85
76. द्रेशी ऊन से चार तकुआ मोटी कताई चरखा — 1972-73 से 1984-85
77. वोधेश्वरी चरखे में रींग पद्धति कताई सुधार — 1972-73 से 1984-85
78. ऊन ओपनर मशीन — 1972-73 से 1984-85
79. ऊनी झांपा कर्डिंग मशीन — 1972-73 से 1984-85
80. मीनी स्क्रवर मशीन — 1972-73 से 1984-85
81. टू-इन-वन का ट्वीस्टीय चरखा — 1984-85
82. तीन डव्वा व हाथकताई चरखा — 1984-85
83. पैर संचालित चार तकुआ कताई चरखा — 1984-85
84. पैर संचालित तीन तकुआ कताई चरखा — 1984-85
85. ओपन हैण्ड स्पिनिंग चरखा प्रयोग — 1984-85

इसके उपरान्त प्रयोग समिति में कुछ ऊर्जा शक्ति से संवन्धित प्रयोग हुए हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

1. गोवर गैस के लिए संयंत्र और शक्ति
2. सौर मीटर हीटर
3. सौर स्टील प्रयोग
4. सौर जेनरेटर प्रयोग
5. वायोगैस प्लांट में नई डिजाइन प्रयोग
6. सोलर कूकर

टिप्पणियां

1. चरखा संघ का इतिहास - पृष्ठ-114।
2. उपरोक्त, पृष्ठ-343
3. स्रोत: चरखा संघ का इतिहास के आधार पर, पृष्ठ 404-408 एवं 496।
4. स्रोत- मगन संग्रहालय, वर्धा।
5. स्रोत, खादी प्रयोग समिति अहमदाबाद एवं वर्धा से प्राप्त जानकारी के आधार पर।
6. आधार, रिपोर्ट ऑफ द खा.ग्रा.रिव्यू कमेटी, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, 87

पांचवा अध्याय

राजस्थान में खादी तकनीक

देश के अन्य क्षेत्रों की तरह राजस्थान में भी कताई-बुनाई की पुरानी परम्परा रही है । भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में चार क्षेत्र हैं । मरूक्षेत्र,पहाड़ी क्षेत्र,पठारी एवं मैदानी क्षेत्र । यहां कई क्षेत्रों में कपास पैदा होती है । पशुधन की दृष्टि से यह सम्पन्न क्षेत्र है । यहां के पशुधन में भेड़ों का प्रमुख स्थान है । इसलिए यहां ऊन काफी मात्रा में पैदा होती है । यहां ऊन कताई-बुनाई की भी पुरानी परम्परा रही है । पुराने जमाने में यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में देशी ऊन से गरम कपड़ा,कम्वल लोई आदि वनाये जाते थे । कपास की खेती,कपास की ओटाई,पूणी वनाना,सूत कताई,रेजी गाढ़ा की वुनाई ये सभी कार्य यहां की अर्थ व्यवस्था का मुख्य अंग थे । लेकिन 19वीं शताव्दी के अंतिम चरण एवं 20वीं शताव्दी के प्रारम्भ में मिलों के प्रवेश ने पूर्व कताई की क्रियाओं को कम किया और वाद में अन्य क्षेत्रों की तरह यहां कताई भी समाप्त प्राय: हो गयी । एक सीमा तक वुनाई चालू रही लेकिन इस वुनाई में भी ताने के काम में मिल के धागे का प्रयोग किया जाता था । कई क्षेत्रों में व्यापारी रूई की धुनाई करवाकर कत्तिनों को कताई के लिए भी देते थे और उस सूत का वाने में इस्तेमाल करते थे ।

परम्परागत साधन

परम्परागत रूप में कताई-वुनाई के साधनों में सूती ऊनी दोनों ही क्षेत्रों में प्राय: समानता थी । पूर्व कताई प्रक्रिया के साधनों में अन्तर स्वाभाविक है । सूती वस्त्र के संदर्भ में कपास ओटने का कार्य सामान्यत: हाथ ओटनी से किया जाता था । धुनाई का कार्य धुनकी एवं पींजन के द्वारा किया जाता था । यह धुनकी,पींजन,वांस एवं चमड़े के तांत के द्वारा वने होते थे ।

सूती वस्त्र उत्पादन में सामान्यत: निम्न साधनों का उपयोग होता था ।

1. हाथ से चलने वाली कपास ओटनी
2. धुनकी/पींजन

3. ताड़ी वाला चरखा
4. खड्डी करघा

जहां तक ऊनी वस्त्र का प्रश्न है ऊन कटाई का कार्य कैंची द्वारा किया जाता था। ऊन सफाई एवं ऊन के कांटे निकालने का कार्य आमतौर पर हाथ से किया जाता था। लकड़ी छड़ियों का उपयोग होता था। कताई के कार्य की दो स्थितियां पायी जाती थी (1) डेरा/तकली से द्वारा और (2) चरखे से कताई। प्रारम्भ में कताई का कार्य डेरा तकली से होता था। यह आमतौर पर लकड़ी की बनी होती थी। इसमें नीचे गोल चकती या तीन-चार लकड़ियाँ निकली होती थी जिस पर ऊन धागा एकत्र होता था। कताई के इस साधन का उपयोग हाल तक होता था। यह अत्यन्त सरल, सीधा, सस्ता एवं कहीं भी ले जाने लायक साधन है। इसके माध्यम से घूमते समय, पशु चराते समय, बातें करते समय, कभी भी कताई की जा सकती थी। इससे हाथ की कला एवं अभ्यास के अनुसार महीन अथवा मोटा धागा निकाला जा सकता था। इस प्रकार तकली-डेरा सर्व सुलभ ऊन कताई का साधन रहा है। इसी के साथ चरखे के माध्यम से भी ऊन कताई होती थी। ऊन बुनाई का कार्य खड्डी करघा द्वारा किये जाने की परम्परा रही है।

प्रारम्भ में ऊनी वस्त्रों में रंगाई की परम्परा विकसित नहीं हुई थी। आमतौर पर प्राकृतिक रंग के ऊनी कपड़े बुने जाते थे। कपड़े के मुख्य प्रकार निम्न होते थे। (क) ओढ़ने बिछाने के लिए मोटी दरी-कम्बल, और (ख) पतली चादरें, एवं वस्त्र। ओढ़ने के लिए लोई एवं मोटी ऊनी चादर बनती थी जो काफी गरम एवं मजबूत होती थी।

नया परिवेश—नये परिवेश में ऊनी-सूती वस्त्र उत्पादन की पुरानी परम्परा का क्रमशः ह्रास होता जा रहा है। जैसाकि अन्यत्र कहा गया है, औद्योगीकरण एवं मिलों की स्थापना के बाद धीरे-धीरे परम्परागत साधनों का ह्रास होता गया और उसके स्थान पर केन्द्रित एवं मिलों के साधनों से वस्त्र उत्पादन का कार्य होने लगा। यह बदलाव सूती एवं ऊनी दोनों क्षेत्रों में आया। बीसवीं सदी के प्रथम एवं दूसरे दशक के बाद कपास की खेती में तेजी से कमी आ गयी। इस समय तो राज्य के गिने चुने क्षेत्रों में ही कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती में ह्रास के कारण तथा कपास से रूई निकालने की क्रिया मिलों में होने के कारण पूर्व कताई की प्रक्रियाएं समाप्त हो गयी। अब सीधे रूई खरीदी जाने लगी है। इस सदी के दूसरे तीसरे दशक तक छुट-पुट तौर पर रूई खरीद कर पूणी कतवाई जाती थी, लेकिन तीसरे चौथे दशक में यह कार्य लगभग बन्द हो गया और बुनाई का कार्य रह गया। भेड़ों से ऊन कटाई का कार्य भी कुछ स्थानों पर व्यापारियों द्वारा कराया जाने लगा। इस कार्य में अर्द्धस्वचालित साधनों का भी उपयोग होने लगा है। इस बदलाव का एक कारण बड़ी ऊनी मिलों की स्थापना भी है जिसने ऊन व्यापार को बढ़ावा दिया है। अब ऊन की सफाई भी मिलें करने लग गई हैं। पिछले 50 वर्षों में ऊनी वस्त्र बनाने के लिए ऐसी अनेक मिलें चालू हुई जहां ऊन सफाई एवं धागा कताई से लेकर बुनाई और वस्त्रों की फिनिशिंग तक की क्रियाएं बड़े पैमाने पर की जाती हैं। अब तो राजस्थान में भी

वीकानेर,जोधपुर,व्यावर आदि स्थानों पर ऊन का व्यापार एवं प्रोसेसिंग कार्य वड़े पैमाने पर होने लग गये हैं।

वर्तमान साधन

इस वदलती परिस्थिति में राजस्थान में खादी संस्थाओं ने सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के खादी उत्पादन में लगने वाले साधनों को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया है। चरखा संघ द्वारा खादी उत्पादन में परम्परागत साधनों का उपयोग किया जाता था। कताई में चरखा एवं वुनाई में खड्डी करघा। खादी संस्थाओं के विकेन्द्रीकरण के वाद राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार की खादी उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में ऊनी खादी का उत्पादन वढ़ा है। संस्थाएं आमतौर पर ऊन कताई का कार्य परम्परागत चरखों के माध्यम से कराती हैं। वुनाई के साधनों में सुधार हुआ है। अव ऊनी वुनाई के साधनों में फ्रेमलूम का प्रयोग वढ़ा है। ऊनी वस्त्र में सवसे अधिक विकास धुलाई-फिनिशिंग के साधनों में हुआ है। आजकल फिनिशिंग का कार्य वड़े पैमाने पर यंत्रों द्वारा किया जाता है। फिनिशिंग के लिए राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ ने वीकानेर,जयपुर,जोधपुर में फिनिशिंग प्लान्ट लगाये हैं। ऊन की पूर्व कताई प्रक्रिया में विकेन्द्रीकरण कम दिखाई देता है। इस समय ऊन की सफाई तथा कताई योग्य पूनी (लेफा) वनाने का कार्य केन्द्रित रूप में कारखानों द्वारा किया जाता है।

ऊनी अंवर का विकास ऊन कताई के संदर्भ में महत्वपूर्ण विकसित साधन है। इस समय 4 एवं 6 तकुए ऊनी अंवर का प्रचलन वढ़ रहा है। लेकिन राजस्थान में ऊनी अंवर का प्रचलन अभी कम है। गुजरात,उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में तो ऊनी अंवर का उपयोग वड़े पैमाने पर किया जाता है। ऊनी वस्त्र में विविधता वढ़ी है। अव चादर के अतिरिक्त कोटिंग,शर्टिंग की वनाई अधिक होने लगी है। इस कार्य में मेरिनो ऊन की भागीदारी भी अधिक उल्लेखनीय है। पश्चिमी राजस्थान की अधिकांश संस्थाएं मेरिनो ऊन की कताई-वुनाई पर अधिक जोर देती है। मेरिनो पूनी मिलों से खरीदी जाती हैं तथा ऊन कताई एवं वुनाई का कार्य संस्थाएं करती हैं।

सूती उत्पादन में राजस्थान मजवूत और सुन्दर खादी के लिए विख्यात है। परम्परा से गांवों में गाढ़ा एवं रेजी का उत्पादन होता रहा है। खादी संस्थाएं परम्परागत चरखे से मोटे सूत की कताई एवं खड्डी करघे से वुनाई का कार्य कराती रही हैं। पिछले दो दशकों में महीन सूत की कताई एवं खादी कपड़ा वुनने के लिए करघे में काफी सुधार हुआ है। इस समय सूती खादी में मुख्यतः इन साधनों का उपयोग होता है-

1. परम्परागत चरखा
2. 4 एवं 6 तकुआ अंवर चरखा
3. खड्डी करघा
4. फ्रेम करघा

5. ग्राम लक्ष्मी करघा (सेमी ओटोमेटिक)

जैसाकि पहले संकेत दिया जा चुका है, पूर्व कताई प्रक्रिया अव पूर्वापेक्षा काफी घट गई है । जहां पहले रूई निकालना, तुनाई, धुनाई, पूनी वनाना आदि क्रियाएं हाथ से होती थी, इस समय परम्परागत चरखे पर कताई आमतौर पर धुनी रूई से की जाती है । नई तकनीक में अंवर चरखे का प्रवेश हुआ तो प्रारम्भ में रूई से पूनी वनाने की प्रक्रिया के लिए छोटे साधनों का उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में अंवर पूनी वनाने का कार्य आमतौर पर स्क्रेचर मशीन पर किया जाने लगा है । इससे पूनी समान वनने लगी है तथा उत्पादन क्षमता भी वढ़ गयी है । पहले सूत के लिए कई संस्थाएं गुजरात की संस्थाओं पर आश्रित थी । अव स्क्रेचर मशीन के प्रयोग से समान एवं महीन कताई की सुविधा हो गई है । धागा टूटने में भी कमी आई है । कताई के लिए 12 तकुए का अंवर भी विकसित हुआ है लेकिन राजस्थान में अभी इसका उपयोग केवल खा.ग्रा. सघन क्षेत्र विकास समिति, वस्सी में प्रयोग के तौर पर प्रारंभ हुआ है ।

ग्राम लक्ष्मी करघा

राजस्थान में वुनाई के क्षेत्र में ऊनी-सूती दोनों प्रकार की खादी में खड्डी एवं फ्रेमलूम का उपयोग होता है । वुनकर को पूरा रोजगार एवं सक्षम आर्थिक आधार वुनाई के धन्धे से प्राप्त हो जाये, इस दृष्टि से राजस्थान में भी करघों में सुधार किया जाता रहा है । यहां ऊनी एवं सूती वुनाई के लिए फ्रेमलूम तो प्राय: सभी संस्थाओं ने कमोवेश अपना लिया है । लेकिन खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति, वस्सी (जयपुर जिला) ने ग्राम लक्ष्मी करघे का निर्माण किया है । यह सुधार नेपाली करघे (कोयम्वटोर मॉडल) की कमियों को दूर करने की दृष्टि से किया गया है । समिति द्वारा इस करघे के सिलसिले में तैयार किये गये प्रयोग प्रतिवेदन में इस करघे के विकास की आवश्यकता को इस रूप में प्रस्तुत किया है-"इस क्षेत्र में अहमदावाद तथा कोयम्वटोर के सेमी ओटोमेटिक लूम (नेपाली करघा) का परीक्षण किया गया। इसमें कई प्रकार की कठिनाइयां आयी: जैसे—(1) वहुत ज्यादा गियर्स होने के कारण करघे का भारी चलना (2) करघे में वालवेयरिंग कम होने से इसका भारी चलना (3) करघे का फ्रेम तथा पुर्जे कास्ट आयरन के होने के कारण उनका जल्दी टूटना (4) वनावट जटिल होने के कारण स्थानीय कारीगर द्वारा इसे आसानी से ठीक नहीं कर पाना (5) भारी होने के कारण गति नहीं वढ़ पाना (6) स्थान अधिक घेरना आदि ।

उक्त कठिनाइयों को देखते हुए समिति ने करघे में सुधार किया और इस सुधरे करघे का नाम ग्राम लक्ष्मी करघा रखा । इस करघे की निम्नलिखित विशेषताएं हैं[1]:

1. स्वचालित ठोक
2. स्वचालित वाने के तारों का स्वचालित नियन्त्रण (टेक अप मोशन)
3. स्वचालित वाईन्डिग

4. बुनकरों को सिर्फ पैर चलाने पड़ते हैं । अन्य क्रियाएं स्वचालित हैं ।
5. पूरा लूम वेयरिंग्स एवं गियर्स पर आधारित है,इसलिए हल्का है ।
6. फ्रेम लोहे का टिकाऊ है ।
7. सरल तकनीक जिससे करघे की खामियां स्थानीय स्तर पर ठीक की जा सकती हैं ।
8. स्पेयर पार्टस् की आसानी से उपलब्धि ।
9. एक सप्ताह में प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

इस करघे की बुनाई क्षमता प्रति घन्टा सूती खादी वस्त्र 12 से 18 मीटर तक की पायी गयी जिसकी मजदूरी 40 से 55 रु.तक (एक पुरुष एक महिला दो की) प्राप्त हुई । पोलिस्टर धागे से बुनाई 18 से 22 मीटर तक हुई जिसकी बुनाई मजदूरी 65 रु.तक होती है । इसकी तुलना में सामान्य फ्रेम लूम पर 8 घन्टे में बुनाई 8-10 मीटर तक हो पाती है इस प्रकार ग्राम लक्ष्मी करघे से बुनाई डेढ़े से दूनी हो सकती है ।

विभिन्न संस्थाओं में खादी तकनीक की स्थिति

रूई पिंजाई के लिए पैडल मशीन का प्रवेश 1936 के लगभग हुआ । इस समय राजस्थान चरखा संघ की स्थापना हुए 8 साल का अर्सा हो गया था । इसी पेडल चालित पिंजाई मशीन के आगमन के वाद राज्य के खादी कार्य में सूरती रूई का प्रवेश हुआ,जिससे वाद में वारीक सूत (18-20 नम्वर तक) काता जाने लगा और महीन घोतियां तथा 9-10 नम्वर की दो सूतियां वुनी जाने लगी । इस दो सूती का वम्वई के खादी प्रेमी वड़े आदमियों ने लम्वे कोट वनाने के लिए खरीद करके उन दिनों राजस्थान के गाढ़े का नाम देशभर में मशहूर करने में सहयोग दिया ।

1937 के लगभग ही राजस्थान में खड़े करघे का प्रवेश हुआ जिससे वुनकरों को अधिक मात्रा में वुनाई करने की सुविधा उपलब्ध हुई । साथ ही चौड़े अर्द्ध वाले खेस-चादर एवं अन्य खादी वस्त्र वुनाने की भी अनुकूलता संभव हुई । राजस्थानी खेसों ने भी खादी प्रेमियों में नाम कमाया और आज भी चौमूं के इन गाढ़े-खेसों की सभी राज्यों के खादी भंडारों में भारी मांग रहती है ।

पैर से चलने वाले नेपाली करघे का और उसके वाद अर्द्ध स्वचालित करघे का प्रयोग राजस्थान में अभी व्यापक रूप ग्रहण नहीं कर पाया है ।

राजस्थान में अधिकांश खादी उत्पादन परम्परागत साधनों से ही किया जाता है । उत्पादन में नई तकनीक का प्रयोग व्यापक नहीं हो पाया है । इसका मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि शायद राजस्थान के अधिकांश खादी कार्यकर्ता खादी के पीछे निहित गांधीवादी सिद्धान्तों में रंगे हुए हैं और एक सीमा तक खादी को नया व्यावसायिक स्वरूप देने में अभिरुचि नहीं रखते ।

तालिका संख्या 5:1

सूती कताई के साधनों की स्थिति

क्र.सं.	संस्था का नाम	सूती कताई			ऊनी कताई			सूती + ऊनी कताई		
		परम्परागत चरखा	उन्नत चरखा	योग	परम्परागत चरखा	उन्नत चरखा	योग	परम्परागत चरखा	उन्नत चरखा	योग
1.	खेराड़ ग्रामोदय संघ सावर, जिला-अजमेर	1500	-	1500	350	-	350	1850		1850
2.	सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति, रींगस, जिला-सीकर	295	176	471	1268	20	1288	1563	196	1759
3.	ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़, जिला-उदयपुर	850	20	870	1000	-	1000	1850	20	1870
4.	ग्राम सेवा मंडल, करौली, जिला-सवाई माधोपुर	400	300	700	200	40	240	600	340	940
5.	राजस्थान खादी संघ, चौमू, जिला-जयपुर	1250	388	1638	6500	-	6500	7750	388	8138
6.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर, जिला-बीकानेर	65	2	67	7500	-	7500	7565	2	7567
7.	नागौर जिला खादी ग्रामोदय संघ, नागौर, जिला-नागौर	-	-	-	4550	-	4550	4550	-	4550
8.	खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा, जिला-बाड़मेर	-	-	-	1200	-	1200	1200	-	1200
9.	सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना, जिला-बीकानेर	-	-	-	1500	-	1500	1500	-	1500
10.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद्, जैसलमेर, जिला-जैसलमेर	-	-	-	2435	20	2455	2435	20	2455
		4360	886	5246	26503	80	26583	30863	966	31829

स्रोत: संस्था से प्राप्त सूचना के आधार पर।

जहां तक सूती एवं ऊनी खादी के प्रशोधन का ताल्लुक है,इस संवंन्ध में विकसित तकनीक का उपयोग वढ़ा है और यही कारण है कि राजस्थान की ऊनी खादी के लिए देश के अन्य भागों में वाजार विकसित हुआ है और उसका और फैलाव एवं विस्तार होने की व्यापक संभावनाएं वनी हैं।

कताई के परम्परागत साधन

राजस्थान में दो प्रकार की खादी के लिए कताई होती है: (1) सूती (2) ऊनी। रेशमी खादी के लिए धागे तैयार करने का कार्य व्यापक तौर पर प्रारंभ नहीं हुआ है। वैसे भी रेशम का काम कम है। रेशम के कीड़ों का पालन प्रारम्भिक दौर में है और जो यहां थोड़ा वहुत रेशम वुना जाता है, उसके लिए धागे का कर्नाटक एवं अन्य प्रदेशों से आयात किया जाता है।

उक्त तालिका से प्रगट है कि राजस्थान में कताई के साधनों में परम्परागत चरखों का प्राधान्य है। लगभग 97 प्रतिशत चरखे परम्परागत हैं। कताई के लिए नये चरखे मात्र 3 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि सूत कताई में विकसित चरखों (न्यू मॉडल) का उपयोग वढ़ा है। उल्लेखनीय है कि सूत कताई में विकसित चरखों (न्यू मॉडल) का उपयोग वढ़ा है। सूत कताई के उन्नत चरखों की संख्या 17 प्रतिशत से अधिक हो गई है लेकिन ऊन कताई में उन्नत चरखों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है। इससे यह संकेत मिलता है कि मरूक्षेत्र में,जहां ऊन कताई व्यापक है,परम्परागत चरखों के स्थान पर चार तकुआ उन्नत अंवर चरखों का व्यापक प्रसार किये जाने की वहुत गुंजाइश है और इस दिशा में योजनावद्ध ढंग से आगे वढ़े विना राजस्थान में ऊनी खादी उत्पादन की जो विशाल संभावनाएं हैं उनका वहुत कम उपयोग हो पायेगा। अहमदावाद स्थित प्रयोग समिति द्वारा देशी ऊन कातने के लिए परीक्षण शुदा चार तकुआ अंवर चरखों का प्रयोग करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

कताई के वाद वुनाई के साधन आते हैं। इन साधनों में परम्परागत खड्डी करघा,सामान्य सुधार वाला खड़ा करघा (फ्रेमलूम) और सेमी ऑटोमेटिक लूम मुख्य हैं। राजस्थान में खड्डी करघों का व्यापक प्रचलन है यद्यपि अव खड़े करघों का प्रचलन भी वढ़ रहा है,लेकिन सेमी ओटोमेटिक लूमों का विस्तार होना शेष है। चलते हुए सेमी ओटोमेटिक लूम तो हमें केवल जयपुर जिले के वस्सी क्षेत्र में ही दो स्थानों पर देखने को मिले हैं।

वुनाई के साधनों की स्थिति को दर्शाने के लिए आगे दी जा रही तालिका उपयोगी रहेगी (सारणी 5:2):

तालिका यह संकेत देती है कि खड्डी करघों के स्थान पर धीरे-धीरे फ्रेमलूम का प्रचलन वढ़ रहा है, लेकिन जानकारी के अभाव में अथवा साधनों का जोड़-तोड़ न वैठने के कारण सेमी ऑटोमेटिक लूमों का प्रचलन अभी नहीं हो पा रहा है। ऊनी वुनाई के लिए फ्रेमलूम का प्रयोग भी अभी अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाया है,जैसा कि नागौर एवं वालोतरा की संस्थाएं दिशा संकेत देती हैं। इस संदर्भ में,कि खड्डी लूम पर फ्रेमलूम की तुलना में लगभग 60-65 प्रतिशत

मात्रा में कपड़ा बुना जाता है और सेमी ऑटोमेटिक लूम पर फ्रेमलूम की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत अधिक कपड़ा बुना जाता है, इससे बुनाई के प्रचलित साधनों की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है।

तालिका संख्या 5:2

सर्वेक्षित संस्थाओं में बुनाई के साधनों की स्थिति

क्र.सं.	संस्था का नाम	परम्परागत खड्डी चर्खा	फ्रेमलूम	योग
1.	खेराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	75	15	90
2.	सीकर जिला खादी ग्रामो. समिति, रींगस	65	38	103
3.	खादी ग्रामो. विकास मंडल, देवगढ़	45	25	70
4.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	150	14	164
5.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	-	254	254
6.	खादी ग्रामो. प्रतिष्ठान, बीकानेर	-	385	385
7.	नागौर जिला खादी ग्रामो.संघ, नागौर	113	-	113
8.	खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी, समिति, बालोतरा	30	-	30
9.	सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	75	-	75
10.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामो. परिषद्, जैसलमेर	86	86	172
		639	817	1456

सूती-ऊनी खादी के प्रशोधन संबंधी स्थिति के विश्लेषण के पहले कताई की पूर्ववर्ती प्रक्रिया में प्रयुक्त साधनों की समीक्षा भी आवश्यक है। पहले राजस्थान के खादी उत्पादक क्षेत्रों में कपास पैदा होती थी, जिसे स्थानीय स्तर पर ओटनी से ओटकर बिनौले एवं रूई अलग की जाती थी और रूई पिंजारे के यहां पिंजवाकर उसकी पूणी बनाई जाती थी। अब इस प्रक्रिया के बहुत कम दर्शन होते हैं। जहां कताई के लिए परम्परागत ढंग से थोड़ी-बहुत पूणी बनाई भी जाती है, वहां भी रूई सीधी ली जाती है। उसमें मशीन से पिंजाई होने पर भी खादी संस्थाओं को कोई एतराज नहीं है। अधिकतर कताई योग्य पिंजाई हुई रूई या रूया सीधी प्राप्त किया जाता है। जहां तक अंबर पूणी का सवाल है, अंबर पूणी या तो संस्थाएं मशीनों से स्वयं बनाती है या फिर वे अन्य ऐसी संस्थाओं से पूणी मंगाती हैं जिनके पास मशीनें हैं। कुछ संस्थाओं द्वारा अंबर पूणी हाथ से भी बिलाई जाती है।

जहां तक ऊनी कताई की पूर्ववर्ती प्रक्रिया का ताल्लुक है, अब ऊन का लेफा बनाने का कार्य मशीनों से किया जाता है और ऊनी टाप्स का निर्माण भी मशीन से होता है। कई संस्थाओं के पास लेफा बनाने की मशीनें हैं और कई संस्थाएं बीकानेर एवं पंजाब आदि से मशीनों द्वारा तैयार लेफा, टाप्स आदि मंगवाकर कताई कराती हैं।

कताई के पूर्ववर्ती साधनों की स्थिति तालिका 5:3 से स्पष्ट हो सकती है।

तालिका संख्या 5:3

कताई के पूर्ववर्ती साधन

क्र.सं.	संस्था का नाम	सूत कताई के पूर्ववर्ती साधन		ऊन कताई के पूर्ववर्ती साधन	
		पूणी प्लान्ट एवं कार्डिगमशीन	हाथ से पूणी बेलने वाली	कार्डिंग मशीन एवं पूणी	हाथ से ऊन साफ करना
1.	खेराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	1/2	10	-	-
2.	सीकर जिला खादी ग्रामो. समिति, रींगस	अंवर का टेप बाहर से मंगाते हैं	4	-	-
3.	खादी ग्रामो. विकास मंडल, देवगढ़	1/3	3	2/6	-
4.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	1/12	20	लेफा बाहर से मंगाते हैं	-
5.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	1/12	20	3/9	-
6.	खादी ग्रामो. प्रतिष्ठान, बीकानेर	-	-	1/2	9
7.	नागौर जिला खादी ग्रामो.संघ, नागौर	-	-	1/1	3
8.	खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी, समिति, बालोतरा	-	-	लेफा बाहर से मंगाते हैं	-
9.	सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	-	-	-	-
10.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामो. परिषद्, जैसलमेर	-	-	-	स्पष्ट संख्या नहीं बताई है

उक्त तालिका संकेत देती है कि मशीन से पिंजाई कराकर बेलनी से पूणी बनाने का कार्य बहुत घट गया है। सावर, चौमूं और करौली की संस्थाएं ही मशीन से रूई पिंजवाकर थोड़ी बहुत पूणी बनवाती हैं। जहां तक ऊन का ताल्लुक है, ऊनी कताई करने वाली चार संस्थाएं लेफा बाहर से मंगाती हैं, स्वयं तैयार नहीं करती। 4. सूती-ऊनी खादी का प्रशोधन (धुलाई, रंगाई, छपाई, फिनिशिंग)

जहां तक सूती खादी की धुलाई, रंगाई एवं छपाई का सवाल है, अधिकांश कार्य परम्परागत ढंग से किया जाता है। हां, धुलाई में प्रयुक्त साधनों में परिवर्तन आया है। पहले जहां सोड़ा खार का प्रयोग होता था, वहां अब ब्लिचिंग पाउडर, सोड़ा कास्टिक, नील आदि का प्रयोग बढ़ा है। धुलाई संयन्त्रों का व्यापक प्रसार नहीं हो पाया है। छपाई का कार्य अब संस्थाएं निजी तौर पर कामगार रखकर कम मात्रा में कराती हैं। कुशल कारीगरों द्वारा संचालित संस्थाओं के द्वारा सांगानेर, बगरू, बाड़मेर के नाम से मशहूर छपाई प्रणाली का उपयोग करती हैं-चादर, छींट, जाजम आदि छपाई के लिए कपड़ा पानीपत आदि प्रदेश के बाहर के केन्द्रों पर

भेजा जाता है जो वहीं से तैयार होकर आता है। कलेंडरिंग का कार्य मशीन से होता है।

ऊनी माल की फिनिशिंग की अधिकांश प्रक्रिया मशीनों द्वारा की जाती है। राजस्थान खादी बोर्ड, संस्था संघ आदि ने ऊनी माल के फिनिशिंग के लिए संयन्त्र लगाये हैं, लेकिन ऊंचे दर्जे की फिनिशिंग के लिए माल राज्य के बाहर पंजाब एवं हरियाणा के केन्द्रों को ही भेजा जाता है।

प्रशोधन की स्थिति की झलक आगे की तालिका से स्पष्ट होती है:

उक्त तालिका दर्शाती है कि स्थानीय स्तर पर धुलाई, रंगाई तथा छपाई, में मशीन का प्रयोग नहीं होता लेकिन ऊनी वस्त्र की फिनिशिंग का कार्य खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर निजी स्तर पर करता है। अन्य संस्थाएं माल का फिनिशिंग बाहर से करवाती हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान में सरकारी एवं संस्था स्तर पर जो फिनिशिंग प्लान्ट लगे हैं, उनके द्वारा प्रशोधित माल की गुणात्मकता अभी पैठ नहीं जमा पाई है। राजस्थान खादी संघ, चौमूं भी ऊनी वस्त्र की फिनिशिंग के लिए प्लान्ट लगाने जा रहा है जो अगले साल काम करने लग जायेगा।

खादी तकनीक का वर्तमान स्वरूप

आजादी के बाद खादी तकनीक में पर्याप्त परिवर्तन आया है। आजादी के पहले खादी के विकेन्द्रित स्वरूप पर जोर था। खादी का अर्थ ग्राम स्तर पर उपयोग के लिए वस्त्र तैयार करना और ग्राम स्वावलम्बन था। लेकिन आज उन्हीं सिद्धान्तों को अपनाया जा रहा है जो खादी ग्रामोद्योग कमीशन की दृष्टि में व्यवहार की कसौटी पर खरे उतरते प्रतीत होते हैं- पहले सीमित मात्रा में रुपया उपलब्ध होता था, लेकिन अधिकाधिक लोगों को रोजगार देने का मानस बना रहता था। अब रुपये कि उपलब्धि बढ़ गयी है। साथ ही रिबेट आदि के द्वारा शहरी अभिजात्य वर्ग में खादी खरीद के प्रति अभिरूचि जागृत की जा रही है। फलस्वरूप खादी में गुणात्मक परिवर्तन आया है। यह माना जाने लगा है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके खादी के रूपरंग को संवारा जाये और उसको आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जाये ताकि शहरी उपभोक्ता एक सीमा तक अपने बजट में मिल के वस्त्र के स्थान पर खादी वस्त्र के लिए भी धन सुरक्षित रखने लग जाये और शहरी जनता का रूपया गांव के कामगार तक पहुंचने का सिलसिला अधिक व्यापक हो जाये। खादी की मांग में आई वृद्धि के कारण खादी उत्पादन बढ़ाना आवश्यक हो गया और इसलिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल आवश्यक हो गया है।

इस प्रकार व्यावहारिक कारणों से खादी के वर्तमान स्वरूप में बदलाव आया है, जिसकी झलक स्थान स्थान पर कायम परिश्रमालयों से मिल सकती है, जहां कताई की आधुनिक तकनीक को क्रियात्मक स्वरूप दिया जा रहा है और उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। इसका कामगारों के रोजगार, आय, गुणस्तर और उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। सूत कताई के संदर्भ में अनेक संस्थाओं ने अंबर के परिश्रमालय चलाये हैं जिनमें कत्तिनें 8-9 घंटे काम करके 9-10 रुपये तक रोजाना कमा लेती हैं। ऊन कताई के लिए चार तकुआ अंबर परिश्रमालयों की भी

तालिका संख्या 5:4

सूती ऊनी खादी का प्रशोधन

क्र.सं.	संस्था का नाम	धुलाई		रंगाई		छपाई		फिनिशिंग		योग	
		मशीन	कामगार	मशीन	कामगार	मशीन	कामगार	मशीन	कामगार	मशीन	कामगार
1.	खेराड़ ग्रामोदय संघ, मावर	-	-	-	15	-	10	-	1	-	26
2.	सीकर जिला खादी ग्रामो. समिति, रींगस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	खादी ग्रामो. विकास मंडल, देवगढ़	-	-	-	2	-	-	1	10	1	12
4.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	-	8	-	3	-	1	-	-	-	12
5.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	-	10	-	5	छपाई पिलखुआं, अमरोहा, सांगानेर, जयपुर, अहमदाबाद, बंबई में होती है।		-	-	-	15
6.	खादी ग्रामो. प्रतिष्ठान, बीकानेर	-	-	-	-	-	-	1	9	1	9
7.	नागौर जिला खादी ग्रामो.संघ, नागौर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	सुरपुरा खादी ग्रामोदय समिति, सुरपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद्, जैसलमेर	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5

शुरूआत हुई है,जहां औसत कत्तिनें 8-10 रुपये रोज तक मजदूरी कमा लेती हैं। एकाध संस्था ने 12 तकुआ अंवर भी मंगवाये हैं,लेकिन संचालक मंडल में आम सहमति के अभाव में अभी 12 तकुआ अंवर का परिश्रमालय चालू नहीं किया जा सका है। पहले कत्तिनें कताई के लिए पूणी एवं ऊन घर पर ले जाती थी और 15 दिन में एक वार अपनी सुविधानुसार सूत या ऊन कातकर ले आती थी। चरखों को दुरुस्त रखने का उनका अपना जिम्मा होता था। नये उन्नत चरखों को प्रयोग करने पर उनमें होने वाली मरम्मत के लिए उन्हें संस्था के मिस्त्री के आगमन की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी,लेकिन परिश्रमालयों में चरखे की मरम्मत का दायित्व संस्थाओं का रहता है और परिश्रमालय की देखभाल में रत मिस्त्री चरखा दुरूस्त कर देता है। जरूरत हो तो स्टोर में पड़े फालतू पुर्जे भी लगा देता है। फलतः कत्तिन का समय वेकार नहीं जाता है और कताई की प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है।

खादी तकनीक के वर्तमान स्वरूप में अंवर पूणी वनाने के लिए स्क्रेचर एवं सिम्पलेक्स मशीनों के उपयोग के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। पहले अंवर पूणी के लिए टेप वाहर से मंगाया जाता था और पूणी वेलनी द्वारा तैयार की जाती थी। अव सिम्पलेक्स मशीनों ने अंवर पूणी की समस्या हल कर दी है और कत्तिनें अंवर पूणी घर ले जाती हैं तथा सूत कातकर ले आती हैं। इसी प्रकार कार्डिंग मशीनों के उपयोग ने देशी पूणी की आपूर्ति की समस्या हल कर दी है।

कार्डिंग मशीनें रूई एवं ऊन की धुनाई अच्छी तरह कर देती हैं और फिर वेलनी द्वारा धुनी हुई रूई की एक साथ पूनी वनाकर कत्तिनों को सौंप दी जाती है। सूत ओटने के लिए चरखे में ही व्यवस्था कर दी गयी है। इस प्रकार ओटने की समस्या समाप्त हो गई है। पहले कत्तिन का काफी समय सूत की कूकड़ी से सूत ओटने पर (आटी घुण्डी वनाने में) खर्च हो जाता था। कार्डिंग मशीनें ऊनी लेफा भी तैयार करती हैं जो गुणात्मकता की दृष्टि से अच्छा होता है।

इसी प्रकार वुनाई में भी गुणात्मक परिवर्तन आया है। जहां पहले का ताना दो वुनकर (लगभग 30 मीटर का ताना) किया करता था,वहां अव अनेक स्थानों पर 300 मीटर तक का ताना एक साथ करने की व्यवस्था है एवं ताना मशीनें लगाई जा रही हैं। औसतन 6-7 मीटर दैनिक उत्पादन देने वाले खड्डी करवे की जगह 18-20 मीटर उत्पादन देने वाले सेमी ऑटोमेटिक पैडल लूम के प्रयोग ने वुनकर की दैनिक आय विस्तार का रास्ता खोल दिया है और वह दिन दूर नहीं,जव खादी-ग्रामोद्योग आयोग द्वारा करघा संचालन में विजली का प्रयोग मान्य कर दिया जाये और अधिक उत्पादन देने वाले सेमी ऑटोमेटिक लूम का प्रचलन हो जाये।

खादी के लिए शहरी जनता में वढ़ते हुए सम्मान भाव ने पोलिस्टर खादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अंवर चरखे से पोलिस्टर सूत कातकर उसे उन्नत करघे पर वुना जाता है। यद्यपि अभी तक राजस्थान इस मामले में गुजरात से काफी पीछे दिखाई देता है,पर अव राजस्थान की

एकाध संस्थाएं पोलिस्टर धागा गुजरात से खरीदकर लाने लगी हैं। यह धागा राजस्थान के बुनकरों द्वारा बुना जाता है और बाद में बेचा जाता है। ऐसा लगता है कि आगामी दशक में राजस्थान पोलिस्टर उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेगा और यहां की पोली खादी गुजरात की तरह मिल की टक्कर में ठहरने लग जायेगी। अभी वहां का पोलिस्टर धागा तथा पोलिस्टर वस्त्र राजस्थान की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत तक सस्ता प्रतीत होता है।

खादी को आकर्षक रूप देने के लिए कलेंडरिंग मशीन के उपयोग का प्रचलन बढ़ा है। इसी प्रकार ऊनी खादी की फिनिशिंग के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग तो सर्वमान्य हो गया है। रंगाई, छपाई के क्षेत्र में भी आधुनिक साधनों का उपयोग बढ़ा है, क्योंकि अधिकांश खादी संस्थाएं यह समझ गई हैं कि जब तक आधुनिक ढंग से खादी की रंगाई, छपाई नहीं की जायेगी, तब तक माल के विक्रय में कठिनाई आती रहेगी। पहले रंगाई, छपाई का कार्य एक प्रकार से विकेन्द्रित था लेकिन अब वह केन्द्रित स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। अधिकांश संस्थाएं छींट एवं चादरों की छपाई, अधिकाधिक मात्रा में बाहर कराती हैं। ऊनी कम्बलों एवं चादरों आदि की रंगाई भी ऐसे स्थानों पर कराती हैं जहां विशेषज्ञ आसानी से उपलब्ध हैं और जहां की रंगाई, छपाई आकर्षक दिखाई देती है।

खादी विक्रय में भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है। पहले स्थानीय स्तर पर खादी की आपूर्ति करने का ही ध्यान रखा जाता था, लेकिन अब खादी वस्त्रों के प्रकार बढ़ गये हैं और शहरों एवं कस्बों में खादी के सुसज्जित विक्रय भण्डार खुल गये हैं, जहां देश के हर कोने से खादी मंगायी और बेची जाती है।

आज इन भण्डारों पर विभिन्न प्रकार के खादी उत्पाद बिकते हैं। विक्रय बढ़ाने के लिए आकर्षक रिबेट के अलावा अन्य प्रकार की छूटें भी दी जाती हैं। आकर्षक विज्ञापन दिये जाते हैं और रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि आधुनिक विज्ञापन साधनों का उपयोग भी बिक्री बढ़ाने के लिए व्यापक पैमाने पर किया जाता है।

गांधीजी के जमाने की स्वावलम्बी खादी के स्थान पर गांवों में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना के अंग के रूप में ग्रामोद्योगों के विकास की विचारधारा ने खादी तकनीक के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसी संदर्भ में पोलिस्टर, रेशम आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा स्पष्ट होती जा रही है और वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में रेशम कीट पालन और रेशम का धागा तैयार करने का काम व्यापक रोजगार स्रोत बन जाये और उस क्षेत्र के लोगों को करोड़ों रुपये की अतिरिक्त आय होने लग जाये।

खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति, वर्धा के अंबर सरंजाम विभाग द्वारा निर्मित ग्राम लक्ष्मी सेमीऑटोमेटिक पेडल लूम का विवरण

खादी क्षेत्र के समक्ष आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए कामगारों

को जीवन यापन योग्य मजदूरी दी जाये तथा खादी की क्वालिटी में सुधार किया जाये। इस लक्ष्य की पूर्ति कास्ट चार्ट में मजदूरी बढ़ाकर नहीं की जा सकती। इससे तो खादी की कीमतें बढ़ने से बिक्री समस्या उत्पन्न होगी, साथ ही जीवनयापन योग्य मजदूरी वाला प्रश्न भी पूर्णतया हल नहीं होगा। इसका एक मात्र हल यह है कि कामगारों को सुधरे साधन उपलब्ध कराकर उनकी कार्य क्षमता बढ़ाई जाये। इससे उक्त दोनों लक्ष्यों की पूर्ति संभव है।

समिति का कार्य सघन रूप से विकसित है और इस दृष्टि से अंबर पूणी, कताई-बुनाई पर प्रयोग किये जा रहे हैं। राजस्थान में अंबर पूणी उत्पादन में स्क्रेचर कार्डस् प्रक्रिया सर्वप्रथम दाखिल करके कत्तिनों को पर्याप्त अंबर पूणी मिलने से कताई क्षमता बढ़ी है। इस क्रम में सुधरा बुनाई सरंजाम बुनकर को देने के लिए समिति द्वारा पिछले वर्ष से प्रयोग किये जा रहे हैं और सेमीऑटोमेटिक लूम तैयार किया गया है।

अन्य सेमी ऑटोमेटिक लूम्स

हमने अहमदाबाद तथा कोयम्बटूर के सेमी ऑटोमेटिक लूम पर फील्ड टेस्ट किया तो बुनकर के सामने कई कठिनाइयां देखने को मिली। उनमें प्रमुख हैं—(1) गीयर्स बहुत ज्यादा हैं इसलिए करघा भारी चलता है। बुनकर लगातार आधा घन्टे से ज्यादा नहीं चला सकता है। (2) लूम में बाल बियरिंग कम है-मैटलबुश हैं-इसलिए भी भारी चलता है (3) करघे की फ्रेम तथा पुर्जे कास्ट आइरन निर्मित होने से टूट जाते हैं, वैल्ड नहीं हो सकते। इसलिए बुनकर का काम रुक जाता है और मजबूती कम है। (4) लूम इतना जटिल है जिसे बुनकर द्वारा सुधारना तो असम्भव है ही, सामान्य ग्रामीण मिस्त्री भी नहीं सुधार सकता है। (5) भारी होने से बुनाई क्षमता 8 से10 मीटर तक ही आती है जबकि वर्तमान सामान्य करघे की क्षमता भी 7 मीटर है। (6) जगह अधिक रोकता है। बुनकर के सीमित आवास में इसे लगाने की कठिनाई है।

समिति द्वारा तैयार करघा

फील्ड टेस्ट में आई बुनकरों की उक्त कठिनाइयों को देखकर समिति ने सेमी ऑटोमेटिक लूम तैयार किया जिसमें इन कमियों को दूर किया गया है।

ग्रामीण बुनकरों में खुशहाली व्याप्त हो सके इस दृष्टि से करघे का नाम "ग्राम लक्ष्मी ऑटोमेटिक मॉडल लूम" रखा गया है।

करघे का विवरण

करघे का निर्माण विवरण निम्न प्रकार है:

1. करघा $3 \times 1\frac{1}{2}$ साइज की आइरन चैनल की मजबूत फ्रेम पर बना है। एक मीटर अर्ज का कपड़ा तैयार करने वाले करघे की फ्रेम साइज में 50 इंच चौड़ाई तथा 50 इंच लम्बाई और ऊंचाई 35 इंच है। अर्ज के अनुसार लंबाई बढ़ाई जा सकती है।

2. इसकी गति सवा इंच मोटी आइरन साफ्ट से निर्मित 2 क्रैंक साफ्टस् द्वारा संचालित है ।
3. करघे को रखने की दृष्टि से 22 विभिन्न साइज के वाल वियरिंग पेडीशल के साथ लगाये गये हैं ।
4. करघे को हल्का रखने की दृष्टि से 120 टी तथा 60 टी इन दो गीयर्स का ही प्रयोग किया गया है ।
5. क्वालिटी नियन्त्रण के लिए टेक-अप मोशन की व्यवस्था है । इससे पेटे (वेपद) के तारों की संख्या नियंत्रित रहती है ।
6. करघे की गति लगातार वनी रहे, इसके लिए दोनों साइडों में वेलेन्सव्हील लगाये गये हैं ।
7. कपड़े की किनारी वरावर रहे और तनाव वना रहे, इसके लिये दोनों किनारों पर लीवर लगाये गये हैं ।
8. शटल सही चले इसके लिए शटल शेटिंग और ठोक नियन्त्रण के लिए शटल फ्रैंक लीवर लगाये गये हैं ।
9. वुनाई घर्पण कम हो, छीजत अधिक नहीं हो एवं गांव में आसानी से तैयारी की जा सके इसके लिए वुनाई-पेटी लकड़ी की रखी गई है जिसकी सरफेस पर स्टील पत्ती लगी है । लोहे की पेटी का उपयोग भी किया जा रहा है ।
10. ताना लपेटने और तैयार कपड़ा लपेटने के लिए पाईप-वीम है । वुनाई के समय ताने में सही तनाव वना रहे इसके लिए तनाव-वेट लगाया गया है । इसके अतिरिक्त सभी पुर्जो का विवरण साथ ही सूची में संलग्न है । इन पुर्जो के प्रयोग में इस वात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इनका निर्माण ग्रामीण मिस्त्री द्वारा गांव में ही आसानी से किया जा सकता है ।

वुनाई पद्धति

1. मांडी

ट्रेडीशनल पद्धति में वुनकर आटे की मांडी का उपयोग करता है । किन्तु इसमें गमपेस्ट एक प्रतिशत के हिसाब से उपयोग में लिया गया है ।

2. गट्टे भराई

मांडी लगाने के वाद सूत के गट्टे भरे जाते हैं ।

3. ताना

समिति ने प्रति 10 बुनकरों के बीच एक ताना मशीन पहले से ही लगाई हुई है जिसमें 100 से 150 मीटर ताना तैयार किया जाता है।

उक्त सेमी ऑटोमेटिक लूम के लिए 15 थान अर्थात 200 से 250 मीटर का ताना तैयार किया जाता है।

4. बुनाई

ताना बीमों पर लपेट कर ताना जोड़ने के पश्चात बुनकर पैर द्वारा बुनाई करता है। इसमें ठोक, तारों का नियन्त्रण, लपेटना इत्यादि क्रियाएं ऑटोमेटिक एक साथ होती रहती है। बुनकर को केवल पैर चलाने पड़ते हैं।

बुनाई क्षमता

सर्व प्रथम एक करघा तैयार करके बुनकर को समिति के शेड में बुनाई के लिए दिया गया। चार माह तक दो बुनकरों ने अलग-अलग समय पर बुनाई की। बुनकरों के सुझाव के अनुसार इस अवधि में करघे में परिवर्तन किया जाता रहा।

इस अवधि में बुनकर ने पोलिवस्त्र 18 से 22 मीटर तथा सूती खादी 12 से 18 मीटर प्रति आठ घन्टा की गति से बुनाई की है। इस प्रकार सामान्यतः पोलीवस्त्र बुनकर को 65 रू.प्रतिदिन तथा सूती खादी पर 55 रु.प्रतिदिन बुनकर और उसकी पत्नी को आय हो सकती है।

फिल्ड टेस्ट

एक करघे को समिति के शेड में टेस्ट करने के पश्चात 5 करघों का निर्माण किया गया। इनमें से 2 करघे शेड में तथा 4 करघे फील्ड में निम्न बुनकरों को घरों पर दिये गये हैं:

1. श्री कल्याण सहाय — गांव - मनोहरपुरिया
2. श्री रेवड़ राम — गांव - मनोहरपुरिया
3. श्री डालू राम — गांव - मनोहरपुरिया
4. श्री मूल चन्द — गांव - मनोहरपुरिया

इन बुनकरों के प्रत्यक्ष अनुभव पर से जो सुधार सुझाये जाते हैं, वह करघे में आवश्यकतानुसार किये जाते हैं।

यह भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है कि उक्त बुनकरों की परम्परागत स्टेण्ड लूम पर क्या आमदनी थी तथा इस पैडल लूम पर इनकी आमदनी में कितनी वृद्धि हुई है। छीजत, मरम्मत तथा क्वालिटी के बारे में भी तुलनात्मक अंक एकत्रित किये जा रहे हैं। इस पर से यह स्पष्ट होगा कि करघे को फील्ड में वितरित किया जाये तो क्या लाभ होंगे।

कीमत

प्रयोग के कारण तथा कम मात्रा में उत्पादन होने के कारण इस करघे की कीमत अधिक आना स्वाभाविक है। अभी इसकी कीमत रु.6000/- (छ: हजार मात्र) आई है। अधिक संख्या में बनाने पर इसकी कीमत रु5000/- से 5500/- रु.तक आ सकेगी,ऐसा अनुमान है।

खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति, बस्सी (जयपुर)

ग्राम लक्ष्मी सेमी ऑटोमेटिक पैडल लूम का प्रयोग खर्च विवरण

रकम रु.	विवरण
39,000.00	पूंजीगत व्यय:- करघा तथा उसके स्पेयर पार्टस निर्माण, प्रयोग में नष्ट, परिवर्तन आदि में खर्चो सहित 6 सेमी ऑटोमेटिक करघों की कीमत-रु. 6500.00 x 6 = 39000.00 रु.
32,000.00	प्रयोग मजदूरी:- प्रयोग के लिए 6 बुनकर तथा 6 कत्तिनों की मजदूरी 6 माह के लिए; 6 बुनकर x 20 x 6 = 21500.00 6 कत्तिन x 10 x 6 = 10800.00 = 32300.00
7,200.00	वेतन:- प्रयोगकर्ता मिस्त्री - 1 - का वेतन: 600 x 12 = 7200.00
2,400.00	अन्य खर्च:- मार्ग व्यय
80900.00	

(मकानात, तथा अन्य व्यय समिति की ओर से किया जायेगा)

ग्राम लक्ष्मी सेमी ऑटोमेटिक पैडल लूम-पुर्जों का विवरण

क्रं.सं.	विवरण	साइज ऊ०	ल०	चौ०	नग
1.	चैनल फ्रेम	35	50	38	1
2.	फ्रेंक शाफ्ट	$1\frac{1}{2}$	6 फुट लम्बी		2
3.	ब्रेक शाफ्ट	1"	6 फुट लम्बी		1
4.	बय ठोकर ब्रेक शाफ्ट	$\frac{3}{4}$	5 फुट लम्बी		1
5.	पैडल ठोकर ब्रेक शाफ्ट	$\frac{3}{4}$	3		2
6.	टेकगोशन शाफ्ट	$\frac{3}{4}$	2 फुट लम्बी		1
7.	बियरिंग				
	ब्रेक - मेन	330 नम्बर			2
		340 नम्बर			2
	पेटी शाफ्ट क्रेंक	330 नम्बर			2

Contd...

पेटी शाफ्ट क्रैंक	325 नम्बर	2
शटल पेटी	117 नम्बर	2
वय ठोकर क्रैंक शाफ्ट	117 नम्बर	2
पैडल में	117 नम्बर	4
शटल ठोकर में	117 नम्बर	2
वय ठोकर में	117 नम्बर	2
कपड़ा वाईडिंग रूल में	117 नम्बर	2
8. पैडीशल:-		
वियरिंग 340 में:	8 नम्बर	2
वियरिंग 330 में:	7 नम्बर	4
वियरिंग 325 में:	6 नम्बर	2
वियरिंग 117 में:	2 नम्बर	2
9. वुश वियरिंग 340 नम्बर में	8 नम्बर	2
10. गेयर-120 टी	15" डायमीटर	1
11. गेयर-60 टी	$7\frac{1}{2}$" डायमीटर	1
12. टेकअप मोशन सैट 3 गीयर वर्म		1
13. रूल पाईप:-	$1\frac{1}{2} \times 6$ फीट	1
14. तानी रोल	2 इंच x 6 फीट	1
15. पैडल एवं फुटरेस्ट:	$3\frac{1}{2}$ फीट $\times 1\frac{1}{4}$ इंच	2
16. किनारी लीवर कंवर 6 एम.एम.		2
17. वैण्ड प्लेट	15 इंच x 10 इंच	2
18. शटल सेटिंग	24 इंच x $1\frac{1}{2}$ इंच	2
शटल फैंक लीवर प्लास्टिक	4 इंच $\times 1\frac{1}{4}$ इंच	2
19. बुनाई पेटी लकड़ी	$7\frac{1}{2}$ फीट	1
20. ब्रेंक ब्रास	$1\frac{1}{4}$ इंच $\times 1\frac{1}{4}$ इंच	8
21. गन मेटल	$1\frac{1}{4}$ इंच $\times 1\frac{1}{4}$ इंच	6
22. ताणी तनाव पाईप एल्यूमिनियम	4 फीट	2
23. स्टेण्ड पाईप	1 इंच x 50 इंच	1
24. वार्वीन पेटी	1 फीट x 1 फीट	1
25. वैलेन्स व्हील	16 इंच डायमीटर	3

छठा अध्याय

खादी तकनीक का आर्थिक पक्ष : सर्वेक्षित संस्थाओं का विश्लेषण

पूर्व कताई प्रक्रिया

खादी में प्रयुक्त तकनीक के मूल्यांकन के लिए खादी तकनीक के आर्थिक पक्ष का विश्लेषण आवश्यक है। कामगारों की उत्पादन क्षमता, रोजगार तथा आय को वर्तमान तकनीक किस सीमा तक प्रभावित करती है, यह जानकारी हुए बिना वर्तमान खादी तकनीक में अपेक्षित सुधार एवं संशोधन के बारे में दी गई राय बेमानी रहेगी। इस अध्याय में सर्वेक्षित संस्थाओं से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

खादी का प्रश्न उठते ही सबसे पहले कताई पूर्व प्रक्रिया का सवाल आता है। कताई-पूर्व प्रक्रिया में कपास से रूई निकालना एवं रूई को कताई योग्य कच्चे माल (पूणी) में परिवर्तित करना मुख्य है। पहले कपास से रूई निकालने के काम में मानव श्रम लगता था। एक पुरूष या महिला कपास ओटनी पर दिनभर काम करते तो वह मुश्किल से दो से अढ़ाई किलो कपास ओट सकते थे। अब वह प्रक्रिया मशीन द्वारा की जाती है।

रूई निकालने के बाद की दूसरी प्रक्रिया है पूणी बनाना। देशी पूणी बनाने के लिए पहले रूई की पिंजाई होती है। एक जमाना था जब पिंजारा रूई की पिंजाई करता था और उसके परिणामस्वरूप बेलनी से पूणी बनाकर खादी संस्थाओं को पूणी की आपूर्ति करते थे, लेकिन अब पिंजाई का 99 प्रतिशत कार्य मशीन द्वारा किया जाता है। जो संस्थाएं देशी पूणी से मोटा सूत कातती हैं, उन्हें भी मशीन द्वारा रूई की पिंजाई पर आपत्ति नहीं है। पहले एक पिंजारा दिनभर में 8-10 किलो तक रूई पींज पाता था। अब एक छोटी पिंजाई मशीन भी 100 किलो तक रूई की पिंजाई आसानी से कर देती है। इस प्रकार एक पिंजाई मशीन ने 10-12 पिंजारों के रोजगार को प्रभावित किया है।

अम्बर पूणी के संदर्भ में भी तकनीक में काफी बदलाव आया है। पहले रूई से पट्टा बनाकर उसकी पिंजाई करके टेप बनाया जाता था और फिर टेप से एक कामगार महिला दिनभर

काम करके 7 किलो तक कच्ची पूणी वना लेती थी और एक दिन में कच्ची पूणी से 4 किलो तक पक्की पूणी वनाई जाती थी। अव सिम्पलैक्स मशीन के प्रयोग से एक इकाई एक दिन में 800 किलो तक पक्की पूणी वना लेती है। इस प्रकार जहां पहले तीन कामगार मिलकर 7-8 किलो पक्की पूणी वनाते थे अर्थात् 1 कामगार औसतन अढ़ाई किलो तक पूणी वना पाता था, वहां अव मशीन के प्रयोग से 10 व्यक्ति 800 किलो पक्की पूणी वना लेते हैं। इस प्रकार मशीन के प्रयोग से कामगार की कार्य क्षमता तो 25 गुनी वढ़ गयी है। लेकिन रोजगार संख्या में कमी आ गई है। हां, परम्परागत पद्धति की तुलना में एक कामगार की आमदनी करीव ढाई गुनी अधिक होती है।

सिम्पलैक्स मशीन के प्रयोग का दूसरा पहलू यह है कि इससे छोटी संस्थाओं की आश्रितता वढ़ी है, क्योंकि हर संस्था के लिए सिम्पलैक्स मशीन हेतु पूंजी निवेश कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा स्थान एवं मिस्त्री की कठिनाई भी रहती है। इसलिए वे अम्वर पूणी की आपूर्ति के लिए इस मशीन को लगाने वाली वड़ी संस्थाओं की ओर ताकती रहती हैं जो समय पर पूणी की आपूर्ति कर दें तो उनके अम्वर चरखे चलें और उसमें विलम्व हो जाये तो कत्तिनें पूणी के लिए मारी-मारी फिरती रहें। इसका सूत कताई की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ता है।

(क) कताई पूर्व की प्रक्रिया और रोजगार क्षमता—जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, नई तकनीक के प्रयोग से कताई पूर्व प्रक्रिया में आये वदलाव के कारण रोजगार क्षमता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिनिंग प्रेस, स्क्रेचर मशीन, कार्डिंग मशीन और टेप वनाने की सिम्पलेक्स मशीनों के प्रयोग से अव रोजगार क्षमता तुलनात्मक दृष्टि में लगभग 10 प्रतिशत रह गई है।

इसी प्रकार इस प्रक्रिया में पहले जिस सामाजिक एवं आर्थिक श्रृंखला के लोगों को रोजगार मिलता था, अव उनसे इतर श्रृंखला के लोगों को रोजगार मिलने लगा है। यथा कुशल मजदूर, शहरी परिपेक्ष में पले या रहे होते हैं और उच्च तथा मध्यम सामाजिक श्रृंखला से संवंधित लोग अव अधिक आने लगे हैं।

(ख) आय-परम्परागत ढंग से पूणी वनाने की प्रक्रिया में निम्न स्थिति थी-

क्र.सं.	प्रक्रिया विवरण	दिनभर में किया गया काम (तोल कि.ग्रा.में)	औसत दैनिक दर	दर प्र.कि.
1.	रूई पिंजाई	10	6.50	0.65
2.	पूणी वेलना	7	7.60	1.00
टेप से पूणी वनाने पर कामगारों की आय की निम्न स्थिति पाई गयी-				
1.	टेप से पूणी निर्माण	7 किलो	10.50	1.50
2.	कच्ची पूणी से पक्की पूणी वनाना	4 किलो	10.60	2.70

उपरोक्त तथ्य से यह दिशा संकेत मिलता है कि पूर्व वर्णित प्रक्रिया में अकुशल मजदूर काम कर लेते थे और उनकी औसत आय 6-7 रु.प्रतिदिन के वीच रहती थी, वहां अव यह कार्य अपेक्षाकृत कुशल मजदूर करने लगे हैं जिनकी औसत आय 10-11 रु.प्रतिदिन के वीच रहती है।

सिम्पलैक्स मशीन द्वारा पूणी वनाने की प्रक्रिया में होने वाली आय का विश्लेपण करें तो पाते हैं कि एक इकाई में जिसमें स्क्रेचर एवं कार्डिग मशीनें आदि भी शामिल हैं, लगभग 20 व्यक्ति कार्य करते हैं जिनका औसत मासिक वेतन 12 हजार रुपये के लगभग होता है। ये लोग एक दिन में औसत 800 किलो पूणी तैयार करते हैं, अर्थात महीने में 800 x 25 अर्थात् 20000 किलो इस प्रकार पूणी तैयार करने पर लगभग 60 पैसा प्रतिकिलो खर्च आता है अर्थात् एक किलो पूणी निर्माण पर होने वाले पूर्ववर्ती व्यय का लगभग 25 प्रतिशत। प्रति कामगार दैनिक मजदूरी दी जाती है, लगभग 20 रुपये प्रति कामगार-इस प्रकार पूर्ववर्ती वर्णित कामगारों को होने वाली आय की अपेक्षा इन मशीनों पर कार्यरत कामगारों को दुगुनी से तिगुनी तक आय हो जाती है।

पोलिस्टर पूणी निर्माण के सिलसिले में वस्सी समिति के वांसखो केन्द्र में हमने जो अध्ययन किया, उससे निम्न तथ्य सामने आये:

खादी कमीशन द्वारा स्वीकृत कास्ट चार्ट के अनुसार सुधरे विजली एवं हस्तचालित यंत्रों पर रूई से कार्ड टेप वनाने की दर 40 पैसा और फाइनल टेप वनाने की दर 60 पैसा प्रतिकिलो है।

तालिका संख्या 6:1

पोलिस्टर पूणी निर्माण 1986-87

क्र.सं.	*पोलिस्टर पूणी वनाने वाली का नाम*	*जातीय संदर्भ*	*वर्ष में सकल आय*	*औसत दैनिक आय (काम के दिन वर्ष में 300)*	*विशेष*
1.	श्रीमती गुलाव नाना राम कोली	(अनु.)	2400	8.00	सामान्य: सभी कामगार महिलाएं पूर्ण कालिक हैं।
2.	श्रीमती केशर वावूलाल कोली	(अनु.)	2400	8.00	
3.	श्रीमती रुकमणी कानाराम कोली	(अनु.जन.)	1500	5.00	
4.	श्रीमती गुलाव पत्नी वावू खां	(अ.सं.स.मु.)	1800	6.00	
5.	श्रीमती संतोष भौरीलाल माली	(सवर्ण)	2000	6.67	
	योग		10100	6.73	

* वर्ष 1987-88 की तुलना में 1993 में आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हमने लोक भारती समिति,शिवदासपुरा में भी अम्बर पूणी एवं देशी पूणी निर्माण से होने वाली आय का एक अन्य विस्तृत अध्ययन किया था,उसमें कामगारों की संख्या अधिक थी और आंशिक एवं पूर्णकालीन सभी प्रकार के कामगार शामिल थे इसलिए उस अध्ययन के निष्कर्ष वास्तविकता के अधिक नजदीक माने जा सकते हैं।

तालिकाओं के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्तमान संदर्भ में पूणी बनाने वालियों में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित महिलाओं का प्राधान्य है और उनमें जो कामगार महिलाएं पूर्णकालिक रोजगार करती हैं,उनकी औसत आय लगभग 7.00 रु.प्रतिदिन है,जबकि अपनी सुविधानुसार फुरसत के समय पूणी बनाने का कार्य करने वाली कामगार महिलाओं की औसत आय लगभग चार-साढ़े चार रुपये प्रति कार्य दिवस है। लेकिन यह देशी पूणी बनाने वाले कामगारों की वास्तविक आय नहीं मानी जा सकती क्योंकि उनके पारिश्रमिक में पिंजाई भी शामिल है। 724 किलो देशी पूणी बेलने वाली कामगार को पूणी बेलने की वास्तविक अधिकतम मजदूरी मात्र 618 रु.मिली होगी क्योंकि पिंजाई की प्रति किलो मजदूरी 1 रु.से कम नहीं होती,इसलिए पिंजाई पर हुए व्यय को बाद करके आय को देखें तो एक कामगार महिला को प्रति कार्य दिवस लगभग 2 रु.ही मजदूरी मिली है।

तालिका संख्या 6:2

(क) अम्बर पूणी निर्माण से आय की स्थिति

नमूने का विश्लेषण

क्र.सं.	*संस्था का नाम*	*केन्द्र*	*पूणी बनाने वाली (सं.)*	*सकल तौल (कि.)*	*प्रति बेलने वाली औ. तौल*	*सकल आय (रु.)*	*प्रति बेलने वाली औसत आय (रु.)*
1.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	चाकसू	13	7716	594	13118	1009
		कोटखावदा	9	7640	849	15059	1673
	योग		22	15356	698	28177	1281
(ख) देशी निर्माण से आय							
1.	लोकभारती समिति, शिवदासपुरा		1	724	724	1342	1342

कताई

सूती अम्बर, पोलिस्टर एवं ऊनी कताई साधनों की उत्पादकता - (वजन में)

हमने सर्वेक्षित संस्थाओं में 954 कत्तिनों द्वारा प्रयुक्त कताई साधनों और विभिन्न साधनों द्वारा काते गये सूत की मात्रा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया है।

तालिका संख्या 6:3 सर्वेक्षित कत्तिनों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के कताई यंत्रों,उनके

द्वारा काते गये सूत की मात्रा तथा प्रति कताई संयंत्र औसत उत्पादन आदि की स्थिति स्पष्ट करती है-

तालिका संख्या 6:3

कताई साधन एवं प्रति कताई संयत्र औसत कताई

क्र.सं.	*साधन के प्रकार*	*चरखों की संख्या*	*तौल की मात्रा (86-87 वर्ष)*	*प्रति चर्खा वार्षिक उत्पादन (किलो ग्रा. में)*
1.	परम्परागत चर्खा (सूती)	203	6772.500	33.885
2.	अम्बर चर्खा दो तकुआ (सूती)	35	892	25.486
3.	अम्बर चर्खा 6 तकुआ (पौलि.)	37	2213	59.811
4.	अम्बर चर्खा 6 तकुआ (सूती)	175	14261.500	81.494
5.	परम्परागत चर्खा (ऊनी)	500	15280.500	30.561
6.	ऊनी अम्बर	4	55.500	13.875
		954	39475	41.378

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि न्यू मॉडल 6 तकुआ चरखे से कत्तिनों ने प्रति कत्तिन साल भर में औसतन 81 किलो 494 ग्राम सूत काता है और 59 किलो 811 ग्राम पोलिस्टर धागा। दो तकुआ चरखे का प्रचलन घटा है क्योंकि दो तकुआ चरखे चलाने वाली कत्तिनें, 6 तकुआ अम्बर के मुकावले में ही नहीं परन्तु परम्परागत चरखे के मुकावले में भी, उसे तरजीह नहीं देती। परम्परागत चरखे से काते गये सूत की औसत मात्रा 33 किलो 855 ग्राम रही है जो दो तकुआ अंवर की अपेक्षा लगभग 30 प्रतिशत अधिक है।

ऊनी अंवर भी अभी व्यापक नहीं हो पाया है। परम्परागत ऊनी चरखों से ऊन कताई का वार्षिक औसत 30 किलो 561 ग्राम आया है जब कि ऊनी अम्बर का मात्र 13 किलो 875 ग्राम। इसका मुख्य कारण सर्वेक्षित संस्थाओं द्वारा अम्बर चरखे के प्रति उदासीनता रही है। यह नीचे की तालिका से स्पष्ट हो सकता है जो हमने वस्सी समिति द्वारा संचालित ऊनी अम्बर कताई केन्द्र और रणपुर स्थित केन्द्र पर कताई कार्य में प्रयुक्त चार तकुआ ऊनी अम्बर का संचालन देखकर तैयार की है-

तालिका संख्या 6:4

एक दिन में 4 तकुआ अम्बर द्वारा ऊन कताई

क्र.सं.	*संस्था का नाम*	*कत्तिन सं.*	*काते गये सकल ऊन धागे की मात्रा*	*औसत कत्तिन ऊनी धागा*	*औसत आय प्रति कत्तिन (रु.)*
1.	खादी ग्राम विकास समिति, वस्सी	4	34 गुंडी	8.5 गुंडी	8.50
2.	मानपाल खा.ग्रा.सं., रणपुर	4	50 गुंडी	12.5 गुंडी	12.43

उक्त तालिका दर्शाती है कि जहां 4 तकुआ अम्बर द्वारा ऊन की कताई व्यवस्थापकों द्वारा दिलचस्पी के साथ कराई जाती है,वहाँ अधिक मात्रा में ऊन काता जाता है। जयपुर जिले का माधोगढ़ केन्द्र नया केन्द्र है और वहां हाल ही में शेड में चार तकुआ अम्बर चालू किया गया है,लेकिन फिर भी प्रति कत्तिन औसत कताई की मात्रा संतोषजनक है। राणपुर के शेड में चार तकुआ अम्बर चलते हुए कई साल हो गये हैं और वहां नियमित रूप से 8 घन्टे काम चलता है। इसलिए वहां प्रति कत्तिन औसत कताई एवं आय माधोगढ़ की तुलना में लगभग डेढ़गुनी ज्यादा है।

अव हम फिर हमारे द्वारा किये गये सर्वेक्षण पर आते हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न संस्थाओं में जो 203 परम्परागत चर्खे चल रहे हैं,उनके द्वारा काते गये सूत की सकल मात्रा एवं औसत (प्रति चरखा) तालिका संख्या 6:5 से स्पष्ट हो सकती है-

तालिका संख्या 6:5

सूत कताई और परम्परागत चर्खे की उत्पादकता

(किलो)

क्र.सं.	*संस्था का नाम*	*केन्द्र*	*चरखों की संख्या*	*काते हुए सूत की मात्रा*	*प्रति चर्खा काते गये सूत की मात्रा*
1.	खादी ग्रा. सघन विकास समिति	बस्सी	20	575	28.750
2.	राज.खादी वि.मंडल, गोविन्दगढ़	बांसा एवं गोविन्दगढ़	54	1106	20.481
3.	राज.आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	सेमारी (उदयपुर)	25	2117.500	84.700 परिवार के अन्य सदस्यों के साथ
4.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	कोटखावदा	20	749.500	37.475
		चाकसू	10	1329	132.900 परिवार के साथ
5.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	चौमूं	74	896.500	12.115
		योग	203	6773.500	33.367

उक्त तालिका एक तो यह स्थिति स्पष्ट करती है कि जिस क्षेत्र एवं जिस वर्ग में ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी है,वहां महिलाएं कताई द्वारा आमदनी करके परिवार के पालन-पोषण में महत्वपूर्ण योग देती है और उन्नत कताई साधन न मिलने पर परम्परागत चरखों पर ही काम करती हैं। इस तालिका से यह स्पष्ट है कि संस्थाएं एक सीमा तक ही कताई के लिए उन्नत चरखे उपलब्ध करा पाती हैं। ऐसा लगता है कि पूंजी के अभाव में चाहते हुए भी वे गरीबों का अधिक हित साधन नहीं कर सकती।

अम्बर के प्रचलन के बाद राजस्थान में सबसे पहले दो तकुआ अम्बर चले थे। हमारे सर्वेक्षण में दो तकुआ अम्बर पर कताई करने वाली संस्थाओं में दो खादी संस्थाएं ही आई हैं। इनमें राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़ के बांसा केन्द्र की 15 और सीकर जिला खादी ग्रामोद्योग परिषद, रींगस के दिवराला केन्द्र की 20 सर्वेक्षित कत्तिनों ने 1986-87 के वर्ष में कुल मिलाकर 892 किलो ग्राम सूत काता है-प्रति कत्तिन सूत की मात्रा 25 किलो 486 ग्राम आती है। (तालिका संख्या 6:6)

तालिका संख्या 6:6

दो तकुआ अम्बर द्वारा सूत कताई

क्र.सं.	*संस्था का नाम*	*केन्द्र*	*चर्खों की संख्या*	*काते गये सकल सूत की मात्रा (कि.)*	*वार्षिक औ. कताई प्रति चरखा (कि.)*
1.	सीकर जिला खादी ग्रा.समिति, रींगस	दिवराला	20	573	28.650
2.	राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	बांसा	15	319	21.267
	योग		35	892	25.486

इस तालिका से यह संकेत मिलता है कि कत्तिनें दो तकुआ अम्बर की पूरी उत्पादन क्षमता का लाभ नहीं लेती। इसका एक कारण समय पर अम्बर पूणी की आपूर्ति न होना भी हो सकता है। वैसे दो तकुआ अम्बर से परम्परागत चरखे की तुलना में औसतन दुगुना सूत काता जा सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं है। पूछताछ के दौरान यह देखने में आया कि दो तकुआ अम्बर चलाने वाली प्रायः सभी महिलाएं ऐसी हैं जिनको घर गृहस्थी के झंझट से अधिक फुरसत नहीं मिल पाती और जैसा कि इन संस्थाओं के मंत्रियों ने बताया, वे हाथ खर्चे के लिए ही कताई करती हैं। परिवार के भरण पोषण में कताई से होने वाली आय का अंश नगण्य है।

छः तकुआ की क्षमता की झलक तालिका संख्या 6:7 एवं 6:8 से मिल सकती है। सर्वेक्षण में आये 6 तकुआ अम्बर चरखों की संख्या 212 है जिनमें 37 पर पोलिस्टर की कताई होती है और 175 पर सूत की।

6 तकुआ अम्बर की कार्य क्षमता नीचे दी जा रही तालिका से अधिक स्पष्टता के साथ आंकी जा सकती है:

तालिका संख्या 6:7

6 तकुआ अम्बर से पोलिस्टर कताई

क्र.सं.	संस्था का नाम	केन्द्र	चरखों की संख्या	काते हुए सूत की मात्रा (कि.)	प्रति चर्खा काते गये सूत की मात्रा (कि.)
1.	खादी ग्रा. सघन विकास समिति	बस्सी	30	2072	69.007
2.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	चाकसू	7	141	20.143
	योग		37	2213	59.811

तालिका संख्या 6:8

6 तकुआ अम्बर से सूत कताई

क्र.सं.	संस्था का नाम	केन्द्र	चरखों की संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	प्रति चर्खा काते गये सूत की मात्रा
1.	खादी ग्रा.सघन विकास समिति,	बस्सी	30	1392	46.400
	बस्सी (जयपुर)	बांसखो	20	2269.500	113.475
2.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस (सीकर)	दिवराला	23	1650	71.739
3.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	सेमारी (उदयपुर)	18	917	50.944
4.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	कोटखावदा	30	3817	127.233
	(जयपुर)	(शेड) चाकसू	24	1674	69.750
		चाकसू (घर)	80	2542	84.733
	योग		175	14261.500	81.494

तालिका संख्या 6:7 दर्शाती है कि पोलिस्टर कताई के संदर्भ में बस्सी (जयपुर) में 6 तकुआ अम्बर की क्षमता का अधिक उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार तालिका संख्या 6:8 यह संकेत देती है कि घर पर भी शेड की तुलना में कताई यंत्रों का अधिक उपयोग किया जा सकता है। कोटखावदा तथा बांसखो (जयपुर जिला) दोनों केन्द्रों में कत्तिनों ने वर्ष भर में क्रमशः 127 किलो 233 ग्राम और 113 किलो 475 ग्राम कताई करके 6 तकुआ अम्बर की कार्य क्षमता का स्पष्ट चित्र पेश किया है। परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग भी मिलता था।

चाकसू में शेड में बैठकर कत्तिनों ने 6 तकुआ अम्बर पर कताई की है, लेकिन वहां प्रति चर्खा कताई की औसत मात्रा 69 किलो 750 ग्राम मात्र रही है। इसका मुख्य कारण हमें यह दिखाई दिया कि घर गृहस्थी के काम में व्यस्त रहने के कारण कत्तिनें शेड में आकर नियमित और काम नहीं कर पायी। दूसरे घर पर अम्बर चरखा अधिक देर तक चलाया जाना संभव था

क्योंकि कत्तिन के परिवार की अन्य महिला सदस्य भी कताई में योग देती रहती थी,जबकि शेड में यह संभव नहीं था। इसके अलावा शेड तक आने-जाने में व्यय होने वाला समय घर पर ही कताई करने के लिए काम आ सकता था।

इन तालिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट हो सकता है कि कताई संयंत्र की उत्पादन क्षमता काते गये सूत की मात्रा को पूर्णत: प्रभावित नहीं करती। यह एक सीमा तक कत्तिन की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और फुरसत के समय पर निर्भर करता है कि वह कताई संयत्र का किस सीमा तक लाभ ले पाती हैं। इसी प्रकार कताई से होने वाली आय एक बड़ी सीमा तक कत्तिन की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं।

तालिका संख्या 6:9

(क) परम्परागत ऊनी चरखे की उत्पादकता

(मात्रा-किलोग्राम में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	केन्द्र	चरखों की संख्या	काते गये ऊन की मात्रा (86-87 का वर्ष)	प्रति चरखा काते गये ऊन की औ.मात्रा
1.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	बीकानेर	100	1973.500	19.735
2.	सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	सुरधना	80	1680	21.000
3.	खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी	जयपुर	113	3744	33.133
4.	सीकर जिला खादी ग्रा.समिति, रींगस	रींगस	29	1053	36.310
5.	राजस्थान खादी विकास मंडल	गोविन्दगढ़	33	1843	55.848
6.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ,	सेमारी	30	1598	53.267
	जयपुर	ऋषभदेव	30	1232	41.067
7.	नागौर जिला खादी ग्रा.संघ, नागौर	नागौर	85	1357	15.965
	योग		500	14480.500	28.961
(ख) ऊनी अम्बर की उत्पादकता					
1.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस (सीकर)	रींगस	4	55.500	13.875

राजस्थान में सूती खादी की तुलना में ऊनी खादी का काम अधिक होता है। इसका एक कारण तो राजस्थान में ऊन का उत्पादन अधिक होना है और दूसरा कारण ऊनी काम में अधिक आय की गुंजाइश होना है। लेकिन एक बड़ी सीमा तक ऊन कताई के लिए राजस्थान अभी भी परम्परागत चरखों पर ही निर्भर है और ऊन कताई के लिए बनाये गये चार तकुआ,6 तकुआ अथवा 12 तकुआ अम्बर का प्रयोग अभी यहां व्यापक नहीं हो पाया है। कई संस्थाओं ने उन्नत चरखे मंगाये तो हैं,पर प्राय:उनके गोदामों की ही शोभा बढ़ा रहे हैं। हमें ऐसा महसूस हुआ कि

ऊन का कताई के लिए पूरी निष्ठा के साथ उपयोग नहीं किया जाता। तालिका संख्या 6:9 से स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है।

यह तालिका दर्शाती है कि ऊन कताई के लिए प्रयुक्त 504 चरखों में 500 परम्परागत चरखे हैं और उनकी औसत वार्षिक उत्पादन क्षमता मात्र 28 किलो 961 ग्राम रही है। अधिकतम उत्पादन राजस्थान खादी विकास मंडल द्वारा बताया गया है जो 55 किलो 848 ग्राम है। दूसरा स्थान राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ द्वारा संचालित उदयपुर जिले के दो केन्द्रों, सेमारी और ऋषभदेव का रहा है। ऊन के लिए विख्यात बीकानेर की प्रमुख ऊनी खादी उत्पादक संस्था खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान,के अन्तर्गत चल रहे 100 परम्परागत चरखों ने 19 किलो 735 ग्राम का औसत ऊनी धागा उत्पादन बताया है और नागौर में तो यह केवल 15 किलो 965 ग्राम है। बीकानेर जिले की ही दूसरी संस्था ऊनी खादी उत्पादन सहकारी समिति, सुरधना में परम्परागत चरखों द्वारा औसत 21 किलोग्राम ऊनी धागा काता गया है।

चार तकुआ ऊनी अम्बर के प्रति उदासीनता की झलक रींगस में किये गये चार कत्तिनों के सर्वेक्षण परिणामों से भी मिल सकती है जहां औसत उत्पादन परम्परागत चरखे से भी कम रहा है। इसका मुख्य कारण कत्तिनों को मार्ग दर्शन एवं प्रोत्साहन का अभाव दिखाई देता है। चार तकुआ ऊनी चरखे की उत्पादन की व्यापक संभावनाओं की झलक राणपुर में एवं माधोगढ़ क्षेत्र में किये गये हमारे सर्वेक्षण से मिल सकती है जिसका ऊपर संकेत किया जा चुका है।

सामाजिक परिवेश एवं कताई के साधन

विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत सर्वेक्षित कत्तिनों की संख्या 954 है जिनका सामाजिक संदर्भ तालिका संख्या 6:10 से ज्ञात होता है:

तालिका संख्या 6:10

सामाजिक श्रेणी एवं यंत्र के अनुसार सर्वेक्षित कत्तिन

क्र.सं.	यंत्र का नाम	अनु.जति एवं जन जातियां	अल्पसंख्यक समुदाय	सवर्ण जातियां एवं अन्य	योग
1.	सूती (परम्परागत चरखा)	7	34	162	203
2.	सूती 2 तकुआ अम्बर चरखा	13	-	22	35
3.	सूती (अम्बर 6 तकुआ)	59	16	100	175
4.	पोलिस्टर (6 तकुआ अम्बर)	17	2	18	37
5.	ऊनी (परम्परागत चरखा)	224	103	173	500
6.	ऊनी अम्बर	-	-	4	4
	योग	320	155	479	954
	प्रतिशत	(33.54)	(16.25)	(50.21)	(100.00)

उक्त तालिका से पता चलता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की सर्वेक्षित 320 कत्तिनों में 231 अर्थात् लगभग 72 प्रतिशत परम्परागत चरखे चलाती हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की कुल 155 कत्तिनों में 137 अर्थात् 88 प्रतिशत परम्परागत चरखे चलाती हैं, जबकि परम्परागत चरखे चलाने वाली सवर्ण कत्तिनों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है, 70 प्रतिशत के लगभग। इस प्रकार उन्नत चरखों के उपयोग की दृष्टि से अनुसूचित जातियां, जन जातियां एवं अल्पसंख्यक समुदाय की कत्तिनें बेहतर स्थिति में नहीं हैं।

इस तालिका से यह ज्ञात हो सकता है कि सर्वेक्षित 703 कत्तिनें (लगभग 74 प्रतिशत) परम्परागत चरखे का उपयोग करती हैं जिसके कारण कताई से उन्हें जितनी आय होने की गुंजाइश है, उतनी आय नहीं हो पाती।

विभिन्न सामाजिक श्रेणी वाली कत्तिनों द्वारा किन-किन प्रकार के कताई साधनों द्वारा कितना सूत कता, ऊन काती गयी, प्रति कत्तिन परिवार साल भर में औसतन कितना सूत कता, सूत कातने में कितने घंटे लगे और सूत-ऊन कताई के लिए सालभर में प्रति परिवार औसत कितने घन्टे लगे, इसकी जानकारी संबद्ध तालिका में देखी जा सकती है।

तालिका संख्या 6:11 दर्शाती है कि परम्परागत चरखे पर कताई में सबसे अधिक समय अल्पसंख्यक समुदाय की कत्तिनों ने लगाया है-

सालभर में 3198 घंटे अर्थात उन्होंने पूर्णकालिक कत्तिन के रूप में काम किया है। साथ ही परिवार की अन्य महिला सदस्यों ने भी इस कार्य में योग दिया है। इस दृष्टि से दूसरा स्थान अनुसूचित जाति एवं जन जाति की कत्तिनों का रहा है। दो तकुओं अंबर में स्थिति बदल गयी है। अल्प संख्यक वर्ग से संबंधित किसी भी सर्वेक्षित कत्तिन के पास दो तकुआ अम्बर नहीं है लेकिन अनुसूचित जाति। जनजाति एवं सवर्ण वर्ग की जिन कत्तिनों ने दो तकुआ अम्बर पर सूत काता है, उन्होंने प्रति दिन औसतन 2 घंटे का समय कताई में लगाया है।

6 तकुआ अम्बर से पोलिस्टर कताई में अल्प संख्यक एवं अनुसूचित जाति जन जाति दोनों श्रेणी की कत्तिनों ने सालभर में औसतन क्रमशः 1139 एवं 1233 घंटे सूत काता है। लेकिन सवर्ण कत्तिनों ने उनसे लगभग दो तिहाई समय ही कताई में लगाया है। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कत्तिनों द्वारा कताई में लगाये समय की मात्रा में भी बहुत भिन्नता है। बस्सी समिति में तीनों श्रेणियों ने औसतन वर्ष में 1000 घंटे से अधिक कताई की है जबकि लोक भारती समिति में सवर्ण वर्ग की कत्तिनों में मात्र 163 घंटे।

6 तकुआ सूती अम्बर भी अल्प संख्यक एवं अनुसूचित जाति वर्ग की कत्तिनों ने अधिक समय तक चलाया है। इसका कारण उन वर्गों की कत्तिनों की विषम आर्थिक परिस्थिति और अन्य प्रकार के रोजगार स्रोतों का अभाव रहा लगता है।

अल्प संख्यक वर्ग की कत्तिनों ने परम्परागत ऊन कताई में भी अधिक समय लगाया है। सालभर में औसतन 977 घंटे, लेकिन इसमें भी संस्थागत भिन्नता है। राजस्थान खादी विकास

तालिका संख्या 6:11

सामाजिक श्रेणी, परम्परागत चरखा और सूत कताई की स्थिति

- संख्या

- मात्रा

क्र.सं.	संस्था का नाम	अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग				अल्पसंख्यक वर्ग				सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग			
		परिवार संख्या	काते गये सूत की मात्रा	कितने घंटे सूत काती	प्रति परिवार कताई	परिवार संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	कितने घंटे कताई की	प्रति परिवार कताई	परिवार संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	कितने घंटे कताई की	प्रति परिवार कताई
1.	खादी ग्रा. शासन विकास समिति, बस्सी	-	-	-	-	-	-	-	-	20	575	18400	920
2.	राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	6	160	5136	856	-	-	-	-	48	945	30256	630
3.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	1	10	320	320	24	2107	67440	2810*	-	-	-	-
4.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	-	-	-	-	9	1270	40640	4516*	21	808	25872	1232
5.	राजस्थान खादी संघ, चौमू	-	-	-	-	1	20	640	640*	73	876	28048	384
	योग	7	170	5456	779	34	3397	108720	3198*	162	3205	102576	633

* नोट - परिवार के अन्य सदस्य भी इस कार्य में मदद करते हैं।

तालिका संख्या 6:12

2 तकुआ अम्बर चरखों से सूत कताई

क्र.सं.	संस्था का नाम	अनुसूचित जाति एवं जन जाति				अल्प संख्यक वर्ग				सवर्ण जाति एवं अन्य जाति वर्ग			
		परिवार संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	कितने घंटे सूत काता	परिवार ने कितने घंटे सूत काता	परिवार संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	कितने घंटे सूत काता	परिवार कताई की औ.अवधि	परिवार संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	कितने घंटे सूत काता	प्रति परिवार औ.कताई
1.	सीकर जिला खादी ग्रा.समिति, रींगस	3	88	2200	733	-	-	-	-	17	485	12125	713
2.	रा.खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	10	253	6325	633	-	-	-	-	5	66	1650	330
	योग	13	341	8525	656	-	-	-	-	22	551	13775	626

तालिका संख्या 6:13

6 तकुआ अम्बर चरखा और पोलिस्टर कताई

(मात्रा किलो में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	अनुसूचित जाति एवं जन जाति				अल्प संख्यक वर्ग				सवर्ण जाति एवं अन्य जाति वर्ग			
		परिवार संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	कितने घंटे सूत काता	परिवार ने कितने घंटे सूत काता	परिवार संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	कितने घंटे सूत काता	परिवार कताई की औ.अवधि	परिवार संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	कितने घंटे सूत काता	प्रति परिवार औ.कताई
1.	खादी ग्रामो. भवन विकास समिति, बग्गी (जयपुर)	16	1198	20336	1271	1	78	1326	1326	13	796	13532	1041
2.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	1	37	629	629	1	56	952	952	5	48	815	163
	योग	17	1235	20965	1233	2	134	2278	1139	18	844	14348	797

तालिका संख्या 6:14

6 तकुआ अम्बर चरखों से सूती कताई की मात्रा

क्र.सं.	संस्था का नाम	अनुसूचित जाति एवं जनजाति (वर्ग)				अल्प संख्यक वर्ग				सवर्ण जाति एवं अन्य जाति वर्ग			
		परिवार संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	कितने घंटे सूत काता	परिवार ने कितने घंटे सूत काता	परिवार संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	कितने घंटे सूत काता	परिवार कताई की औ.अवधि	परिवार संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	कितने घंटे सूत काता	प्रति परिवार औ.कताई
1.	खादी ग्रा.सघन विकास समिति, बस्सी (जयपुर)	29	2635.5	42168	1454	-	-	-	-	21	1026	16416	782
2.	सीकर जिला खादी ग्रा.समिति, रींगस (सीकर)	18	1198	19168	1065	-	-	-	-	5	452	7232	1446
3.	राज.आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	3	81	1296	432	-	-	-	-	15	836	13376	892
4.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	9	1069	17088	1899	16	1430	22880	1430	59	5534	88544	1501
	योग	59	4983.5	79720	1351	16	1430	22880	1430	100	7848	125588	1256

तालिका संख्या 6:15

परम्परागत चरखों से ऊन कताई

क्र.सं.	संस्था का नाम	अनुसूचित जाति एवं जनजाति (वर्ग)				अल्प संख्यक वर्ग				सवर्ण जाति एवं अन्य जाति वर्ग			
		परिवार संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	कितने घंटे सूत काता	प्रति परिवार कितने घंटे सूत कताई की	परिवार संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	कितने घंटे सूत कताई की	प्रति परिवार कितने घंटे सूत कताई की	परिवार संख्या	काते हुए सूत की मात्रा	कितने घंटे सूत काता	प्रति परिवार कताई की
1.	खादी ग्रा. प्रतिष्ठान, बीकानेर	84	1655	49590	590	3	45	1365	455	13	273	8190	630
2.	सुराणा खादी ग्रामो. समिति, सुराणा	39	862	25875	663	-	-	-	-	41	817	24525	598
3.	खादी प्रयत्न क्षेत्र विकास समिति, बस्सी	14	383	11490	821	88	2988	89640	1019	11	373	11190	1008
4.	सीकर जिला खादी ग्रा. परिषद्, रींगस	4	94	2820	705	-	-	-	-	25	959	28770	1151
5.	रा. खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	5	240	7200	1440	5	173	5190	1038	23	1430	42900	1865
6.	रा. आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	54	2528	75840	1404	-	-	-	-	6	302	9060	1510
7.	नागौर जिला खादी ग्रा. संघ, नागौर	24	384	11520	480	7	148	4440	634	54	825	24750	458
	योग	224	6146	184335	823	103	3354	100635	977	173	4979	149385	863

मंडल और राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ से संबंधित अनुसूचित जाति । जन जाति वर्ग की क्रत्तिनों ने जहां सालभर में औसतन क्रमशः1440 एवं 1404 घंटे काम किया है, वहीं नागौर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ से संबंधित कत्तिनों ने मात्र 480 घंटे । इसी प्रकार जहां बस्सी समिति से संबंधित अल्प संख्यक वर्ग की कत्तिनों ने सालभर में 1019 घंटे और राजस्थान विकास मंडल से संबंधित ने 1038 घंटे औसत ऊन कताई की है, वहीं खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान बीकानेर से संबंधित कत्तिनों ने केवल मात्र 455 घंटे । इससे यह भी संकेत मिलता है कि बीकानेर क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय की महत्वपूर्ण स्थिति के बावजूद कताई के लिए उतना समय नहीं मिलता जितना राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में मिलता है । सवर्ण वर्ग की कत्तिनों में भी राजस्थान विकास मंडल, गोविन्दगढ़ और राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, से संबंधित कत्तिनों ने क्रमशः 1865 एवं 1510 घंटे कताई की बतायी है जो अन्य संस्थाओं से संबंधित कत्तिनों की तुलना में काफी अधिक है ।

वर्ष भर में विभिन्न सामाजिक श्रृंखला में आने वाले सर्वेक्षित कत्तिन परिवारों ने औसतन कितनी कताई की है, उसकी संस्था वार जानकारी संग्रहीत की गयी है । विभिन्न सामाजिक श्रृंखलाओं में पड़ने वाली कत्तिनों ने परम्परागत चरखे से सालभर में औसतन कितना सूत काता है, यह भी तालिका संख्या 6:16 से स्पष्ट हो सकता है ।

तालिका संख्या 6:16

सामाजिक श्रेणी और प्रति परिवार परम्परागत चरखों से सूत कताई (कि.ग्रा.)

क्र.सं.	*संस्था का नाम*	*अनुसूचित जाति एवं जनजाति*	*अल्प संख्यक वर्ग*	*सवर्ण जाति वर्ग*	*योग*
1.	राजस्थान खादी ग्रा.स.वि.समिति, बस्सी	-	-	28.750	28.750
2.	राज. खादी वि. मंडल, गोविन्दगढ़	26.750	-	19.880	20.481
3.	राज. आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	10.000	87.896*	-	84.700*
4.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	-	141.111*	38.500	69.283*
5.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	-	20.000	12.007	12.115
	औसत	24.357	99.926	27.917	33.367

* परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ।

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ से संबंधित कत्तिनों ने परम्परागत चर्खे से सर्वाधिक मात्रा में सूत काता है-प्रति कत्तिन 84 किलो 300 ग्राम । दूसरा स्थान लोक भारती समिति, शिवदासपुरा से संबंधित कत्तिनों का रहा है जबकि राजस्थान खादी संघ, चौमूं से संबंधित कत्तिनों ने मात्र 12 किलो 115 ग्राम का औसत दिया है । दूसरी बात यह है कि अल्प संख्यक समुदाय की कत्तिनों का परम्परागत चरखे से सूत कताई में महत्वपूर्ण स्थान पाया गया है । लोक भारती समिति में प्रति अल्प संख्यक कत्तिन परिवार औसत वार्षिक कताई

141 किलो 111 ग्राम रही है तो आदिम जाति सेवक संघ,की कत्तिन परिवारों का 87 किलो 896 ग्राम ।

विभिन्न सामाजिक श्रृंखलाओं से संबंधित कत्तिनों ने दो तकुआ अम्बर द्वारा जो सूत कताई की है,उसमें विशेष अन्तर नहीं है । सभी सामाजिक श्रृंखलाओं में वर्षभर में काते गये सूत का प्रति परिवार औसत 25-26 किलो रहा है । (देखें तालिका संख्या 6:17)

तालिका संख्या 6:17 (क)

दो तकुआ अम्बर द्वारा प्रति परिवार सूत कताई

(किलोग्राम में)

क्र.सं.	*संस्था का नाम*	*अनु.जाति एवं जनजाति*	*अल्प संख्यक वर्ग*	*सवर्ण एवं अन्य जाति*	*योग*
1.	सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति, रींगस (सीकर)	29.833	-	28.529	28.650
2.	राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	25.300	-	13.200	21.267
	औसत	26.231	-	25.045	25.486

तालिका संख्या 6:17 (ख)

अंबर पोलिस्टर - 6 तकुआ

क्र.सं.	*संस्था का नाम*	*अनु.जाति एवं जनजाति*	*अल्प संख्यक वर्ग*	*सवर्ण एव अन्य जाति*	*योग*
1.	खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी	74.875	78.000	61.231	69.069
2.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	37.000	56.000	9.600	20.143
	औसत	72.647	67.000	46.889	59.811

तालिका संख्या 6:17 दर्शाती है कि 6 तकुआ अम्बर से जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्प संख्यक वर्ग से संबंधित कत्तिनों ने बस्सी क्षेत्र में क्रमश: 74.875 और 78 किलोग्राम पोलिस्टर धागा काता है,वहीं लोक भारती समिति के अन्तर्गत सवर्ण कत्तिन परिवारों में यह औसत मात्र 9 किलो 600 ग्राम रहा है । समग्र दृष्टि से देखें तो अनुसूचित जाति,जन जाति से संबंधित कत्तिनों ने औसतन प्रति कत्तिन 72 किलो 647 ग्राम पोलिस्टर धागा काता है जबकि सवर्ण वर्ग से संबंधित कत्तिनों ने 46 किलो 889 ग्राम ।

तालिका संख्या 6:18

6 तकुआ अम्बर द्वारा प्रति परिवार औसत वार्षिक सूत कताई

(सूत की मात्रा कि.ग्रा. में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	अनु.जाति एवं जनजाति	अल्पसंख्यक वर्ग	सवर्ण एवं अन्य जाति	योग
1.	खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति, बस्सी	90.879	-	48.857	73.230
2.	सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति, रींगस	66.556	-	90.400	71.739
3.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	27.000	-	55.733	50.944
4.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	118.710	89.375	93.797	95.631
	औसत	84.467	89.375	78.480	81.494

6 तकुआ अम्बर से कताई में भी अल्प संख्यक वर्ग की कत्तिनों का योगदान अपेक्षाकृत ज्यादा है। प्रति कत्तिन साल का औसत 89 किलो 375 ग्राम सूत। अनु.जाति/जनजाति परिवारों का यह औसत 84 किलो 467 ग्राम आया है, लेकिन सवर्ण जाति से संबंधित कत्तिनों का यह औसत 78 किलो 480 ग्राम है। सभी सामाजिक श्रृंखलाओं से संबंधित कत्तिनों ने 6 तकुआ अम्बर से अधिक सूत काता है। लोक भारती समिति, शिवदासपुरा से संबंधित अनुसूचित जाति-जनजाति परिवारों का औसत उत्पादन 118 किलो 710 ग्राम रहा है और सभी कत्तिनों का समग्र दृष्टि से देखने पर 95 किलो 631 ग्राम औसत उत्पादन निकलता है।

तालिका संख्या 6:19

परम्परागत चरखे से ऊन कताई (प्रति कत्तिन परिवार वार्षिक औसत)

(कि.ग्रा. में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	सवर्ण एवं अन्य जाति	अल्प संख्यक वर्ग	अनु.जाति जनजाति	योग
1.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	21.000	15.167	19.702	19.735
2.	सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	19.339	-	22.715	21.000
3.	खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति, बस्सी	33.309	33.955	27.357	33.133
4.	सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति, रींगस	38.360	-	23.509	36.310
5.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	50.333	-	46.815	47.167
6.	राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	62.174	34.600	48.000	55.848
7.	नागौर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, नागौर	15.241	21.143	16.000	15.965
	औसत	28.783	32.568	27.440	28.961
ऊनी अम्बर से ऊन की कताई					
1.	सीकर जिला खादी ग्रामोदय परिषद, रींगस	13.875	-	-	13.875

तालिका संख्या 6:20

सर्वेक्षित संस्थाओं में सूती, ऊनी एवं पोलिस्टर कत्तिनों की सकल एवं औसत आय (वर्ष 1986-87)

(संख्या/रु.)

क्र.सं.	संस्था का नाम	सूती कत्तिन	कताई से कुल आय	औसत आय	ऊनी कत्तिन	कताई से आय	औसत आय	पोलिकत्तिन	कताई से आय	औसत आय
1.	ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	850	85463	100.54	1000	123367	123.37	-	-	-
2.	ग्राम सेवा मंडल, करौली	680	744691	1095.13	215	94003	437.22	21	29672	14.2
3.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	65	2108	32.43	7500	3353064	447.08	2	550	275
4.	गुरपना खादी ग्रा.समिति, गुरपना	-	-	-	1500	506832	337.89	-	-	-
5.	मेवाड़ ग्रामोदय संघ, मावर	1500	190000	126.67	350	57000	162.86	-	-	-
6.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	461	182549	395.98	1274	339449	266.44	-	-	-
7.	खादी ग्रा. उत्पादन समिति, बालोतरा	-	-	-	1200	295711	246.43	-	-	-
8.	नागौर जिला खादी ग्रा. संघ, नागौर	-	-	-	4550	692000	152.76	-	-	-
9.	जैसलमेर जिला खादी ग्रा. परिषद, जैसलमेर	-	-	-	2455	842000	342.97	-	-	-
10.	राजस्थान खादी संघ, चौमू	1638	351951	214.87	6500	1257540	193.47	-	-	-
	योग	6194	1556762	251.33	26544	7560966	287.01	23	30222	1314

नोट: चरखों एवं कत्तिनों की संख्या में कहीं-कहीं मामूली अन्तर दिखाई दे सकता है। इसका कारण एक ही चरखे पर एकाधिक कत्तिनों द्वारा कार्य किया जाना है। कहीं-कहीं चरखों पर कताई बिलकुल नहीं भी की जाती है।

विभिन्न सामाजिक श्रृंखलाओं की कत्तिनों द्वारा परम्परागत चर्खे से ऊन कताई की जो मात्रा वताई गयी है,उसमें औसत के संदर्भ में विशेष अन्तर नहीं है । हां,अलग-अलग संस्थाओं से संवंधित कत्तिनों द्वारा दर्शित मात्रा में अन्तर स्पष्ट झलकता है । राजस्थान खादी विकास मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत सवर्ण जाति से संवंधित कत्तिनों ने 62 किलो 174 ग्राम साल का औसत ऊनी धागा उत्पादन वताया है तो राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ से संवंधित ने 50 किलो 333 ग्राम लेकिन इन्हीं दोनों संस्थाओं से संवंधित अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग से कत्तिन परिवारों में यह औसत क्रमशः46 किलो,48 किलो तथा 815 ग्राम रहा है । समग्र दृष्टि से देखें तो अल्प संख्यक वर्ग की महिलाओं ने ऊन कताई का वार्षिक औसत 32 किलो 568 ग्राम वताया है जो अन्य वर्गों से संवंधित कत्तिनों से लगभग 12-15 प्रतिशत अधिक है ।

ऊन कताई में सूत कताई की अपेक्षा कुछ अधिक रोजगार उपलब्ध होता है,लेकिन इतना अधिक नहीं कि उसका उल्लेख करना आवश्यक हो ।

3. कताई के साधन और आय-सभी सर्वेक्षित संस्थाओं में कताई से आय की सामान्य स्थिति क्या रही,इसकी जानकारी तालिका संख्या 6:20 से हो सकती है-

यह तालिका दर्शाती है कि सर्वेक्षित 10 संस्थाओं ने वताया है कि 1986-87 में उन्होंने 6194 कत्तिनों से सूत कताई कराई जिसकी मजदूरी के रूप में उन्हें कुल 1556762 रुपये दिये ।

प्रति सूती कत्तिन वार्षिक औसत आय 251.33 पैसे रही । प्रति कत्तिन सर्वाधिक आय ग्राम सेवा मण्डल,करौली से संवंधित कत्तिनों ने वतायी है,औसतन 1095.13 वार्षिक और सवसे कम खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान,वीकानेर से संवंधित कत्तिनों ने वताई है,मात्र 32.43 । इसका कारण वहां सूती कार्य वहुत गौण रूप में होना है ।

सर्वेक्षित संस्थाओं में कार्यरत ऊन कताई करने वाली कत्तिनों की संख्या 26544 है जिनकी सकल आय रु.7560966 है । प्रति कत्तिन वार्षिक आय का औसत रु.287.01 है । ऊन कताई से सर्वाधिक औसत वार्षिक आय खादी ग्रामो.प्रतिष्ठान वीकानेर ने वताई है 447.08 प्रति कत्तिन और सवसे कम 123.37 प्रति कत्तिन ग्रामोद्योग विकास मण्डल,देवगढ़ जिला उदयपुर ने वताई है । पोलिस्टर खादी कताई के दो संस्थाओं ने ही आंकड़े दिये हैं । प्रति कत्तिन 1422 आय ग्राम सेवा मण्डल,करौली ने वताई है और 275 खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान,वीकानेर ने ।

हमारे सर्वेक्षण में कताई सयंत्र के संदर्भ में 954 कत्तिनों की आय के संवंध में जो आंकड़े प्राप्त हुये हैं,वे तालिका संख्या 6:21 में देखे जा सकते हैं ।

उक्त तालिका दर्शाती है कि परम्परागत सूत कताई करने वाली कत्तिनों में एक भी कत्तिन ऐसी नहीं जिसकी वार्षिक आय रु.2000 से अधिक हो अथवा दैनिक 5-6 रुपये हो । लगभग 73 प्रतिशत परम्परागत चरखे वाली कत्तिनें 250 रुपये वार्षिक से कम कमाती हैं और केवल 5 प्रतिशत 1001-2000 आयु श्रृंखला में आती हैं । लेकिन 6 तकुआ न्यू मॉडल चर्खे में स्थिति

एकदम बदल जाती है। 60 प्रतिशत के लगभग न्यू मॉडल 6 तकुआ चरखे वाली सूती कत्तिनों ने 1001 से अधिक वार्षिक आय बताई है तो पोलिस्टर कातने वाली 73 प्रतिशत ने यह संकेत दिया है। परम्परागत चरखे से ऊन कताई करने वाली 500 कत्तिनों में से एक कत्तिन ने रु2000 से अधिक वार्षिक आय बताई है, जबकि 63 प्रतिशत कत्तिनों की औसत आय रु500 वार्षिक से कम रही है। परम्परागत चरखे से ऊन कताई करने वाली कत्तिनों में 3 प्रतिशत ऐसी कत्तिनें हैं जिनकी आय 501 से 1000 आय श्रृंखला में है। 4 प्रतिशत ऐसी कत्तिनें हैं जिनकी आय 1001 से 2000 रुपये वार्षिक के बीच है। समग्र दृष्टि से देखें तो 57.45 प्रतिशत कत्तिनों की वार्षिक आय रु500 से कम है और 3.55 प्रतिशत कत्तिनें ऐसी हैं जिन्हें कताई से रु2000 से अधिक आय होती है। 14-15 प्रतिशत कत्तिनें ऐसी हैं जिनकी आय रु1001 से 2000 वार्षिक आय श्रृंखला में है।

तालिका संख्या 6:21

विभिन्न प्रकार के कताई संयन्त्रों से कताई एवं वार्षिक आय श्रृंखला-रु.

(सख्या/प्रतिशत में)

क्र.सं.	विवरण	1-250	251-500	501-1000	1000-2000	2000 से अधिक	योग
1.	सूती चरखा परम्परागत	149(73)	28(14)	16(8)	10(5)	-	203(100)
2.	सूती अम्बर 2 तकुआ	6(17)	15(43)	12(34)	2(6)	-	25(100)
3.	सूती अम्बर 6 तकुआ	9(5)	17(10)	44(25)	77(44)	28(16)	175(100)
4.	पोलिस्टर 6 तकुआ	3(8)	3(8)	4(11)	24(65)	3(8)	37(100)
5.	परम्परागत ऊनी	67(15)	241(48)	163(33)	22(4)	1	500(100)
6.	ऊनी अम्बर	2(50)	2(50)	-	-	-	4(100)
		242 (25.37)	306 (32.08)	239 (25.05)	135 (14.15)	32 (3.55)	954 (100)

कताई से होने वाली आय का समुचित आंकलन करने की दृष्टि से विभिन्न कताई केन्द्रों पर कत्तिनों द्वारा प्रयुक्त कताई संयंत्र का संदर्भ देते हुए कत्तिनों की आय श्रृंखला निर्धारित की गयी है। तालिका संख्या 6:22 स्थिति का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करती है-

उक्त तालिका दर्शाती है कि सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति, रींगस से संबंधित सर्वेक्षित 75 कत्तिनों में 4 कत्तिनें (5-26 प्रतिशत) ऐसी हैं, जिनकी कताई से वार्षिक आय रु2000 से अधिक है। खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति बस्सी से संबंधित कत्तिनों में 2.82 प्रतिशत कत्तिनें ऐसी थी जिनकी आय रु2000 से अधिक थी, लेकिन लोक भारती समिति, शिवदासपुरा से संबंधित कत्तिनों में इनकी संख्या सर्वाधिक है-कुल का 18.18 प्रतिशत। वहां 56.20 प्रतिशत कत्तिनों ने 1001 से अधिक आय बताई है।

तालिका संख्या 6:22

विभिन्न केन्द्रों पर कताई से आय : साधन एवं आय श्रेणी

क्र.सं.	संस्था का नाम	केन्द्र	यंत्र के प्रकार	250 तक	251-500	500-1000	1001-2000	2000 से अधिक	योग
1.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	दिवराला	1. ऊनी अंबर	3	7	9	1	-	20
			2. सूती अम्बर	-	-	7	13	3	23
			3. ऊनी परंपरागत	8	13	6	1	1	29
		रींगस	1. ऊनी अंबर	2	2	-	-	-	4
			योग	13(17.11)	22(28.95)	22(28.95)	15(19.74)	4(5.26)	76(100)
2.	राज. आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	सेमरी	1. सूती परंपरागत	-	-	-	-	-	-
			2. सूती 6 तकुआ	-	4	10	4	-	18
			3. ऊनी परंपरागत	-	10	15	5	-	30
		शाहबाद	1. सूती परंपरागत	2	5	13	5	-	25
		ऋषभदेव	1. ऊनी परंपरागत	-	21	9	-	-	30
			योग	2	40	47	14	-	103
			(प्रतिशत में)	(1.94)	(38.83)	(45.63)	(13.59)	-	(100)
3.	नागौर जिला खादी ग्रा.संघ	नागौर	1. ऊनी परंपरागत	19(22.35)	47(55.30)	19(22.35)	-	-	85
4.	राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	बांसा	1. सूती परंपरागत	39	12	3	-	-	54
			2. सूती अंबर 2 तकुआ	3	8	3	1	-	15
		गोविन्दगढ़	1. ऊनी परंपरागत	6	9	15	3	-	33
			योग	48	29	21	4	-	102
			(प्रतिशत में)	(47.06)	(28.43)	(20.59)	(3.92)	-	

Contd...

5. खादी ग्रा. उत्थान विकास समिति	बस्सी	1. सूती परंपरागत	15	5	-	-	-	20
		2. सूती अंबर 6 तकुआ	-	1	3	23	3	30
		3. सूती अंबर	-	7	18	5	-	30
	जयपुर	1. ऊनी परंपरागत	39	33	35	6	-	113
	चांसमो	1. अंबर 6 तकुआ	-	-	2	15	3	20
		योग	54	46	58	49	6	213
		(प्रतिशत में)	(25.35)	(21.60)	(27.23)	(23.00)	(2.82)	
6. राजस्थान खादी संघ	चौमू	1. सूती परंपरागत	72	2	-	-	-	74
			(97.30)	(2.70)				
7. लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	कोटपूतली	1. सूती अंबर 6 तकुआ	-	-	2	13	15	30
		2. सूती परंपरागत	18	2	-	-	-	20
	चाकसू	1. सूती अंबर 6 तकुआ	7	1	2	13	1	24
		2. सूती अंबर 6 तकुआ (घर)	2	5	3	14	6	30
		3. पोलिस्टर 6 तकुआ	3	2	1	1	-	7
		4. परंपरागत	3	2	-	5	-	10
		योग	33	12	8	46	22	121
		(प्रतिशत में)	(27.27)	(9.92)	(6.61)	(38.02)	(18.18)	
8. खादी ग्रा प्रतिष्ठान	बीकानेर	1. ऊनी परंपरागत	-	60(60.00)	34(34.00)	6(6.00)	-	100
9. गुलाना खादी ग्रा. समिति	गुलाना	1. परंपरागत ऊनी	1(1.25)	48(60.00)	30(37.50)	1(1.25)	-	80

सामाजिक संदर्भ में कताई के साधनों से आय

सामाजिक संदर्भ में विभिन्न प्रकार के कताई संयंत्रों से कत्तिनों को होने वाली आय संबंधी तालिका संख्या 6:23 प्रस्तुत करती है-

तालिका संख्या 6:23

आय श्रृंखला एवं सामाजिक श्रेणी के अनुसार कत्तिनों की आय

क्र.सं.	आय श्रृंखला वार्षिक	अनुसूचित जाति जनजातियां	अल्प संख्यक वर्ग	सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग	योग
1.	1 - 250	23(9.50)	35(14.46)	184(76.03)	242(100)
2.	251 - 500	129(42.16)	43(14.05)	134(43.79)	306(100)
3.	501 - 1000	104(43.51)	47(19.67)	88(36.82)	239(100)
4.	1001 - 2000	54(40.00)	26(19.26)	55(40.74)	135(100)
5.	2000 से अधिक	10(31.25)	4(12.50)	18(56.25)	32(100)
	योग	320	155	479	954
	प्रतिशत	33.54	16.25	50.21	100

* वर्ष 1987-88 की तुलना में 1993 में आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

उक्त तालिका के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग की 320 सर्वेक्षित कत्तिनों में 64 कत्तिने (कुल का 20 प्रतिशत) ऐसी हैं जिनकी वार्षिक आय 1001 रुपये से अधिक है,जबकि अल्प संख्यक समुदाय में इनकी संख्या मात्र 30 (कुल का 19 प्रतिशत और) सवर्ण समुदाय में 73 (कुल का मात्र 14 प्रतिशत) है । इससे भी यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग की कत्तिनें कताई कार्य में अधिक समय लगाती हैं, अधिक सूत/ऊन कातती हैं और अच्छी किस्म का सूत/ऊनी धागा कातती हैं । सबसे नीचे वाली आय श्रृंखला (1-250 रु.) में अनुसूचित जाति/जन जाति से संबंधित कत्तिनों का अनुपात मात्र 7 प्रतिशत है जबकि अल्प संख्यक समुदाय की कत्तिनों का यह प्रतिशत 23 और सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग में 38 प्रतिशत है ।

विभिन्न कताई संयंत्रों से भिन्न-भिन्न सामाजिक श्रृंखलाओं से संबंधित कत्तिनों की औसत वार्षिक आय की एक झांकी तालिका संख्या 6:24 से मिल सकती है ।

इस तालिका के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग की कत्तिनों की औसत वार्षिक आय 707.66 तथा अल्प संख्यक समुदाय से संबंधित कत्तिनों की 609.75 है, जबकि सवर्ण वर्ग से संबंधित कत्तिनों की आय 490.97 प्रति कत्तिन ही आती है ।

इस तालिका से एक दिलचस्प तथ्य यह सामने आया है कि 6 तकुआ अंबर से प्रति कत्तिन सर्वाधिक औसत आय अल्प संख्यक परिवार को हुई है । अनुसूचित जाति/जनजाति की कत्तिनों का स्थान दूसरा है और सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग सबसे निचले स्तर पर है । इसी प्रकार

परम्परागत सूती चर्खे से भी सर्वाधिक वार्षिक आय अल्प संख्यक समुदाय में देखने में आयी है लेकिन परम्परागत ऊनी चर्खे से कताई करने वाली अल्प संख्यक वर्ग की कत्तिनें इस दृष्टि से नीचे हैं।

तालिका संख्या 6:24

सामाजिक श्रेणी के संदर्भ में कताई साधनों से प्रति कत्तिन औसत वार्षिक आय (रु.)

क्र.सं.	कताई साधन	अनु.जाति जनजाति	अल्प संख्यक समुदाय	सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग	योग
1.	परंपरागत चर्खा सूती	251	678	157	248
2.	अंबर 2 तकुआ	527	-	478	494
3.	अंबर पोलिस्टर 6 तकुआ	1541	1556	1065	1310
4.	अंबर 6 तकुआ	1325	1429	1202	1264
5.	ऊनी परम्परागत	513	434	462	474
6.	ऊनी अम्बर	236	-	-	236
	योग	707.66	609.75	490.97	603.73

* खा.ग्रा. आयोग की मजदूरी चार्ट के अनुसार वर्ष 1987-88 की तुलना में वर्ष 93 में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तीसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि 6 तकुआ अंबर से औसत वार्षिक आय पोलिस्टर कातने वाली कत्तिनों की रु.1310 प्रति कत्तिन है और सूत कातने वाली कत्तिनों की रु.1264 जबकि परम्परागत चरखे से कातने वाली कत्तिन की औसत वार्षिक आय रु.248 है। समग्र दृष्टि से देखें तो प्रति कत्तिन औसत वार्षिक आय रु.604 के लगभग आती है।

विभिन्न संस्थाओं के सामाजिक संदर्भ में सर्वेक्षित कत्तिनों की सकल आय एवं औसत वार्षिक आय की कताई संयंत्रवार क्या स्थिति रही, इसकी जानकारी तालिका संख्या 6:25 से मिलती है।

यह तालिका भी स्पष्ट करती है कि परम्परागत चरखे द्वारा सूत कताई में भी प्रति कत्तिन औसत वार्षिक आय में बहुत फर्क है। जिन कत्तिनों के पास कताई के लिए अधिक समय था अथवा जिनके पास कताई संयंत्र बेहतर स्थिति में थे अथवा जिन्हें कताई के लिए पूणी आदि अधिक सुविधा के साथ आवश्यकतानुसार मिलती रही, और जिनके पास अन्य जीवन आधार नहीं था, उन्होंने कताई से अधिक मजदूरी अर्जित की। जहां राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर से संबंधित अनुसूचित जाति जन जाति वर्ग की एक कत्तिन ने मात्र 65 कताई से अर्जित किये वहीं लोक भारती समिति, शिवदासपुरा से संबंधित अल्प संख्यक समुदाय की कत्तिनों की प्रति कत्तिन परिवार वार्षिक आय रु.747 एवं राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ से संबंधित कत्तिन परिवार की रु.676 थी। समग्र दृष्टि से देखें तो अल्प संख्यक समुदाय की कत्तिनों की औसत आय रु.678 रही है। जबकि परम्परागत चरखे से सूत कातने वाली सवर्ण जाति से

संबंधित कत्तिनों की आय रु.157 रही है जो अल्प संख्यक वर्ग की कत्तिनों को मिली औसत मजदूरी की एक चौथाई से भी कम है।

तालिका संख्या 6:25

परम्परागत चरखा

सामाजिक श्रेणी और परम्परागत चरखे से कताई (सूती)

क्र.सं.	संस्था का नाम	कत्तिन संख्या	सकल आय (रु.)	वार्षिक प्रति कत्तिन आय (औसत)
	सामाजिक श्रेणी - अ.जा./ज.जा.वर्ग			
1.	राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	6	1693	282
2.	राज.आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	1	65	65
3.	खादी ग्रा.सघन विकास समिति, बस्सी	-	-	-
4.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	-	-	-
5.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	-	-	-
	योग	7	1758	251
	* वर्ष 1987-88 की तुलना में 50 प्रतिशत की वृद्धि।			
	सामाजिक श्रेणी - अल्पसंख्यक वर्ग			
1.	खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति, बस्सी	-	-	-
2.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	9	6723	747
3.	राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	-	-	-
4.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	1	87	87
5.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	24	16227	676
	योग	34	23037	678
	सामाजिक श्रेणी - सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग			
1.	खादी ग्रामो. सघन विकास समिति, बस्सी	20	4019	201
2.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	21	3882	185
3.	राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	48	8676	181
4.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	73	8926	122
5.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	-	-	-
	योग	162	25503	157
	महायोग	203	50298	248

दो तकुआ अंबर से सूत कताई करने वाली अनुसूचित जाति एवं जन जाति से संबंधित कत्तिनों को औसत वार्षिक आय सीकर जिला खादी ग्रामो. समिति, में रु.553 आई है, वहीं सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग से संबंधित कत्तिनों की राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़ से संबंधित कत्तिनों में रु.257 रही है। तालिका संख्या 6:26 से स्थिति अधिक स्पष्टता से देखी जा

सकती है:

तालिका संख्या 6:26

2 तकुआ अंबर सूती कताई से सकल एवं औसत वार्षिक आय

(अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग सर्वेक्षित परिवारों की संख्या 954)

क्र.सं.	संस्था का नाम	कत्तिन संख्या	सकल आय (रु.)	प्रति कत्तिन औसत आय (रु.)
1.	राजस्थान खादी विकास संघ, गोविन्दगढ़	10	5116	512
2.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	3	1659	553
	योग	13	6775	527
	सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग			
1.	राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	5	1286	257
2.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	17	9221	542
	योग	22	10507	478
	महायोग	35	17282	494

सामाजिक संदर्भ में विभिन्न संस्थाओं से संबंधित कत्तिनों को 6 तकुआ अंबर सूत कताई करने पर हुई सकल एवं औसत आय की स्थिति तालिका संख्या 6:27 से मिल सकती है।

तालिका संख्या 6:27

सामाजिक श्रेणी और सूती अम्बर 6 तकुआ द्वारा कताई से सकल एवं औसत वार्षिक आय

सर्वेक्षित परिवार संख्या 954

अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग

क्र.सं.	संस्था का नाम	कत्तिन संख्या	कुल आय (रु.)	प्रति कत्तिन औसत आय (रु.)
1.	खादी ग्रामो. सघन विकास समिति, बस्सी	29	379[illegible]	13[illegible]7
2.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	18	23117	1284
3.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	9	15912	1768
4.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, उदयपुर	3	1242	414
	योग	59	78171	1325
	अल्पसंख्यक समुदाय			
1.	खादी ग्रामो. सघन विकास समिति, बस्सी	-	-	-
2.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	-	-	-
3.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	16	22[illegible]7	142[illegible]
4.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, उदयपुर	-	-	-
	योग	16	22[illegible]7	142[illegible]

(क्रमशः)

सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग			
1. खादी ग्रामो. सघन विकास समिति, बस्सी	21	15773	757
2. सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	5	8051	1610
3. लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	59	83861	1421
4. राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	15	12553	837
योग	100	120238	1202
महायोग	175	221276	1264

तालिका 6:27 से भी यह स्पष्ट है कि कत्तिनों द्वारा अर्जित आय एक बड़ी सीमा तक उनके द्वारा कताई कार्य में लगाये गये समय एवं पूणी की समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति पर निर्भर करती है। यथा लोक भारती समिति, शिवदासपुरा से संबंधित अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की कत्तिनों की औसत वार्षिक आय 1768 के लगभग रही है, वहीं राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर से संबंधित कत्तिनों की 414 अर्थात् उनकी तुलना में एक चौथाई से भी कम। इसी प्रकार सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस से संबंधित सवर्ण वर्ग की कत्तिनों की औसत वार्षिक आय 1610 है तो खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति, बस्सी से संबंधित की 757 और राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ से संबंधित की 837।

6 तकुआ अम्बर से पोलिस्टर कताई से हुई आय का तालिका संख्या 6:28 से आकलन किया जा सकता है।

तालिका संख्या 6:28

सामाजिक श्रेणी और अम्बर पोलिस्टर (6 तकुआ) से आय

क्र.सं. संस्था का नाम	कत्तिन संख्या	कुल आय (रु.)	प्रति कत्तिन औसत आय (रु.)
अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग			
1. खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी	16	25242	1578
2. लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	1	962	962
योग	17	26204	1541
अल्प संख्यक वर्ग (पोलिस्टर)			
1. खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी	1	1701	1701
2. लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	1	1400	1400
योग	2	3101	1556
सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग			
1. खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी	13	17957	1381
2. लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	5	1214	243
योग	18	19171	1065
महायोग	37	48476	1310

तालिका 6:28 दर्शाती है कि जहां खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति, बस्सी से संबंधित अनुसूचित जाति/जन जाति की कत्तिनों की पोलिस्टर कताई से औसत वार्षिक आय 1578 रही है, वहीं लोक भारती समिति, शिवदासपुरा से संबंधित की मात्र रु962 और सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग की कत्तिनों में मात्र रु243 लेकिन अल्प संख्यक वर्ग से संबंधित एक मात्र कत्तिन की आय का यही औसत रु1400 है। समग्र दृष्टि से देखें तो पायेंगे कि सवर्ण जाति वर्ग से संबंधित पोलिस्टर धागा कातने वाली कत्तिनों की औसत आय रु1065 रही है, जबकि अल्प संख्यक वर्ग से संबंधित की रु1556 और अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग से संबंधित की रु. 1541।

सामाजिक संदर्भ में परम्परागत चरखे द्वारा ऊन कताई से हुई आय की स्थिति तालिका संख्या 6:29 से स्पष्ट हो सकती है।

तालिका संख्या 6:29

सामाजिक श्रेणी और परम्परागत चर्खा द्वारा ऊन कताई से आय

क्र.सं.	संस्था का नाम	कत्तिन संख्या	कुल आय (रु.)	प्रति कत्तिन औसत वार्षिक आय (रु.)
	अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग			
1.	राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	5	2660	532
2.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	4	1144	286
3.	नागौर जिला खादी ग्रा.संघ, नागौर	24	9283	387
4.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	54	30537	566
5.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	84	43015	512
6.	गुरधना खादी ग्रा. समिति, गुरधना	39	21063	540
7.	खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी	14	4897	350
	योग	224	112699	503
	अल्पसंख्यक वर्ग			
1.	राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	5	1765	353
2.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	-	-	-
3.	नागौर जिला खादी ग्रा.संघ, नागौर	7	3677	525
4.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	-	-	-
5.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	3	1044	348
6.	गुरधना खादी ग्रा. समिति, गुरधना	-	-	-
7.	खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी	88	38245	435
	योग	103	44731	434

Contd...

सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग			
1. राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	23	14464	629
2. सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	25	12420	497
3. नागौर जिला खादी ग्रा.संघ, नागौर	54	18586	344
4. राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	6	3230	538
5. खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	13	8753	673
6. सुरधना खादी ग्रा. समिति, सुरधना	41	17580	429
7. खादी ग्रा. सघन विकास समिति, वस्सी	11	4854	441
योग	173	79887	462
महायोग	500	237217	474

* वर्ष 1987-88 की तुलना में 50 प्रतिशत वृद्धि ।

तालिका 6:29 दर्शाती है कि जहां राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ से संबंधित अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग की कत्तिनों की वार्षिक आय (प्रति कत्तिन) का औसत रु566 रहा है, वहीं सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति, रींगस से संबंधित का मात्र रु.286 । अल्प संख्यक वर्ग की कत्तिनों का यह औसत जहां नागौर संस्था में 525 रुपये रहा है, वहीं खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर से संबंधित कत्तिनों का मात्र रु.348 लेकिन सवर्ण जाति वर्ग से संबंधित कत्तिनों की औसत आय उस संस्था में रु673 रही है, अर्थात् अल्प संख्यक वर्ग की तुलना में लगभग दो गुनी ।

रींगस समिति में सर्वेक्षित अंबर चरखे से ऊन कातने वाली चार कत्तिनें हैं और चारों अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग से संबंधित हैं । इनकी औसत वार्षिक आय रु236 रही है जो परम्परागत चरखे से अर्जित आय की अपेक्षा भी बहुत कम है । (देखें तालिका संख्या 6:30)

तालिका संख्या 6:30

ऊनी अम्बर से हुई कताई की आय

क्र.सं.	संस्था का नाम	कतिन संख्या	सकल आय (रु.)	औसत वार्षिक कतिन की आय (रु.)
	अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग			
1.	सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति, रींगस	4	944	236

बुनाई के साधन एवं आय

परम्परागत साधनों से रोजगार-बुनाई के परम्परागत साधन खड्डी करघे हैं । एक करघे से दो व्यक्तियों को रोजगार मिलता है-एक बुनकर, दूसरा उसका सहायक या सहायिका जो वाविन भरती है । यही स्थिति फ्रेमलूम एवं सेमी ऑटोमेटिक करघे की भी है, लेकिन उनकी उत्पादन

क्षमता अधिक होती है,इसलिए उनके प्रचलन के बाद संस्थात्मक दृष्टि से रोजगार में कमी आना निश्चित है । यद्यपि प्रति बुनकर आय में बढ़ोतरी होगी । इसके अलावा खड्डी से बनाये गये कपड़े में गाढ़ापन ज्यादा होता है,जब कि फ्रेमलूम एवं सेमी ऑटोमेटिक लूम से बने कपड़े में अपेक्षाकृत कुछ छनछनापन रहता है ।

तालिका संख्या 6:31

सर्वेक्षित बुनकरों का सामाजिक संदर्भ

क्र.सं.	संस्था का नाम	सवर्ण एवं अन्य जा.वर्ग	अल्प संख्यक वर्ग	अनु.जाति/जन जाति	योग
1.	राजस्थान खादी ग्रा. प्रतिष्ठान, बीकानेर	-	-	25	25
2.	मुरधना खादी ग्रा. समिति, मुरधना	-	-	20	20
3.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	-	1	34	35
4.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	-	-	20	20
5.	राजस्थान खादी ग्रा. विकास मंडल, गोविन्दगढ़	-	-	43	43
6.	नागौर जिला खादी ग्रा. संघ, नागौर	-	-	11	11
7.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	-	1	38	39
8.	खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी	5	-	47	52
9.	राज.आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	-	6	12	18
	योग	5	8	250	263
	प्रतिशत	(1.90)	(3.04)	(95.06)	(100)

नोटः राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, के बुनकरों में 10 बुनकर दरी-फर्श बुनने वाले हैं । वे सभी अनुसूचित जाति व जन जाति वर्ग के हैं ।

सामाजिक संदर्भ में देखें तो पायेंगे कि बुनकरों में अनुसूचित जाति का प्राधान्य है । हमारे सर्वेक्षण में जो बुनकर आये,उनमें 95.06 प्रतिशत बुनकर अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित थे जबकि 1-90 प्रतिशत सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग से । अल्प संख्यकों का प्रतिशत 3.04 था ।

तालिका संख्या 6.31 से सर्वेक्षित संस्थाओं के चयनित बुनकरों के सामाजिक संदर्भ को समझा जा सकता है ।

एक खड्डी से सामान्य बुनकर अपने सहायक की मदद से 8 घंटे में औसतन लगभग 6 मीटर कपड़ा बुन सकता है,जबकि फ्रेमलूम से 8 मीटर और सेमी ऑटोमेटिक लूम से 10 मीटर लेकिन कुशल बुनकर हो तो यह मात्रा बढ़कर क्रमशः 8 मीटर 12 मीटर और 20 मीटर तक हो सकती है । हमने बुनाई के सिलसिले में जो नमूने का अध्ययन किया,उसमें सेमी ऑटोमेटिक की औसत उत्पादन क्षमता लगभग 10 मीटर ही बैठती है । जैसा कि तालिका संख्या 6:32 से संकेत मिलता है:

तालिका संख्या 6:32

सेमी ऑटोमेटिक कर्घे से बुनाई (केन्द्र मायोगढ़ त. बस्सी, जिला-जयपुर)

क्र.सं.	बुनकर का नाम	काम का समय (घंटों में)	माप (मीटर में)
1.	कजोड़	6	10
2.	रामजीलाल	6	4
3.	जगदीश	1	2
4.	छोटे लाल	5	8
5.	सोहनलाल	5	6
6.	चौथमल	4	4
	योग	27	34

उक्त तालिका से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि बुनाई बुनकर की कार्यक्षमता एवं कुशलता पर आश्रित रहती है। एक कुशल बुनकर 8 घंटे में 10 मीटर बुनता है तो दूसरा 4 मीटर। इसका कारण उसका काम करते करते वातों में लग जाना, लापरवाही के कारण अनवरत टूटने वाले धागे को जोड़ते रहना अथवा बीड़ी आदि अथवा चाय-पानी के लिए बीच-बीच में उठते रहना भी हो सकता है। इस तालिका में सेमी ऑटोमेटिक लूम का एक घंटे का औसत 1-2 मीटर है अर्थात् 8 घंटे में लगभग 10 मीटर।

नमूने के अध्ययन के दौरान हमने बस्सी सिमिति के दूधली केन्द्र के 10 बुनकरों द्वारा अगस्त, 1987 में पेडल लूम (सेमी ऑटोमेटिक) द्वारा बुने गये पोलिस्टर वस्त्र के जो आंकड़े लिये, उनके अनुसार 10 बुनकरों ने उस महीने में 2588.50 मीटर कपड़ा बुना। इस प्रकार प्रति बुनकर महीने भर की औसत बुनाई 258.85 मीटर आई और प्रतिदिन की लगभग 8.5 मीटर। यदि महीने में 25 दिन कार्य दिवस मानें तो औसत दैनिक बुनाई लगभग 10 मीटर बैठती है।

इसी प्रकार सितम्बर, 1987 से 8 बुनकरों ने गाढ़े बने जिनकी लम्बाई 3007 मीटर थी। इसमें प्रति बुनकर बुनाई का औसत माप 375.9 मीटर और दैनिक माप लगभग 12.2 मीटर था। इन आठों बुनकरों ने 194 कार्य दिवस काम किया था, अर्थात् औसतन प्रति बुनकर 24 कार्य दिवस और प्रति कार्य दिवस औसत 15.5 मीटर वस्त्र की बुनाई।

बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र के ही गढ़ गांव के 7 बुनकरों ने सितम्बर, 1987 में 1146.50 मीटर सूती खादी (गाढ़ा) बुनी। प्रति बुनकर खादी की औसत माप 163.08 मीटर थी। इन सात बुनकरों ने 170 कार्य दिवस कार्य किया अर्थात् प्रति बुनकर औसत कार्य दिवस 24 थे। प्रति कार्य दिवस प्रति बुनकर औसत बुनाई लगभग 6-8 मीटर थी। अगस्त, 1987 में 5 बुनकरों ने 1100 मीटर दो सूती बुनी-प्रति बुनकर बुने गये कपड़े की औसत माप 220 मीटर थी इन पांचों बुनकरों ने 140 कार्य दिवस कार्य किया था। औसतन प्रति बुनकर 28 कार्य दिवस थे। यहां प्रति बुनकर दैनिक बुनाई की औसत लगभग 7-9 मीटर आती है।

उक्त आंकड़े भी यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि बुनाई की मात्रा हर बुनकर की कार्य कुशलता एवं समय के सदुपयोग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए अगस्त,1987 में एक बुनकर ने 375 मीटर दो सूती बुनी तो एक अन्य ने 75 मीटर,पहले ने पूरे 31 दिन काम किया था और दूसरे ने मात्र 16 दिन। इसी प्रकार सितम्बर में सर्वेक्षित 7 बुनकरों में से तीन ने पूरे 30 दिन काम किया तो दो बुनकरों ने मात्र 12-12 दिन। इसी प्रकार दूधली केन्द्र (बस्सी समिति) में सर्वेक्षित 8 बुनकरों में तीन ने पूरे 30 दिन कार्य किया तो एक ने केवल 15 दिन और एक अन्य ने केवल 16 दिन।

बुनाई के साधनों से आय

खादी बुनाई से आय का एक छोटा आंकलन तालिका संख्या 6:35 से किया जा सकता है। सर्वेक्षित संस्थाओं में से जिन संस्थाओं से तथ्य प्राप्त हो सके हैं,उन्हें सारणी में सम्मिलित किया गया है:

तालिका से पता चलता है कि सूती खादी की बुनाई करने वाले बुनकरों में सर्वाधिक आय (औसत वार्षिक) प्रति बुनकर ग्रामोद्योग विकास मंडल,देवगढ़ जिला उदयपुर से संबंधित बुनकरों की बताई गयी है। यहां औसत आय रु.2291.22 रही है और सबसे कम खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान,बीकानेर से संबंधित बुनकरों में मात्र रु.177.58 वार्षिक। ऊनी खादी की बुनाई करने वाले बुनकरों में प्रति बुनकर सर्वाधिक औसत वार्षिक आय ग्राम सेवा मण्डल, करौली से संबंधित बुनकरों को रही है रु.7720.67 पैसा और सबसे कम रही है जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद से संबंधित की मात्र रु.2075.58। पोलिस्टर बुनाई करने वालों की औसत वार्षिक रु.1911.80 रही है। ध्यान रहे बुनकर अकेला कार्य नहीं करता-उसे एक पूर्ण कालीन सहयोगी की अपेक्षा होती है। इस प्रकार यह आय दो व्यक्तियों की ईकाई की मानी जानी चाहिये। ऊनी बुनकरों की औसत वार्षिक आय रु.3050.44 आई है,तो पोलिस्टर एवं सूती बुनकरों की क्रमशः रु.1911.80 एवं रु.1710.90। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सूती बुनकरों की स्थिति दयनीय है और उनकी औसत आय ऊनी बुनकरों की तुलना में लगभग आधी है।

हमारे द्वारा सर्वेक्षित संस्थाओं के विस्तृत सर्वेक्षण में चयनित 263 बुनकरों का आय श्रृंखला के हिसाब से जो विभाजन किया गया है,उसकी संस्थावार एवं संस्था के अन्तर्गत चलने वाले उत्पत्ति केन्द्रवार स्थिति तालिका संख्या 6:33 में दी गयी है।

इस तालिका से स्पष्ट है कि कुल बुनकरों में 14.07 प्रतिशत बुनकर ऐसे हैं,जिनकी आय रु.6000 वार्षिक से अधिक है और 28.52 प्रतिशत ऐसे हैं जिनकी आय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम की तुलना में भी कहीं कम है रु.2400 वार्षिक से भी नीचे। 19.88 प्रतिशत बुनकरों की वार्षिक आय रु.4801-6000 आय श्रृंखला में आती है।

तालिका संख्या 6:33

सर्वेक्षित संस्थाओं में सूती, ऊनी एवं पोलिस्टर बुनकरों की सकल एवं औसत वार्षिक आय (वर्ष 1986-87)

क्र.सं.	संस्था का नाम	सूती बुनकर	बुनाई से कुल आय (रु.)	प्रति बुनकर औसत आय (रु.)	ऊनी बुनकर	बुनाई से आय प्रति बुनकर (रु.)	औसत आय प्रति बुनकर (रु.)	पोलिस्टर बुनकर	बुनाई से सकल आय (रु.)	औसत आय प्रति बुनकर (रु.)
1.	ग्रामोद्योग विकास मण्डल, देवगढ़	45	103105	2291.22	25	93633	3745.32	-	-	-
2.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	150	248095	1653.37	6	46324	7720.67	8	15735	1966.85
3.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	43	7378	177.58	340	1361411	4004.15	2	3383	1691.50
4.	जैसलमेर जिला खादी ग्रा. परिषद, जैसलमेर	-	-	-	172	357000	2075.58	-	-	-
5.	सुरधना खादी ग्रा. समिति, सुरधना	-	-	-	75	249866	3331.55	-	-	-
6.	खेराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	100	132000	1320.00	17	50000	2941.18	-	-	-
7.	सीकर जि.खा.ग्रा.समिति, रींगस	72	139745	1940.90	37	102016	2757.19	-	-	-
8.	खादी औद्योगिक उत्पादक समिति, बालोतरा	-	-	-	30	74272	2475.77	-	-	-
9.	नागौर जिला खादी ग्रा. संघ, नागौर	-	-	-	113	228900	2548.67	-	-	-
10.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	174	368845	2119.80	80	412665	5158.31	-	-	-
	योग	584	999168	1710.90	995	3035187	3050.44	10	19118	1911.80

* वर्ष 1993 में 50 प्रतिशत वृद्धि ।

तालिका संख्या 6:34

खादी बुनकर एवं आय श्रृंखला

(वार्षिक रुपयों में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	केन्द्र का नाम	बुनकर का प्रकार	2400 तक	2401-3600	3601-4800	4801-6000	6000 से अधिक	योग
1.	खादी ग्रा. प्रतिष्ठान	बीकानेर	ऊनी	4	4	6	2	9	25
2.	गुरमना खादी ग्रा. समिति	गुरमना	ऊनी	-	8	7	3	2	20
3.	सीकर जिला खादी ग्रा.समिति	रींगस	ऊनी	-	1	-	-	3	4
		रींगस	दरी	-	-	-	-	1	1
		मूंडरो	सूती	11	3	1	-	-	15
		दिवराला	सूती	7	7	1	-	-	15
4.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	चौमूं	सूती	9	3	5	1	2	20
5.	राजस्थान खादी विकास मंडल	गोविन्दगढ़	ऊनी	1	3	3	1	2	10
		गोविन्दगढ़	सूती	10	2	1	-	-	13
		बांसा	सूती	6	7	3	3	1	20
6.	बैंगलोर जिला ग्रा. परिषद	बैंगलोर	ऊनी	3	-	1	1	6	11

Contd...

7. राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ	शाहबाद	दरी	2	7	1	-	-	10
	ऋषभदेव	ऊनी	1	2	-	-	-	3
	सेमारी	ऊनी	-	1	2	2	-	5
8. लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	चाकसू	सूती(खड्डी)	1	6	2	-	-	9
	चाकसू	दरी	2	1	-	-	-	3
		सूती फटका साल	-	-	3	1	1	5
	कोटखावदा	सूती	6	8	2	2	2	20
9. खादी ग्रा. ग्राम विकास समिति	बस्सी	सूती	7	6	6	-	1	20
	बांसखो	दरी	-	1	4	5	5	15
	जयपुर	ऊनी	1	1	1	3	-	6
	बस्सी	ऊनी	3	1	3	2	2	11
		योग	75	72	53	26	37	263
		प्रतिशत	(28.52)	(27.38)	(20.15)	(9.88)	(14.07)	(100)

तालिका संख्या 6:35

बुनाई (खादी) के प्रकार और आय श्रेणी (वार्षिक औसत आय)

(परिवार संख्या)

क्र.सं.	बुनाई के प्रकार	2400 तक	2401-2600	3601-4800	4801-6000	6001 से ऊपर	योग
	ऊनी वस्त्र						
1.	खादी ग्रा. प्रतिष्ठान, बीकानेर	4	4	6	2	9	25
2.	गुरधना खादी ग्रा. समिति, गुरधना	-	8	7	3	2	20
3.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	-	1	-	-	3	4
4.	राज. खा.ग्रा.विकास मंडल, गोविन्दगढ़	1	3	3	1	2	10
5.	नागौर जिला खादी ग्रा. संघ, नागौर	3	-	1	1	6	11
6.	राज.आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	1	3	2	2	-	8
7.	खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी	4	2	4	5	2	17
	योग	13	21	23	14	24	95
	प्रतिशत	(13.68)	(22.11)	(24.21)	(14.74)	(25.26)	(100)
	सूती						
1.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	9	3	5	1	2	20
2.	सीकर जिला खादी ग्रा.समिति, रींगस	18	10	2	-	-	30
3.	राज. खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	16	9	4	3	1	33
4.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	7	14	7	3	3	34
5.	खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी	7	6	6	-	1	20
	योग	57	42	24	7	7	137
	प्रतिशत	(41.61)	(30.66)	(17.52)	(5.71)	(5.71)	(100)
	पोलिस्टर						
1.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	1	-	1	-	-	2
	दरी फर्श एवं निवार						
1.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	-	-	-	-	1	1
2.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	2	7	1	-	-	10
3.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	2	1	-	-	-	3
4.	खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी	-	1	4	5	5	15
	योग	4	9	5	5	6	29
	प्रतिशत	(13.79)	(31.03)	(17.24)	(17.24)	(20.69)	(100)

Contd .

1. सूती बुनाई	57	42	24	7	7	137
2. पोलिस्टर बुनाई	1	-	1	-	-	2
3. ऊनी बुनाई	13	21	23	14	24	95
4. दरी बुनाई	4	9	5	5	6	29
योग	75	72	53	26	37	263
प्रतिशत	(28.52)	(27.38)	(20.15)	(9.88)	(14.07)	(100)

सर्वेक्षित संस्थाओं में सूती, पोलिस्टर, ऊनी एवं दरी फर्श की बुनाई करने वालों की आय श्रृंखला की जानकारी तालिका संख्या 6:35 से मिलती है।

उक्त तालिका दर्शाती है कि सर्वेक्षण में सूती खादी बुनने वाले 137 परिवारों में 57 (कुल का 41.61 प्रतिशत) रु2400 तक वार्षिक आय वाली श्रृंखला में आते हैं और मात्र 7 (कुल का 5.11 प्रतिशत) की औसत वार्षिक आय रु6000 से अधिक है लेकिन ऊनी खादी बुनाई के संदर्भ में गुणात्मक बदलाव देखने में आता है। सर्वेक्षित 95 बुनकरों में 24 (कुल का 25.26 प्रतिशत) की वार्षिक आय रु6000 से अधिक और रु2400 तक की आय श्रृंखला में मात्र 13 (कुल का 13.68 प्रतिशत) आते हैं। दरी फर्श बुनने वाले भी इस दृष्टि से बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि सर्वेक्षित 29 बुनकरों में 6 (कुल का 20.69 प्रतिशत) की वार्षिक आय रु6000 से अधिक है और केवल 4 (कुल का 13.79 प्रतिशत) की आय रु2400 वार्षिक से कम है। अभी तक कोई भी पोलिस्टर बुनकर ऊंची आय श्रृंखला में नहीं आया है।

सर्वेक्षित बुनकरों में अधिक संख्या सूती ऊनी खादी बनने वालों की है। इसमें 95 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ जन जाति से संबंधित परिवार हैं। बुनाई करने वाले सवर्ण परिवार बहुत कम हैं। दरी फर्श बुनने वालों में अल्प संख्यक वर्ग के परिवारों का बाहुल्य है। लेकिन फिर भी संस्था की स्वल्पता को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक संदर्भ में बुनाई से प्राप्त आय का विश्लेषण ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा इसलिए सामाजिक संदर्भ के स्थान पर केन्द्रवार बुनकरों को हुई आय का विश्लेषण किया गया है।

परम्परागत खड्डी से 93 बुनकरों ने सूती वस्त्र की बुनाई की। उनकी प्रति परिवार औसत वार्षिक आय रु.2476 आई है, अर्थात् प्रतिमाह लगभग 200। राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़ के गोविन्दगढ़ केन्द्र पर खड्डी से बुनाई करने वालों की औसत वार्षिक आय मात्र रु.1616 पाई गयी है।

सूती खादी का फ्रेमलूम से काम करने वाले 44 बुनकरों की औसत वार्षिक आय रु.4032 थी। बस्सी क्षेत्र में फ्रेमलूम पर काम करने वालों की औसत आय मात्र रु.3097 वार्षिक थी, जब कि राजस्थान खादी संघ, चौमूं केन्द्र पर रु.5803।

परम्परागत खड्डी से ऊनी वस्त्र बुनाई करने वाले बुनकरों की औसत वार्षिक आय रु.4175 थी। सर्वाधिक आय सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस से संबंधित बुनकरों की रही है रु.

6412 और सबसे कम सुरधना खादी ग्रा.समिति, सुरधना जिला बीकानेर के बुनकरों की रु. 3419 वार्षिक ।

फ्रेमलूम से ऊन बुनाई करने वालों की औसत वार्षिक आय रु.6842 रही है-खड्डी से ऊन कपड़ा बुनने वालों की अपेक्षा लगभग 60 प्रतिशत ज्यादा । नागौर जिला खादी ग्रा.संघ, नागौर से संबंधित बुनकरों ने रु.12083 वार्षिक औसत आय बताई है जो सबसे अधिक है और वर्तमान संदर्भ में जिसे समुचित आय माना जा सकता है । खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी से संबंधित ऊनी वस्त्र बुनकरों की औसत वार्षिक आय मात्र रु.4031 है जो बहुत कम है ।

दरी-निवार बुनने वालों की औसत वार्षिक आय चार हजार दो सौ रुपये रही है लेकिन लोक भारती समिति, शिवदासपुरा से संबंधित दरी बुनकरों की औसत आय मात्र रु. 1881 वार्षिक रही है, जो बहुत कम है । बस्सी समिति के बांसखो केन्द्र पर दरी बुनने वालों की प्रति बुनकर औसत वार्षिक आय रु.5313 है, तो रींगस केन्द्र से संबद्ध सर्वेक्षित एक मात्र दरी बुनकर की औसत आय रु.7798 है, जो सर्वाधिक है ।

दरी-निवार बुनने वालों में 6 बुनकर अल्प संख्यक समुदाय से संबंधित हैं और चार अनुसूचित जाति एवं जन जातियों से । समग्र दृष्टि से देखें तो उनकी औसत वार्षिक आय अपेक्षाकृत कम है क्रमशः रु.3094 एवं रु.2528 मात्र ।

पोलिस्टर वस्त्र बुनाई, जो फटका साल से की जाती है, से हुई वार्षिक आय का औसत भी अभी तक रु.2668 रुपये आया है । लोक भारती समिति, शिवदासपुरा से संबद्ध दोनों पोलिस्टर वस्त्र बुनकर अभी इस क्षेत्र में नये-नये ही हैं । उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस साल उनकी आय दुगुनी से ज्यादा जायेगी ।

हमने पेडल लूम (सेमी ऑटोमेटिक) पर की जाने वाली बुनाई से अर्जित आय का भी आंकलन किया है । बस्सी समिति के दूधली केन्द्र के पोली वस्त्र बुनने वाले 10 बुनकरों को अगस्त, 1987 में 6746.80 रु. की सकल आय हुई । अर्थात् उस महीने की प्रति बुनकर औसत आय रु. 674.68, लेकिन सर्वाधिक कमाई करने वाले बुनकर ने इस महीने में रु.1252.50 कमाये तो न्यूनतम कमाने वाले ने रु. 121.20 । जानकारी करने से पता चला कि वह मकान बनाने में व्यस्त रहने के कारण पूरे समय कार्य नहीं कर पाया था ।

सितम्बर, 1987 में इसी केन्द्र के सेमी ऑटोमेटिक लूम पर बुनाई करने वाले 8 बुनकरों ने रु.7672.70 बुनाई अर्जित की तथा प्रति बुनकर औसत मासिक आय रु.959.10 रही । बुनाई से अधिकतम मासिक आय श्री रूपनारायण पुत्र ग्यारसा नामक बुनकर को हुई रु.1485.30 पैसे और सबसे कम हुई किशन पुत्र मंगला को मात्र रु.460.80 । अधिकतम आय वाले बुनकर की औसत दैनिक आय लगभग रु. 49.50 आती है जो वर्तमान संदर्भ में कम नहीं आंकी जा सकती ।

उक्त आंकड़े संकेत देते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक लूम के जरिये बुनाई करने वाले का

फ्रेमलूम की तुलना में 60 प्रतिशत से अधिक एवं खड्डी से होने वाली आय से दुगुनी से अधिक आय हो सकती है।

तालिका संख्या 6:36

बुनाई से आय की स्थिति (सूती बुनाई)

क्र.सं.	संस्था का नाम		बुनकर संख्या	कुल आय (रु)	प्रति बुनकर
	परंपरागत खड्डी				
1.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	चाकसू	9	26758	2973
		कोटखावदा	6	12716	2119
2.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	चौमूं	15	31846	2123
3.	सीकर जिला खादी ग्रा.समिति, रींगस	दिवराला	15	34295	2286
		मूंडरी	15	31703	2114
4.	राज.खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़	13	21014	1616
		बांसा	20	71926	3596
		योग	93	230258	2476
	सूती बुनाई (फ्रेमलूम)				
1.	खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी	बस्सी	20	61942	3097
2.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	चाकसू	5	26181	5236
		कोटखावदा	14	60259	4304
3.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	चौमूं	5	29016	5803
		योग	44	177398	4032
		महायोग	137	407656	2976
	दरी - निवार बुनाई एवं सामाजिक संदर्भ				
	अल्प संख्यक वर्ग के बुनकर				
1.	राज.आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	शाहाबाद	6	18561	3094
	अनुसूचित जाति एवं जन जाति बुनकर				
1.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	शाहाबाद	4	10110	2528
	पोलिस्टर वस्त्र बुनाई (फटका साल)				
1.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	चाकसू	2	5336	2668

* वर्ष 1987-88 की तुलना में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई।

नये सेमीऑटोमेटिक लूम केन्द्र माधोगढ़ पर 7 बुनकरों ने सितम्बर,1987 में रु 2879.65 बुनाई से अर्जित किये। इस प्रकार प्रति बुनकर मासिक आय का औसत रु 408.90 रहा। लेकिन अगस्त,1987 में 5 बुनकरों ने रु.2843.75 अर्जित किये थे अर्थात् प्रति बुनकर औसत मासिक आय 569 के लगभग थी। अगस्त की तुलना में सितम्बर में आय में इस कमी का एक कारण बुनाई के लिए समय पर सूत न मिलना बताया गया है।

तालिका संख्या 6:37

ऊनी बुनाई - परम्परागत खड्डी

(रु.)

क्र.सं.	संस्था का नाम	बुनकर संख्या	कुल आय	प्रति बुनकर आय
	परम्परागत खड्डी			
1.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	17	84257	4956
2.	सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	16	55664	3479
3.	नागौर जिला खादी ग्रा. संघ, नागौर	6	21136	3523
4.	सीकर जिला खादी ग्रा.समिति, रींगस	4	25649	6412
5.	राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	6	20516	3419
6.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	8	29426	3678
7.	खादी ग्रामोदय सघन विकास समिति, बस्सी	6	26351	4392
	योग	63	262999	4175
	ऊनी बुनाई फटका साल (फ्रेमलूम)			
1.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	8	59169	7396
2.	सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	4	27574	6894
3.	नागौर जिला खादी ग्रामोदय संघ, नागौर	5	60415	12083
4.	राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	4	27441	6860
5.	खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति, बस्सी	11	44346	4031
	योग	32	218945	6842
	महायोग	95	481944	5073
	निवार - दरी बुनकर			
1.	खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी	15	79698	5313
2.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर (शाहबाद)	10	28671	2867
3.	लोक भारती समिति, शिवदासपुरा	3	5642	1881
4.	सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति, रींगस	1	7798	7798
	योग	29	121809	4200

हमने फ्रेमलूम पर बुनाई करने वाले मानमाल खादी ग्रामोदय समिति, राणपुर के 15 बुनकरों की आय का भी सर्वेक्षण किया। ये सभी बुनकर महिलाएं थीं और नियत समय पर शेड में आकर बुनाई कार्य करती थीं। बुनाई से इनकी औसत वार्षिक आय रु.3274 थी और मासिक रु.273, लेकिन एक बुनकर की अधिकतम मासिक आय रु.498.17 थी।

कत्तिनों एवं बुनकरों से साक्षातकार (सामाजिक, आर्थिक एवं तक़नीकी राय)

इस अध्ययन में कत्तिनों एवं बुनकरों से परिवार स्तर पर तथ्य संग्रह कर पारिवारिक संरचना, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, तथा आर्थिक संरचना में कताई-बुनाई से होने वाली आय का स्थान, कर्जदारी आदि मुद्दों पर जानकारी एकत्र की गयी है। इसी संदर्भ में खादी तकनीक के बारे में कत्तिन- बुनकरों की राय भी जानी गयी है और वर्तमान तकनीक की कठिनाइयों को जानने का प्रयास भी किया गया है। यहां यह स्पष्ट करना उचित रहेगा कि आगे दिये गये तथ्य परिवारों द्वारा बताये गये आंकड़ों पर आधारित हैं। पारिवारिक आय, खादी कार्य से हुई आय का सकल आय में स्थान एवं कर्ज आदि की जानकारी परिवार के मुखिया द्वारा बतायी गयी है। गांवों में हिसाब रखने की परम्परा नहीं है। अत:यह जानकारी उनकी याददाश्त पर आधारित है।यह अनुमान सत्य के नजदीक हो, इसका भरसक ध्यान रखा गया है।

इस अध्ययन में निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया है:

1. सर्वेक्षित परिवारों की सामाजिक-शैक्षिक स्थिति
2. परिवार की आर्थिक स्थिति और उसमें खादी कार्य का योगदान
3. खादी तकनीक एवं कठिनाईयों के बारे में राय
4. कताई बुनाई कार्य में लगे लोगों को सामाजिक विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि (1) कताई के काम में सभी सामाजिक स्तर के लोग लगे हैं। इसमें उच्च जाति, मध्यम जाति, अ.जाति, अल्प संख्यक समुदाय आदि सभी सामाजिक स्थिति के लोग हैं। (2) बुनकर आमतौर पर कोली, मेघवाल, बलाई, जातियों के लोग हैं, लेकिन अन्य लोग भी अब इस कार्य में आने लगे हैं। साक्षरता की दृष्टि से देखें तो कत्तिन बुनकरों में खास अन्तर नहीं हैं। सर्वेक्षित परिवारों में साक्षरता की स्थिति सारणी संख्या 7:1 में दी गयी

है ।

सारणी संख्या 7:1

सर्वेक्षित परिवारों में साक्षरता की स्थिति

क्र.सं.	संस्था का नाम	कत्तिन		बुनकर		योग	
		संख्या	साक्षर	संख्या	साक्षर	संख्या	साक्षर
1.	खादी ग्रा. प्रतिष्ठान, बीकानेर	413	12	90	3	503	15
2.	सुरधना खादी ग्रा. समिति, सुरधना	87	8	37	6	124	14
3.	राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	45	-	-	-	45	-
4.	खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	151	22	82	9	233	31
5.	कबीर बस्ती समिति, जैसलमेर	43	4	43	10	86	14
6.	जैसलमेर जिला खादी ग्रा. परिषद, जैसलमेर	194	47	31	3	225	50
7.	ग्रा. विकास मंडल, देवगढ़	174	40	108	15	282	55
8.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	140	9	100	3	240	12
9.	राजस्थान खादी संघ, चौमू	256	108	69	26	325	134
10.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	121	23	84	18	205	41
11.	खैराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	164	73	125	24	289	97
	योग	1788	746	769	117	2557	463
	प्रतिशत	(19.35)		(15.21)		(18.11)	

परिवार सर्वेक्षण में प्राप्त तथ्यों के आधार पर ।

सारणी से स्पष्ट है कि कत्तिन बुनकरों में साक्षरता कुल का 15.21 प्रतिशत है । यदि अलग-अलग देखें तो पाते हैं कि कत्तिनें 19.38 प्रतिशत साक्षर हैं जबकि बुनकरों में साक्षरता 15.21 प्रतिशत ही है । कत्तिन बुनकरों में साक्षरता विभिन्न संस्थाओं में अलग-अलग है । इस परिस्थिति को सारणी 7:2 में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ।

उक्त सारणी से विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न क्षेत्रों में कत्तिन बुनकरों में साक्षरता की स्थिति का स्पष्ट चित्र सामने आता है । यदि संस्थावार देखें तो सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत राजस्थान खादी संघ के चौमू क्षेत्र में हैं । यहां कत्तिन-बुनकरों की साक्षरता 41.23 प्रतिशत है । कत्तिनों में 42.19 और बुनकरों में 37.68 प्रतिशत । कत्तिनों में सबसे अधिक साक्षरता खैराड़ ग्रामोदय संघ के सावर क्षेत्र में 44.51 प्रतिशत है । कबीर बस्ती, जिला-जैसलमेर में बुनकर साक्षरता 23.26 प्रतिशत है, जबकि कत्तिन साक्षरता मात्र 9.30 प्रतिशत पायी गई है ।

सारणी संख्या 7:2

सर्वेक्षित कत्तिन व बुनकर परिवारों में शिक्षा का प्रतिशत

क्र.सं. संस्था का नाम	कत्तिन	बुनकर	योग
1. खादी ग्रा. प्रतिष्ठान, बीकानेर	2.91	3.33	2.98
2. सुरधना खादी ग्रा. समिति, सुरधना	9.20	16.22	11.29
3. खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	14.57	10.98	13.30
4. कबीर बस्ती समिति, जैसलमेर	9.30	23.26	16.28
5. जैसलमेर जिला खादी ग्रा. परिषद, जैसलमेर	24.23	9.68	22.22
6. खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	22.99	13.69	19.50
7. सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	6.43	3.00	5.00
8. राजस्थान खादी संघ, चौमू	42.19	37.68	41.23
9. ग्राम सेवा मण्डल, करौली	19.00	21.43	20.00
10. खैराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	44.51	19.20	33.56
योग	19.35	15.21	18.11

सारणी संख्या 7:3

कताई-बुनाई से प्रति परिवार प्रति व्यक्ति आय (वार्षिक)

(आय रुपयों में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	कार्य का प्रकार	कत्तिन संख्या	प्रति परिवार आय	प्रति व्यक्ति आय
1.	खादी ग्रा. विकास मण्डल, देवगढ़	(क) कताई	31	255	45
		(ख) बुनाई	20	3603	667
2.	जैसलमेर जिला खादी ग्रा.परिषद, जैसलमेर	(क) कताई	27	1009	140
		(ख) बुनाई	5	3620	584
3.	कबीर बस्ती, जिला-जैसलमेर	(क) कताई	7	671	100
		(ख) बुनाई	8	3812	[illegible]
4.	खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी स. बालोतरा	(क) कताई	28	1259	239
		(ख) बुनाई	17	3618	750
5.	राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	(क) कताई	9	659	135
6.	राजस्थान खादी संघ, चौमू	(क) कताई	53	581	[illegible]
		(ख) बुनाई	12	5710	[illegible]
7.	सुरधना खादी ग्रा. समिति, सुरधना	(क) कताई	13	628	[illegible]
		(ख) बुनाई	6	[illegible]	[illegible]

Contd.

8. खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	(क) कताई	56	173	24
	(ख) बुनाई	12	3475	463
9. ग्राम सेवा मण्डल, करौली	(क) कताई	21	2741	476
	(ख) बुनाई	13	5843	904
10. सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	(क) कताई	30	1054	226
	(ख) बुनाई	15	6093	914
11. खैराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	(क) कताई	25	892	190
	(ख) बुनाई	20	2149	341

* वर्ष 93 तक 50 प्रतिशत वृद्धि ।

सारणी संख्या 7:4

सर्वेक्षित परिवारों की सकल आय में खादी उद्योग से प्राप्त आय का अंश

क्र.सं. *संस्था का नाम*	*कार्य का प्रकार*	*खादी कार्य से प्राप्त आय सकल आय का प्रतिशत*
1. खादी ग्रा. विकास मण्डल, देवगढ़	(क) कताई	5.94
	(ख) बुनाई	69.25
	योग	33.73
2. जैसलमेर जिला खादी ग्रा.परिषद, जैसलमेर	(क) कताई	18.73
	(ख) बुनाई	85.78
	योग	27.22
3. कबीर वस्ती, जिला-जैसलमेर	(क) कताई	17.03
	(ख) बुनाई	100.00
	योग	60.59
4. खादी ग्रामोद्योग उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	(क) कताई	31.81
	(ख) बुनाई	87.86
	योग	53.19
5. राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	(क) कताई	21.99
6. राजस्थान खादी संघ, चौमूं	(क) कताई	83.70
	(ख) बुनाई	100.00
	योग	94.30
7. मुरधना खादी ग्रा. समिति, मुरधना	(क) कताई	28.60
	(ख) बुनाई	100.00
	योग	55.62

Contd...

8. खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	(क) कताई	7.78
	(ख) बुनाई	89.48
	योग	30.00
9. ग्राम सेवा मण्डल, करौली	(क) कताई	37.54
	(ख) बुनाई	88.37
	योग	55.79
10. सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	(क) कताई	20.38
	(ख) बुनाई	100.00
	योग	49.90
11. खेराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	(क) कताई	16.32
	(ख) बुनाई	51.62
	योग	26.70

कुल 10 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों में कत्तिन साक्षरता ज्यादा है जबकि 4 क्षेत्रों में बुनकरों की साक्षरता का प्रतिशत अधिक है। उक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकांश संस्थाएं खादी कार्य के साथ-साथ साक्षरता कार्यक्रम पर भी जोर देती रही हैं और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से साक्षर बनाने में रूचि रखती हैं।

3. कताई-बुनाई का कुल पारिवारिक आय में क्या स्थान है इसकी जानकारी प्राप्त करने का भी प्रयास किया है। सारणी संख्या 7:3 से यह स्पष्ट है कि कताई की तुलना में बुनाई से अधिक आय होती है और आय की स्थिति सभी संस्थाओं में एक सी नहीं है। सारणी प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। कताई से प्रति परिवार अधिकतम वार्षिक आय करोली में रु2741.00 और प्रति व्यक्ति रु476.00 रु. है। दूसरा स्थान बालोतरा क्षेत्र का है जहां प्रति व्यक्ति कताई से वार्षिक आय रु239.00 है। अन्य क्षेत्रों में इससे कम आय पायी गयी। बुनाई से प्रति परिवार सबसे अधिक वार्षिक आय रींगस क्षेत्र में रु6093.00 है जबकि प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय चौमूं क्षेत्र में रु993.00। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय में रींगस एवं करौली क्षेत्र का स्थान है, जहां यह क्रमशः रु914.00 एवं रु904.00 है।

नोट: प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति यह आय सर्वेक्षित सभी परिवारों का औसत है। यह ध्यान रखना होगा कि कत्तिन एवं बुनकर कतिपय कारणों से पूरे समय काम नहीं करते अतः इस आय को पूरी क्षमता का प्रतीक नहीं मानना चाहिये। यह मात्र औसत आय है।

आय संबंधी तथ्य को कुल आय के रूप में देखना उचित होगा। सारणी संख्या 7:4 में विभिन्न क्षेत्रों में कताई-बुनाई से होने वाली आय का कुल आय में क्या स्थान है, इसका विवरण दिया गया है। इसी सारणी में कताई बुनाई को शामिल करने पर जो स्थिति बनती है, वह भी दर्शाया गया है।

कत्तिन बुनकर की आय तथा परिवार की कुल आय में उसके स्थान को अलग-अलग देखने के साथ-साथ संयुक्त रूप से देखने पर तुलनात्मक स्थिति का अंदाज लगता है। ऊपर की सारणी में कत्तिन-बुनकर दोनों की आय की स्थिति को एक स्थान पर दर्शाया गया है। इस दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि चौमूं क्षेत्र में कत्तिन-बुनकर दोनों की इस संदर्भ में अच्छी स्थिति है।

इसी प्रकार बालोतरा, सुरधना, करौली, रींगस में भी कत्तिन-बुनकर दोनों की स्थिति ठीक है और कताई, बुनाई दोनों से अन्य स्थानों की तुलना में अधिक आय होती है।

सारणी संख्या 7:5

सर्वेक्षित कत्तिन परिवारों में कुल आय में खादी से आय का प्रतिशत

(प्रतिशत)

क्र.सं.	संस्था का नाम	खादी से आय	अन्य आय	कुल आय
1.	खादी ग्रा. प्रतिष्ठान, बीकानेर	7.78	92.22	100.00
2.	सुरधना खादी ग्रा. समिति, सुरधना	23.66	71.24	100.00
3.	राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	20.17	79.83	100.00
4.	खादी औद्योगिक सहकारी समिति, बालोतरा	31.81	68.19	100.00
5.	कबीर वस्ती समिति, जैसलमेर	17.03	82.97	100.00
6.	जैसलमेर जिला खादी ग्रा. परिषद, जैसलमेर	18.73	81.27	100.00
7.	खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	7.83	92.67	100.00
8.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	20.38	79.62	100.00
9.	राजस्थान खादी संघ, चौमूं	83.70	16.80	100.00
10.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	37.54	62.46	100.00
11.	खैराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	16.32	83.68	100.00
	योग	22.08	77.92	100.00

* वर्ष 93 तक 50 प्रतिशत वृद्धि।

कताई से आय-खादी उत्पादन में कताई का कार्य सबसे अधिक व्यापक है। कताई कार्य में अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन उक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस कार्य से होने वाली आय का कुल आय में करीब 22 प्रतिशत ही अंश है। सर्वेक्षित परिवारों में मात्र चौमूं की स्थिति यह है कि वहां कत्तिन परिवारों की सकल पारिवारिक आय में करीब 83 प्रतिशत भाग कताई से प्राप्त होता बताया गया। इसी प्रकार बालोतरा में 31 एवं करौली में 37 और सुरधना में 29 प्रतिशत आय कताई से होती बतायी गयी। अन्य क्षेत्रों में यह 25 प्रतिशत से कम पायी गयी। इस संबंध में कुछ बातों का उल्लेख उपयुक्त होगा। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी आय का मुख्य स्रोत कताई है। खासकर रेगिस्तानी क्षेत्र में ऐसे परिवार अधिक मिलते हैं। कई परिवारों में अकेली महिला है और वह मुख्यतः कताई पर निर्भर करती है। यह भी सामने आया कि मध्यम एवं उच्च जातीय परिवारों की

महिलाएं,जो कि बाहर खेतों पर अन्य मजदूरी नहीं करती हैं, अपने घरों में इस काम को करके अपनी जीविका चलाती हैं। कताई महिलाओं को उनके घरों में ही रोजगार प्रस्तुत करती हैं। यह बात सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार की कताई पर लागू होती है। यहां जो तथ्य दिये गये हैं वे भी ऊनी-सूती दोनों के संयुक्त हैं।

बुनाई से आय-कताई की अपेक्षा बुनाई की स्थिति भिन्न है। बुनाई प्राय:पूर्ण रोजगार है। यदि बुनकर पूरी क्षमता से इस कार्य में सतत लगे तो उसे एवं उसके परिवार को इससे पूरा रोजगार प्राप्त होता है। सारणी संख्या 7:6 से यह स्पष्ट है। सर्वेक्षित बुनकर परिवारों में ऐसे परिवार भी हैं जिनकी शत-प्रतिशत आय का स्रोत बुनाई है। जैसलमेर जिले की कबीर बस्ती एवं बीकानेर जिले के सुरधना के बुनकरों को शत प्रतिशत आय खादी बुनाई (ऊनी) से प्राप्त होती है। यही स्थिति रींगस एवं चौमू के बुनकरों की है। यहां ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार की बुनाई होती है। अन्य क्षेत्रों में भी कई जगह 80 प्रतिशत से अधिक आय बुनाई से होती है। कुल मिलाकर देखें तो सर्वेक्षित बुनकर परिवारों की 84.25 प्रतिशत आय बुनाई से होती है जबकि मात्र 15.75 प्रतिशत अन्य कार्यों से होती है। स्पष्ट है ये बुनकर अपनी मुख्य शक्ति बुनाई कार्य में ही लगाते हैं। बुनाई से कितनी आय होती है,यह इस बात पर निर्भर करती है कि बुनकर वर्ष में कितने दिन पूरा काम करता है।

सारणी संख्या 7:6

सर्वेक्षित बुनकरों की सकल आय में खादी व्यवसाय से हुई आय का अंश

क्र.सं.	संस्था का नाम	खादी से आय	अन्य आय	कुल आय
1.	खादी ग्रा. प्रतिष्ठान, बीकानेर	89.48	10.52	100.00
2.	सुरधना खादी ग्रा. समिति, सुरधना	100.00	-	100.00
3.	राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	-	-	-
4.	खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	87.86	12.14	100.00
5.	कबीर बस्ती समिति, जैसलमेर	100.00	-	100.00
6.	जैसलमेर जिला खादी ग्रा. परिषद, जैसलमेर	85.78	14.22	100.00
7.	खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	69.25	30.75	100.00
8.	सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	100.00	-	100.00
9.	राजस्थान खादी संघ, चौमू	100.00	-	100.00
10.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	88.37	11.63	100.00
11.	खैराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	51.62	48.38	100.00
	योग	84.35	15.75	100.00

कत्तिन बुनकर परिवारों में कर्जदारी

सर्वेक्षण के दौरान कत्तिन-बुनकर परिवारों में कर्जदारी की स्थिति के बारे में भी जानकारी की

गयी । अगली सारणी सं.7:8, 7:9, 7:10 एवं 7:11 में कर्ज की स्थिति का विश्लेषण किया गया है । सारणी सं. 7:8 में सभी कत्तिन परिवारों में कुल कर्जे की स्थिति दर्शायी गयी है । सर्वेक्षित कत्तिन परिवारों पर कुल रु.778400.00 का कर्ज था । सामाजिक दृष्टि से देखने पर यह बात सामने आती है कि प्राय: सभी सामाजिक श्रेणी की कत्तिनों में प्रति परिवार कर्जदारी में ज्यादा अन्तर नहीं है । उच्च जातीय (सवर्ण एवं अन्य जातियां) कत्तिन परिवारों में प्रति परिवार औसत कर्जदारी 5749.00 रु. है जबकि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कत्तिन परवारों में 5318.00 रु. है । अल्प संख्यक वर्ग (मुसलमान) की कत्तिनों में 4125.00 रु. कर्जदारी पायी गयी । क्षेत्रीय स्थिति को देखें तो सर्वाधिक कर्जदारी रींगस क्षेत्र की कत्तिनों में है ।

सारणी संख्या 7:7
सर्वेक्षित कत्तिन परिवारों पर कुल ऋणभार

(रुपयों में)

क्र.सं. संस्था का नाम	क	ख	ग	योग
1. खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	50500	-	228600	279100
2. सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	47000	-	71000	118000
3. राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	-	-	6000	6000
4. खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	2000	-	69000	71000
5. कबीर वस्ती समिति, जैसलमेर	-	-	28600	28600
6. जैसलमेर जिला खादी ग्रा. परिषद, जैसलमेर	9000	-	6000	15000
7. खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	41500	11000	23000	75500
8. सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	39200	-	66000	105200
9. राजस्थान खादी संघ, चौमू	-	-	-	-
10. ग्राम सेवा मण्डल, करौली	-	-	20000	20000
11. खेराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	35000	22000	3000	60000
योग	224200	33000	521200	778400

क. अन्य जाति वर्ग, ख. अल्पसंख्यक वर्ग, ग. अनु.जाति व जन जाति वर्ग

सामाजिक संदर्भ में बुनकरों में कर्जदारी को देखने पर यह तथ्य सामने आया कि अधिकांश बुनकर अनुसूचित जाति के हैं और उनमें प्रति परिवार कर्जदारी 6011.00 रु. पायी गयी । बुनकरों में भी सर्वाधिक कर्जदारी रींगस के बुनकरों में प्रति परिवार 10115.00 रु. पायी गयी । सवर्ण एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बुनकरों की संख्या नगण्य है और उन पर कर्ज का भार भी कम पाया गया । सर्वेक्षण में सवर्ण जाति के मात्र 2 बुनकर हैं जिनपर औसत कर्जदारी रु.2500.00 है जबकि अल्पसंख्यक श्रेणी पर यह कर्जदारी रु.6500.00 है । अनुसूचित जाति के बुनकर जिनका पारम्परिक धन्धा बुनाई है और जो गरीब वर्ग में हैं उन पर कर्ज का भार कम नहीं है ।

सारणी संख्या 7:8

कत्तिनों परिवारों पर कर्ज

क्र.सं. संस्था का नाम	सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग		अल्प संख्यक वर्ग		अनुसूचित जाति-जन जाति वर्ग		योग	
	कुल कर्जा लेने वाले परिवार	प्रति परिवार पर कर्ज (रु.)	कुल कर्जा लेने वाले परिवार	प्रति परिवार पर कर्ज (रु.)	कुल कर्जा लेने वाले परिवार	प्रति परिवार पर कर्ज (रु.)	कुल कर्जा लेने वाले परिवार	प्रति परिवार पर कर्ज (रु.)
1. खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	7	7214	-	-	35	6531	42	6645
2. गुरुपना खादी ग्रामोदय समिति, गुरुपना	2	23500	-	-	10	7100	12	9833
3. राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	-	-	-	-	2	3000	2	3000
4. खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	-	2000	-	-	23	3000	24	2958
5. कबीर बस्ती समिति, जैसलमेर	-	-	-	-	7	4086	7	4086
6. जैसलमेर जिला खादी ग्रा. परिषद, जैसलमेर	3	3000	-	-	2	3000	5	3000
7. खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	12	3458	3	3667	7	3286	22	3432
8. सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	4	9800	-	-	7	9429	11	9564
9. राजस्थान खादी संघ, चौमू	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ग्राम सेवा मण्डल, करौली	-	-	-	-	4	5000	4	5000
11. मेवाड़ ग्रामोदय संघ, गागर	10	3500	5	4400	1	3000	16	3750
योग	39	5749	8	4125	98	5318	145	5368

सारणी संख्या 7:9

सामाजिक श्रेणी के अनुसार बुनकर परिवारों पर कर्ज

क्र.सं.	संस्था का नाम	सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग		अल्प संख्यक वर्ग		अनु. जाति-जन जाति वर्ग		योग	
		परिवार संख्या	प्रति परिवार कर्ज (रु.)	परिवार संख्या	प्रति परिवार कर्ज (रु.)	परिवार संख्या	प्रति परिवार कर्ज (रु.)	परिवार संख्या	प्रति परिवार कर्ज (रु.)
1.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	-	-	-	-	12	6733	12	6733
2.	सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	-	-	-	-	6	9833	6	9833
3.	खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	-	-	-	-	10	3400	10	3400
4.	कबीर बस्ती समिति, जैसलमेर	-	-	-	-	8	4813	8	4813
5.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद, जैसलमेर	-	-	-	-	2	2000	2	2000
6.	खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	-	-	-	-	12	2708	12	2708
7.	सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति, रींगस	-	-	2	10000	13	10115	15	10100
8.	राजस्थान खादी संघ, चौमू	-	-	1	4000	-	-	1	4000
9.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	-	-	-	-	6	3033	6	3033
10.	ढूंढाड़ ग्रामोदय संघ, सावर	2	2500	1	2800	15	3087	18	2961
	योग	2	2500	4	6500	84	6011	90	5287

सारणी संख्या 7:10

सर्वेक्षित बुनकर परिवारों पर सकल कर्जा

(रु०)

क्र.सं. संस्था का नाम	क	ख	ग	योग
1. खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	-	-	80800	80800
2. गुरधना खादी ग्रामोदय समिति, गुरधना	-	-	59000	59000
3. खादी ग्रा. औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	-	-	34000	34000
4. कबीर बस्ती समिति, जैसलमेर	-	-	38500	38500
5. जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद, जैसलमेर	-	-	4000	4000
6. खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	-	-	32500	32500
7. सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति, रींगस	-	20000	131500	151500
8. राजस्थान खादी संघ, चौमू	-	4000	-	4000
9. ग्राम सेवा मण्डल, करौली	-	-	18200	18200
10. खैराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	5000	2000	46300	53300
योग	5000	26000	444800	475800

क. सवर्ण एवं अन्य जातियां, ख. अल्प संख्यक, ग. अ.जा. अ.ज. जाति

सारणी संख्या 7:11

सर्वेक्षित कत्तिनों को रोजगार

(उत्तरदाताओं की राय)

क्र.सं. संस्था का नाम	पूर्ण रोजगार	आंशिक रोजगार	योग
1. खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	-	56	56
2. गुरधना खादी ग्रामोदय समिति, गुरधना	-	13	13
3. राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	-	9	9
4. खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	-	28	28
5. कबीर बस्ती समिति, जैसलमेर	-	7	7
6. जैसलमेर जिला खादी ग्रा. परिषद, जैसलमेर	-	27	27
7. खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	-	31	31
8. सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	23 (77)	7 (23)	30
9. राजस्थान खादी संघ, चौमू	1 (2)	52 (98)	53
10. ग्राम सेवा मण्डल, करौली	-	21	21
11. खैराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	18 (72)	7 (28)	25
योग	42 (14)	258 (86)	300

कोष्ठक में दिये गये मान प्रतिशतता दर्शाते हैं।

खादी और रोजगार: कामगारों का अभिमत

खादी कार्य में लगी कत्तिन-वुनकरों के रोजगार के वारे में कहा जाता है कि उन्हें पूरा एवं आर्थिक रोजगार नहीं मिलता है । इस कार्य से होने वाली आय के अवलोकन से स्पष्ट है कि कत्तिन को अंशकालीन रोजगार मिलता है, जवकि वुनकरों को पूर्ण रोजगार। साक्षातकार के दौरान कत्तिन-वुनकरों से इस कार्य में मिल रहे रोजगार की क्षमता के वारे में राय जानी गयी है । इस वारे में दो प्रकार के तथ्य सामने आये हैं । एक,कत्तिन-वुनकरों को मिलने वाली आय के संदर्भ में पूर्ण एवं आंशिक रोजगार की स्थिति का विश्लेषण । दो,कत्तिन वुनकरों की राय में खादी के काम (कत्तिन-वुनकर) में रोजगार की संभावना । उनसे यह पूछा गया था कि कताई-वुनाई से किस सीमा तक रोजगार मिल सकता है । इस वारे में उन्होंने अपनी राय स्पष्ट शब्दों में वतायी है । उत्तरदाताओं के अनुसार कताई आंशिक रोजगार है । अत: उसे जीविका के लिए अन्य स्त्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है । कताई का कार्य महिलाएं आमतौर पर फुरसत के समय करती हैं । जव उन्हें अन्य कार्य मिल जाता है तो कताई का काम कम करती हैं या वन्द कर देती हैं । इस प्रकार कताई से प्राप्त आय पारिवारिक आय में सहयोगी भूमिका निभाती है । लेकिन उत्तरदाताओं की राय में वुनाई पूर्णकालीन रोजगार प्रदान करती है । उनका मानना है कि यदि पूरे समय काम मिले तथा उन्नत साधन दिये जायें तो वुनाई सक्षम आर्थिक आधार प्रदान कर सकती है ।

आगे की सारणियों में उत्तरदाताओं की इस वारे में राय का विश्लेषण किया गया है:

सारणी संख्या 7:12

सर्वेक्षित कत्तिन परिवारों द्वारा अन्य कार्य

(संख्या)

क्र.सं.	*संस्था का नाम*	*मजदूरी*	*नौकरी*	*कृषि*	*अन्य*
1.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, वीकानेर	56 (100.00)	-	-	-
2.	सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	13 (100.00)	-	-	-
3.	राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	-	-	-	9 (100.00)
4.	खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, वालोतरा	28 (100.00)	-	-	-
5.	कवीर वस्ती समिति, जैसलमेर	7 (100.00)	-	-	-
6.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद, जैसलमेर	-	-	-	27 (100.00)

Contd...

सारणी संख्या 7:13

सर्वेक्षित कत्तिनों को खादी कार्य में रोजगार (जातीय संदर्भ)

क्र.सं. संस्था का नाम	पूर्ण रोजगार			आंशिक रोजगार			योग		
	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग
1. खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	-	-	-	20	1	35	20	1	35
2. गुराना खादी ग्रामोदय समिति, गुराना	-	-	-	3	-	10	3	-	11
3. राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	-	-	-	7	-	2	7	-	2
4. खादी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति, बालोतरा	-	-	-	6	-	22	6	-	22
5. कबीर बस्ती समिति, जैसलमेर	-	-	-	-	-	7	-	-	7
6. जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद्, जैसलमेर	-	-	-	4	-	23	4	-	23
7. खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	-	-	-	21	3	7	21	3	7
8. सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	16	-	7	3	-	4	19	-	11
9. राजस्थान खादी संघ, चौमू	1	-	-	48	1	3	49	1	3
10. ग्राम सेवा मण्डल, करौली	-	-	-	-	-	21	-	-	21
11. मेवाड़ ग्रामोदय संघ, सावर	12	5	1	7	-	-	19	5	1
योग	29	5	8	119	5	134	148	10	142

क-सवर्ण, ख-अल्प संख्यक, ग-अजा/जजा।

7. खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	20	6	5	-
	(64.52)	(19.35)	(16.13)	
8. राजस्थान खादी संघ, चौमू	53	-	-	-
	(100.00)			
9. सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस	30	-	-	-
	(100.00)			
10. ग्राम सेवा मण्डल, करौली	10	-	-	11
	(47.62)			(52.38)
11. खैराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	21	-	-	4
	(84.00)			(16.00)
योग	238	6	5	51
	(79.33)	(2.00)	(1.67)	(17.00)

कोष्टक में दिये गये मान प्रतिशतता दर्शाते हैं।

सर्वेक्षित 300 कत्तिनों में 42 कत्तिन (कुल का 14 प्रतिशत) अपना पूरा समय कताई में लगाती है और 258 कत्तिनें पूर्ण कालिक कताई कार्य नहीं करती। सीकर जिला खादी ग्रा. समिति, रींगस की 30 सर्वेक्षित कत्तिनों में से 23 कत्तिनों (कुल का 77 प्रतिशत) का कथन है कि वे पूरे समय कताई करती हैं। इसी प्रकार खैराड़ ग्रामोदय संघ, सावर की 25 कत्तिनों में 18 (कुल का 72 प्रतिशत) का ऐसा कथन है।

उक्त सारणी से यह तथ्य सामने आता है कि कुल उत्तरदाता कत्तिनों में से 79.33 प्रतिशत परिवार कताई के अलावा मजदूरी कार्य में लगे हैं। नौकरी एवं कृषि कार्य को मुख्य धन्धा मानने वालों की संख्या काफी कम है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। इस कारण काफी लोग मजदूरी से अपनी जीविका चलाते हैं। उत्तरदाताओं ने कृषि को कम महत्व दिया। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि गत कई वर्षों से वर्षा नहीं होने के कारण खेती में प्रायः काम नहीं रहा। इसका दूसरा विकल्प मजदूरी ही रह गया है। रोजगार के विकल्प को अगर सामाजिक श्रेणी वार देखना चाहें तो सारणी संख्या 7:14 में देख सकते हैं।

कताई का कार्य पूर्ण रोजगार नहीं दे सकता है, इस राय के उत्तरदाताओं की संख्या 98 प्रतिशत रही। मात्र 2 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि कताई भी जीविका का मुख्य स्रोत हो सकता है। पहले दिये गये तथ्यों से भी स्पष्ट है कि कुछ कत्तिनों की जीविका का मुख्य स्रोत कताई है।

बुनाई-सर्वेक्षण के दौरान तथ्यों से यह बात सामने आयी कि बुनकर पूर्ण रूप से बुनाई पर निर्भर हैं। कई बुनकर अन्य कार्यों में भी लगे हैं, लेकिन साक्षात्कार में प्राप्त तथ्यों पर यह कहा जा सकता है कि बुनाई से उन्हें जो मजदूरी प्राप्त होती है वह पर्याप्त नहीं है। बुनाई कार्य में दो व्यक्ति लगते हैं। लेकिन इस कार्य से दोनों व्यक्तियों को बहुत कम आय होती है। यही कारण है कि बुनकर बुनाई के साथ-साथ अन्य कार्य भी करते हैं।

सारणी संख्या 7:14

सर्वेक्षित कत्तिन परिवारों की खादी द्वारा पूर्ण रोजगार के संबंध में राय

क्र.सं.	संस्था का नाम	पूर्ण रोजगार मिल सकता है	रोजगार नहीं मिल सकता	योग
1.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	-	56 (100.00)	56
2.	गुरधना खादी ग्रामोदय समिति, गुरधना	-	13 (100.00)	13
3.	राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	-	9 (100.00)	9
4.	खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	-	28 (100.00)	28
5.	कबीर बस्ती समिति, जैसलमेर	-	7 (100.00)	7
6.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद, जैसलमेर	-	27 (100.00)	27
7.	खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	1 (3.23)	30 (96.77)	31
8.	राजस्थान खादी संघ, चौमू	-	53 (100.00)	53
9.	सीकर जिला खादी ग्रा. परिषद, रींगस	-	30 (100.00)	30
10.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	5 (23.81)	16 (76.19)	21
11.	खैराड़ ग्रामोदय संघ, मावर	-	25 (100.00)	25
	योग	6 (2.00)	294 (98.00)	300 (100)

कोष्ठक में दिये गये मान प्रतिशतता दर्शाते हैं।

सारणी संख्या 7:15

सर्वेक्षित बुनकर परिवारों द्वारा अन्य कार्य

क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्था एवं कुल सर्वेक्षित बुनकरों का प्रतिशत		
		मजदूरी	नौकरी	कोई कार्य नहीं मिलता
1.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	-	-	12 (100.00)
2.	गुरधना खादी ग्रामोदय समिति, गुरधना	-	-	6 (100.00)
3.	राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	-	-	-
4.	खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	-	-	17 (100.00)
5.	कबीर बस्ती समिति, जैसलमेर	8 (100.00)	-	-
6.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद, जैसलमेर	-	-	5 (100.00)
7.	खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	10 (50.00)	3 (15.00)	7 (35.00)
8.	सीकर जिला खादी ग्रा. परिषद, रींगस	10 (66.67)	-	5 (33.33)
9.	राजस्थान खादी संघ, चौमू	12 (100.00)	-	-
10.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	1 (7.69)	-	12 (92.31)
11.	खैराड़ ग्रामोदय संघ, मावर	20 (100.00)	-	-
	योग	61 (47.66)	3 (2.34)	64 (50.00)

कोष्ठक में दिये गये मान प्रतिशतता दर्शाते हैं।

सारणी से स्पष्ट है कि बुनकर बुनाई के साथ-साथ मजदूरी या अन्य कार्य भी करते हैं । कुल उत्तरदाताओं में से 47.66 प्रतिशत बुनकर मजदूरी करते हैं और 2.34 प्रतिशत नौकरी में भी लगे हैं । 50 प्रतिशत बुनकरों ने बताया कि उनके पास बुनाई के अलावा अन्य कोई धन्धा नहीं है । इस कारण अन्य स्रोतों के आय नहीं हो पाती है । यदि काम मिले तो कर सकते हैं । स्पष्ट है ये लोग भी बुनाई से संतोषजनक आय नहीं प्राप्त कर पाते हैं । फिर भी इससे अधिक लाभ कर काम नहीं मिलने के कारण पूर्णतः बुनाई पर निर्भर करते हैं । अगली सारणी से भी यह स्पष्ट होता है कि बुनाई को पूर्ण रोजगार का साधन मानने वालों की संख्या कम है, मात्र 28.91 प्रतिशत । करीब 45.31 प्रतिशत ने इस बारे में कोई राय नहीं व्यक्त की है । इन तथ्यों पर से यह कहा जा सकता है कि बुनाई पूर्ण रोजगार है या नहीं, इस बारे में बुनकरों की राय स्पष्ट नहीं है ।

वर्तमान तकनीक की स्थिति को देखते हुए अभी उनके मन में असमंजस की स्थिति है । यदि तकनीक में सुधार और उत्पादकता बढ़े या बुनाई की दर बढ़े तो उन्हें पूर्ण रोजगार प्राप्त हो सकता है । हाल में विकसित ग्रामलक्ष्मी कर्घा अधिक आय देने वाला है । बुनकरों की अपेक्षा है कि इसी प्रकार अधिक विकसित करघा दिया जाये, बुनाई के लिए सूत एवं ऊनी धागा समय पर मिलता रहे एवं बुनाई दर बढ़ाई जाये ताकि इस कार्य में पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सके तथा उन्हें अन्य कामों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े ।

सारणी संख्या 7:16

सर्वेक्षित बुनकर परिवारों की खादी द्वारा पूर्ण रोजगार के संबंध में राय

क्र.सं. संस्था का नाम	*हां*	*नहीं*	*राय नहीं*	*योग*
1. खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	12	-	-	12
2. सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	-	-	6	6
3. राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	-	-	-	-
4. खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	14 (82.35)	-	3 (17.65)	17
5. कबीर बस्ती समिति, जैसलमेर	-	-	8	8
6. जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद, जैसलमेर	-	-	5	5
7. खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	-	-	20	20
8. सीकर जिला खादी ग्रा. परिषद, रींगस	-	-	15	15
9. राजस्थान खादी संघ, चौमू	-	12 (100.00)	-	12
10. ग्राम सेवा मण्डल, करौली	11 (84.62)	1 (7.69)	1 (7.69)	13
11. खैराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	-	20 (100.00)	-	20
योग	37 (28.91)	33 (25.78)	58 (45.31)	128

कोष्ठक में दिये गये मान प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

सारणी संख्या 7:17

खादी द्वारा पूर्ण रोजगार उपलब्धि के संबंध में सर्वेक्षित बुनकरों की राय

क्र.सं.	संस्था का नाम	पूर्ण रोजगार	आंशिक रोजगार	कोई राय नहीं	योग
1.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	12 (100.00)	-	-	12
2.	सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	-	6 (100.00)	-	6
3.	खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	17 (100.00)	-	-	17
4.	कबीर बस्ती समिति, जैसलमेर	-	-	8 (100.00)	8
5.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद, जैसलमेर	-	5 (100.00)	-	5
6.	खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	7 (35.00)	12 (60.00)	1 (5.00)	20
7.	सीकर जिला खादी ग्रा. परिषद, रींगस	-	15 (100.00)	-	15
8.	राजस्थान खादी संघ, चौमू	-	12 (100.00)	-	12
9.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	11 (84.62)	1 (7.69)	1 (7.69)	13
10.	खैराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	-	20 (100.00)	-	20
	योग	47 (36.72)	71 (55.47)	10 (7.81)	128

कोष्ठक में दिये गये मान प्रतिशतता दर्शाते हैं।

सर्वेक्षित बुनकर परिवार 128 हैं लेकिन हर परिवार में दो या तीन व्यक्ति बुनाई की प्रक्रियाओं में लगे रहते हैं। इस प्रकार बुनाई में कार्यरत कुल कामगारों की संख्या 313 है जिनमें 65 कामगार पूरे समय काम करते हैं और 248 अंश कालिक कार्य करते हैं।

कुल सर्वेक्षित 128 बुनकर परिवारों में मात्र 47 परिवारों ने यह मत व्यक्त किया कि बुनाई से पूर्ण रोजगार मिल सकता है। लेकिन इन 47 परिवारों में से देवगढ़ के जिन 7 परिवारों ने पूर्ण रोजगार वाला मन्तव्य प्रकट किया है कि उन्होंने संकेत दिया है कि उन परिवारों के 21 सदस्य मिलकर पूरे समय काम करते हैं। इसी प्रकार खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान बीकानेर के जिन 12 परिवारों ने यह मत प्रकट किया है कि बुनाई से उन्हें पूर्ण रोजगार मिला हुआ है, उन्होंने इस तालिका में संकेत दिया है कि उनके परिवारों के 45 सदस्य मिलकर बुनाई व्यवसाय करते हैं। इसी प्रकार सुरधना में बुनाई कार्य में 6 परिवार लगे हैं, जबकि उन परिवारों के 17 सदस्य मिलकर अपना धन्धा चलाते हैं। इसी प्रकार बालोतरा में बुनाई व्यवसाय में लगे परिवारों की संख्या जहां 17 है, वहीं बुनाई कार्य में लगे व्यक्तियों की 29 है। कबीर बस्ती में सर्वेक्षित 8 परिवारों के 17 सदस्य इस कार्य में लगे हैं तो जैसलमेर में 5 परिवारों के 11 और देवगढ़ के 20 परिवारों के 37 जिनमें 21 पूर्ण कालिक कामगार हैं। सीकर जिले में कार्यरत परिवारों की संख्या 15 है लेकिन कामगारों की 39। इसी प्रकार ग्राम सेवा मण्डल, करौली में बुनाई करने वाले 13 परिवारों के 48 सदस्य बुनाई में योगदान देते हैं और खैराड़ ग्रामोदय संघ, सावर में 20 परिवारों के 44 सदस्य पूर्ण कालिक कामगार हैं।

सारणी संख्या 7:18

सामाजिक श्रेणी और खादी कार्य में बुनकरों को रोजगार की स्थिति

क्र.सं. संस्था का नाम	पूर्ण रोजगार			आंशिक रोजगार			योग		
	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग
1. खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	-	-	-	-	-	45	-	-	45
2. सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	-	-	-	-	-	17	-	-	17
3. खादी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति, बालोतरा	-	-	-	-	-	29	-	-	29
4. कबीर वस्त्री समिति, जैसलमेर	-	-	-	-	-	17	-	-	17
5. जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद, जैसलमेर	-	-	-	-	-	11	-	-	11
6. खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	-	-	21	-	-	16	-	-	37
7. सीकर जिला खादी ग्रा. परिषद, रींगस	-	-	-	-	-	26	-	-	26
8. राजस्थान खादी संघ, चौमू	-	-	-	-	2	37	-	2	37
9. ग्राम सेवा मण्डल, करौली	-	-	-	-	-	48	-	-	48
10. खेराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	6	2	36	-	-	-	6	2	36
योग	6	2	57	-	2	246	6	4	303

क-सवर्ण, ख-अल्प संख्यक, ग-अजा/जजा।

कत्तिन बुनकरों द्वारा खादी वस्त्र का उपयोग

खादी कार्य में लगे लोगों से यह अपेक्षा रहती है कि ये खादी वस्त्र का उपयोग करेंगे। गांधीजी ने तो यहां तक अपेक्षा रखी थी कि जो काते, वह अवश्य पहनें और जो पहने, वह अवश्य कातें। उनकी यह भी अपेक्षा थी कि खादी काम करने वाले आदतन खादी धारी हों और केवल खादी वस्त्र का ही उपयोग करें। लेकिन उन बातों की पूर्ति खादी कामगारों द्वारा पूर्णतः नहीं होती पाई गयी। खादी में लगे लोगों को खादी के उपयोग की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। (1) ऐसे लोग जो पूर्णतः खादी पहनते हैं। इनमें संचालक मण्डल के सदस्य एवं संस्था में कार्यरत पूर्ण कालिक कार्यकर्ता आते हैं। (2) ऐसे लोग जो आंशिक रूप से खादी का उपयोग करते हैं, इनमें कत्तिन, बुनकर एवं अन्य कामगार आते हैं। यहां खादी का उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर ही मानना चाहिये, परिवार स्तर पर नहीं। पूरा परिवार आदतन खादी धारी हो ऐसा बहुत कम है। सर्वेक्षण के दौरान खादी उत्पादन कार्य में लगे कत्तिन-बुनकरों से खादी वस्त्र के उपयोग के बारे में जानकारी एकत्र की गयी थी।

कत्तिन बुनकरों को खादी खरीद पर विशेष छूट दी जाती है। संस्था द्वारा दी जाने वाली मजदूरी के आधार पर कत्तिन-बुनकर को कूपन दिये जाते हैं। जिसके बदले वे खादी प्राप्त करते हैं। उन्हें इस बात की छूट रहती है कि अपनी आवश्यकता को देखते हुए जैसी खादी चाहें खरीद लें। सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली कि कत्तिन-बुनकरों द्वारा सामान्यतः चादर, खेस, रजाई के खोल, कम्बल, तौलिया आदि खरीदा जाता है। यह बात भी सामने आयी कि कत्तिन रोज पहनने वाले वस्त्र जैसे साड़ी, लहंगा आदि प्रायः नहीं खरीदती हैं। बुनकर कुछ हद तक धोती-कुरते के कपड़े खरीदते हैं।

आगे की सारणियों में कत्तिन-बुनकरों द्वारा एक वर्ष में खरीदे गये वस्त्र की जानकारी दी गयी है। इसका विश्लेषण सामाजिक श्रेणी के अनुसार भी किया गया है। सर्वेक्षित कत्तिनों द्वारा खादी खरीद की स्थिति इस प्रकार है (सारणी 7:19)।

सारणी से यह तथ्य सामने आता है कि कत्तिनों में खादी खरीद के प्रति खास रुचि नहीं है। विभिन्न संस्थाओं के क्षेत्र में खादी खरीद की स्थिति में भी काफी अन्तर है। सबसे अधिक खरीद रींगस में अनुसूचित जाति वर्ग की कत्तिनों द्वारा प्रति कत्तिन रु.255.00 है। दूसरा स्थान बीकानेर का है। सामाजिक दृष्टि से औसत रूप में देखें तो पाते हैं कि सवर्ण जाति की कत्तिनों ने औसत रु.61.85 की खादी ली, जबकि अनुसूचित जाति की कत्तिनों ने 132.02 रु. की खादी ली। खादी कितनी ली जाती है यह कत्तिन द्वारा काते गये सूत की मात्रा और ली गयी मजदूरी पर निर्भर करता है। खादी खरीद की रकम से स्पष्ट है कि औसत प्रति कत्तिन 100.00 रु. की खादी खरीदी जाती है। बुनकरों की स्थिति थोड़ी भिन्न है। बुनकरों ने औसत रु.108.01 की खादी खरीदी है। बुनकरों में सबसे अधिक खादी खरीद रु.525.00 की है। स्पष्ट है बुनकर अपेक्षाकृत खादी का उपयोग अधिक करते हैं।

सारणी संख्या 7:19

सामाजिक श्रेणी के अनुसार कत्तिन परिवारों द्वारा खादी की खरीद

(रु.में)

क्र.सं. संस्था का नाम	प्रति कत्तिन खादी खरीद (वर्ष 1986-87)			
	क	ख	ग	योग
1. खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	127.75	-	159.02	147.65
2. सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	40.00	-	78.00	69.23
3. राजस्थान खादी संघ, चौमू	62.14	-	82.05	66.66
4. खादी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति, बालोतरा	108.83	-	122.72	119.64
5. कबीर बस्ती समिति, जैसलमेर	-	-	128.57	128.57
6. जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद, जैसलमेर	87.50	-	91.30	90.74
7. खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	12.85	30.00	52.85	23.54
8. सीकर जिला खादी ग्रा. परिषद, रींगस	81.26	-	255.00	144.96
9. ग्राम सेवा मण्डल, करौली	-	-	140.85	140.85
10. खैराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	10.52	18.00	-	12.08
योग	61.85	22.05	132.92	100.60

क - अन्य जातियां (सवर्ण), ख - अल्पसंख्यक वर्ग, ग - अ.जा./अ.ज.जा.

खादी तकनीक में सुधार एवं उनका उपयोग

खादी उत्पादन कार्य में उपयोग में लाये जाने वाले साधनों में सुधार-परिवर्तन के बारे में कत्तिन-बुनकरों की क्या राय है ? नये साधनों की स्वीकृति कितनी है ? वर्तमान साधनों की क्या कठिनाईयां हैं ? आदि मुद्दों पर उनकी राय जानने का प्रयास किया गया है। यह राय कत्तिन एवं बुनकरों दोनों से अलग-अलग ली गयी हैं।

कत्तिनों से यह पूछा गया कि क्या उन्हें कताई साधनों में हो रहे या अब तक हुए सुधार की जानकारी है, कत्तिन उत्तरदाताओं में से 78 प्रतिशत ने यह स्वीकार किया है कि कताई साधनों में सुधार हुआ है, जबकि 22 प्रतिशत को सुधार की जानकारी नहीं है। वे विकसित तकनीक से अभी तक अनभिज्ञ हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि 98.73 प्रतिशत अनुसूचित जाति की कत्तिनों को विकसित साधनों का ज्ञान है और वे मानती हैं कि कताई के साधनों में सुधार हुआ है। इसी प्रकार सवर्ण कत्तिन उत्तरदाताओं में से 71.62 प्रतिशत ने सुधरे साधनों की जानकारी बताई और 28.38 प्रतिशत ने अनभिज्ञता प्रगट की। अल्पसंख्यक समुदाय (मुसलमान) अभी भी नयी तकनीक से अनभिज्ञ पाया गया है क्यों कि 90 प्रतिशत ने विकसित साधनों के प्रति अज्ञानता बतायी है। स्पष्ट है कत्तिनों में अनुसूचित जाति की कत्तिनों को विकसित साधनों का अधिक ज्ञान है और वे नये साधनों का उपयोग करने के प्रति रूचि रखती है।

नीचे की सारणी में इस बात को अधिक स्पष्टता से देखा जा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर

सारणी संख्या 7:20

बुनकरों द्वारा खादी खरीद

(रु में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	सवर्ण एवं अन्य जाति वर्ग		अल्प संख्यक वर्ग		अनु.जाति एवं जन जाति		योग	
		परिवार संख्या	प्रति परिवार खरीद	परिवार संख्या	प्रति परिवार खरीद	परिवार संख्या	प्रति परिवार खरीद	परिवार संख्या	प्रति परिवार खरीद
1.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	-	-	-	-	12	525	12	525
2.	[illegible] खादी ग्रामोदय समिति, [illegible]	-	-	-	-	6	375	6	375
3	खादी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति, बालोतरा	-	-	-	-	14	139	14	139
4.	कबीर [illegible] समिति, जैसलमेर	-	-	-	-	8	338	8	338
5.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद, जैसलमेर	-	-	-	-	5	350	5	350
6	खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	-	-	-	-	20	102	20	102
7.	सीकर जिला खादी ग्रा. परिषद, सीकर	-	-	-	-	14	138	14	138
8	राजस्थान खादी संघ, चौमू	-	-	1	25	-	-	1	25
9.	ग्राम सेवा मण्डल, [illegible]	-	-	-	-	12	144	12	144
10	[illegible] ग्रामोदय संघ, [illegible]	3	50	1	40	16	46	20	47
	योग औसत	3	50	2	145	107	203	112	198

में क्या वे विकसित तकनीक एवं साधनों का उपयोग करते हैं,जो तथ्य सामने आये वे इस प्रकार हैं:

सारणी संख्या 7:21

कत्तिनों द्वारा सुधरी तकनीक का उपयोग

(प्रतिशत में)

विवरण	*सुधरे साधनों का उपयोग किया*	*उपयोग नहीं किया*
क. सवर्ण जातियां	71.62	28.38
ख. अल्पसंख्यक वर्ग (मुसलमान)	10.00	90.00
ग. अनुसूचित जाति	88.73	11.27
योग	77.67	22.33

उक्त सारणी से भी इस बात की पुष्टि होती है कि अनुसूचित जाति की कत्तिनों ने, अन्य सामाजिक श्रेणी की कत्तिनों की अपेक्षा विकसित साधनों का अधिक उपयोग किया । कहा जा सकता है कि खादी कार्य ने सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित समुदाय में विकसित साधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाई है ।

यदि इस प्रश्न को सामाजिक संदर्भ में न देखकर सामान्य रूप में देखें तो आगे की सारणी क्षेत्र एवं संस्थागत स्थिति अधिक स्पष्ट करती है:

सारणी संख्या 7:22

तकनीक में सुधार के बारे में सर्वेक्षित कत्तिनों की राय

(संख्या प्रतिशत में)

क्र.सं.	*संस्था का नाम*	*तकनीक में सुधार हुआ*	*सुधार नहीं हुआ*	*योग*
1.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	55(98.21)	1(1.79)	56
2.	सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	13(100.00)	-	13
3.	राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	5(55.56)	4(44.44)	9
4.	खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति, बालोतरा	28(100.00)	-	28
5.	कबीर वस्ती समिति, जैसलमेर	7(100.00)	-	7
6.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद, जैसलमेर	19(70.37)	8(29.63)	27
7.	खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	8(25.81)	23(74.19)	31
8.	सीकर जिला खादी ग्रा. परिषद, रींगस	28(93.33)	2(6.67)	30
9.	राजस्थान खादी संघ, चौमू	43(81.13)	10(18.67)	53
10.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	21(100.00)	-	21
11.	मेवाड़ ग्रामोदय संघ, मावर	6(24.00)	19(76.00)	25
	योग	233(77.67)	67(22.33)	300

कोष्ठक में दिये गये मान प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

सारणी से स्पष्ट है कि विभिन्न क्षेत्रों में विकसित तकनीक के प्रति जागरूकता एवं उपयोग की स्थिति में अन्तर है । कुल 77.67 प्रतिशत की राय में साधनों में सुधार हुआ है, जब कि 22.33 प्रतिशत ने सुधार के प्रति अज्ञानता प्रकट की है । यहां यह बात भी सामने आयी कि गुरधना, बालोतरा, कबीर बस्ती, करौली क्षेत्र के शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कताई के साधनों में सुधार की बात को स्वीकार किया है । बीकानेर, रींगस, जैसलमेर की भी अधिकांश कतिनों को सुधार का ज्ञान है । इसी संदर्भ में यह जानने का भी प्रयास किया गया कि कताई के काम में क्या कठिनाईयां हैं । अभी वे जिन साधनों पर कताई का कार्य करते हैं, उनमें कठिनाई के बारे में पूछने पर जो तथ्य सामने आया, उस पर से यह कहने की स्थिति में हैं कि 70.67 प्रतिशत ने वर्तमान साधनों को चलाने में कोई कठिनाई नहीं बतायी, जब कि 29.33 प्रतिशत की राय में कुछ न कुछ कठिनाई आती है । इन कठिनाईयों में मुख्य है (1) चरखे की मरम्मत समय पर न होना और (2) असमान पूनी मिलना ।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कतिनों में नये साधनों के प्रति जागरूकता है और उनमें उन्हें स्वीकार करने की तैयारी भी है । जिन क्षेत्रों में नये साधन दिये गये हैं, वहां की कतिनों ने उसे स्वीकार किया है ।

सारणी संख्या 7:23

सर्वेक्षित कत्तिन परिवारों की औजार की कठिनाई के संबंध में राय

क्र.स. संस्था का नाम	हां	नहीं	योग
1. खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	56(100.00)	-	56
2. गुरधना खादी ग्रामोदय समिति, गुरधना	13(100.00)	-	13
3. राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	-	9 (100.00)	9
4. खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति बालोतरा	-	28 (100.00)	28
5. कबीर बस्ती समिति, जैसलमेर	-	7 (100.00)	7
6. जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद्, जैसलमेर	-	27 (100.00)	27
7. खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल देवगढ़	-	31 (100.00)	31
8. राजस्थान खादी संघ, चौमू	-	53 (100.00)	53
9. सीकर जिला खादी ग्रा. परिषद्, रींगस	-	30 (100.00)	30
10. ग्राम सेवा मण्डल, करौली	-	21 (100.00)	21
11. शेखावाटी ग्रामोदय संघ, मावर	19(76.00)	6 (24.00)	25
योग	88(29.33)	212(70.67)	300

कोष्ठक में दिये गये मान प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

बुनाई कार्य में उपयोग किये जाने वाले साधनों में जो सुधार हुआ है उनकी स्वीकृति संबंधी स्थिति की जानकारी भी प्राप्त की गयी । उत्तरदाता बुनकरों में से 61.72 प्रतिशत की राय में बुनाई कार्य में नये साधनों का प्रवेश हुआ है, जबकि 38.28 प्रतिशत की राय में इनमें सुधार [illegible]

सारणी संख्या 7:24

सर्वेक्षित बुनकर परिवारों की बुनाई से संबंधित कठिनाई के बारे में राय

(संख्या प्रतिशत में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	कम मजदूरी	कर्घे की कम उत्पादकता	उन्नत कर्घे की संकम	सूत असमान होना	डिजाइन विधि वसा की कमी	डिजाइन प्रशिक्षण का अभाव
1.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	-	12(100.00)	12(100.00)	-	12(100.00)	12(100.00)
2.	सुरधना खादी ग्रामोदय समिति, सुरधना	6(100.00)	-	-	-	-	-
3.	खादी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति, बालोतरा	14(82.35)	-	14(82.35)	-	-	-
4.	कबीर वस्त्री समिति, जैसलमेर	8(100.00)	-	-	-	-	-
5.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद, जैसलमेर	7(100.00)	-	-	-	-	-
6.	खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़	19(95.00)	15(75.00)	15(75.00)	-	-	-
7.	सीकर जिला खादी ग्रा. परिषद, रींगस	13(86.67)	8(53.33)	5(33.33)	13(86.67)	-	-
8.	राजस्थान खादी संघ, चौमू	-	-	-	-	-	-
9.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	12(92.31)	-	12(92.31)	-	-	-
10.	खेराड ग्रामोदय संघ, सावर	20(100.00)	20(100.00)	20(100.00)	-	-	-
	योग	99	55	78	13	12	12
	प्रतिशत	(77.34)	(42.97)	(60.94)	(10.16)	(9.38)	(9.38)

नहीं हुआ है। यहां यह उल्लेखनीय है कि बुनाई के कर्घे आज भी कई क्षेत्रों में पारम्परिक हैं, जबकि कई क्षेत्रों में फ्रेमलूम एवं सेमी ऑटोमेटिक कर्घों का उपयोग किया जाता है। बुनाई कार्य में मुख्यत: अनुसूचित जाति (कोली) के लोग लगे हैं। कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इस काम को करते हैं। अनुसूचित जाति के 65.55 प्रतिशत एवं मुसलमान बुनकरों में 16.67 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि बुनकर के साधनों में सुधार हुआ है। मुस्लिम बुनकरों में से 83.83 प्रतिशत ने माना कि बुनाई के साधनों में सुधार नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति के केवल 34.45 प्रतिशत ने यह मत प्रकट किया कि बुनाई साधनों में सुधार नहीं हुआ है।

बुनकरों द्वारा नयी तकनीक का उपयोग किस सीमा तक किया जाता है, इस बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई उस पर से यह कहा जा सकता है कि कुल 58.59 प्रतिशत बुनकरों ने विकसित साधनों का उपयोग किया है जबकि 41.41 प्रतिशत ने केवल पुराने साधनों पर काम किया। सामाजिक दृष्टि से देखें तो 62.18 प्रति अ.ज़ा. के बुनकरों ने नये साधनों का उपयोग किया और 37.62 प्रतिशत ने केवल पुराने साधनों पर कार्य किया। मुसलमान बुनकरों में से 16.67 प्रतिशत ने नये साधनों का उपयोग किया शेष 83.83 प्रतिशत ने पुराने साधनों पर कार्य किया।

उक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि बुनकरों में नये साधनों के प्रसार की दिशा में अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। बुनाई में नये एवं पुराने दोनों साधनों का उपयोग चल रहा है।

बुनाई कार्य में लगे बुनकरों ने वर्तमान साधनों की कठिनाई को आर्थिक प्रश्न से जोड़ा है। बुनाई पूर्ण रोजगार के रूप में देखा जाता है। इसी बात को स्वीकार कर बुनकरों का मानना है कि अधिक आमदनी के लिए आवश्यक है कि विकसित तकनीक दी जाये तथा बुनाई की दर भी बढ़ाई जाये। उनकी यह भी शिकायत है कि उन्नत कर्घों की कमी है इस कारण उनकी आय कम है।

सारणी संख्या 7:24 से बुनाई की कठिनाई के बारे में बुनकरों की राय की जानकारी मिलती है। उत्तरदाताओं में से 77.34 प्रतिशत की राय में बुनाई की दर कम है, उसे बढ़ाना चाहिये। इसी प्रकार 42.97 प्रतिशत की राय में अधिक उन्नत साधन विकसित किये जाने की जरूरत है। करीब 61 प्रतिशत बुनकरों का मानना है कि अब तक जो साधन विकसित हुए हैं पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पाये हैं। सारणी से स्पष्ट है कि बुनकर विकसित एवं अधिक उत्पादक कर्घों की अपेक्षा रखते हैं ताकि उनकी आय बढ़ सकें।

खादी उद्योग: व्यापार के रूप में (संगठनात्मक स्वरूप)

खादी कार्य का विकास समाज के गरीब वर्गों के सेवा साधन के रूप में हुआ। चरखा संघ के समय खादी का कार्य पूर्णतया गैर सरकारी स्तर पर चलता था। इसके दो विशेष आधार थे। (1) ग्राम स्वराज्य कोष के लिए एकत्रित धन राशि में से खादी के लिए दिये गये धन से संचालित खादी संगठन द्वारा उत्पादित खादी के काम में यदि घाटा रहता था तो उसकी पूर्ति दान द्वारा की जाती थी। गांधीजी ने खादी कार्य को शुद्ध व्यापार का रूप देने का प्रयास किया और इस कार्य में लगी संस्थाओं को सेवार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत कराया। इस कार्य को सामान्य उद्योग से भिन्न माना गया। जो बात मिल के माल पर लागू थी, वह खादी पर लागू नहीं होती थी। व्यावसायिक पद्धति के उत्पादन में मुनाफे की दृष्टि रहती है और मुनाफा कमाने के लिए माल को बढ़िया बनाना, उसमें खराब चीजें मिलाकर उसे अशुद्ध करना, प्रलोभन, झूठा विज्ञापन आदि प्राय: अनैतिक नहीं माने जाते। खादी में उनका स्थान नहीं है और न कम मजदूरी देने की प्रवृत्ति का ही कोई स्थान है। चरखा संघ ने खादी को बिना हानि-लाभ के आधार पर चलाने का प्रयास किया।

आजादी के बाद खादी ग्रामोद्योग को उद्योग एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन के रूप में मान्यता दी गई और इस कार्य के लिए सरकारी सहायता मिलने लगी। केन्द्र सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहले अ.भा.खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया, फिर खा.ग्रा. आयोग का गठन किया गया। राज्य स्तर पर भी खा.ग्रा. बोर्डों का गठन हुआ। इस समय खादी कार्य की एजेन्सी को, व्यवस्था एवं निर्णय दृष्टि से, दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : 1. सरकारी एजेन्सी, 2. इस कार्य में लगी संस्थाएं तथा सहकारी समितियां। चरखा संघ के समय से ही प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू हो चुकी थी। बाद में खा.ग्रा. आयोग के तहत प्रमाण पत्र समिति का गठन किया गया। आज खादी का कार्य प्रमाण पत्र समिति से [illegible]

Organisational set up to Khadi & Village Industries Commission

Notes: (i) The KVIC is assisted by Standing Advisory Committees and Honorary Adviser in some cases.

(ii) The powers, both executive and financial have been delegated in the interest of work.

(iii) The KVIC in day to day functioning is guided by provisions of KVIC Act, Rules and Regulations.

(iv) It also issues Standing and Office Orders for its work.

Organisational set up to Khadi & Village Industries Commission

Data Collection - Organogram

सहकारी समितियों के द्वारा किया जाता है। इन संस्थाओं को प्रमाण पत्र समिति के नियम एवं शर्तें माननी पड़ती हैं। उन शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है।

संगठनात्मक स्वरूप

खादी के संगठनात्मक स्वरूप पर विचार करते समय दोनों स्तर के संगठनों-सरकारी एवं संस्थागत पर विचार करना उपयोगी होगा। सरकारी तन्त्र में खादी ग्रा.आयोग एवं राज्य खा.ग्रा. बोर्ड आते हैं। संस्थागत संगठन में इन कार्य में लगी संस्थाएं एवं समितियां आती हैं। खादी उत्पादन विक्री का कार्य मुख्यतः इन संस्थाओं-समितियों द्वारा होता है। खादी-ग्रामोद्योग आयोग एवं राज्य खा.ग्रा.बोर्ड मुख्यतः वित्तीय एजेन्सी का ही कार्य करते हैं। इस समय खादी कार्य का संगठनात्मक स्वरूप इस प्रकार है:(क) खा.ग्रा. आयोग—केन्द्र सरकार द्वारा संसदीय कानून के तहत गठित इस आयोग के लिए वित्तीय प्रवन्ध केन्द्रीय वजट से किया जाता है। विभागीय स्तर पर आयोग का सम्वन्ध उद्योग विभाग से होता है। कानून के तहत आयोग का एक अध्यक्ष,सचिव एवं सदस्य होते हैं। आयोग का केन्द्रीय कार्यालय वम्बई में है। राज्य स्तर पर हर राज्य में राज्य निदेशक का कार्यालय है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय है। आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार का एक उच्च पदाधिकारी होता है। इसी प्रकार वित्तीय सलाहकार भी भारत सरकार का अधिकारी होता है। आयोग के कार्य क्षेत्र में खादी के साथ-साथ 21 ग्रामीण उद्योग भी आते हैं। इस कार्य को आगे वढ़ाने के लिए वड़ी संख्या में विकास अधिकारी,तकनीकी जानकार,सहायक आदि हैं। वर्तमान कानून के तहत आयोग को सलाह देने के लिए अ.भा.खा.ग्रा.वोर्ड का प्रावधान है,जो आयोग के लिए सलाहकार वोर्ड के रूप में कार्य करता है।[1]

(ख) राज्य खादी ग्रा.वोर्ड—राज्य खादी ग्रा.वोर्डों का गठन राज्य सरकारों द्वारा कानून के तहत किया गया है। सभी राज्यों में इस प्रकार के वोर्ड कार्यरत हैं। वोर्ड खादी एवं ग्रामोद्योग दोनों प्रकार के उद्योगों के विकास में मदद करते हैं। लेकिन यह देखा गया है कि राज्य वोर्ड प्रायः ग्रामीण उद्योगों के विकास पर अधिक जोर देते हैं। वोर्ड को वित्तीय साधन राज्य सरकार तथा खा.ग्रा. आयोग दोनों से प्राप्त होते हैं। वोर्ड का प्रशासनिक व्यय राज्य सरकार वहन करती है। जब कि योजनागत व्ययों में आयोग की हिस्सेदारी होती है। व्यवस्थागत दृष्टि से खादी कार्य के लिए वित्तीय साधन मुख्यतः आयोग से प्राप्त होते हैं। जवकि ग्रामोद्योगों के विकास में केन्द्र एवं राज्य दोनों की भागीदारी होती है। क्षेत्र में कार्यकर रही संस्थाएं दोनों (आयोग/वोर्ड) में से किसी से भी जुड़कर कार्यकर सकती हैं। खादी कार्य में लगी पुरानी एवं वड़ी (अधिक उत्पादन-विक्री करने वाली) संस्थायें आमतौर पर वित्तीय दृष्टि से आयोग से जुड़ी हैं। खादी कार्य में लगी सहकारी समितियां प्रायः राज्य वोर्ड से जुड़ी हैं। राज्य वोर्ड खादी के अतिरिक्त ग्रामोद्योग के कार्य के लिए संस्था,सहकारी समिति एवं व्यक्तिगत (दस्तकार) स्तर पर सहायता करता है। खादी कार्य के लिए वित्तीय सहायता का मुख्य अंग आयोग द्वारा प्राप्त होता है, भले

ही उसका संबन्ध राज्य बोर्ड से ही क्यों न हो । खादी पर मिलने वाली बिक्री छूट में आयोग एवं बोर्ड दोनों का योगदान होता है ।

आयोग, राज्य बोर्ड एवं इस कार्य में लगी संस्थाओं को सूत्र रूप में संलग्न चार्ट में देखा जा सकता है ।

संस्थाएं - सहकारी समितियां

खादी उत्पादन, एवं बिक्री का कार्य करने वाली सभी संस्थाएं एवं सहकारी समितियां स्वायत्त रूप में संगठित हैं । इसका कार्य क्षेत्र आयोग एवं आयोग द्वारा गठित प्रमाण पत्र समिति द्वारा निर्धारित रहता है । संगठन एवं व्यवस्था की दृष्टि से ये स्वतन्त्र होती हैं । संस्थाओं का औद्योगिक एवं व्यापारिक लेन देन कई स्तरों पर होता है । जैसे 1. खा.ग्रा. आयोग एवं राज्य बोर्ड 2. अन्य संस्थाओं के साथ लेन देन । 3. बिक्री की दृष्टि से सरकारी, थोक एवं फुटकर बिक्री, 4. व्यक्तिगत व्यापारियों से लेन देन जैसे रूई, ऊन खरीद, रंगाई, छपाई, फिनिशिंग आदि कार्य ।

अनेक संस्थाओं ने आपस में मिलकर फैडरेशन भी बनाया है जैसे राजस्थान में "राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ" है जो कि राज्य स्तर की खादी संस्थाओं का संघ है । इसके माध्यम से संस्थाओं को कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धि, ऊनी माल की फिनिशिंग, बिक्री के लिए माल का स्थान पर गोदाम, आपसी परामर्श आदि । राजस्थान का यह संघ एक सशक्त मध्यवर्ती संगठन है ।[2]

वित्तीय स्रोत

खादी कार्य के लिए वित्तीय सहायता खा.ग्रा.आयोग के नियमों के अन्तर्गत प्राप्त होती है । आयोग जिन कार्यों के लिए सहायता प्रदान करता है, उन्हें मोटे तौर पर निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है ।[3]

1. खादी कार्य को बढ़ाने के लिए निर्धारित शर्तों पर मिलने वाली पूंजी की सहायता ।
2. विज्ञान एवं तकनीक विकास ।
3. खादी बिक्री पर छूट ।
4. व्यवस्थागत खर्च ।

उक्त कार्यों का बजट प्रतिवर्ष संसद द्वारा स्वीकृत किया जाता है । आयोग से प्राप्त होने वाली सहायता एवं कर्ज के अतिरिक्त संस्थाएं बैंक से भी कर्ज प्राप्त करती है । आयोग ने इसके बारे में नियम बनाये हैं । किस संस्था को बैंक से, किस कार्य के लिए कितना कर्ज मिले, इसका निर्धारण आयोग द्वारा संस्था के कार्य, पूंजी, योजना आदि को देखकर किया जाता है ।[4]

आयोग से संस्थाओं-सहकारी समितियों को निम्नलिखित कार्यों के लिए सहायता/कर्ज प्राप्त होता है:

1. भूमि खरीद
2. गोदाम निर्माण
3. शेड निर्माण
4. भवन निर्माण
5. साधन, यंत्र, औजार
6. कार्यकारी पूंजी

किस कार्य के लिए कितनी सहायता तथा कितना कर्ज मिले, इसके नियम बने हुए हैं। ये नियम सामान्य क्षेत्रों तथा सीमावर्ती, आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हैं।

बाजार

(क) खादी बिना लाभ-हानि वाला उद्योग व्यवसाय है। इस प्रयोग में प्रचलित विपणन व्यवस्था का कोई स्थान नहीं हो सकता है। चरखा संघ के समय में बाजार की मर्यादाएं थीं। उस समय खादी राष्ट्रीय पोशाक थी। इसी के साथ इसके उपयोग का अर्थ समाज के कमजोर वर्ग, तथा गरीबों को रोजगार देना माना जाता था। जो खादी पहनते थे, वे यह मानते थे कि इससे गरीब को रोजगार मिल रहा है। इसी प्रकार खादी को एक विचार एवं खास प्रकार की अर्थ एवं समाज रचना का प्रतीक माना जाता था। गांधीजी की कल्पना में खादी में निम्नलिखित विचार समाहित थे:

1. खादी अहिंसक समाज की रचना का प्रतीक है, 2. खादी विकेन्द्रित अर्थतंत्र का प्रतीक है, 3. खादी स्वावलम्बी जीवन का प्रतीक है, 4. खादी दरिद्रनारायण की सेवा और उनके साथ तादात्म्य का प्रतीक है, 5. खादी करोड़ों लोगों को रोजगार देने का साधन है तथा 6. खादी अकाल जैसे संकट के समय राहत देने का काम है।[5] इन प्रतीकों को मानने पर यह बात स्पष्ट होती है कि खादी एक नीति पर आधारित शुद्ध उद्योग एवं व्यापार है जिसमें विज्ञापन, मुनाफा प्रलोभन एवं व्यापारिक छूट का कोई स्थान नहीं है। चरखा संघ का गठन और उसकी नीतियों के देखने पर भी इन बातों की पुष्टि होती है। चरखा संघ के समय में खादी विपणन की एक व्यवस्था थी। उन दिनों खादी बाजार निश्चित था। उसका उपयोग करने वाले उपभोक्ता भी निश्चित थे। सामान्यतः अन्य वस्तुओं की भांति खादी बिक्री पर बाजार के उतार-चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ता था। बिक्री की व्यवस्था चरखा संघ के बिक्री केन्द्रों द्वारा की जाती थी। उस समय सरकारी बिक्री या सरकारी छूट की परम्परा नहीं थी। विपणन में प्रचार या विज्ञापन का भी स्थान नहीं था। उपभोक्ता खादी को विचारधारा के आधार पर राष्ट्रीय वस्त्र, गरीबों को रोजगार देने की भावना से पहनते थे।

(ख) आजादी के बाद खादी की संस्थाओं के कार्य का विस्तार हुआ। संस्थाओं की संख्या

में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन की मात्रा, एवं उत्पादन के प्रकारों में भी वृद्धि हुई । खादी की डिजाइन, छपाई, रेडीमेड वस्त्र आदि का जिस रूप में विकास हुआ उसमें विपणन का प्रश्न भी सामने आया । खादी ग्रामोद्योग आयोग ने खादी को उद्योग तथा व्यापार का रूप प्रदान किया और बिक्री की दौड़ के साथ रिबेट (खादी बिक्री पर छूट) इस योजना के मुख्य आधार थे । इसका परिणाम यह हुआ कि खादी बिक्री "बिक्री पर छूट" पर आधारित हो गयी । इसी के साथ-साथ विज्ञापन पर जोर दिया जाने लगा। आयोग बिक्री बढ़ाने के लिए बिक्री भण्डारों को सहायता/कर्ज देता है जिसके कारण संस्थाएं अधिक से अधिक बिक्री भण्डार खोल कर बिक्री बढ़ाने का प्रयास करती हैं ।

इन प्रयासों के बावजूद बिक्री की समस्या बनी रहती है । इस समस्या को दो रूपों में समझ सकते हैं । (1) खास प्रकार के उत्पादन का स्टाक हो जाना और उसकी बिक्री कम होना, (2) अधिक बिक्री खास अवधि में (बिक्री पर छूट के समय) होना और शेष समय अत्यन्त कम बिक्री होना । इस स्थिति में उत्पादन तो पूरे वर्ष चलता रहता है लेकिन बिक्री प्रायः विक्रय छूट की अवधि में चलती है । खास प्रकार के माल की कम बिक्री क्षेत्रीय परिस्थिति, एवं उत्पादन के प्रकार आदि पर निर्भर है । उदाहरण के लिए राजस्थान में इन दिनों कम्बल का स्टॉक हो गया है । कई स्थानों पर सूती खादी का स्टॉक भी जमा है ।

खादी उत्पादन की विविधता तथा कार्य विस्तार के कारण उत्पादन में बढ़ोतरी स्वाभाविक है । खादी संस्थाएं तथा आयोग, दोनों ने खादी बिक्री की दिशा में कई स्तर पर प्रयास किये हैं तथा संस्थाओं ने बिक्री बढ़ाने के लिए बिक्री भण्डार खोले तथा आयोग इसके लिए बिक्री पर छूट दी । इसी के साथ-साथ बिक्री अभियान भी चले जिससे खास अवधि में अधिक से अधिक बिक्री हो सके । आयोग ने 1969 में विपणन निदेशालय प्रारम्भ किया । इस निदेशालय के माध्यम से बिक्री बढ़ाने का प्रयास किया जाता है । निदेशालय इस संबन्ध में सर्वेक्षण करता है, आवश्यक सुझाव देता है तथा व्यवस्था संबन्धी कार्य भी करता है । सामान्यतः निदेशालय के ये कार्य हैं: 1. भण्डार एवं बिक्री गोदामों की देखभाल, 2. विशेष छूट, 3. प्रदर्शनी, 4. खादी भवनों का संचालन, 5. खादी हुण्डी, 6. विदेशी निर्यात आदि । इस निदेशालय द्वारा दिल्ली, मद्रास, बंबई, अहमदाबाद, गोवा, भोपाल आदि में खादी भवन चलते हैं ।

आयोग ने बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय प्रबन्ध संस्थान (आई.आई.एम.ए.) अहमदाबाद से सर्वेक्षण एवं अध्ययन भी करवाया था । अध्ययन दल ने इस बारे में कई सुझाव दिये । उनके सुझावों को देखने पर खादी की दिशा का अन्दाज लग सकता है । सुझावों में कुछ इस प्रकार हैं: 1. उपभोक्ताओं की रुचि की नियमित जानकारी प्राप्त की जाये । 2. ऐसे वस्त्र जो 3 माह तक नहीं बिके, उनकी सूची बने और न बिकने के कारणों की जांच की जाये । 3. अधिक बिकने वाले उत्पादनों की जानकारी प्राप्त कर संस्थाओं को बताई जाये । 4. उत्पादन की नई दिशा के बारे में जानकारी दी जाये । 5. छपाई, रंगाई, सिलाई की नई विधा की जानकारी का क्रम और बढ़ाया जाये । नई फैशन को ध्यान में रखकर वस्त्र तैयार किये जायें । 6. उत्पादन लागत

कम करने का प्रयास किया जाये । 7. रेडीमेड वस्त्रों की मांग बढ़ रही है । अतः इस परिपेक्ष में सर्वेक्षण कर माल तैयार किया जाये । 8. खादी को व्यापारिक दृष्टि से आगे बढ़ाया जाये और इसके लिए मूल्य निर्धारण, बिक्री कला, बाजार का अध्ययन, डिजाइन, प्रिन्टिग आदि को ध्यान में रखकर कदम उठाये जांय ।[6] उक्त विवरण से स्पष्ट है कि खादी उत्पादन एवं बिक्री की दिशा एवं इस कार्य में लगे लोगों के सोचने की दृष्टि अन्य उद्योग-व्यापार जैसी है । यह महसूस किया जाने लगा है कि उद्योग व्यापार के वर्तमान माहौल में खादी उद्योग का परम्परागत स्वरूप कायम रह सकना संभव नहीं है । यही कारण है कि संस्थाएं उत्पादन तथा मांग के अनुरूप विविधता के साथ-साथ बिक्री भण्डारों को भी आधुनिक बना रही हैं । बिक्री भण्डारों की सजावट के साथ-साथ खादी विपणन में विज्ञापन का प्रवेश हो चुका है ।

इस समय देश भर में कुल 9467 ऐसे केन्द्र हैं जहां खादी उत्पत्ति के साथ बिक्री की (Production cum sale) व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त देशभर में 4863 बिक्री भण्डार हैं जहां केवल खादी बिक्री की व्यवस्था है । राजस्थान में 695 उत्पत्ति केन्द्र हैं जहाँ बिक्री की सुविधा (Production cum sale) यहां बिक्री भण्डारों की कुल संख्या 442 हैं ।[7] आयोग की ओर से खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के निर्यात व्यापार को बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है ।

इस समय सामान्यतः संस्थाएं सीधे विदेशी व्यापार में नहीं लगी हैं । यह कार्य आयोग के माध्यम से किया जा रहा है । सुन्दरवन खादी एवं ग्रामोद्योग समिति ने वर्ष 1984-85 में 1.22 लाख एवं 1985-86 में 1.79 लाख रू. की खादी का निर्यात किया है । निर्यात में मुख्य स्थान सिल्क, तथा रेडीमेड वस्त्रों का रहा है । जिन देशों में खादी भेजी गई वे हैं—ब्रिटेन, हालैण्ड, प.जर्मनी, नार्वे, स्काटलैण्ड तथा सं.रा.अमेरिका । इस समय कुल 9 एजेन्सियों ने खादी वस्त्र निर्यात की स्वीकृति ले रखी है, इनमें खादी संस्था/समिति तथा व्यक्तिगत स्तर पर निर्यात में लगी फर्में भी हैं ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस समय खादी बिक्री में निर्यात का स्थान बहुत नहीं है । इस समय गिनी चुनी संस्थाएं ही इस दिशा में प्रारंभिक कदम उठा सकी हैं । खादी विपणन का मौजूदा क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर अवश्य स्थापित है । देश के सभी क्षेत्रों की संस्थाओं का माल देश भर में बिकता है । खादी की एक खास विशेषता है—इसमें हस्तकला का स्थान सर्वोपरि होता है । यही कारण है कि इसमें प्रत्येक दस्तकार की कला की पहचान की जा सकती है । वह वस्तु तैयार करने में अपनी कला का समावेश करता है । इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के माल की अपनी विशेषता होती है । खादी में यह विशेषता सहज में देखी जा सकती है । इसी विशेपता के कारण माल की मांग क्षेत्र से वाहर, राज्य से बाहर दूर-दराज के क्षेत्रों में होती है । राजस्थान का उदाहरण ले तो टोंक की दरी, देवगढ़ का सूती खेस (चादर), वस्सी का सूती गाढ़ा, वस्त्र एवं दरी, जैसलमेर की मैरिनों ऊन के कोटिंग, शर्टिंग आदि की अपनी विशेपता है-इनकी लम्बी सूची बनाई जा सकती है । राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दक्षिण (तमिलनाडु) के अंबर वस्त्र का विशेप स्थान वन गया

है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के सूती वस्त्र, विहार के महीन धागे से वुने सूती वस्त्र, वंगाल का सिल्क, असम का मोटा सिल्क-टसर, कश्मीर, हिमाचल के उत्तम किस्म के ऊनी वस्त्र तथा राजस्थान के ऊनी वस्त्र प्रसिद्ध हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग के खादी भवनों में तैयार रेडीमेड वस्त्र भी व्यापक रूप से लोकप्रिय हुए हैं। अतः कहा जा सकता है कि उत्पादन में क्षेत्रीय स्तर पर विकसित विविधता विशेपता खादी का गुण है। इसी गुण के कारण पूरा देश खादी उत्पादन का वाजार वन गया है। वंगाल के गांवों में निर्मित सिल्क, दक्षिण के गांवों में निर्मित अंवर वस्त्र, राजस्थान-कश्मीर के ऊनी वस्त्र पूरे देश में सहज में विकते हैं। इसके लिए वाजार खोजने की आवश्यकता नहीं। उत्पादन की इस विविधता-विशेपता को क्षेत्रीय संदर्भ से आगे दस्तकार स्तर पर भी देखा जा सकता है। हाल के वर्षों में गुजरात की भानमाल खाग्रा.समिति, राणपुर में ऊनी होजरी का कार्य व्यापक हुआ है और इसकी मांग पूरे देश में है।

उत्पादन में विविधता और वाजार

खादी उत्पादनों के विपणन के संवन्ध में भारतीय प्रवन्ध संस्थान अहमदावाद एवं खाग्रा. आयोग ने जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण/अध्ययन किये तथा महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, ये सुझाव वाजार एवं विपणन की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। ग्राहकों को आकर्पित करने, तथा उनका मानस वनाने की कला की जानकारी की दिशा में भी उनके सुझाव लाभकर हो सकते हैं, लेकिन खादी के विकास की जो परम्परा रही है तथा इसके पीछे जो विचार, व्यवहार की वात है, उसमें एक अन्य मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। खादी एक कलात्मक उद्योग है। इसमें दस्तकार अपनी कला कुशलता का उपयोग करता है और उत्पादन के प्रत्येक अंश में उसकी कला एवं कुशलता का चिन्ह दिखाई देता है। इसी के साथ प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन की अपनी विशेपता है, उसकी जानकारी उपभोक्ता को दी जाय। उपभोक्ता हस्तकला की विशेपता को ध्यान में रखकर ही माल खरीदता है। इसलिए यह व्यवस्था लाभप्रद रहेगी कि उपभोक्ता को माल की क्षेत्रीय विशेपताओं की पूरी जानकारी हो। इसके लिए आवश्यक हो तो विक्रेता को प्रशिक्षित किया जाय, और खादी उत्पादनों की विशेपताओं के वारे में पोस्टर फोल्डर वितरित किये जायें या ऐसे ही अन्य प्रयास किये जायें। इस प्रकार खादी विपणन में माल की क्षेत्रीय विशेपता की जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इससे विक्री वढ़ सकती है। यह प्रयास हस्तकला में लगे दस्तकारों को प्रोत्साहन देनेवाला भी होगा। दूर-दराज के दस्तकारों को यदि उपभोक्ता खास नाम से जान जायेंगे तो दस्तकार को अपनी कला को और अधिक सुधारने की प्रेरणा मिलेगी।

नवां अध्याय

सुझाव एवं नीतिगत टिप्पणी

(1) जैसा कि अध्ययन से स्पष्ट है वस्त्र के उपयोग का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ-साथ वढ़ता है । इस कार्य में उपयोग में लाये जाने वाले यंत्र-औजार भी उस दिशा में किये जा रहे सतत् खोज, आविष्कार एवं प्रयोग के परिणाम हैं । हम जिस वस्त्र का उपयोग करते हैं, वह मानव द्वारा विकसित तकनीक, एवं उसकी कुशलता का ही परिणाम है । मनुष्य ने अपनी कुशल कारीगरी, अंगुलियों की सफाई एवं गहन चिन्तन और प्रयोग से विविध प्रकार के वस्त्र निर्माण की कला विकसित की । 18वीं सदी में इस कला का यंत्रीकरण किया गया और कारीगर की कुशलता का स्थान यंत्रों ने ले लिया । भारत में हाथ से वने वस्त्र कला के विकास का स्वर्ण युग 17वीं सदी तक रहा । कालान्तर में उसका ह्रास हो गया । यहां की वस्त्र कला हाथ कते और हाथ वुने वस्त्र के रूप में विकसित हुई थी । इस सदी के तीसरे दशक में गांधीजी ने हाथ कते या हाथ वुने वस्त्र को खादी के नाम से संवोधित किया और आज भी खादी वस्त्र की मुख्य विशेपता उसका हाथ कता तथा हाथ बुना होना है । गांधीजी ने खादी को मात्र वस्त्र का एक उद्योग व्यापार नहीं माना, उन्होंने इसे सर्वोदय एवं अर्थ रचना का प्रतीक माना । उन्होंने खादी को जो वैचारिक एवं व्यावहारिक रूप दिया, उसे संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है-(1) खादी अहिंसक समाज रचना की प्रतीक है। (2) खादी विकेन्द्रित अर्थतन्त्र की प्रतीक है। (3) वह स्वावलम्बी-परस्परावलम्वी जीवन पद्धति की ओर वढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है । (4) खादी दरिद्रनारायण की सेवा और उसके साथ तादात्म्य होने का मार्ग वनाती है । (5) खादी करोड़ों लोगों को आंशिक एवं पूर्णकालीन रोजगार देने का साधन है । (6) खादी अकाल जैसे संकट के समय राहत देने का साधन भी है । स्पष्ट है खादी एक नीति पर आधारित शुद्ध उद्योग व्यापार है जिसमें विज्ञापन, प्रलोभन, आन्दोलन तथा होड़ एवं लाभ कमाने की वृत्ति को स्थान नहीं है ।

यह विचारणीय है कि उक्त सैद्धांतिक मान्यताओं एवं अपेक्षाओं पर आधारित खादी कार्य की आज वैचारिक एवं व्यावहारिक स्थिति क्या है तथा वह किस दिशा में वढ़ रही है ।

(2) खादी के पिछले करीब 60 वर्ष के इतिहास में खादी के विचार एवं व्यवहार में काफी उतार चढ़ाव आये हैं। गांधीजी ने खादी विचार को आधारभूत रूप दिया और चरखा संघ के माध्यम से उसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया। चरखा संघ ने 1950-51 तक खादी को वैचारिक आधार पर लाभ हानि रहित शुद्ध उद्योग व्यापार रूप में चलाने का प्रयास किया, हालांकि उस समय भी विचार और व्यवहार में दूरी रहती थी,लेकिन यहां कहा जा सकता है कि सैद्धान्तिक लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास निष्ठा पूर्वक किया जाता था। चरखा संघ के समय में विचार व्यवहार के बीच की दूरी का एक उदाहरण लिया जा सकता है। गांधीजी ने खादी कार्य में लगे कामगारों को जीवन-निर्वाह के लायक पारिश्रमिक देने की बात कही और प्रति कत्तिन दैनिक आठ आने पारिश्रमिक मिले,इस पर जोर दिया। परन्तु उस समय तक विकसित खादी उत्पादन साधनों-यंत्रों की उत्पादन क्षमता,खादी की कीमत तथा अन्य बातों को ध्यान में रखकर उतना पारिश्रमिक देना संभव नहीं हो सका। शायद उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर गांधीजी ने अधिक विकसित साधनों के विकास पर जोर दिया। यहां यह बात स्मरणीय है कि उन दिनों खादी केन्द्र सभी प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों,समाज सेवा तथा नई समाज रचना के केन्द्र के रूप में कार्य करते थे - उन दिनों खादी आश्रम राष्ट्रीय राजनैतिक कार्यक्रमों के केन्द्र बिन्दु,तथा प्रकाश स्तम्भ भी था। बहुत बार खादी के कार्यकर्ता खादी आश्रमों को बन्द करके राजनैतिक आन्दोलन में भी जुट जाते थे और जेल भी चले जाते थे। इसके अतिरिक्त खादी कार्यकर्ताओं में गांधीजी के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क, वैचारिक प्रेरणा एवं निष्ठा भी थी।

गांधीजी के बाद के पिछले चार दशकों की यात्रा में विचार एवं व्यवहार दोनों के स्तरों में काफी अन्तर आ गया है। इस अन्तर को कई स्तरों पर देखा जा सकता है। चरखा संघ या यों कहें आजादी के पूर्व की खादी सरकारी सहायता से मुक्त थी। इसका कार्य जन-आधारित और सीमित था। जो लोग खादी कार्य कर रहे थे,वे इस कार्य के साथ पूर्णतः विचार तथा निष्ठा के स्तर पर जुड़े थे। आजादी के बाद सरकार की सहायता से खादी कार्य के भौतिक विकास पर जोर बढ़ा और सरकारी सहायता प्राप्त कर व्यापारिक पक्ष को मजबूत किया जाने लगा। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में नये लोग इस काम में आये और संस्थाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी। हालांकि इस कार्य के साथ विचार,शिक्षण की योजनाएं भी चली तथा चरखा संघ,सर्व सेवा संघ,गांधी स्मारक निधि,कस्तूरबा स्मारक ट्रस्ट तथा खादी-ग्रामोद्योग कमीशन ने विचार शिक्षण तथा तकनीकी शिक्षण के कार्य हाथ में लिये। हजारों कार्यकर्ताओं को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन यहां यह स्वीकार करना चाहिये कि इन प्रशिक्षणों के वावजूद खादी का भौतिक पक्ष अधिक प्रभावी होता गया। इस कार्य में लगे प्रमुख व्यक्तियों एवं कार्यकर्ताओं की मुख्य शक्ति खादी के भौतिक विकास में ही लगने लगी। चाहते हुए भी विचार निष्ठा का पक्ष मजवूत नहीं हो पाया, वह क्रमशः कमजोर होता गया। खादी कार्य का भौतिक विकास इस तेजी से हुआ कि वाद में सवको विचार शिक्षण का प्रशिक्षण देना भी संभव नहीं हो सका। इस प्रकार खादी उद्योग व्यापार के रूप में अथवा सरकारी उद्योग व्यापार के रूप

में बदलने लगा। इसके पीछे गांधी विचार का प्राचीन आधार व्यवहार में कमजोर पड़ता गया। विचार के कमजोर होने के बावजूद आधार तो आज भी गांधी विचार ही है। आवश्यकता इस बात की है कि इसे पुर्नस्थापित करने का प्रयास किया जाये। गांधी विचार के जिस मौलिक आधार पर खादी टिकी है,उसका प्रशिक्षण सामान्य कार्यकर्ताओं को देने की आवश्यकता है।

यहां एक बात यह भी सामने आयी कि खादी कार्य जिस ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त पर आधारित है,उसके पालन में भी कमी आयी है। इस कार्य में कार्यकर्ता,कामगार एवं व्यवस्था मण्डल में जिस रूप से आपसी तारतम्य होना चाहिये,वह नहीं रहा। देखने में आया है कि तीनों में भागीदारी एवं दूरी बढ़ती जा रही है। इस दूरी को कम करने की आवश्यकता है।

(3) खादी कार्य में विचार एवं व्यवहार में दूरी बढ़ने के बावजूद यह कार्य कई दृष्टियों से भारतीय ग्रामीण संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चरखा संघ ने खादी कार्य के पीछे जिन कारणों का उल्लेख किया था,(जिनका जिक्र ऊपर किया गया है) वे आज भी कायम हैं। सर्वेक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि खादी महिलाओं के लिए उपयुक्त कार्य है। खादी कार्य की सबसे महत्व की बात है कि वह महिलाओं को उनके घरों में ही काम देता है। अम्बर चर्खे पर वे तन्मयता से काम करके 10 से 15 रू.की कमाई कर सकती हैं। यह कार्य वे घर को संभालते हुए,अपने घरों में ही बैठकर कर सकती हैं। इससे परिवार की आय में बड़ा योगदान मिलता है। साक्षात्कार के दौरान यह तथ्य सामने आया कि घर गांव में काम मिलना उनके लिए बहुत महत्व रखता है। उनकी राय में,बाहर कुछ अधिक मजदूरी मिले,इससे अच्छा यह है कि उन्हें घर-गांव में ही काम मिल जाये,चाहे फिर मजदूरी कुछ कम ही क्यों न मिले ? घर पर काम मिलने पर(क) बच्चों की देखभाल सुविधा पूर्वक कर लेती है। (ख) घर का आवश्यक कार्य कर लेती है,(ग) उनकी शारीरिक रचना के अनुकूल उन्हें हल्का काम मिलता है। यही कारण है कि कताई कार्य में महिलाएं अधिक मात्रा में प्रवृत्त हैं। खादी का प्रत्येक कार्य महिलाएं कर सकती हैं,इसका उदाहरण गुजरात में भानमाल खादी ग्रा. समिति राणपुर में देखा जा सकता है,जहां वे कताई,बुनाई,सिलाई आदि सब कार्य ठीक ढंग से सम्पन्न कर रही हैं। हमारा सुझाव है कि इस बात का प्रयास किया जाना चाहिये कि खादी उत्पादन का सभी कार्य महिलाओं द्वारा किया जाये। यह कार्य व्यवस्था से लेकर कताई,बुनाई,सिलाई आदि सभी प्रकार के हो सकते हैं।

(4) खादी से होने वाली आय के बारे में आम धारणा है कि इसमें बहुत कम आय होती है। लेकिन गहराई से विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि पूरा समय काम करने वाले कामगारों को उतनी कम आय नहीं होती जितनी कि समझा जाता है। दो बातें आय को प्रभावित करती पायी गयी-

(क) कामगारों में काम में सातत्य की कमी।

(ख) साधनों की सीमाएं।

यह देखा गया है कि कत्तिन बुनकर अनेक कारणों से नियमित एवं पूरे समय कार्य नहीं

करते । अधिकांश कताई को फुरसत के समय का कार्य मानती हैं । बुनकर भी नियमित तथा पूरे समय काम नहीं करते । यह भी देखा गया कि संस्थाएं भी पूरे समय काम नहीं दे पाती, इस कारण भी कार्य का सातत्य टूटता है । इस स्थिति में आय में कमी रहना स्वाभाविक है । अकसर औसत निकाल कर आय का आंकलन किया जाता है । लेकिन कताई-बुनाई में औसत का हिसाब गलत चित्र प्रस्तुत करता है । आमतौर पर कत्तिनों की संख्या तो अधिक होती है, पर उनमें से 20-30 प्रतिशत कत्तिनें ही नियमित तौर पर कातती हैं । लेकिन ये भी पूरे 8 घंटे नियमित कताई नहीं कर पाती । यही स्थिति बुनकरों की है । इस परिस्थिति में कुल कत्तिन-बुनकरों की सकल आय को आधार मानकर औसत निकालने पर मजदूरी की औसत राशि कम आना स्वाभाविक है ।

इसी के साथ साधनों की उत्पादकता की सीमा का उल्लेख भी आवश्यक है । जैसाकि हमने देखा है परम्परागत साधनों से काफी कम आय होती है, लेकिन अपेक्षाकृत विकसित साधनों-अंबर या सेमीऑटोमेटिक कर्घे पर अधिक आय होती है । कामगार अधिक विकसित साधनों का उपयोग करना चाहते हैं । लेकिन संस्थाओं की पूंजी एवं साधनों के मामले में अपनी सीमाएं हैं और उनके कारण वे कताई-बुनाई के उन्नत साधन सभी कामगारों को नहीं दे पाते । इसके अलावा कामगारों को यथोचित प्रशिक्षण देने की भी अपनी समस्या एवं सीमा है । मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि काम में सातत्य एवं विकसित साधन देने पर संतोष जनक रोजगार एवं आय हो सकती है । अध्ययन में नमूने के विश्लेषण से इस बात की पुष्टि होती है ।

(5) खादी उत्पादन में विकसित साधनों के उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता है । कताई के क्षेत्र में अंबर विकसित साधन के रूप में स्वीकृत हो चुका है । सूती अंबर का व्यापक उपयोग किया जा रहा है । लेकिन ऊनी अंबर का उपयोग अभी सीमित है । राजस्थान में बड़े पैमाने पर ऊन का उत्पादन लेने के बावजूद ऊनी अंबर का उपयोग नाम मात्र का है । ऊनी अंबर पर कताई का एक दूसरा पहलू यह भी है कि इस पर अभी तक मेरिनो ऊन की कताई होती है, जबकि राज्य में देशी ऊन पैदा होने के कारण उसकी कताई का काम ज्यादा है । इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि देशी ऊन की कताई के लिए उन्नत अंबर चरखा तैयार किया जाये । अहमदाबाद स्थित खादी प्रयोग समिति ने देशी ऊन कताई के लिए अंबर चरखा तैयार भी किया है किन्तु वह अभी क्षेत्र में नहीं आया है । राजस्थान की खादी संस्थाओं को खासकर राजस्थान खा.ग्रा. संस्था संघ को इस दिशा में प्रयास करना चाहिये और ऊन कताई के लिए उपयुक्त अंबर करघे का प्रचलन बढ़ाकर खादी में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहिये । राज्य में यहां के लिए अनुकूल साधनों के विकास करने की आवश्यकता है । इस दृष्टि से यहां एक सक्षम सरंजाम प्रयोग केन्द्र की भी आवश्यकता है, जो यहां की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर उपयुक्त साधनों का विकास कर सके ।

खादी क्षेत्र में होने वाले तकनीकी प्रयोगों का क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो इस दिशा में भी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है । यह स्वीकार करना चाहिये कि खादी उत्पादन साधनों

के प्रयोग एवं कत्तिन बुनकरों में उनके प्रवेश में जो अन्तराल है, यह दूर किया जाना चाहिये। प्रयोग और प्रसार की दूरी को कम किया जाये। यह तभी संभव है जव राज्य एवं क्षेत्र स्तर पर सक्षम सरंजाम प्रयोग केन्द्र हो।

खादी साधनों के विकास की दिशा के वारे में एक अन्य वात की ओर भी ध्यान देना उचित होगा। अम्वर प्रयोग के साथ-साथ खादी उत्पादन की कुछ प्रक्रियाओं में वड़े साधनों के प्रयोग पर वल दिया जाने लगा है। उदाहरण के लिए पूर्व कताई प्रक्रिया आमतौर पर वड़े साधन (स्क्रेचर मशीन) का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार ऊनी खादी में वड़े फिनिशिंग प्लान्टों को उपयोग किया जाता है। रंगाई-छपाई भी स्थानीय तथा ग्राम स्तर पर कम होती है। यह सही है कि ये कार्य वड़े पैमाने पर करने में कुछ सुविधा पूर्ण स्थिति रहती है, लेकिन इसका रोजगार क्षमता पर तो प्रतिकूल ही प्रभाव पड़ता है। यहां यह भी स्मरण रखना चाहिये कि इन कार्यों में छोटे साधनों का उपयोग हो, यह खादी की आधारभूत विचारधारा से मेल खाता है। आज तो खादी संस्थाएं अपने उत्पादों के लिए वड़े साधनों के उपयोग की ओर वढ़ती जा रही हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रयोग समिति अहमदावाद ने कई छोटे साधन विकसित किये हैं, पर वे साधन क्षेत्र में सुचारू उपयोग में नहीं लाये जा सके हैं। ऐसा लगता है कि खादी संस्थाएं अभी तक इन प्रयोगों को क्षेत्र में प्रचलित करने के प्रति गंभीर नहीं है। इस दिशा को मोड़ना होगा और साधनों के वजाय छोटे एवं विकेन्द्रित स्तर पर चल सकने वाले उत्तम साधनों को विकसित करने तथा उसका प्रयोग करने का गंभीरता के साथ प्रयास करना होगा।

जिन नये साधनों का विकास हो रहा है, उन्हें चलाने संवंधी समुचित प्रशिक्षण का अभाव भी देखा गया। अंवर चरखे के प्रशिक्षण की परम्परा अवश्य कायम हुई है, लेकिन अन्य साधनों को चलाने संवंधी प्रशिक्षण अभी ठोस आधार नहीं ले पाया। यह प्रशिक्षण कत्तिन-वुनकर दोनों ही स्तरों पर अपेक्षित है। खादी के क्षेत्र में जिन नये साधनों का विकास हो रहा है, उनका ज्ञान उत्पत्ति केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकर्ताओं को भी होना चाहिये। अभी तो कार्यकर्ताओं में भी नये प्रयोगों संवंधी जानकारी का अभाव दिखाई देता है।

क. खादी कार्य अधिक वढ़े इसके लिए खादी के कार्यक्षेत्र में विस्तार एवं उत्पादन के प्रकार में भी सुधार किये जाने की आवश्यकता है। इस समय जिस प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है, उनके प्रकार एवं गुणवत्ता की समीक्षा की जानी चाहिये। उदाहरण के लिए राजस्थान में ऊनी होजरी के उत्पादन में वृद्धि की काफी गुंजाइश है। इसी प्रकार रंगाई-छपाई का कार्य राज्य के भीतर ही रखने का सिलसिला वनना चाहिये, अभी तो यह कार्य वाहर की ऐजेन्सियां करती हैं। गांवों में ओढ़ने-विछाने की मोटी चादरों, खेस, एवं दरियों आदि की व्यापक मांग रहती है। उनका उत्पादन भी वढ़ाया जाना चाहिये।

ख. वाजार की दृष्टि से कई स्तर पर प्रयास अपेक्षित हैं। खादी उत्पादन वाजार आज भी शहरों में केन्द्रित है। स्थानीय कमीशन के वावजूद स्थानीय विक्री कम है।

आवश्यकता इस बात की है कि खादी उत्पादन में स्थानीय आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाये ताकि स्थानीय बिक्री बढ़ सके। इसके अलावा स्थानीय उपभोक्ता की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बिक्री पर वहां छूट की अवधि पूरे वर्ष रखी जानी चाहिये।

ग. यहां इस बात की और ध्यान देने की जरूरत है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल से अच्छे किस्म का उत्पादन किया जाय। उदाहरण के लए स्थानीय ऊन से अच्छी किस्म के वस्त्र तैयार करने की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी यह पाया है कि संस्थाएं मेरिनों ऊन से ऊनी वस्त्र उत्पादन करने में ज्यादा रूचि लेती है, जबकि स्थानीय ऊन कताई, बुनाई, डिज़ाइन, फिनिशिंग आदि पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

(7) खादी उत्पादन के साधनों में शक्ति (बिजली) के उपयोग तथा साधनों के आकार की दिशा में भी सोचने की जरूरत है। जैसा कि ऊपर कहा गया है आजकल बड़े पैमाने के साधनों (खासकर पूर्व कताई प्रक्रिया में) के उपयोग की और झुकाव बढ़ रहा है। कुछ लोगों की यह भी राय है कि कताई बुनाई में भी शक्ति (विद्युत) का उपयोग किया जाये। पूर्व कताई प्रक्रिया में विद्युत शक्ति का उपयोग मान्य किया जा चुका है, लेकिन विद्युत शक्ति के उपयोग के बारे में दो राय हो सकती है और एक तर्क संगत चर्चा की आवश्यकता भी हो सकती है। हमारा मानना है कि खादी उत्पादन में मानवीय शक्ति के अनुकूलतम उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिये। खादी उत्पादन के साधनों को इस रूप में विकसित करने की आवश्यकता है कि उन्हें मानवीय श्रम द्वारा चलाया जा सके तथा अधिक उत्पादन, सरल, सस्ते तथा चलाने में सुविधाजनक हों। विद्युत शक्ति का उपयोग अनिवार्य स्थिति में ही किया जाना चाहिये। हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि अब तक मानवीय श्रम से चलने वाले साधनों की खोज एवं प्रयोग की दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया है। इस दिशा में अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

(8) सूत कताई के लिए 6 तकुआ अम्बर एवं ऊनी कताई के लिए चार तकुआ अम्बर का प्रचलन बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को 9-10 रुपये रोज का रोजगार दिया जा सकता है। यह वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिवेश में एक स्तुत्य प्रयास सिद्ध हो सकता है। सरकार एवं खादी आयोग को इस सवाल पर गहराई से विचार करना चाहिये और इसके लिए आवश्यक संगठनात्मक एवं वित्तीय व्यवस्था करके इस कार्यक्रम को क्रमबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना चाहिये।

(9) बुनकरों का ठीक ढंग से जीवन निर्वाह हो सके, इस दृष्टि से ताने के उन्नत साधनों का प्रयोग बढ़ाने और उन्हें ग्रामलक्ष्मी कर्घे जैसे पैडल से चलने वाले उन्नत करघों पर काम करने की सुविधा देने की आवश्यकता है। उन्नत करघों के प्रचलन में आने से खादी का उत्पादन बढ़ेगा एवं खादी की गुणवत्ता में भी सुधार आयेगा।

(10) सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया कि कताई कार्य में लगी महिलाओं में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनकी जीविका का एक मात्र आधार कताई से होने वाली आय है। इनमें परम्परागत एवं अम्बर दोनों ही प्रकार के चरखों पर काम करने वाली कत्तिनें शामिल हैं। यह देखा गया कि परम्परागत चरखे पर कताई करने वाली इस प्रकार की कत्तिनों की मासिक आय 60 से 100 रू. तक हैं, जिसमें उनका सामान्य ढंग से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए यहां यह विचार करना आवश्यक है कि ऐसी वेसहारा कत्तिनों के जो पूर्णतः कताई पर निर्भर हैं, न्यूनतम जरूरतें पूरी करने लायक आय कैसे मिले ऐसी कत्तिनें आमतौर पर नये कताई साधन अपनाने की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति में नहीं होती। उनकी कुशलता की भी सीमा है। हमारा सुझाव है कि संस्थाओं की कामगार सहायता कोष से इन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के वारे में सोचना चाहिए, ताकि कताई आय की मात्रा वढ़ सके। इसके लिए प्रत्येक संस्था को इस प्रकार की जरूरत मन्द कत्तिनों का सर्वेक्षण करके सूची तैयार करनी चाहिये और उन्हें न्यूनतम जरूरतें पूरी करने के लिए न्यूनतम मासिक से कम मजदूरी मिलने पर अतिरिक्त सहायता देकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिये। आमतौर पर ऐसी कत्तिनें अकेली एवं वेसहारा होती हैं। ऐसी कत्तिनों की संख्या भी अधिक नहीं है। चूंकि ये कत्तिनें वर्षों से कताई पर निर्भर रहती आ रही हैं। इसलिए संस्था का कर्तव्य है कि उनकी न्यूनतम आवश्यकता का ध्यान रखें और उनकी पूर्ति के लिए अपेक्षित धन राशि अतिरिक्त सहायता के रूप में प्रदान करें।

इसी प्रकार संस्था को जीवन-निर्वाह के लिए कताई पर आश्रित अम्बर कत्तिनों का भी सर्वेक्षण करके ऐसी कत्तिनों को इतनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिये जिससे उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें। कत्तिनों को यह सहायता कामगार कोष से दी जा सकती है। इस वारे में खादी ग्रा. संस्था संघ को भी विचार करना चाहिये और राज्य की संस्थाओं को यथोचित मार्गदर्शन देना चाहिये।

टिप्पणियां

1. कताई मजदूरी खा.ग्रा.आयोग द्वारा निर्धारित कास्ट चार्ट के अनुसार सूत के अंक देखकर दी जाती है। (उक्त मजदूरी उसी आधार पर लगायी गयी है)।
2. वर्ष 87-88 की तुलना में 93 में 50 प्रतिशत वृद्धि

परिशिष्ट

नमूने का अध्ययन

खादी तकनीक और उसकी उत्पादकता: नमूने का अध्ययन

खादी उत्पादन में विभिन्न प्रकार की तकनीक (औजारों) का उपयोग किया जाता है। इस समय जिन औजारों का उपयोग किया जाता है, उन्हें मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं:

(1) कताई प्रक्रिया में उपयोग में आने वाले साधन (2) वुनाई के साधन। चरखा संघ के वाद पूर्व कताई प्रक्रिया संस्थाओं द्वारा अपेक्षाकृत वड़े साधनों द्वारा सम्पन्न की जाती है। इस समय पूणी निर्माण का अधिकांश कार्य स्क्रेचर मशीन द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार रंगाई छपाई कार्य भी प्राय: संस्था द्वारा संचालित केन्द्रीय स्थल पर या वाहर कराया जाता है। इस प्रकार अव कताई एवं वुनाई की प्रक्रिया ही मुख्य रह गयी है। साधनों के विकास के साथ-साथ इनमें भी परिवर्तन आया और सूत कताई का कार्य मुख्यत: अम्वर चर्खे द्वारा किया जाता है। ऊनी कताई में अभी भी परम्परागत चरखे का प्रचलन अधिक है। वुनाई में फ्रेम लूम का आम प्रचलन है। कई संस्थाओं ने सेमीऑटोमेटिक कर्घे का उपयोग भी प्रारम्भ किया है।

इस अध्ययन में कुछ संस्थाओं में कत्तिन एवं वुनकरों की उत्पादकता देखने का प्रयास किया गया है। उत्पादन केन्द्रों पर जाकर उत्पादकता देखी गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि खादी कामगारों की आय और उत्पादकता के वारे में यह धारणा है कि खादी कामगारों को कम आय होती है क्योंकि खादी में प्रयुक्त यंत्रों की उत्पादकता कम होती है। यदि कत्तिन वुनकरों की औसत आय निकालें तो वास्तव में आय अत्यन्त कम प्रतीत होती है। लेकिन हमारी राय में खादी में औसत का हिसाव सही नहीं है। खादी कामगार की स्थिति अन्य कार्यों में लगे कामगारों से भिन्न है। खादी कामगार अपने घरों पर काम करता है और उस पर काम या समय का वन्धन नहीं है। कार्य के लिए वह स्वतन्त्र है। आमतौर पर फुरसत के समय कताई का कार्य

किया जाता है। जहां परिश्रमालय चलता है वहां भी कत्तिन स्वेच्छा से काम पर आती है और जितनी देर इच्छा होती है, कताई करती है। यही स्थिति बुनकरों की भी है। इस प्रकार यह परिवार की पूरक आय के रूप में देखी जानी चाहिये। औसत का हिसाब लगाते समय एक अन्य बात को भी ध्यान में रखना उचित होगा। मान लें किसी संस्था में 500 कत्तिनें हैं, लेकिन उनमें से काफी बड़ी संख्या में कत्तिनें कभी-कभी ही कताई करती हैं और बहुत थोड़ी ही वर्ष में 100-150 दिन कातती हैं। साल या नियमित कताई वाली तो बहुत कम रहती हैं। नियमित कत्तिनें भी रोज पूरे समय नहीं कातती। चूंकि कत्तिनें काम के लिए स्वतन्त्र हैं और घरों पर कातती हैं, इस कारण संस्था के पास इसकी जानकारी नहीं रहती कि किस कत्तिन या कितने समय कताई की है। एक दूसरी बड़ी चीज यह भी है कि संस्थाएं भी अपनी सीमा में ही काम देती हैं। संस्थाओं के पास आर्थिक साधन की कमी रहती है, कच्चे माल का अभाव, बिक्री की समस्या आदि के कारण भी कत्तिनों को पूरा काम नहीं मिलता। इन सीमाओं के कारण औसत आय काफी कम आती है जो स्वाभाविक है।

उक्त स्थिति के संदर्भ में विभिन्न साधनों की दैनिक उत्पादकता देखने का प्रयास किया गया ताकि उत्पादन क्षमता एवं आय की वास्तविक स्थिति का एक अन्दाज लग सके। नीचे की पंक्तियों में कुछ संस्थाओं की कत्तिनों, बुनकरों तथा अन्य कार्यों में लगे कामगारों की उत्पादकता एवं आय का नमूने का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

नमूने के अध्ययन में राजस्थान की कुछ संस्थाओं एवं गुजरात की एक संस्था के तथ्य दिये जा रहे हैं। राजस्थान में खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी तथा लोक भारती समिति, चाकसू के केन्द्रों की अंबर कत्तिनें (सूती) तथा बुनकरों को शामिल किया गया है, जबकि गुजरात की संस्था में ऊनी अंबर कताई एवं बुनाई संबंधी तथ्य एकत्रित किये गये हैं। चूंकि अंबर कताई आज भी विकसित तकनीक है। इस कारण नमूने के अध्ययन में मुख्यतः इसे ही शामिल किया गया है।

(क) लोक भारती समिति, शिवदासपुरा

संस्था के चाकसू केन्द्र पर सूती कताई (अंबर की) उत्पादकता देखी गयी। आठ घन्टे कताई की स्थिति देखने पर यह तथ्य सामने आया कि 6 तकुए के अम्बर पर एक कत्तिन 10 से 15 रू. तक कताई कर सकती है। इस केन्द्र की 7 कत्तिनों की एक दिन की कताई की स्थिति इस प्रकार रही-(यहां यह उल्लेखनीय है कि कताई की यह जानकारी सामान्य स्थिति में ली गयी है, उन्हें पहले से इसकी सूचना नहीं दी गयी। कत्तिनें सामान्य दिनों की भांति कताई करने आयी और दिन भर कताई की)

सारणी 1 से पता चलता है कि सबसे अधिक कताई श्रीमती मनभर देवी ने 500 ग्राम की और इसकी मजदूरी उसे रु.15.38 मिली।

यह देखने में आया कि कताई क्षमता कई बातों पर निर्भर करती हैं, जैसे कत्तिन की

व्यक्तिगत कुशलता, चरखे की स्थिति, मरम्मत करने में कत्तिन का अभ्यास आदि। यहां ये कत्तिनें रोज घर से आकर संध्या के शेड में बैठकर कातती हैं। चरखा यहीं रहता है, इसलिए मरम्मत में विलम्ब नहीं होता।

सारणी संख्या 1

चाकसू केन्द्र पर 6 तकुआ अम्बर से सूती कताई

क्र.सं.	कत्तिन का नाम	8 घन्टे की कुल कताई (ग्राम में)	कताई की मजदूरी रूपये में
1.	श्रीमती मदीना	300	9-94
2.	श्रीमती जसोदा	350	11-18
3.	श्रीमती मोहनी	300	9-94
4.	श्रीमती गेंदा देवी	300	9-94
5.	श्रीमती गीता देवी	400	12-30
6.	श्रीमती मनवर देवी	500	15-38
7.	श्री मती रमजान	300	9-94
	योग	2450	78.62

औसत सूती कताई प्रति कत्तिन 350 ग्राम एवं औसत आय रु.11.23

(ख) खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी

राजस्थान में अभी तक ऊनी अम्बर का प्रचलन काफी कम है। बस्सी समिति ने अपने माधोगढ केन्द्र पर शेड में ऊनी अंबर (4 तकुए) पर कताई प्रारम्भ की है। अध्ययन दल ने इस क्षेत्र की ऊनी कत्तिनों का नमूने का अध्ययन करके काते गये ऊनी धागे की मात्रा एवं आय संबंधी तथ्य प्राप्त किये है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ऊनी अंबर कताई यहां अभी प्रारम्भिक स्थिति में हैं और कत्तिनों का अभ्यास भी कम है।

माधोगढ़ केन्द्र पर 4 तकुए ऊनी अम्बर कत्तिनों की एक दिन (8 घंटे) की कताई की स्थिति नीचे की सारणी में दी जा रही है।

सारणी संख्या 2

माधोगढ़ केन्द्र पर 4 तकुआ ऊनी अम्बर से कताई की उत्पादकता

क्र.सं.	कत्तिन का नाम	कताई मात्रा गुंडी संख्या	मजदूरी (रु.)
1.	सुश्री इन्दिरा शर्मा	10	10.00
2.	श्रीमति मूली देवी	5	5.00
3.	श्रीमति नाथी	13	13.00
4.	श्रीमति छोटी	6	6.00
	योग	34	34.00

औसत ऊन कताई प्रति कत्तिन 8.5 गुंडी औसत आय 8.50 रु.

* कत्तिनें माधेगढ़ केन्द्र पर शेड में आकर कताई करती है। वर्तमान में 50 प्रतिशत वृद्धि

सितम्बर माह में सुश्री इंदिरा शर्मा ने पूरे माह में 190.00 की कताई की, जबकि श्रीमती मूली ने 100.00 रु. की कताई की है। उन्होंने बताया कि वे नियमित रूप से कताई नहीं करती और यदि कताई करने आती हैं तो पूरे 8 घंटे कताई नहीं कर पाती हैं। इस केन्द्र पर ऊनी कत्तिनों की औसत कताई का हिसाब भी लगाया गया है। अगस्त माह में 10 कत्तिनों ने औसतन रु. 113.10 मासिक आय कताई से प्राप्त की। प्रति कार्य दिवस आय का औसत रु.8.26 आया। लेकिन सितम्बर में 16 कत्तिनों में औसत 225.17 रु. मासिक और प्रति कार्य दिवस औसत आय रु.12.77 अर्जित की। अगस्त में एक कत्तिन ने एक दिन में अधिकतम रु.12.76 की तथा सितम्बर में एक कत्तिन ने अधिकतम 14.90 रु. कताई से आय अर्जित की।

बुनाई कार्य

खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति, बस्सी में ग्राम लक्ष्मी (सेमी ऑटोमेटिक) कर्घे पर बुनाई की उत्पादकता देखी गयी। इस कर्घे पर सूती धागे एवं धागे की बुनाई की जाती है। सूती अम्बर धागे की बुनाई के नमूने का अध्ययन नीचे की सारणी में है:

सारणी संख्या 3

माधोगढ़ केन्द्र पर सूती बुनाई-ग्राम लक्ष्मी कर्घा

क्र.सं.	बुनकर का नाम	बुनाई समय		मीटर नाप	मजदूरी	8 घंटे की मजदूरी (रु.)
1.	श्री कजोड़	6	0	10	25.00	33.33
2.	श्री रामजीलाल	6	0	4	10.00	13.33
3.	श्री जगदीश	1	15	2	5.00	32.00
4.	श्री छोटेलाल	5	0	8	20.00	32.00
5.	श्री सोहनलाल	5	0	6	15.00	24.00
6.	श्री चौथमल	4	30	4	10.00	17.77
	योग	27	45	34	85.00	152.43

औसत प्रति बुनकर प्रतिदिन 8 घन्टे की मजदूरी रु.25.40

(नोट: बुनाई कार्य में एक बुनकर के साथ एक व्यक्ति भी और लगता है जो कि आमतौर पर महिला होती है। इस प्रकार उक्त मजदूरी एक पुरुष एवं एक महिला की है।)

बुनाई का कार्य आमतौर पर बुनकर अपने घरों पर करते हैं। इस स्थिति में बुनाई का समय निश्चित नहीं होता। कृषि के समय बुनकर खेती कार्य में भी लगते हैं। अन्य घरेलू कार्यों में भी लग जाते हैं। सारणी से स्पष्ट है यदि 8 घन्टे ढंग से बुनाई करें तो एक पुरुष एवं एक महिला मिलकर दिनभर में 30-35 रु. तक की बुनाई कर सकते हैं।

कुछ बुनकरों की जीविका का मुख्य स्रोत बुनाई है। ऐसे बुनकर परिवार पूरे समय इसी कार्य में लगे होते हैं। इनमें से कुछ बुनकरों की एक माह की बुनाई की स्थिति का भी विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के लिए दो ऐसे महीनों को चुना गया जिसमें अधिकांश बुनकरों ने

लगभग पूरे समय बुनाई का कार्य किया हो। माह अगस्त एवं सितम्बर,87 में बुनाई की स्थिति नीचे की सारणी में दी जा रही है:

सारणी संख्या 4

ग्राम लक्ष्मी कर्घे पर मासिक बुनाई की स्थिति

(खादी ग्रा. सघन विकास समिति, बस्सी)

क्रं.सं.	*विवरण*	*माह*	*बुनकर*	*कुल मजदूरी (रु.)*	*औसत मजदूरी प्रति बुनकर **
1.	पोलिस्टर अंबर धागा	अगस्त	10	6746.80	674.68
		सितम्बर	8	7672.70	959.10
2.	सूती अंबर धागा	अगस्त	5	2872.75	568.75
		सितम्बर	7	2879.65	411.29

नोट: सूती अम्बर धागे की तुलना में पोलिस्टर धागे की बुनाई की गति अधिक रही। इसका मुख्य कारण पोलिस्टर धागे का समान एवं मजबूत होना है।

* एक पुरुष एवं एक महिला दोनों की शामिल मजदूरी।

क. यदि कार्य दिवस को ही गिना जाये तो सर्वेक्षित बुनकरों की औसत दैनिक मजदूरी रु39.55 रही है। अधिकतम बुनाई करने वाले बुनकर की मासिक आय रु1485.30 रही है। दूदली केन्द्र पर सूती अंबर धागे से बुनाई करने वाले एक बुनकर की अधिकतम दैनिक आय रु49.50 रही है।

ग. भानमाल खादी ग्रा. समिति, राणपुर-जिला अहमदाबाद

राजस्थान की कुछ संस्थाओं में कताई बुनाई के नये साधनों की उत्पादन क्षमता एवं उससे प्राप्त आय के साथ-साथ गुजरात के अहमदाबाद जिला स्थित भाननाल खादी ग्रा. समिति, राणपुर संस्था में कत्तिन-बुनकरों की उत्पादन क्षमता का भी अध्ययन किया गया। इस संस्था के काम की कुछ विशेषताएं हैं, जिसके कारण इसे नमूने के अध्ययन के रूप में शामिल किया गया है। इन विशेषताओं में मुख्य है (1) इस संस्था का मुख्य कार्य क्षेत्र राणपुर गांव है। प्रायः सभी कामगार इसी गांव के हैं। (2) अधिकांश कार्य राणपुर गांव में स्थित खादी संस्था परिसर में ही होता है। कताई, बुनाई तथा अन्य सभी प्रक्रियाएं एक ही स्थान पर होती हैं। सभी कामगार समय पर आते हैं और काम करके चले जाते हैं। कार्य आमतौर पर 8 घन्टे का होता है—प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य चलता है और बीच में 12 से 1 बजे का भोजन अवकाश रहता है। कत्तिन-बुनकर आदि सभी निर्धारित समय पर आते हैं और काम करके वापस जाते हैं। (3) एक बड़ी विशेषता यह है कि यहां अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। कताई, बुनाई, होजरी, सिलाई, बिक्री यहां तक कि व्यवस्था कार्य में भी महिलाओं की संख्या अधिक है। कताई बुनाई का काम करने वाली तो प्रायः सभी महिलाएं ही हैं।

यहां का मुख्य उत्पादन ऊनी वस्त्र है । प्राय: सभी प्रकार के ऊनी वस्त्र तैयार किये जाते हैं । ज्यादा उत्पादन ऊनी कोटिंग, शर्टिंग एवं होजरी का है । मोटा कम्बल का उत्पादन कम है । अच्छे किस्म के ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए यह संस्था विख्यात है । होजरी में मेरिनों ऊन के स्वेटर,मोजे,दस्ताने,आदि का उत्पादन होता है । कताई का कार्य चार तकुआ ऊनी अंबर चरखे पर किया जाता है ।

नमूने के अध्ययन के रूप में कुछ कामगारों की जानकारी ली गयी । सर्वेक्षण के दिन विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्य में लगे कामगारों की 8 घन्टे की मजदूरी इस प्रकार रही-

सारणी संख्या 5

राणपुर केन्द्र पर विभिन्न उत्पादों से दैनिक आय

क्रं.सं.	*कार्य प्रकार*	*कामगार संख्या*	*आठ घन्टे की आय रु. प्रति कतिन*
1.	ऊनी कताई अम्बर 4 तकुआ	4	12.43
2.	ऊनी शाल ऊनी वस्त्र बुनाई	6	19.63
3.	होजरी बुनाई	2	12.50
4.	ऊनी वस्त्र सिलाई	1	16.00
	योग	13	16.00

उक्त तथ्य एक दिन के नमूने के सर्वेक्षण पर आधारित है । सर्वेक्षण के दौरान संस्था में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर थोड़ी विस्तार से जानकारी ली गयी । नीचे की सारणी में विभिन्न प्रकार के कार्यों से हुई मासिक एवं वार्षिक आय की स्थिति की जानकारी मिलती है:

सारणी संख्या 6

विभिन्न उत्पादों से मासिक एवं वार्षिक औसत आय[1]

क्रं.सं.	*विवरण*	*कामगार संख्या*	*औसत मासिक आय (रु.)*	*औसत वार्षिक आय (रु.)*
1.	ऊनी अम्बर (4 तकुआ)	25	269.00	3234.00
2.	ऊनी शाल वस्त्र बुनाई (फ्रेमलूम)	15	273.00	3274.00
3.	होजरी बुनाई	7	301.00	3607.00
4.	ऊनी वस्त्र सिलाई	5	338.00	4058.00
	औसत योग	52	281	3371

* वर्तमान में 50 प्रतिशत वृद्धि

1 सभी महिला कामगार हैं । यहां बुनाई के लिए बुनकर को सहायक की अपेक्षा नहीं होती । धागे के भरे भराये वाबिन संस्था की ओर से बुनकरों को उपलब्ध किये जाते हैं ।

ऊनी काम में लगे कामगारों की उत्पादन क्षमता एक सी नहीं है । वैसे एक स्थान शेड में आकर काम करने के कारण कार्य क्षमता में ज्यादा अन्तर नहीं है । लेकिन काम में समय संबंधी

पावन्दी न रहने के कारण कामगारों की आय में काफी अन्तर रहता है। औसत रूप में देखने पर यह तथ्य सामने आया कि मासिक आय रु269.00 से लेकर रु338.00 तक रही। यहां यह भी स्पष्ट है कि यदि कामगार पूरी क्षमता से काम करें तो अंवर कताई, वुनाई, होजरी, सिलाई आदि कार्यों से होने वाली आय में ज्यादा अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या 7

विभिन्न उत्पादों की अधिकतम क्षमता वाले कामगार

क्र.सं.	*विवरण*	*अधिकतम मासिक आय (रु.)*
1.	ऊनी कत्तिन (4 तकुआ अंवर)	475.00
2.	ऊनी वुनाई फ्रेम लूम	498.17
3.	ऊनी होजरी	405.33
4.	सिलाई कार्य	400.67

* 50 प्रतिशत वृद्धि

(1) यहां वुनाई एक महिला ही करती है। उन्हें वुनाई के लिए धागे का वाविन भरा भराया मिलता है। प्रायः यह एक व्यक्ति की आय है।

सारणी से स्पष्ट है कि यहां विभिन्न प्रकार के काम करने वाले कामगारों की अधिकतम मासिक आय रु.400.00 से लेकर 498.00 रु.तक रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त सभी कामगार महिलाएं हैं और इन महिलाओं को यह कार्य उनके गांव में ही उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार मिलता है। वे काम के साथ ही साथ घर को भी संभालती हैं।

(घ) अन्य

1. विकसित तकनीक के साथ-साथ परम्परागत साधनों से भी खादी उत्पादन कार्य होता है। परम्परागत साधनों में देशी चरखा मुख्य है। राजस्थान में देशी चरखे पर ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार की कताई होती है। ऊनी कताई का कार्य तो वड़े पैमाने पर देशी चरखे पर ही होता है। इस ऊनी धागे से कम्वल वनते हैं और राजस्थान कम्वल का वड़ा उत्पादक राज्य है। इस प्रकार की कत्तिनें अपने खाली समय में ही काम करती हैं। यह पूरे समय का काम नहीं है। इसे फुरसत के समय का काम माना जा सकता है।

नमूने के तौर पर कुछ कताई केन्द्रों पर होने वाली कताई के आंकड़े प्राप्त किये गये हैं जिनसे परम्परागत कताई से आय की स्थिति स्पष्ट हो सके-

सारणी संख्या 8

परम्परागत कताई से आय की स्थिति

क्रं.सं.	*विवरण*	*केन्द्र*	*दिन*	*15 दिन की मजदूरी (रु.)*	*औसत दैनिक आय*
1.	सूती कताई (मोटा धागा)	गोविन्दगढ़	15	19.22	1.28
2.	ऊनी कताई	गोविन्दगढ़	15	39.00	2.60
3.	ऊनी कताई	सांभर	15	37.27	2.48

उक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि जो कत्तिनें परम्परागत देशी चरखे पर कताई करती हैं,उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। यही कारण है कि परम्परागत देशी चरखे पर कताई का कार्य घटता जा रहा है।

2. कताई बुनाई के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के कार्य भी चलते हैं। लेकिन इन कार्यों में कम लोग लगे हुए हैं और धीरे-धीरे यंत्र का प्रवेश होने से उनकी संख्या घटती जा रही है। उदाहरण के लिए अम्बर से पूनी बनाने के कार्य को लें। इस काम को करने वाली महिलाओं को 5 से 8 रु. दैनिक मजदूरी मिल जाती है। रुई टेप से पूनी बनाने के कार्य से 10 रु. तक दैनिक मजदूरी मिल जाती है। इसी प्रकार परम्परागत देशी चरखे के लिए पूनी बनाने के काम में लगी एक महिला को औसतन 6.75 रु. तक दैनिक मजदूरी मिल जाती है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है नये साधनों के विकास के बाद पुराने साधनों का उपयोग तेजी से घट रहा है। खादी कार्य में पुराने साधनों से आमदनी काफी कम होती है। इस कारण उनके स्थान पर नये साधन तेजी से बढ़ रहे हैं। कताई में परम्परागत चरखे का स्थान अंवर ले रहा है और बुनाई में खड्डी का स्थान फ्रेमलूम ने ले लिया है। अब सेमी ऑटोमेटिक कर्घा भी क्षेत्र में प्रारम्भ हुआ है। नमूने के उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अंबर चरखे एवं विकसित कर्घे पर पूरा काम मिले तो दैनिक उत्पादन एवं आय में काफी वृद्धि हो जाती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि महिलाओं के लिए यह कार्य अनुकूल एवं आर्थिक दृष्टि से लाभकर है। राणपुर (अहमदाबाद) का उदाहरण अनुकरणीय है। खादी महिलाओं की शारीरिक क्षमता के अनुकूल उन्हें उनके पड़ौस में ही सक्षम रोजगार प्रदान करती है। यह कार्य वे घर सम्भालने के साथ-साथ कर सकती हैं।

संदर्भ साहित्य

गांधी जी, खादी, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद।

गांधी जी, *आर्थिक और औद्योगिक जीवन*, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद।

गांधी जी, *चरखे की तात्विक मीमांसा*, सर्व सेवा संघ, 1949।

संतोषवार वि.अ., *ऊनी अम्बर*, खादी ग्रामोद्योग आयोग बम्बई, 1975।

सिद्धराज ढड्ढा, *चरखा बनाम मिल*, राजस्थान स. सा. प्रकाशन, 1953।

जवाहिरलाल जैन, *खादी विचार*, राज. खादी संघ, 1961।

——, *कत्तिन, बुनकर और नयी कपड़ा नीति*, गांधी शांति प्रतिष्ठान, 1985।

विठ्ठलदास जेराजाणी, *खादी की कहानी*, खादी ग्रा. आयोग।

——, *खादी विद्या प्रवेशिका* (गुजराती), गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, 1940।

——, *खादी केन्द्र सूची*, 1953-55, अ. भा. स. सेवा संघ।

केशव देवधर, *सरंजाम परिचय*, अ. भा. स. सेवा संघ, सेवाग्राम, 1941।

——, *सरंजाम परिचय*, अ. भा. च. संघ, बिहार, 1945।

——, *खड़ा चरखा*, अ. भा. च. संघ, 1947।

सत्यन, *तांत बनाना*, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवाग्राम, वर्धा, 1946।

——, *ओटना, तुनना व धुनना*, हिन्दुस्तानी तालीम संघ, सेवाग्राम, वर्धा, 1940।

——, *कपास*, सर्वोदय साहित्य संघ, काशी, 1951।

——, *तकली*, सर्वोदय साहित्य संघ, काशी, 1951।

प्रभाकर दिवाण, *किसान चरखा*, अ. भा. च. संघ, वर्धा, 1948।

ओम प्रकाश, *रुई से कताई तक*, ग्रामोदय प्रकाशन, 1957।

विनोबा, *मूल उद्योग कातना*, हि. ता. संघ, 1942।

धीरेन्द्र मजूमदार, *बापू की खादी*, अ. भा. च. संघ, 1950।

——, *खादी के असली मकसद की ओर*, अ. भा. च. संघ।

—— , *कपास की समस्या,* खादी की दृष्टि से, अ. भा. चरखा संघ, 1950 ।
कृष्णदास गांधी, *कताई गणित,* अ. भा. च. संघ, 1940 ।
—— , *घरेलू कताई की आय गिनतियां,* 1948 ।
—— , *कताई गणित,* भाग 1-4, 1948 ।
प्रभुदास गांधी, *खादी द्वारा ग्राम विकास,* सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1954 ।
—— , *राजस्थान में रचनात्मक प्रवृतियां,* रा. समग्र सेवा संघ, जयपुर, 1984 ।
—— , मा. न. खा. ग्रा. मंडल स्मारिका, 1983 ।
—— , *अम्बर,* मासिक पत्र, वर्ष 1956 से 1967 तक, खा. ग्रा. प्रयोग समिति, अहमदाबाद ।

Khadi Guide, A.I.S.A., Ahmedabad, 1929.
Acharya B.T., K.G.S.V. *Samiti Bassi-A study of its organisation, functions and working*, V. Mehta Trust, Bombay, 1986.
—, *Report of the Khadi Marketing Committee*, Government of India, 1962.
—, *Report of the Khadi Evaluation Committee*, Government of India, 1960.
—, *Report of the Working Group on Industries*, Khadi and Village Industries, Government of India, 1964.
—, *Report of the Khadi and Village Industries Review Committee*, Government of India, 1987.
—, *Report of the Working Group on Khadi and Village Industries*, Government of India, 1978.
—, *Annual Report KVIC,* 1976-77 to 1985-86, KVIC, Bombay.
Magah Gandhi, *Charkha Shastra,* Sabarmati, 1924.
Pattabhi Sitaramayya, *I too have spun*, Hind Kitabs Limited, 1946.
—, *Khadi Schemes* (1955-66), Bombay.
—, *Weaving Subsidy Scheme*, KVIC, Bombay.
—, *KVIC, Act and Rules,* KVIC, Bombay, 1982.
—, *KVIC Regulations*, 1982.
—, *Hand Book on Training*, KVIC, Bombay, 1986.